सप्तम माला, 23 December 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

संख्या 26. मंगलवार, 23 दिसम्बर, 1980/2 पौष, 1902 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1-3
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	3-15
राज्य सभा से संदेश	...	15
लोक लेखा समिति	...	15-17
दूसरा, चौथा, पन्द्रहवां और तेईसवां प्रतिवेदन	...	17
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	...	15-17
पाँचवाँ प्रतिवेदन		
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	...	17-23
पहला, तीसरा और अध्ययन दौरा प्रतिवेदन		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में डीजल की कमी का समाचार	...	23-34
श्री काजी जलील अब्बासी	...	23
श्री प्रकाशचन्द्र सेठी	...	27
श्री हरिकेश बहादुर	...	28
श्री निरेन घोष	...	30
प्रो० सत्यदेव सिन्हा	....	33
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) विधेयक— वापस लिया गया	...	34-35
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक— पुर:स्थापित	...	36
नियम 377 के अधीन मामले	...	36-53
(एक) तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराना		
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम	...	37-40
(दो) नरवाना (हरियाणा) में नकली शराब पीने के कारण हुई मौतें		
श्री मनीराम बागड़ी	...	40
श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार, समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए गठित न्यायाधिकरणों की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य		
श्री नारायण दत्त तिवारी	...	41-44

(तीन) पश्चिम रेलवे के उज्जैन और इन्दौर डिवीजनों में रेल सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता
श्री सत्यनारायण जाटिया ... 44-45
(चार) धान की खरीद के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता
श्रीमती गीता मुखर्जी ... 45
(पांच) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को 1979 में दिये गए आश्वासनों को पूरा न किया जाना
श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 45-46
(छः) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से वाणिज्यिक सेवाओं का कार्यकरण
श्री रसीद मसूद ... 46
(सात) कानपुर की कैलाश मिल्स बन्द होना
श्री ए० के० राय ... 46-47
(आठ) हल्दिया से होकर जाने वाले राजकीय राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करके उसके रख-रखाव की आवश्यकता
श्री सत्यगोपाल मिश्र ... 47-48
(नौ) 1981 की जनगणना के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व-अपराधी कबीलों और बंजारे कबीलों की उनकी बोलियों के आधार पर गणना किये जाने की आवश्यकता
श्री उत्तम राठौर ... 48
(दस) सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की समस्यायें
श्री एम० एम० लारेंस ... 48
(ग्यारह) बम्बई में गंदी बस्तियां
डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 49
(बारह) राजस्थान नहर परियोजना के लिए सीमेंट और कोयले की सप्लाई
श्री मूल चन्द डागा ... 49
(तेरह) बुनकरों की आर्थिक दशा
श्री हरिकेश बहादुर ... 49
(चौदह) तार घरों में स्टाफ की कमी
श्री एन० सेल्वाराजू ... 50
(पन्द्रह) श्रीलंका से आये आप्रवासी
श्री ईरा अनबारासु ... 50-52
(सोलह) मथुरा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक सीजन टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाइयां
श्री भीकूराम जैन ... 52
(सत्तरह) पोर्ट ब्लेयर में एम० ई० एस० के सिविलियन कर्मचारियों की समस्यायें
श्री मनोरंजन भक्त ... 52

(अठारह) सेलम इस्पात संयंत्र के लिए भूमि का अर्जन

श्री सी० पलानी अप्पन ... 52-53

चिट फंड विधेयक

प्रवर समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव—स्वीकृत ... 53-55

विश्व भारती (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ... 55-56

दंड विधि (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ... 57-59

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक

विचार किये जाने का प्रस्ताव ... 59-81

श्री भीष्म नारायण सिंह ... 59

श्री नारायण चौबे ... 61

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर ... 62

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 64

श्री जेवियर अराकल ... 66

श्री एच० के० एल० भक्त ... 68

श्री एन० सेलबाराजू ... 69

श्री मूल चन्द डागा ... 70-71

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 71-74

श्री दिग्विजय सिंह ... 75-77

श्री आर० के० महालगी ... 77-78

श्री जग्गननाथ राव ... 78-81

खंड 2 से 54 और ।

पास किये जाने का प्रस्ताव ... 83-84

श्री भीष्म नारायण सिंह ... 83

कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

विचार किये जाने का प्रस्ताव ... 84-99

श्री विक्रम महाजन ... 84-86

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 86-88

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय ... 89-91

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ... 91-92

श्री रामावतार शास्त्री ... 92-94

श्री ए० के० राय ... 95-97

खंड 2, 3 और ।

पास किये जाने का प्रस्ताव ... 100

श्री विक्रम महाजन ... 100

राज्य सभा से सन्देश ... 100

मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर अधिकारिता का विस्तार) विधेयक ... 100-118

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री पी० शिवशंकर ... 100-101

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ... 101-103

श्री वी० एन० गाडगिल ... 103-104

श्री आर० के० महालगी ... 104-106

श्रीमती संयोगिता रानी ... 106-107

श्री बापू साहिब परुलेकर ... 107-110

श्री मनोरंजन भक्त ... 110-112

श्री विजय कुमार यादव ... 112-113

खंड 2 से 14 और ।

पास किये जाने का प्रस्ताव ... 119

श्री पी० शिवशंकर ... 119

कम्पनी अधिनियम की धारा 620 के अधीन प्रारूप अधिसूचना के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव ... 119-123

श्री बापूसाहिब परुलेकर ... 119-120

श्री पी० शिवशंकर ... 120

बम्बई हाई कम्पलेक्स के आधार पर बनाये जाने वाले यूरिया और अमोनिया उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी तथा विदेशी सहयोग का चयन । ... 123-149

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ... 124

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ... 131

श्री निरेन घोष ... 138-139

श्री सतीश अग्रवाल ... 139

श्री भोगेन्द्र झा ... 139-140

श्री हरीश कुमार गंगवार ... 140-141

श्री ए० के० राय ... 141

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ... 142-149

न्यायधीश श्री सी० ए० वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा ... 149-150

श्री के० लक्प्पा ... 149

लोक सभा

मंगलवार, 23 दिसम्बर, 1980/2 पौष, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपने एक भूतपूर्व साथी, श्री होतीलाल अग्रवाल, जिनका निधन 13 सितम्बर, 1980 को कानपुर में 79 वर्ष की आयु में हो गया था, के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करता हूँ।

श्री होती लाल अग्रवाल वर्ष 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे।

वह वर्ष 1937-39, 1946-52 और वर्ष 1962-67 और 1969-74 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। वह वर्ष 1962-67 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे।

स्वतन्त्रता सेनानी होने के नाते उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल गये। वह ग्रामीण उत्थान, कृषि और प्रौढ़ शिक्षा में गहरी रुचि रखते थे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में सभा मेरा समर्थन करेगी।

सदस्य अपना दुःख प्रकट करने के लिए कुछ समय के लिए मौन खड़े हों।

तत्पश्चात् सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रविन्द्र वर्मा, मेम्बर, लोक सभा गिरफ्तार कर लिये गये हैं और आपने कोई इंटीमेशन सदन को नहीं दी। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल : (झंझारपुर), महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आप सभी खड़े हो रहे हैं। निस्सन्देह आपकी अपनी शिकायतें हैं। आप यहां जो शिकायतें या देश के लोगों की समस्याएं उठाना चाहते हैं उनका मैं भारी सम्मान करता हूं। परन्तु आप उन्हें इस ढंग से उठायें कि आप समस्याओं के प्रति न्याय कर सकें और आप जो

कुछ कहना चाहते हैं उसे मैं सुन सकूं । यदि आप मुझे गलत न समझें तो हम उन्हें सभ्य तरीके से हल कर सकते हैं। मैं एक-एक करके आपको बुलाऊंगा । अब श्री मनीराम बागड़ी बोलेंगे।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता में कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ है और उनको नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बुलाऊंगा । (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : महोदय, आप उन्हें सभा पटल पर पत्रों के रखे जाने के बाद अपनी बात कहने की अनुमति दें, क्योंकि उन्हें दूसरे सदन में भी भेजना है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से अनुरोध है कि सभा पटल पर पत्र पहले रखे जायें क्योंकि उन्हें दूसरे सदन में भी भेजना है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने मेरा नाम पहले ही घोषित कर दिया है। (व्यवधान)

क्या आप अपनी बात से मुकर रहे हैं ? आपने मेरा नाम पुकारा है । पहले मेरी बात सुन लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यसूची के अनुसार सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र अगली मद है ।

अनुरोध किया गया है कि मंत्री जी को सभा पटल पर पत्र रखे जाने दिया जाये। मैं बाद में आपको अधिक समय दे सकता हूँ ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कृपया अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्देश संख्या 2 देखें । उसमें यह उल्लेख किया गया है कि वास्तव में किस क्रम में मदों को लिया जाना चाहिये । जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिये है और उसके बाद जिन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिये है उन्हें सदैव प्राथमिकता मिलती है । इन मदों को निपटाने के बाद ही सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं । हम प्राथमिकता दिये जाने की भीख नहीं मांग रहे हैं, अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार हम प्राथमिकता पाने के हकदार हैं । अतः हमें अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री वसंत साठे : मैं प्रो० मधु दण्डवते की इस बात से सहमत हूँ कि निधन सम्बन्धी उल्लेख के बाद प्रश्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जो आज नहीं है और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव पेश किये जाने की अनुमति दी जाती है, वह भी यदि पहले कोई ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया हो जिसके लिये आपने अनुमति दी है, केवल तभी इसे प्राथमिकता मिलेगी । उसके बाद विशेषाधिकार भंग का प्रश्न लिया जाता है । वह भी तब जब नियम 222 के अधीन अध्यक्ष द्वारा पहले नहीं अनुमति दी जाती तो यह सभा के समय नहीं उठाया जा सकता । उसके बाद सभा पटल पर पत्र रखे जाते हैं । अतः यदि आपके समक्ष ये दो मदें जिनके लिये पहले अनुमति दी जा चुकी है, तो केवल तभी उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करने के लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ ।

श्री वसंत साठे : नियम 377 के अधीन कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के नाते उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती । अतः हमें नियमानुसार चलना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते और श्री साठे दोनों ने निदेश 2 का उल्लेख किया है। मैं प्रो० दण्डवते से जानना चाहता हूँ कि क्या वे जो प्रश्न उठाना चाहते हैं उनमें किसी स्थगन प्रस्ताव को पेश करने या विशेषाधिकार भंग के किसी प्रश्न को उठाने के लिये अनुमति मांगी जानी हो।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने सम्बन्धित सदस्यों को पहले ही बता दिया है कि किसी भी विशेषाधिकार के प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई है। विशेषाधिकार भंग का कोई प्रश्न यहां पर नहीं है। अतः मैं सभा पटल पर पत्र रखे जाने की अनुमति देता हूं।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हांगकांग में मिशन के प्रमुख के लिए निवास स्थान की खरीद के बारे में विवरण

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं हांगकांग में मिशन के प्रमुख के लिए निवास स्थान की खरीद के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि निकालने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1717/80]

दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, काश्मीर आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एम० बी० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन-खंड 1 से 3 की एक प्रति।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1979 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1718/80]

(3) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1719/80]

(4) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, काश्मीर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, काश्मीर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1720-80]

(5) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (**हिन्दी संस्करण) की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1721/80]

(6) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, कालीकट के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1722/80]

(7) मोतीलाल नेहरू प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 172 3/80]

(8) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त 8 (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1724/80]

(9) (एक) आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त 9 (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) (एक) आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(11) उपर्युक्त 10 (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के साथ लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1725/80]

(12) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एंड फोर्ज टेकनोलाजी, रांची के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एंड फोर्ज टेकनोलाजी, रांची के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

**पत्रों का अंग्रेजी संस्करण 22 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(13) उपर्युक्त 12 (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के साथ लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1726/80]

(14) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(15) प्रतिवेदन के साथ लेखे सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1727/80]

(16) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित दस्तावेजों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1728/80]

(18) (एक) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिलचर (आसाम) के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) प्रादेशिक इंजीनियरी कालेज, तिलचर (आसाम) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1729/80]

(19) बाल अधिनियम, 1960 की धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) पांडिचेरी बाल (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 22 जुलाई, 1980 के पांडिचेरी के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० एस० 133/80 आर० के० एस० (एस० डब्ल्यू०) (सा० सां० नि० 7) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पांडिचेरी बाल (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 12 अगस्त, 1980 के पांडचेरी के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1730/80]

(तीन) दादरा और नगर हवेली बाल (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 26 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या ए० डी० एम०/एल० ए० डब्ल्यू०/242(26)/80 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1731/80]

(चार) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह बाल नियम, 1979 जो दिनांक 28 नवम्बर, 1980 के अन्डमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम० 48/38/77—एम० एच० एफ० में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह बाल (विशेष विद्यालयों, बालगृहों और पर्यवेक्षण गृहों के प्रबन्ध, कार्यकरण और उत्तरदायित्व) नियम, 1979 जो दिनांक 28 नवम्बर, 1980 के अन्डमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना 48-38/77—एच० एफ० में प्रकाशित हुए थे।

(20) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा उनका हिन्दी संस्करण न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1732/80]

(21) (एक) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन (अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) नियम, 1980 जो दिनांक 20 अगस्त, 1980 के अन्डमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 115/1980/21-1/76-80-गृह में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब तथा उसका हिन्दी संस्करण न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1733/80]

(22) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माणी निगम, कानपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माणी निगम, कानपुर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1734/80]

बाल फिल्म समिति की वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखे तथा समीक्षा

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बाल फिल्म समिति भारत, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) बाल फिल्म समिति भारत, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(3) बाल फिल्म समिति भारत, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-1735/80]

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इन्डिया लिमिटेड, सिन्दरी तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नई दिल्ली की समीक्षा तथा वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचंद्र सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1736/80]

(ख) (एक) फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इण्डिया लिमिटेड, सिन्दरी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) फर्टिलाइजर (प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट) इण्डिया लिमिटेड, सिंदरी का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षिक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1737/80]

(ग) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए, एल० टी० संख्या 1738/80]

(2) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1739-80]

(3) तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1979 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1457 में प्रकाशित हुए थे तथा 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित् अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1188 का शुद्धिपत्र ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1740/80]

लोक सभा तथा विधान सभाओं के आम चुनाव तथा 1979 के उप राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

लोक सभा के आम चुनाव तथा 1979-80 के विधान सभाओं के चुनावों और 1979 के उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रतिवेदन खंड—एक (वर्णनात्मक) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल० टी० संख्या 1741/80]

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (प्रारम्भिक पूंजी की शर्तें) नियम, 1980

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (प्रारम्भिक पूंजी की शर्तें) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति दिनांक 17 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 895 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1742/80]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में पंजीकृत उर्वरक विक्रेताओं तथा अनुसूची के कालम एक में उल्लिखित वस्तु बागानों को उर्वरक बेचने के संबंध में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 656 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1743/80]

व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) व्यवहारिक जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के

वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) व्यवहारिक जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 1744/80]

भारत लैदर कारपोरेशन लि०, आगरा, सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, इंस्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा की समीक्षा तथा वर्ष 1979-80 की रिपोर्ट और उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पी० पाटिल) । मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड, आगरा का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1745/80]

(ख) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1746/80]

(ग) (एक) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1747/80]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 749 (ङ) जो दिनांक 5 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा मैसर्स इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, सेरामपुर के प्रबन्ध के अधिग्रहण की अवधि बढ़ाई गई है ।

(दो) सां० आ० 855 (उ०) जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा मैसर्स कार्टर पुलर एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध के अधिग्रहण की अवधि बढ़ाई गई है ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1748/80]

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 603 (ङ) जो दिनांक 1 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो मैसर्स एंजल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को पश्चिम बंगाल सरकार के बन्द तथा रुग्ण उद्योग के विभाग के सचिव द्वारा अधिग्रहण जारी रखने के बारे में है ।

(दो) सां० आ० 838 (ङ) जो दिनांक 7 अक्टूबर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो मैसर्स इस्टर्न डिस्टीलरिज प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध को पश्चिम बंगाल सरकार के बन्द तथा रुग्ण उद्योग विभाग के सचिव द्वारा अधिग्रहण जारी रखने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1749/80]

खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1750/80]

इंजीनियरी निर्यात संबर्धन परिषद, कलकत्ता की वर्ष 1978-79 आदि की वार्षिक रिपोर्ट तथा उसके कार्यकरण के बारे में समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1751/80]

हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड बंगलौर के 1979-80 में कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे :—

(1) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(2) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1752/80]

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, लि०, नई दिल्ली के 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे :—

(1) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(2) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1753/80]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1754/80]

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक के 30 जून, 1980 के समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आदि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इलाकाई देहाती बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3132 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3133 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) श्री अनन्त ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3134 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3135 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3136 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) श्रावस्थी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3137 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3138 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दुर्ग-राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3139 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3140 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15

नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3141 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) पलामु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3142 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) किसान ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3143 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3144 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3145 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां आ० 3146 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3147 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) बैतरणी ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3148 में प्रकाशित हुए थे ।

(अट्ठारह) काशी ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3149 में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) लखीमी गांवलिया बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आं० 3150 में प्रकाशित हुए थे ।

(बीस) बस्ती ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3151 में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) बालासोर ग्राम्य बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3152 में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3153 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3154 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) नादिया ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3155 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3156 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3157 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) सागर ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3158 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (बोर्ड की बैठकें) नियम, 1980 जो दिनांक 15 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 3159 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये सं० एल० टी० 1755/80]

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और सामान्य निधि तथा विकास सहायता निधि के 30 जून, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए, संख्या एल० टी० 1757/80]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1262 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 1757/80]

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं चालू लाइनें (भारत में रेलें) सामान्य (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं,

जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1303 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए सं० एल० टी० 1758/80]

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दि काआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, सुपर बाजार, दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपरोक्त लेखे सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 1259/80]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 1980 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत है और उक्त संयुक्त समिति के लिए चुने गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम भी भेजे हैं :—

(1) श्री रोबिन ककाटी
(2) श्री दिनेश गोस्वामी
(3) श्री सईद रहमत अली
(4) प्रो. एम. एन. काम्बले
(5) श्री लाखन सिंह

लोक लेखा समिति

दूसरा, चौथा, पन्द्रहवां, और तेईसवां प्रतिवेदन

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) डी० सी० विद्युत कर्षण से सम्बन्धित 135वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर दूसरा प्रतिवेदन।

(2) रेलवे लाईनों के निर्माण और उन्हें फिर से चालू करने से सम्बन्धित 125वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर चौथा प्रतिवेदन।

(3) शंटरों के लिए डीजल इंजनों के निर्माण के लिए सहयोग करार से संबिन्धित 91वें

प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर पन्द्रहवां संशोधन ।

(4) पहिया सैटों के आयात से संबन्धित 75वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यधाही पर 23वां प्रतिवेदन ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । आपने विनिर्णय दे दिया है । हम जो कुछ करना चाहते हैं, वह पूर्णत: आपके विनिर्णय के क्षेत्राधिकार में हैं । आपने अपने विनिर्णय में यह कहा है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार कार्यस्थगन प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव आदि को प्राथमिकता प्राप्त होती है । मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए नोटिस नहीं दिया था । मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में पहले ही कह चुका हूं । (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न विभिन्न मदों को दी जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में था । आप यह कह रहे हैं कि आपने पहले ही सूचित कर दिया है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कल इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन सभी सदस्यों को कुछ सेकिण्डों का समय दिया था, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें दी थीं । प्रत्येक सदस्य ने सदन के समक्ष स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु के बारे में बताया था । उनमें से प्रत्येक सदस्य को उन्होंने यह बताया था कि इन-इन कारणों से वह स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर रहे हैं । मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह यह है कि कुछ घटनायें हो चुकी हैं । आपके विनिर्णय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने असम में गोली चलाई है । अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और महाराष्ट्र में इस सदन के एक-माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है । एक नई दमनकारी नीति अपनाई जा रही है । इसके परिणामस्वरुप मैं विरोध प्रकट करता हूं । मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । जो कुछ मैंने कहा है, वह नियम के अन्तर्गत है—कि सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह कैसे किया जा सकता है ? (**व्यवधान**)

श्री धनीक लाल मण्डल : आप हमारे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न को नहीं सुनते । (**व्यवधान**) आप हमारी बात को क्यों नहीं सुनना चाहते ?

श्री बसन्त साठे : इन नियमों के उपबन्धों के अधीन, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव किया जा सकता है । 'अध्यक्ष महोदय की अनुमति' यह बहुत महत्त्वपूर्ण है । आपने पहले ही यह सूचना दी है कि अध्यक्ष महोदय ने अपनी अनुमति नहीं दी है । इसलिए, कानूनी तौर पर प्रो० मधु दण्डवते या किसी भी अन्य सदस्य का कोई भी स्थगन प्रस्ताव आपके समक्ष नहीं है । इस मामले को कैसे प्राथमिकता दी जा सकती है ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, आपके व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर मैं पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं।

श्री धनिक लाल मण्डल : इसी प्रश्न के बारे में मुझे कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री धनिक लाल मण्डल : कृपया मेरी बात तो सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हुआ हूं, तो आप कृपया बैठ जाइए। आप सभी को बैठना होगा। जब मैं खड़ा हुआ हूं, तो आपको बैठना होगा। कोई भी सदस्य अपने स्थान पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

मैंने प्रो० दण्डवते को बता दिया है कि निधन सम्बन्धी उल्लेख के बाद प्रश्न पूछे जाने चाहिए। आज प्रश्न है ही नहीं। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति का प्रश्न लिया जाता है। कोई भी अनुमति नहीं दी गई है। कुछ स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद विशेषाधिकार भंग के प्रश्न को उठाने की अनुमति आती है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए मैंने दूसरी मद को ले लिया। इस मद को समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। (**व्यवधान**) आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। कृपया मुझे अपनी बात को पूरी करने दीजिए।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

पांचवा प्रतिवेदन

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैं भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड—निर्यात निष्पादन (वाणिज्य मंत्रालय—वाणिज्य विभाग) से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) के 45वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। (**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब पत्र सभा-पटल पर रखे जा रहे हों, तब कोई भी अन्य टिप्पणी या अन्य कोई भाषण कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पहला, तीसरा और अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री आर० आर० भोले (बम्बई-दक्षिण मध्य) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)—उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा रोजगार व्यवस्था तथा उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोटे-मोटे ठेके के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (छठी लोक सभा)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के 21वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन ।

(2) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक (पेट्रोलियम विभाग)—भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा रोजगार व्यवस्था के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (छठी लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी तीसरा प्रतिवेदन ।

(3) अक्तूबर, 1980 के दौरान समिति के अध्ययन दल-एक के मद्रास, पांडिचेरी, रामेश्वरम, मदुरै, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और त्रिवेन्द्रम के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(4) अक्तूबर, 1980 के दौरान समिति के अध्ययन दल–दो के कलकत्ता, पुरी, परादीप, विशाखापतनम और हैदराबाद के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(5) अक्तूबर, 1980 से दौरान समिति के अध्ययन दल-तीन के बंगलौर, मैसूर, कुर्ग, मनीपाल, मंगलौर, गोआ और बम्बई के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं । कार्य-सूची की इस मद के समाप्त हो जाने के बाद, जो भी सदस्य बोलना चाहें, उनमें से प्रत्येक सदस्य को एक या दो मिनट बोलने की अनुमति दी जायगी ।

श्री धनिक लाल मण्डल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? भूतपूर्व गृह मन्त्री खड़े हुए हैं ।

श्री धनिक लाल मण्डल : नियम 60 के अन्तर्गत । जब श्री दण्डवते ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाया, तो आपने कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख किया था और यह बताया था कि किस क्रम में कार्य-सूचि की मदों को लिखा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस बारे में विनिर्णय दे दिया है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : श्री साठे ने भी कुछ नियमों का उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि स्थगन प्रस्ताव को निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलती है और आप भी इस बात से सहमत थे कि सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की अपेक्षा स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलती है ।

श्री वसन्त साठे : बशर्ते अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति दे दी गई हो ।

श्री धनिक लाल मण्डल : आप दूसरों की बात तो सुनते नहीं, जबकि हम आपकी बात सुन रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुस्कराहट के साथ यह बात नहीं कह सकते ? (व्यवधान)

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटासुब्बपा) : उन्हें सदैव प्रैस गैलरी की तरफ ही नहीं देखते रहना चाहिए ।

श्री धनिक लाल मण्डल : श्रीमन् जी, आप इससे सहमत हैं कि स्थगन प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती है। अब श्री साठे ने जो तर्क दिया है, वह यह है कि चूँकि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ प्रस्तावों की सूचनायें दी गई थीं और उनके बारे में अध्यक्ष महोदय ने अपनी अनुमति नहीं दी है इसलिए इस बारे में प्रश्न ही नहीं उठता। वह नियम 56 का उल्लेख कर रहे थे। मैं नियम 60 का उल्लेख कर रहा हूं। मेरे पास नियमों का हिन्दी संस्करण है। नियम 60 में यह कहा गया है :

मैं नियम 60 का परन्तु क पढ़ रहा हूँ।

"परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष उसमें उल्लिखित मामले के बारे में पूर्ण तथ्यों से अवगत न हो तो वह अपनी सम्मति देने या इन्कार करने से पूर्व उस प्रस्ताव की सूचना को पढ़ कर सुना सकेगा और संबंधित मंत्री और/या सदस्यों से तथ्यों पर संक्षिप्त विवरण सुन सकेगा और उसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय देगा।"

श्री शकधर ने इसका क्या अर्थ लगाया है ? अभी मेरे पास नियम-पुस्तिका नहीं है। श्री शकधर का कहना है कि सीमा रेखा के मामले में जब अध्यक्ष का यह विचार हो कि यह सीमा रेखा पर है तो इस बात का पता लगाने के लिए कि इस पर विचार करने की अनुमति दी जाए अथवा नहीं, अध्यक्ष सदस्यों की बात सुनने के पश्चात् अपना विनिर्णय देगा। मैंने आसाम की स्थिति तथा किसानों के आन्दोलन पर हिंसा के संबंध में भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान) श्री साठे, आप अध्यक्ष नहीं है। आप इसका निर्णय नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष को सम्बोधित करें।

श्री धनिक लाल मंडल : मुझे आपसे यह कहना है कि यह एक सीमा रेखा का मामला है। आप यह कहेंगे कि आसाम की स्थिति पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की नहीं है। हमने इस बात का संकेत किया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य केन्द्रीय सेनाओं को वहां पर इसलिए भेजा गया है ताकि वे वहां पर सहायता करें तथा प्रोत्साहन दें.....

उपाध्यक्ष महोदय : आपके व्यवस्था के प्रश्न पर मुझे अपना विनिर्णय देना है।

"एक बार किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा अपनी सम्मति न देने के बारे में सूचना मिल जाने के उपरान्त नोटिस के विषय के बारे में अथवा उसकी अनुमति न मिलने के कारणों के संबंध में सदन में किसी चर्चा अथवा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी।"

श्री धनिक लाल मंडल : हमें इसकी सूचना नहीं दी गई है। (**व्यवधान**)

श्री बापू साहब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। यह नियम 353 के अधीन है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : वे वही बात दोहरा रहे हैं।

श्री बापू साहब परुलेकर : महोदय, मेरी आदत बातों को दोहराने की नहीं है। यह उससे संबंधित नहीं है कि सूचना तथा प्रसारण मन्त्री ने क्या कहा है; मैं इस विषय पर बाद में बात करूंगा। दुर्भाग्यवश, अध्यक्ष पीठ की यह टिप्पनी विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के लिए निरादर सूचक है। आपने बैठक के आरम्भ में कहा था कि "यदि आप विपक्षी सदस्य सभ्य बर्ताव

करेंगे तो मैं बारी-बारी से सबकी बात सुनूंगा।" महोदय, आप कार्यवाही वृत्तान्त को देखें। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी वह टिप्पणी कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सही बात बताना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि "यदि हम सदन की कार्यवाही सभ्य तरीके से चला सकते हैं ....." मैंने यही कहा था। आप कार्यवाही वृत्तान्त देख सकते हैं। यदि कुछ भी निरादर-सूचक कहा गया है तो मैं स्वयं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। आप फिक्र न करें। (व्यवधान) यदि किसी भी सदस्य के विरुद्ध कुछ भी अपमानजनक अथवा निरादर सूचक शब्द कहे गए हैं तो मैं स्वयं उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

श्री बापू साहब परुलेकर : आपने सदस्यों से कहा था, "आप सभ्य तरीके से बोलें।" यह सदस्यों को सम्बोधित करने का तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है। (व्यवधान) "सभ्य तरीका" संसदीय शब्द है। मैं इस प्रकार का विनिर्णय पिछले सत्र में भी दे चुका हूं। मैंने सदस्यों से जो कुछ भी प्रार्थना की थी, वह पूर्णतया संसदीय है अतएव मैंने जो कुछ भी कहा है, उसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है। यदि आप लोगों की समस्याओं को महत्व देना चाहते हैं, तो आज सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बारी-बारी से अपनी बात कहें। मैं प्रत्येक को दो मिनट का समय दूंगा। मैं दोनों पक्षों के सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आपका कहना है कि "सभ्य तरीका" संसदीय है तथा आप इस बात को कह सकते हैं। क्या हम भी यह बात कह सकते हैं कि सभापति को भी सभ्य व्यवहार करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा यह विनिर्णय है कि "सभ्य व्यवहार" संसदीय शब्द है। यह सभापति सहित सदन के समस्त सदस्यों पर लागू होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं आपके बचाव में एक बात कहूंगा। मुझे याद है कि "सभ्य" शब्द का उच्चारण करते समय आप दूसरे पक्ष की ओर देख रहे थे। अतएव हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कभी भी किसी सदस्य के लिए "असभ्य व्यवहार" शब्द का प्रयोग नहीं किया है तथा नहीं मैंने यह कहा है कि किसी सदस्य ने असभ्य व्यवहार किया है। मैंने यही कहा है कि "हमें सभ्य तरीके से इस सदन की कार्यवाही का संचालन करना चाहिए।" यह शब्द संसदीय है मैंने यह भी कहा था कि मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पार्लियामेंटरी और गैर-पार्लियामेंटरी शब्द के बारे में कहना चाहता हूं कि शब्द तो तमाम पार्लियामेंटरी है, लेकिन यह देखा जाता है कि किसी शब्द का उपयोग किस नाते किया गया है। "गधा" शब्द भी पार्लियामेंटरी है। अगर कोई कहे कि "गधा रास्ते में अटक गया था," तो वह गैर-पार्लियामेंटरी शब्द नहीं है। आपका "सिविलाइज्ड" शब्द गलत था। आपको नहीं कहना चाहिए था। मैं तो चाहता हूं कि वह शब्द रिकार्ड पर रहे, ताकि आने वाले लोग देखें कि सदन में हमारे पुरखे कैसे थे। मैं किसी लफ्ज को काटने के हक में नहीं हूं। डेमोक्रेसी में सब शब्द रिकार्ड पर रहने चाहिए, ताकि सारी कौम उस पर विचार कर सके।

मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं कि जब इस सदन का कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार हो जाये, और उसकी खबर अखबारों में भी आ जाये, तो क्या उसकी सूचना सदन को भी दी जानी चाहिए या नहीं। मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मैंने इस बारे में एक एजर्नमेंट मोशन दिया है कि महाराष्ट्र में किसान लंबी यात्रा और सत्याग्रह के दौरान श्री रवीन्द्र वर्मा, जो इस सदन के सदस्य हैं, गिरफ्तार किए गए, लेकिन आपने सदन को उसकी इत्तिला नहीं दी। आपने हम लोगों की प्रोटेक्शन देना चाहिए। सदन को गिरफ्तारी की इत्तिला देनी चाहिए। मैं इस पर आप का रुलिंग चाहता हूं। आपका क्या रुलिंग है ? **व्हाट इज यूअर रूलिंग आन दिस पायंट ?**

उपाध्यक्ष महोदय : सारा काम नियमों के अनुसार किया जाएगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि कल जब हमने श्री वाई० बी० चव्हाण की गिरफ्तारी का प्रश्न उठाया था तब उस समय यह बताया गया था कि यदि इसमें कुछ अनियमितताये हैं तो उन्हें भी सभापति द्वारा पढ़े जाने वाले वक्तव्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वास्तव में गिरफ्तारी तथा रिहाई का ही उल्लेख किया गया था, परन्तु न्यायिक मजिस्ट्रेट का निर्णय·····(**व्यवधान**)

इसके अतिरिक्त हमें यह सूचना मिलती है कि किसानों की लम्बी यात्रा मार्च को विफल करने के लिए ही इस सदन के एक अन्य सदस्य, श्री रवीन्द्र वर्मा, जनता पार्टी के मुख्य सचेतक, को अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ-साथ, सम्पूर्ण देश में दमनकारी नीतियां जारी हैं। आसाम में लोगों की हत्याओं के लिए राज्य की पुलिस नहीं बल्कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जिम्मेदार है। इसके साथ-साथ आसाम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री गोपाल बोरबोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा लाखों लोग इस गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह कर रहे हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यह आपकी इच्छा है कि आप मुझे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान करें अथवा नहीं, परन्तु जनता का प्रतिनिधि होने के नाते सदन के बाहर आक्रोश तथा भुखमरी के कारण जनता द्वारा किए गए आन्दोलनों के बारे में इस सदन को जानकारी देना मेरा कर्त्तव्य है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है।

श्री के० लकप्पा :***

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, क्योंकि यह एक अन्य सदस्य के विरुद्ध कहा गया है। यह एक आरोप है। अतः मुझे मजबूर होकर यह आदेश देना पड़ रहा है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मेरा केवल यही निवेदन है कि इस सदन की कार्यवाही के बारे में पूरे देश को जिज्ञासा रहती है। हम जो कुछ भी कहते हैं, अथवा उच्च पीठ से आप जो कुछ भी कहते हैं, उसका बहुत महत्व है। जब आप यह कहते हैं कि "हमें सभ्य तरीके से कार्य संचालन करना चाहिए," इसका अर्थ है कि आप पहले से ही कुछ कारण बना लेते हैं तथा इसके कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं। इसीलिए मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आपको इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था क्योंकि हम सभी सदस्यों से—चाहे वे किसी भी पक्ष के हों—यह अपेक्षा की जाती है कि हम इस सदन में शिष्टाचार तथा मर्यादापूर्ण व्यवहार करें; तथा "हम" शब्द का प्रयोग नहीं करते समय मैं आपको भी इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। आप हमारी

***कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मानमर्यादा बनाए रखने के उत्तरदायी हैं, अतः मैंने आपको भी इसमें सम्मिलित किया है। यह सम्पूर्ण सदन के आदर तथा मर्यादा का प्रश्न है। अतएव मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप यह कहते हैं कि "हमें सभ्य तरीके से कार्य संचालन करना चाहिए" तब इस सदन के बाहर इसका अर्थ यह लगाया जायेगा कि हमारे बहुत से सदस्य अथवा कुछ सदस्य, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, असभ्य व्यवहार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कभी नहीं कहा।

श्री रतन सिंह राजदा : परन्तु इन शब्दों को कहने की आवश्यकता नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह भी कहा था कि मेरे कथन का गलत अभिप्राय नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

श्री रतन सिंह राजदा : मेरा निवेदन यही है कि आपको इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह अध्यक्ष पीठ द्वारा कहा जा रहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। "सभ्य" एक संसदीय शब्द है।

श्री रतन सिंह राजदा : यद्यपि यह एक संसदीय शब्द है तथापि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से पूर्व हमें सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसका कुछ अर्थ है। इस प्रकार आप कुछ ऐसे गलत आरोप लगा सकते हैं, जिन्हें नहीं कहना चाहिए। अतएव, इन टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री सी० टी० बंडपाणि (पोल्लाची) : मैंने तमिलनाडू में हरिजनों पर किए गए अत्याचारों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस इसलिए दिया है क्योंकि अनेकबार मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया है। तमिलनाडू के तंजोर जिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा तीन हरिजनों को आग में जलाकर मार दिया गया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों द्वारा एक पार्टी विशेष से संबंध रखने वाले हरिजनों के घरों में आग लगा दी गई थी। महिलाओं तथा बच्चों को पिछले द्वार से बचकर निकल जाने से रोकने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य घरों को घेरकर खड़े हुए थे। उन्हें जिन्दा जलाकर मार दिया गया..... (**व्यवधान**) हमें वास्तविकताओं को झुठला नहीं सकते.....(**व्यवधान**)

इसके अतिरिक्त, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि :***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 60 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस नियम के तीसरे पैराग्राफ में जो लिखा है उसको आप सुन लीजिए। (**व्यवधान**) आज आसाम में इतना बड़ा आन्दोलन चल रहा है, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में किसानों का आन्दोलन शुरू हो गया है। 23 तारीख चौधरी साहब का

***कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जन्म दिन है, सारे देश के किसान उठ खड़े हुए हैं। मैंने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। अगर आप तथ्य से अवगत नहीं हैं तो नियम यह कहता है कि आप, जिसने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है उस माननीय सदस्य को सुन लें या मन्त्री जी से पूरी जानकारी देने के लिए कहें..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें लिखा है।

"एक बार किसी सदस्य को अध्यक्ष द्वारा अपनी सम्मति न देने के बारे में सूचना मिल जाने के उपरान्त नोटिस के विषय के बारे में अथवा उसकी अनुमति न मिलने के कारणों के संबंध में सदन में किसी चर्चा अथवा प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी।"

(व्यवधान)

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)* कृपया बैठ जाइए। आप सभी माननीय सदस्यों को पता है कि आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। अतएव आप जिस भी प्रकार से चाहें, मैं आपसे उसी प्रकार से प्रार्थना करने को तैयार हूं। क्या इन बातों की अपेक्षा इस देश की समस्यायें अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? मैं बारी-बारी से प्रत्येक को बोलने की अनुमति दे सकता हूं, परन्तु यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं अगले विषय पर चर्चा प्रारम्भ कर दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विषय सूचि के अगले विषय पर चर्चा प्रारम्भ कर रहा हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री जलील अब्बासी। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ कर दी है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब मैं श्री जलील अब्बासी के अतिरिक्त किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में डीजल की कमी का समाचार

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में डीजल की कमी, जिसके परिणामस्वरूप किसानों के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है, का समाचार"

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : माननीय सदस्य श्री जलील अब्बासी एवं चार अन्य सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में तथा देश के दूसरे भागों में डीजल की कथित कमी, जिसके परिणामतः किसानों के समक्ष गम्भीर संकट पैदा हो गया, के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। स्थिति इस प्रकार है :

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) के मासिक आवंटन की प्रणाली प्रथमतः अक्टूबर, 1979 से लागू की गई थी। इसका कार्य संतोषजनक रहा और इस वर्ष वर्षा के महीनों के दौरान राज्य सरकारों ने उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता तथा मांग में कमी के कारण नियामक उपायों को वापस ले लिया।

3. इस वर्ष सितम्बर के अन्तिम सप्ताह के दौरान, ईरान-ईराक युद्ध के शुरू होने के परिणामस्वरूप खरीद में अत्यधिक वृद्धि के कारण व्यापकरूप से अचानक मांग में उछाल आ गया। स्थिति पर प्रभावी नियंत्रन की दृष्टि से अक्टूबर में पुनः राज्य सरकारों से, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए डीजल के आवंटन को नियंत्रित करने के लिए कहा गया।

4. अक्टूबर से दिसम्बर 1960 के महीनों के लिए डीजल का आवंटन पिछले वर्ष के इन्ही महीनों में उत्पादों के मूल आवंटन की तुलना 5 प्रतिशत अधिक के स्तर पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर तदर्थ अतिरिक्त आवंटन भी किए गए। इस तरह अक्टूबर और नवम्बर 1980 के लिए एच०एस०डी० की आवंटन 684,000 टन और 736,000 को क्रमशः 14,000 टन तथा 40,000 टन बढ़ा दिया गया। 1980 के दिसम्बर महीने के लिए मूल आवंटन 75,7,000 टन था जिसे जरुरत मन्द राज्यों के लिए 52,000 टन और बढ़ा दिया गया।

5. उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से अपेक्षित आयात किए गये हैं और इस बात के लिए रेलवे से निरंतर सम्पर्क बनाए रखने के फलस्वरूप सभी राज्यों के लिए उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बरकरार रखा गया है। जहां आवश्यक हुआ वहां सड़क से उत्पादों के आवागमन में भी वृद्धि की गई है।

6. जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, अक्टूबर 1980 के लिए एच०एस०डी० के 78,800 टन के मूल आवंटन में 3200 टन की वृद्धि की गई थी। नवम्बर और दिसम्बर के लिए आवंटन को क्रमशः 64,000 टन और 92,000 टन के एक अत्यंत उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है।

7. सभी राज्यों की स्थिति पर दिन प्रतिदिन के आधार पर निगरानी रखी जाती है और जहां आवश्यकता हो, और उत्पाद मुहैया किया जाता है।

8. माननीय सदस्यों को मैं इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि देश में उत्पाद की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है और यदि आवश्यकता हुई तो और आगे आयात किया जाएगा। मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं कि राज्य के अन्दर एच.एस.डी. का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिनसे बार-बार इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वे एच. एस.डी. के आवंटन में कृषि को प्राथमिकता दें और इस बात को सुनिश्चित करें कि किन्हीं दूसरी कठिनाइयों के कारण कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न बड़े। राज्य सरकारों ने भी हाल ही में राज्य सरकारों के सचिवों के साथ बैठक हुई में हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि कृषि क्षेत्र के लिए आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है क्योंकि उस क्षेत्र के लिए अपेक्षित आवंटन कर दिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काजी जलील अब्बासी .....(व्यवधान)

श्री धनिक लाख मण्डल : महोदय, मैं आपके व्यवहार के विरोध में मैं सदन का परित्याग करता हूं।

तत्पश्चात् श्री धनिक लाल मण्डल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काजी जलील अब्बासी । कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए··· (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 360 में उल्लेख किया गया है :—

"अध्यक्ष स्वयं ही, या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर या प्रार्थना की जाने पर, किसी भी समय सभा में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके पर्यालोचन में सहायता करने की दृष्टि से सभा को सम्बोधित कर सकेगा और इस प्रकार व्यक्त किए गए मत को किसी प्रकार के विनिश्चिय के स्वरूप में नहीं समझा जाएगा ।"

श्री के० लकप्पा : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान आप व्यवस्था के प्रश्न को किस प्रकार स्वीकृति दे रहे हैं ? इस सदन में यह परम्परा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान किसी भी व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जाता । जब हम इस ओर से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं, तो आप अनुमति नहीं देते । महोदय, आप उन्हें यह मामला कैसे उठाने देते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, क्या यह ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सदन के समक्ष कार्य के बारे में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं : अभी ध्यानाकर्षण चल रहा है । इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री काजी जलील अब्बासी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं इसके विरोध सदन का परित्याग करता हूं ।

तत्पश्चात डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी सभा भवन से बाहर चले गए ।

श्री के० मायातेबर (डिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं भी मौजूद था ।·····के अत्याचार के बारे में·····***

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री काजी जलील अब्बासी ।

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैं सदन का परित्याग करके चला गया था, अब वापस आ गया हूँ ।

श्री के० मायातेवर :**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा ।

श्री काजी जलील अब्बासी : उपाध्यक्ष जी, यह जो मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसके जवाब में मन्त्री जी ने यह कहा है :

मैं एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि राज्यों में हाई स्पीड डीजल का वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और राज्य सरकारों पर इस बात के लिए बार-बार जोर डाला गया है कि वे हाई स्पीड डीजल का आवंटन करने में कृषि को प्रथम प्राथमिकता दें ।'

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब आपने एक बार यह कह दिया था कि एग्रीकल्चर को प्रायरटी दी जाएगी और हमारे पास डीजल की कोई कमी नहीं है, तो देहातों के अन्दर जो पेट्रोल पम्प हैं, उनको कोटा कम क्यों मिल रहा है। डीजल का जो कोटा आप दे रहे हैं, वह शहरों में जो पेट्रोल पम्प हैं, उनको ज्यादा दे दिया जाता है। जितना एलोटमेंट होता है, वह सब शहरों में चला जाता है और देहातों में कोटा बहुत कम पहुँचता है जबकि देहातों को डीजल की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वहाँ पर प्रायरटी देने की बहुत जरूरत है। इस वक्त जो डीजल दिया जा रहा है, उसकी कमी के कारण हमारे यहाँ देहातों में वैसी ही लाइनें दिखाई देती हैं जैसी कि 1977 में जनता पार्टी के जमाने में दिखाई देती थीं। उसी तरह के जमाने से आज हम गुजर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो कोटा आपने एलोट किया है, उसको मेहरबानी करके आप बढ़ाइए। मै आपको कुछ फीगर्स देना चाहता हूँ। अप्रैल में हमारे प्रदेश का कोटा 90 हजार मीट्रिक टन था, मई में 1 लाख मीट्रिक टन, जून में 88,800 मीट्रिक टन, जुलाई में 88,800 मीट्रिक टन, अगस्त में 70,700 मीट्रिक टन, सितम्बर में 76,300 मीट्रिक टन हो गया, अक्तूबर में 82,000 मीट्रिक टन और फिर नवम्बर में 94,000 मीट्रिक टन और अब दिसम्बर में आपने फिर 92,000 मीट्रिक टन कर दिया है जबकि हमारे यहाँ की डिमान्ड 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन की है। मई में आप 1 लाख मीट्रिक टन दे चुके हैं लेकिन उसके बाद आपने इसमें कटौती कर दी। अब फिर आपने इसको बढ़ाया है लेकिन हमारे यहाँ की डिमान्ड 1 लाख 25 हजार मीट्रिक टन से कम नहीं है। इतना बड़ा हमारा प्रदेश है और उसके लिए जो कोटा आप दे रहें हैं वह बहुत कम दे रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो कोटा आप दे रहे हैं वह सही जगह पर नहीं पहुंच रहा है। शहर के बड़े-बड़े लोग सारा कोटा ले लेते हैं और देहात के लोगों तक वह नहीं पहुँच रहा है। ये दो इम्पोर्टेन्ट बातें हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी सिलसिले में एक बात में यह और कहना चाहता हूँ कि अक्तूबर में अखबारों में आपका बयान छपा है कि एग्रीकल्चर को इस मामले में प्रायरटी दी जाएगी। मैं ज्यादा तफ़सील में इस वक्त नहीं जाना चाहता क्योंकि यह तफ़सील देने का मौका नहीं है लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर को आप प्रायरटी दीजिए।

एक चीज और कहना चाहता हूँ कि बम्बई के 8 नवम्बर के अखबारों में यह निकला था :

'बम्बई में डीजल की काला बाजारी।'

बम्बई का कोटा हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है और वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है। उनको ज्यादा कोटा मिलता है जबकि यू० पी० को सबसे ज्यादा कोटा मिलना चाहिए। मैं और ज्यादा न कहते हुए आपकी तवज्जह इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश का कोटा बढ़ाया जाए।

एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि डीजल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए इण्डियन आयल वाले कभी 1978 को बेस मान लेते हैं और कभी 1979 को बेस मान लेते हैं बड़े-बड़े पेट्रोल पम्प वाले, जो शहरों में हैं, उनको ही ज्यादा सुविधाएँ दे दी जाती हैं और आप इस चीज़ की तरफ़ देख नहीं पाते हैं। कुछ मखसूस किस्म के लोग ज्यादा कोटा ले

जाते हैं और हमारे यहाँ देहात के लोगों को कोटा बहुत कम मिलता है। इस तरफ़ आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं और जो थोड़ा सा कोटा आपने बढ़ाया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ लेकिन जितनी हमारे यहाँ डीजल की जरूरत है, उसके हिसाब से आप कोटा दीजिए।

एक और बात यह कहना चाहता हूँ कि देहातों में जहाँ पर पेट्रोल पम्प नहीं है, वहाँ पर नये पेट्रोल पम्प खोले जाएं। आप के यहाँ से काफ़ी अर्से से नये पेट्रोल पम्प का खोलना बन्द हो गया है। पेटी डीलर्स के द्वारा जो तेल दिया जाता है, वह कुछ जगहों पर ही मिलता है और उसमें हर ड्रम में दस-दस और बारह-बारह लीटर का नुकसान हो जाता है। इसलिए देहात के इलाकों में पेट्रोल पम्प खोले जाएँ और शहरों के पेट्रोल पम्पों के मुकाबले में उनको ज्यादा कोटा दिया जाए और 1978 और 1979 के कोटे का ख्याल न करके देहातों की जरूरतों के मुताबिक उनको कोटा दिया जाए। इसके साथ में यह भी चाहूँगा कि इसमें जो ब्लेक-मार्केटिंग होती है, उसको रोका जाए। मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस तरफ़ विशेष ध्यान दें क्योंकि देहातों में अब जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको लम्बी-लम्बी लाइनें लोगों की लगी हुई मिलेंगी। इसके अलावा हर हफ्ता हमारे पास तार और टेलीफोन से सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ पर डीजल की बहुत परेशानी है। उन लोगों को परेशानी न भुगतनी पड़े, इसका आप इन्तजाम कीजिए।

मान्यवर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपनी बातें कहने का मौका दिया और मन्त्री जी ने जो सहूलियतें दी हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैंने जो प्रश्न पूछें हैं, उनके बारे में मन्त्री जी बताएं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने मूल बयान में कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्थिति देश में असम बंध की वजह से, इराक-ईरान की लड़ाई की वजह से काफी खराब हो जानी चाहिए थी, इस बात को मद्देनजर रखते हुए भी खराब नहीं हुई क्योंकि प्रधान मन्त्री जी ने अपने असरात का उपयोग किया और उसकी वजह से हमारी स्थिति काफी सुधरी और क्रूड की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अब कोई कमी नहीं है।

असल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पाँच परसेंट ग्रोथ का हिसाब लगाकर देखें तो यह मुनासिब है और यही ग्रोथ रेट होना चाहिए। यह दूसरी बात है कि कभी सूखे की वजह से, कभी पावर जेनरेशन में कमी की वजह से डीजल की माँग बढ़ जाती है और वह भी कुछ इलाकों में बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो डीजल की इफरात है, कोई कमी नहीं है। हमने पाँच परसेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले में इस साल कहीं ज्यादा दिया है। 1979 के अक्तूबर के मुकाबले में हमने सारी स्टेट्स को इस साल अक्तूबर में 6 लाख 98 हजार टन दिया, पिछले साल नवम्बर के मुकाबले में 7 लाख 76 हजार टन दिया। इन दो महीनों में सारी स्टेट्स को इतनी हमारी अलोकेशन थी। इससे आप अन्दाजा लगाइये कि पाँच परसेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से भी हमने कहीं ज्यादा इस साल अलोकेशन की है।

जहाँ तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है इस साल अक्तूबर में हमने 82 हजार टन दिया था, नवम्बर में 12 हजार टन बढ़ाकर 94 हजार टन दिया। 18 दिसम्बर तक 53 हजार 739 टन जा चुका है। 55 हजार 517 टन जो डिपो के पास था वह भी उन्होंने बेचा है। इस

तरह से जो एक्चुअल एलोकेशन था उससे भी ज्यादा वहां बिक चुका है। इस तरह से अगर आप हिसाब लगा कर देखें तो करीब-करीब एक लाख टन के करीब यू० पी० का एलोकेशन आ जाता है जो कि उसी एलोकेशन के बराबर है जो चौधरी चरण सिंह ने जबकि वे प्रधान मन्त्री थे तब उनके कहने से केवल उत्तर प्रदेश के लिए किया गया था। उस समय उनके कहने से केवल उत्तर प्रदेश को एक लाख टन का कोटा अलोट कर दिया गया था जबकि और सब राज्यों का 15 से 25 परसेंट तक काट दिया गया था।

इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश को इस साल काफी कोटा अलोट किया गया है। किसी-किसी जगह पर यह शिकायत हो सकती है कि पेट्रोल पम्पों पर माल नहीं बिकता हो। मानिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। हम बराबर स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं कि खास कर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अगर उसमें कोई कठिनाई हो तो उसके लिए हमसे किसी महीने के लिए कोई विशेष अलोकेशन मांगना चाहे तो वह भी हो सकता है। दो-तीन बार मुख्य मन्त्री जी मुझसे मिल चुके हैं और जो अलोकेशन हुआ है उससे वे सन्तुष्ट हैं। माननीय सदस्य के किसी खास ग्रामीण इलाके में यदि कोई खास कठिनाई हो तो उसके बारे में वे मुझे लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस कठिनाई का कोई हल निकाला जाए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया, वह पूर्णतः असन्तोषजनक है। जो लोग कह रहे हैं, उसके विपरीत काम हो रहा है। देश के अन्दर डीजल का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है। डीजल के वगैर किसान जिस तरह से परेशानी उठा रहे हैं उसकी जानकारी मन्त्री जी को भी होगी क्योंकि वह मध्य प्रदेश से आते हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में किसान हर डीजल के पम्प पर दो-दो दिन तक लाइन लगा कर खड़े रहते हैं। पुलिस की लाठी भी उन्हें खानी पड़ती है, चौरबाजारियों के गुण्डे भी उन्हें सताते है। भूखे दम किसान लाइन लगा कर खड़े रहते हैं लेकिन उन्हें डीजल नहीं मिलता। इतनी बुरी हालत आज है जबकि रबी की फसल को सिंचाई का काम चल रहा है। आज उन्हें अपने पम्पिंग सेट चलाने के लिए भी डीजल नहीं मिल रहा है।

सरकार ने गाँवों में बहुत से डीजल पम्प सेंक्शन किये हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि गांवों में डीजल पम्प सेंक्शन किए गए हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन रोक दिया गया है। जो डीजल पम्प इस समय गाँवों में हैं उन्हें डीजल का कोटा कम दिया जाता है। और शहरों में जो डीजल के पम्प हैं उनको ज्यादा कोटा दिया जाता है। माननीय मन्त्री जी जब अपना उत्तर दें तो यह भी बताएँ कि क्या गाँवों में डीजल पम्प सेंक्शन किए गए हैं और उन्हें कब तक काम करने की इजाजत दे दी जाएगी ? कब तक उनका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, डीजल की चोर-बजारी रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इस पर भी माननीय मन्त्री जी प्रकाश डालें। अभी 90 हजार लीटर डीजल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पकड़ा गया, लेकिन जो चोर-बाजारिए थे, उनको छोड़ दिया गया और जिन अफसरों ने 90 हजार लीटर डीजल पकड़ा था, उनका तबादला कर दिया गया। सत्ताधारी दल के लोगों की साजिश से चोर-बाजारी हो रही है, इससे जनता को परेशानी हो रही हैं। यह बड़े

शर्म की बात है कि सत्ताधारी दल के लोग इसमें इन्वाल्व हैं। इसलिए माननीय मन्त्री जी निश्चित तौर पर जाँच करवायें और देखें कि क्या असलियत है।

मान्यवर, मैं आगे यह कहना चाहूंगा कि गोरखपुर जिले के अन्दर डीजल की कमी के विरोध में छात्रों और किसानों ने आन्दोलन किया तो सरकार ने पुलिस से कहकर उनको लाठियों से पिटवाया और तमाम लोगों को जेलों में डाल दिया, बजाए इसके कि किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाते, लोगों को पीटना और जेल में बंद करना ज्यादा आसान और सही समझा गया और यही काम ये कर रहे हैं। पूरे देश के अन्दर जगह-जगह लोगों को मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है और सताया जा रहा है।

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में और खासतौर से गोरखपुर वाराणसी मण्डलों में भयंकर कठिनाई डीज़ल की है और बिहार के अन्दर काफी कठिनाई है। अभी कुछ पहले हमने अखबारों में देखा था कि "ओपेक" द्वारा प्राइसेस बढ़ा दी गई है, मेरे खयाल में भारत को भी अपने इम्पोर्ट बिल में 6 हजार करोड़ रुपया देना पड़ेगा, लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि "ओपेक" द्वारा तेल मूल्य में वृद्धि के कारण क्या आप भी डीज़ल के मूल्य में वृद्धि करने जा रहे हैं ? दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि "ओपेक द्वारा तेल मूल्य में की गई वृद्धि में क्या भारत को कोई छूट दी जाएगी ? तीसरी बात मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी-उत्तर प्रदेश, गोरखपुर-वाराणसी, बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश में डीजल की कमी को दूर करने के लिऐ क्या सरकार एक्स्ट्रा कोटा देगी ?

मान्यवर, एक विशेष न्यूज आयटम हमने न्यूज़-पेपर्स में देखा था कि 34 विदेशी कंपनियों को तेल की खोज के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है ? ओ० एन० जी० सी० आखिर क्या कर रहा है ? बाहर से कम्पनियों को बुलाना पड़ रहा है। ये कम्पनियों को डाटा कलेक्ट करेगी क्या वह ओ० एन० जी० सी० को देंगी ? क्या इनको पैसे के अतिरिक्त उत्पादन में भी हिस्सा देंगे ? इन तमाम सवालों का जवाब आना चाहिए। सरकार ने चुप्पी साध ली है, कुछ नहीं किया जा रहा है। पूरे देश में तेल संकट है, उत्तर प्रदेश में और पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, विशेष रूप से किसानों में डीज़ल का गहरा संकट है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने प्रश्न मन्त्री जी से पूछे हैं उनका वे स्पष्ट रूप से उत्तर दें और बताएं कि क्या उत्तर-प्रदेश को एक्स्ट्रा कोटा अलोट करेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, तेल के इस दुनिया भर के भीषण संकट के समय में भी भारतवर्ष में तेल का संकट नहीं है, मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि चन्द राजनीतिक दलों ने और व्यक्तियों ने किसानों को भड़काने और जहां कमी नहीं है वहां कमी दिखलाने का एक रास्ता अपनाया है।

श्री हरिकेश बहादुर : उसमें आपकी पार्टी भी शामिल है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने आँकड़ों से बताया है कि डीज़ल की, पेट्रोल की और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। न केवल अक्तूबर में जो दिया था उसे नवम्बर में बढ़ाया है लेकिन नवम्बर में जो दिया था उसे दिसम्बर में भी बढ़ाया है। मेरी प्रार्थना है कि इस स्केरस कमोडिटी के बारे में कोई स्कारसिटी की फिज़ा पैदा नहीं की जानी चाहिए। अगर कहीं कमी है तो मदद करके उसको हल करवाने की कोशिश होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम तेल

के एक खाते को तो आप छोड़ दें जिसमें आन्दोलनों का रवैया न अपनाएं और हकीकत को देखकर काम करें। फारेन एक्सचेंज खर्च करके तेल मंगाया जा रहा है और किसानों को हम दे रहे हैं। डीजल की कोई कमी नहीं है। कैरोसीन आयल के बारे में तो यह कहा जाता है कि इसको चोरी छिपे डीजल में मिलाया जाता है लेकिन डीजल की चोरी की बात कुछ नई लगती है। हो सकता है कि कहीं कोई एक आध ऐसी घटना हुई हो लेकिन यह राज्य सरकारों के देखने का काम है। राज्य सरकारों ने जब-जब कोटा बढ़ाने की बात कही है मैंने कोटा बढ़ाया है और आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है। मूल ब्यान में भी मैंने कहा है कि डीजल की कोई कमी किसानों के लिए नहीं होने दी जाएगी और अगर उसका और अधिक आयात करना पड़ा तो वह भी किया जाएगा। मेहरबानी करके वितरण के काम में मदद करने की आप कोशिश करें बजाय इसके कि जबर्दस्ती स्केरसिटी की आबोहवा फैलाएं।

ओपेक ने कीमतें बढ़ाई हैं, यह सवाल इसमें से नहीं उठता है। यह प्रश्न कालिंग स्टेशन में नहीं आता है—

श्री हरिकेश बहादुर : बता तो सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : फाइनेंशियल मैटर्स में पहले से कोई बताता है ? आप तो समझदार आदमी हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप गलतफहमी में क्यों हैं ? आपकी समझदारी पर सन्देह हो गया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप हमेशा करते रहते हैं। इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

जहां तक 34 तेल कम्पनियों को बुलाने का सवाल है वह सवाल भी इसमें से नहीं उठता है। लेकिन उसके बारे में मैंने बार-बार कहा है और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि देश में तेल की खोज को तीव्र करने के लिए विदेशी कम्पनियों को हमने आमंत्रित किया है। प्री-क्वालिफाई करके 67 में से 34-35 कम्पनियों को शार्ट लिस्ट किया है। उनके बहस मुबाहिसा हो रहा है। हमारी टीम्ज पैरिस और वाशिंगटन गई हुई हैं। ऐसी सूरत में जब तक उनसे सब शर्तें और शर्तनामा तय नहीं हो जाता है यह कहना मुश्किल है कि किन कंडिशंज पर काम शुरू होगा। लेकिन ओ० एन० जी० सी० और आयल इंडिया के लिए भी काफी काम है और उनके काम को आगे बढ़ाने का भी प्रोग्राम रखा है। दोनों के काम को आगे बढ़ाते हुए देश में तेल की खोज को तेज करने के उद्देश्य से इन कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है।

श्री निरेन घोष : महोदय तेल के बारे में सरकार की नीति हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण नीति रही है। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि हमारे यहां डीजल अथवा पैट्रोलियम उत्पादों की कमी रही है ? विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि पहले ही व्यय की जा चुकी है तथा तेल एवं पैट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लिए आगामी महीनों में और भी धन व्यय किया जाएगा। आपने कोयले पर आधारित उद्योगों का विचार क्यों छोड़ दिया है ? विदेशी बहु-राष्ट्रिकों को भारतीय मुद्रा देने की दृष्टि से अनेक उद्योगों को डीजल पर आधारित उद्योग में बदला गया है। अब, क्या आप इस नीति को बदलेंगे जिससे की मूल्यवान विदेशी मुद्रा को आरक्षित रखा जा सके ? मैं मानता हूं कि कई औद्योगिक समूह जितनी भी मात्रा में भी डीजल

चाहें, इन डिपुओं, पैट्रोल पम्प स्टेशनों से 25% अधिक मूल्य देकर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार डीजल काला बाजार में बेचा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है या नहीं। इस प्रकार से डीजल का वितरण हो रहा है। क्या आप उन डिपुओं और पम्पिंग स्टेशनों की, जहां काला बाजारी चली है, आकस्मिक जांच करेंगे? यह प्रवृत्ति देश भर में जारी है। अब पैट्रोल के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है और इसके अतिरिक्त इसमें पर्याप्त उत्पाद-शुल्क भी शामिल किया गया है। सरकार को डीजल के उत्पाद-शुल्क में कमी करनी चाहिए, जिससे कि डीजल का मूल्य उचित सीमा में रह सके और सामान्य लोग तथा कृषक इन उत्पादों की खरीद कर सकें। अब वे इतना ऊंचा मूल्य देने के लिए बाध्य है। डीजल की कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए सरकार को गम्भीर प्रयास अवश्य करने चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रयोजन हेतु क्या आप समुचित हिसाब-किताब तथा जांच के साथ देश भर में डीजल की राशन प्रणाली लागू करेंगे, जिससे कि डीजल अथवा पैट्रोल को कालाबाजार में न बेचा जा सके, जैसा कि इस समय हो रहा है। इससे उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी।

इसके अलावा, क्या यह भी सच है कि आपने भेदभावपूर्ण ढंग से डीजल का वितरण विभिन्न मात्रा में विभिन्न राज्यों में किया है? जहां कुछ राज्यों को प्रतिमाह एक लाख टन डीजल प्राप्त हुआ है। जबकि कुछ राज्यों को केवल 34,000 टन डीजल प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, बंगाल में यद्यपि डीजल की मांग प्रतिमाह 85,000 टन है और उसे 65,000 टन डीजल मिल रहा था, अब आप उसे केवल 55,000 टन डीजल प्रतिमाह ही मिल रहा है। मैंने ट्रकों तथा लारियों की खुदरा डीजल दुकानों पर बड़ी लम्बी लाइनें देखी हैं, डीजल की कमी के कारण ये लारियां दो से तीन दिन तक नहीं चलती। ये लाइनें काफी लम्बी हैं। यदि पश्चिमी बंगाल में इतना सब हुआ है तो स्पष्ट है कि देश के अन्य भागों में भी यही स्थिति होगी। आपने डीजल तथा पैट्रोल की सम्पूर्ण वितरण प्रणाली में गड़बड़ी कर दी है।

मैं नहीं जानता कि आपने देश में तेल की खोज करने के लिए 34 विदेशी राष्ट्रों को क्यों लगाया हुआ है। देश को उनमें विभाजित कर दिया गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए बहुत ही कम कार्य छोड़ा गया है। क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि यद्यपि तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, डीजल के मूल्य में और वृद्धि नहीं की जाएगी जिससे कि यह सामान्य लोगों की क्रम सीमा के अन्तर्गत रह सके? जबकि डीजल की कमी के बारे में राज्यों द्वारा शिकायत की जा रही है, इसके विपरीत आप कह रहे हैं कि आपने उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीजल की सप्लाई कर दी है। यह एक मिथ्या विवरण है।

जैसा कि मैंने बताया है, डीजल के उचित एवं पर्याप्त वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या आप डीजल का राशन करेंगे तथा बड़े पैमाने पर डीजलीकरण छोड़ देंगे? क्या आप, जहां कहीं भी आप कर सकते हो, कोयले से काम चलायेंगे?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि जबकि पश्चिम बंगाल को नवम्बर, 1979 में 43,746 टन डीजल का आंवटन किया गया है नवम्बर 1980 में हमने उन्हें 45,900 टन डीजल आवंटित किया है। अतः यह कहना कि 5% वृद्धि दर का फार्मूला पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं किया गया है, सही नहीं है।

मैं उन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि जब पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में मुझसे मिले तो मैंने डीजल का आंवटन 45,000 से बढ़ाकर 50,000 टन कर दिया, वे पूरी तरह से सन्तुष्ट थे। उसके बाद एक बार और अनुरोध किया गया और मैंने इसे 50,000 से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया था और अब मुख्य मंत्री पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हैं तथा यदि आपके तथा उनके बीच यदि सम्पर्क नहीं है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

श्री निरेन घोष : राज्य परिवहन मंत्री ने कुछ दिन पूर्व मुझे बताया था कि उन्हें 65,000 टन डीजल सप्लाई किया जा रहा था, उसे घटाकर 55,000 टन कर दिया गया है और इस मात्रा से काम चलाना काफी कठिन है।

प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने जो आंवटन किया था तथा डीजल का जो अतिरिक्त कोटा दिया था, उससे मुख्य मंत्री जी काफी सन्तुष्ट थे। किन्तु यदि कोई कठिनाई होती है और यदि बंगाल सरकार किसी तदर्थ आंवटन हेतु और अनुरोध करती है, तो इस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

महोदय, जहां तक राशन करने का प्रश्न है, मैंने अनेक बार बताया है कि हम किसी प्रकार के राशन किये जाने के पक्ष में नहीं हैं। इससे ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इससे अभाव पैदा होता है। इससे अनावश्यक (निराधार) खरीद शुरू हो जाती है तथा कालाबाजारी भी शुरु हो जाती है। अतः जहां तक सम्भव है तथा जहां तक हम इस कठिनाई का समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं, हम इस मद का राशन नहीं करेंगे।

महोदय, जहां तक विभिन्न क्षेत्रों में वितरण का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं कि विभिन्न यूनिटों तथा यहां तक की रेलवे के डीजलीकरण के प्रश्न पर राष्ट्रीय आवश्यकता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। डीजलीकरण को बदलने का एकमात्र उत्तर कोयले का पुनः उपयोग करना नहीं है क्योंकि इससे रेलों की गति कम होगी। डीजलीकरण को समाप्त करने का एकमात्र उत्तर रेलों का विद्युतीकरण है और इससे ही समाधान निकल सकता है।

किंतु जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूँगा कि हम ईंधन तेल के इस्तेमाल में, जो उद्योगों में काम आता है, कमी करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे जहां कहीं कोयले का उपयोग कर सकते हैं, करें, किंतु परिवहन की कठिनाइयों के कारण अनेक उद्योगों को समय पर कोयला नहीं मिलता, अतः उदाहरण के तौर पर कोयला न पहुंचने के कारण गुजरात में धुवारन बिजलीघर क्यों कोयले से चलाना सम्भव नहीं है। फिर भी इस स्थिति में सुधार हो रहा है और हम जहां तक सम्भव होता है बिजलीघरों को ईंधन तेल के स्थान पर कोयले से चलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, जहां तक इन कम्पनियों का सम्बन्ध है, मैं श्री घोष से पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि उन्हें इस सारी समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा क्योंकि पैट्रोलियम तथा कच्चे तेल की खपत लगभग 33 से 34 मिलियन टन के लगभग है, जिस गति से हमारी मांग बढ़ रही है तथा विकास की दर में वृद्धि हो रही है, वर्ष 2000 तक हमारी पैट्रोलियम तथा कच्चे तेल की खपत लगभग 93 मिलियन टन होगी, अतः हमारी समस्या यह है कि यदि हम तेल संसाधनों की खोज न कर पाये तो हम पूरी तरह से निरुपाय हो चुके होंगे, और प्रश्न केवल

यह नहीं है कि तेल संसाधनों की खोज की जाए, अपितु प्रश्न इन संसाधनों की समय पर खोज करने का है, जिससे कि हम देश की आवश्यकता को पूरा कर सकें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें बचत नहीं करनी चाहिए तथा विकास-दर पर, जो तीव्र गति से बढ़ रही है, निगरानी नहीं रखनी चाहिए, अपितु उसके साथ-साथ तेल की खोज नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हो सकते हैं। इसमें दृष्टि भेद भी हो सकता है। किन्तु सरकार ने निर्णय लिया है कि इन कम्पनियों को अवश्य आमन्त्रित किया जाना चाहिए तथा हमें बड़े पैमाने पर तेल की खोज कार्य करना चाहिये।

महोदय, जहाँ तक मूल्य-वृद्धि का सम्बन्ध है, इस आशय का आश्वासन अथवा घोषणा करना कि मूल्य वृद्धि होने वाली है अथवा इस आशय का आश्वासन कि मूल्यों में कभी वृद्धि नहीं होगी, सम्भव नहीं है, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के कारण इसका पुनरीक्षण नहीं होता है।

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि ईरान ईराक युद्ध के बीच हमारे मंत्री महोदय ने और भारत सरकार ने पैट्रोलियम की आपूर्ति का काफी सुन्दर ढंग से इन्तजाम किया है, और इसीलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठक जो छपरा में हुई, उसमें ऐसा कहा गया था कि बिहार प्रदेश के कोटे में कटौती की गई है और सारण जिले में कटौती इसी कारण हुई है। इसी के चलते हमारे क्षेत्रों में डीजल की बहुत कमी है और किसानों में काफी परेशानी है। सरकार ने सम्भवत: काफी मात्रा में डीजल की आपूर्ति की है, किन्तु किसानों को डीजल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, इसका कारण यह है कि वहां के जिला पदाधिकारी जो कि बड़े-बड़े ऊंचे-ऊंचे पदों पर विराजमान हैं, सब चोरबाजारी में लिप्त हैं।

इसके कारण वहां पर संकट बहुत बढ़ा हुआ है। किसानों को एक डीजल पम्प के लिए सप्ताह में पांच या दस लिटर डीजल मिलता है, जिससे काम नहीं चलता है। मैंने परामर्शदात्री समिति में भी मंत्री महोदय से आग्रह किया था कि उनका काम डीजल की आपूर्ति करना तो है ही, साथ ही साथ वह ऐसी व्यवस्था भी करें कि अगर प्रदेश सरकार के पदाधिकारी कोई गोल-माल करते हैं, तो वह उन पर नियंत्रण रख सकें। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है, जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर उनके पास इस समय कोई प्रावधान नहीं है, तो वह ऐसी व्यवस्था करें कि किसानों को जो डीजल दिया जा रहा है, उससे उनको लाभ हो सके।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य सभा भी क्वोटा बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। अक्तुबर में बिहार को 30,280 मीट्रिक टन डीजल प्राप्त हुआ था। नवम्बर में 37,000 मीट्रिक टन किया गया और दिसम्बर में उसको बढ़ा कर 41,000 मीट्रिक टन पर दिया गया। हम यह मानिटर कर रहे हैं कि एलोकेशन के मुताबिक सामान वहां पर पहुंच जायें। मेरी सूचना के हिसाब से सामान एलोकेशन के मुताबिक पहुंच रहा है। जहां तक राज्य में वितरण का प्रश्न है, कौन से जिले में कितना भेजा जाये, यह स्थानीय सरकार तय करती है। और किसी जिले या तहसील में कोई कठिनाई हो, तो माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी उसकी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगर उनकी तरफ से कोई विशेष सूचना आयेगी, तो हम राज्य, सरकार के साथ उसका निर्णय करने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य ने राज्य

सरकार के अधिकारियों द्वारा कुछ गड़बड़ किये जाने की शिकायत की है। यह मसला तो उन्हें राज्य सरकार के साथ ही उठाना होगा।

———

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन), विधेयक

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं सभा से विधेयक को वापस लेने का विरोध करने की अनुमति चाहता हूं। मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्थान है। यह एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्थान है और हम इसकी उन्नति चाहते हैं। जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो हमने एक विधेयक पेश किया था जोकि इस विश्वविद्यालय के छात्रों तथा विशेषकर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए था जो इसे अपने लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण संस्थान मानते हैं। इससे पहले जब इन्दिरा गांधी कि सरकार थी तब भी कुछ संशोधन लाए गए थे जिनसे लोग अप्रसन्न हो गए। अतः लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए हम एक विधेयक लाए थे। इसके बाद लोक-सभा भंग हो गई और सारा मामला खटाई में पड़ गया।

अब, यह सरकार पहले ही दो विधेयक प्रस्तुत कर चुकी है। एक विधेयक पेश किया गया, इसे वापस लिया गया और फिर दूसरा विधेयक लाया गया। अब वे इसे फिर वापस ले रहे हैं और एक दूसरा विधेयक लाना चाहते हैं। क्या वे भ्रम में पड़ गए हैं? क्या सभा की ऐसी उपेक्षा करनी चाहिये? उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये था कि मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाएं क्या हैं, जैसा कि उन्होंने उद्देश्य तथा कारण कथन में बताया है। यह विधेयक लाने की बजाए उन्हें चाहिए था कि पहले इस पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का पता लगाते और यह बेहतर होता यदि इसे कुछ देर और रोका जाये और चर्चा के दौरान विरोधी दलों से प्राप्त संशोधनों को स्वीकार करके इसमें शामिल किया जाये और तब विधेयक पारित किया जाए। सरकार की अयोग्यता तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की समस्याओं को संवेदनशीलता से अनभिज्ञता के अतिरिक्त कोई अन्य महत्त्वपूर्ण कारण नहीं हैं जिसके कारण सरकार इसकी जांच करना चाहती है। इसलिए, मैं इस विधेयक को वापस लेने का विरोध करता हूं ताकि सरकार की निंदा की जा सके।

श्री रसीद मसूद : खड़े हुए

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, श्री रशीद मसूद एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें बोलने का मौका देंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार संसद को गम्भीरता से नहीं ले रही है, वह मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को

भी गम्भीरता से नहीं ले रही है, और इस विधेयक को अंतिम दिन लगाया जा रहा है। मैं सरकार के निरुत्साहित रवैयों के विरोध में इस विधेयक को वापस लेने का जोरदार विरोध करता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य जो कुछ अभी भी कहा है वह उन्हें कहना चाहिए था। यह विधेयक वापस लिया जा रहा है परन्तु दूसरा विधेयक पुरः-स्थापित किया जाएगा। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि मूल विधेयक के साथ संविधियों को भी प्रस्तुत किया जा सके। जब जनता सरकार द्वारा और फिर मार्च-जुलाई 1980 में इस सरकार द्वारा यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। तब इसे एक विशेष ढंग से प्रस्तुत किया गया था। जब जनता सरकार ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया था तब यह केवल एक लाइन का विधेयक था जिसमें वे विश्वविद्यालय की परिभाषा बदलकर इसे अल्पसंख्यक स्वरूप देना चाहते थे। इसके पश्चात् दो विधेयक पुरःस्थापित किए गए। इन दोनों विधेयकों में भी संविधियों में संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगस्त 1980 में जब यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया तब यह स्थिति थी। इसके पश्चात् हमें बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिनमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1972 के अनुसार न्यायालय ही केवल विचारक निकाय है और उन्हें संविधियों को पारित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए विधेयक के साथ संविधियों को पुरःस्थापित करना भी आवश्यक था। इसमें कोई असंगत बात नहीं है। हमने यह फैसला किया है और हम लोगों को भी जानते हैं जो इस विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है और मैं नहीं समझता कि इसके लिए और स्पष्टी-करण की आवश्यकता है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री रशीद मसूद स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना देनी चाहिए थी।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह प्रश्न मार्च, जुलाई 1980 में क्यों नहीं उठाया गया। अब क्यों उठाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने अपना पहला वक्तव्य दिया तब आपने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया।

श्री एस० बी० चव्हाण : हम यह समझते थे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद संविधियों को पास कर लेगी। परन्तु बाद में पता चला कि विश्वविद्यालय न्यायालय स्थापित होने के साथ ही कार्यकारी परिषद भंग हो गई और हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। इसलिए यह विधेयक वापस लिया जा रहा है और मैं स्पष्टीकरण पहले दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

———

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (तीसरा संशोधन) विधेयक

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

प्रश्न यह है कि :

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एस० बी चव्हाण : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर चर्चा करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत मामलों पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिलें··· **(व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री—**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिल सकते हैं। श्री मनीराम बागड़ी नियम 377 के अन्तर्गत मामले पर बोलें। अन्य कोई बातें कार्यवाही बृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको गलतफहमी हुई है। अत: आप मेरे कक्ष में आकर मुझसे मिलें। समस्या का समाधान सभा में नहीं हो सकता। अत: मेरा अनुरोध है कि आप कक्ष में आकर मुझसे मिलें।

श्री रामावतार शास्त्री : **

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है। श्री बागड़ी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : (बम्बई उत्तर मध्य)—खड़ी हुई

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी मामले के सम्बन्ध में कोई बात है तो कृपया मेरे कक्ष में आकर मिलें। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कोई बात सम्मिलित न की जाए। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने श्री बागडी का नाम पुकारा है। मैं इन्हें बैठने के लिए कह रहा हूं। वे नहीं बैठते। आप पढ़ना जारी रखें। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। आपसे मेरी अनुमति नहीं ली है। (व्यवधान)**

(एक) तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराना

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव प्रकाशम्

श्री शिवप्रकाशम् के अलावा किसी अन्य की कोई बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरूनेलवेली) नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 की उपधारा (चार) के अनुसार प्रत्येक राज्य पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद और खण्ड-4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में निहित हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार इसमें निहित सिद्धान्त देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धान्त हैं, यद्यपि ये किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। यह राज्य का कर्त्तव्य है नियम बनाते समय इन सिद्धान्तों का अनुपालन किया जाए।

यह बहुत ही खेदजनक है कि भारत में काफी राज्यों में सरकार के इस प्रजातांत्रिक स्वरूप के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। उदाहरणतया तमिलनाडु में स्थानीय स्वामत् शाली शासन संस्थानों के दस वर्ष से भी अधिक समय से कोई चुनाव नहीं कराए गए हैं। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार न केवल विद्यानमण्डल में बल्कि शहरों नगरों और गाँवों में भी चलाई जानी चाहिए। बहुत से राज्यों में सहकारी संस्थानों के चुनाव नहीं हुए हैं। अनेक राज्य सरकारों ने एक अथवा अन्य बहाने से पंचायतों, नगरपालिकाओं और सहकारी संस्थानों के चुनाव स्थागित कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि इस डर से कि इन संस्थानों में कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टी को बहुमत न मिल जाए, चुनाव नहीं कराए गए हैं। माननीय मंत्री शपथ लेते हैं कि उन्हें भारत के संविधान में पूर्ण विश्वास और आस्था है। अतः मेरे विचार से इन स्थानीय निकायों के शीघ्र चुनाव करवाना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को बन्द पड़े स्थानीय निकाय संस्थानों को शीघ्र चालू करने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त अनुदेश या निदेश जारी करने चाहिए। यदि भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि संविधान में इस प्रकार से उपभुलन संशोधन किया जाए कि राज्य सरकारें स्थानीय निकामों के चुनावों करवाने सम्बन्धी निदेशों का पालन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जतिया (व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सभी बैठ जाएं। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जतिया का नाम पुकारा है। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। ये सब बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया बैठ जायें। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

पीठासन को चुनौती न दें। (व्यवधान)

नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाते समय तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसे समाप्त होने दीजिए। इसके पश्चात वह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। (व्यवधान)**

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने आपको अपने कक्ष में आने के लिए कहा है।

श्री रामावतार शास्त्री**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे अपने कक्ष में आने के लिए कहा है। (व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा एक निवेदन है मुझे समस्या का हल खोजने का प्रयास करने दीजिए।

गृह तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया)

मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। सदस्यगण, पीठासीन अधिकारी को धमकी नहीं दे सकते हैं और वे सम्पूर्ण सभा को भी धमकी नहीं दे सकते। कुछ नियम और विनियमन हैं जिनके अनुसार आप सभा की कार्यवाही को संचालित कर रहे हैं। श्री हरिकेष बहादुर हर समय बोलने का प्रयास करते हैं। और कभी नहीं बैठते। वह यह सोचते हैं कि सभा की कार्यवाही उनकी इच्छानुसार चलती है। यह ठीक नहीं है। आप पीठासीन अधिकारी हैं। आपको सभा का संचालन करना है। श्रीमन् हम आपको हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हम आपको पूरा सहयोग देना चाहते हैं। वे केवल सार्वजनिक महत्व के मामले को ही उठाने के इच्छुक हैं। उनका विचार यह है, कल आपने कहा था "मैं आपको इस मामले को कल उठाने की अनुमति दूंगा। यदि आप अनुमति न भी दें तो भी वह उस विशेष मामले की अग्रह्यता के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं। इस प्रकार समस्या का हल माननीय सदस्य को बताकर ही किया जा सकता है। कि क्यों···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपने इसे उठाया है, मैं इसका उत्तर दूंगा।

कल श्री रामावतार शास्त्री देर से आये थे। जैसे ही वे सभा में घुसे वह यह कहते हुए मेरे पास आये "ऐसा लगता है कि मेरा नाम पुकारा गया था, क्या आप मेरा नाम दुबारा पुकारेंगे। मैंने कहा, यदि आपका नाम पुकारा गया होता तो मैं आपकी निश्चय ही सहायता करने की कोशिश करता। (व्यवधान)* कृपया सुनिए। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया वह मेरी सीट के पास आए और कहा कि उनका नाम पुकारा गया था तथा क्योंकि उनकी गाड़ी

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

देर से आयी थी इसलिए वे सभा में उपस्थित नहीं हो सके। मैंने उनसे कहा। यदि आपका नाम निश्चय ही पुकारा गया है तो आप इसे लिखित रूप में दीजिए। मैं इसे आज या कल शामिल कर लूंगा। तब उन्होंने इसे लिखित रूप में दिया। मैंने रिकार्ड देखा और पता लगा कि कल उनका नाम नहीं पुकारा गया था। तब वह चाहते थे कि उनका नाम आज पुकारा जाये। हमने इस पर विचार किया है। हमने यह सभी दलों के लिए फैसला किया है, क्योंकि आज इस सभा का अन्तिम दिन है। लगभग 38 सदस्य थे और हमने विशेष मामले के रूप में आज 18 सदस्यों को अनुमति दी है।

हमने उनके दल को भी अनुमति दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि नियम 377 के अन्तर्गत किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी जाती है तो यह कोई तरीका नहीं है। मैंने उनसे कक्ष में आने के लिए कहा है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : क्या आपने मुझसे वायदा नहीं किया था ?

श्री इन्दजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? हमने अभी यह सुना है कि कल क्या घटना घटी। मुझे उस बात की जानकारी नहीं है और श्री शास्त्री और पीठासीन होने के समय आपके बीच जो भी बातचीत हुई वह सभा की कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी। माननीय सदस्य का यह उचित अथवा अनुचित विचार था कि नियम 377 के अन्तर्गत उनका नोटिस आज स्वीकार कर लिया जायेगा और जब आज आपने उन्हें अनुमति नहीं दी है, तो वह बहुत उत्तेजित हैं। नियम 377 के अन्तर्गत मेरे नाम का प्रस्ताव है मैं उसे वापस लेना चाहता हूं तथा आप उन्हें इसके स्थान पर अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस नियम के अनुसार नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया था।

श्री रामावतार शास्त्री : यह राष्ट्रीय ग्रन्थालय का प्रश्न है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह ग्राह्य नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त, आप भी इसे देख सकते हैं। मैं उसे रखूंगा और आप मुझे बतायें। इसमें बहुत भ्रम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन्हें सीधे-सीधे बता सकते थे। श्रीमन्, यदि किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया जाता है तो यह इसे हटाने के लिए सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पार्टी के नेता होने के नाते आयें और देखें।

यह एक व्यक्तिगत शिकायत है। यह मामला सार्वजनिक महत्व का नहीं है। (व्यवधान) एक सदस्य नियम 377 के अन्तर्गत जो कुछ भी दे क्या उसे मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। (व्यवधान) डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, यह सभी समाप्त हो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आपने कहा था कि 377 के अन्तर्गत नोटिसों की अनुमति पार्टी के आधार पर दी जाती है। यह नियमों के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब 38 नोटिस हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ? हम सबको समान अवसर देना चाहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बात कार्यवाही वृतान्त में नहीं जानी चाहिए कि आपने पार्टी की सख्या के आधार पर नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी निर्णय किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैंने आपको बता दिया है !

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : नियम 360 के अन्तर्गत आप इसको देखिए। आपको यह निदेश इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यह निदेश खतरनाक है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे।

श्री शास्त्री, कृपया अब आप बैठ जायें। आप मुझसे मेरे कक्ष में मिले। क्या आप यह स्वीकार नहीं करेंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, नहीं, मैं नहीं बैठूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त, क्या किया जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं इसे पार्टी का मामला मानने पर आपत्ति करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वह अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तब आप उन्हें सभा से बाहर निकलवा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जैसा काम आप मुझसे कराना चाहते हैं।

अब श्री मनीराम बागड़ी।

(दो) नरवाना (हरियाणा) में नकली शराब पीने के कारण हुई मौतें

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : नरवाना जिला जिंद हरियाणा में सरकारी ठेके से शराब की 700 बोतलें खरीदी गईं और फलस्वरूप पीने वाले लोग अंधे हुए या मर गये। मरने वालों की तादाद हमारी जानकारी के मुताबिक 28 हो चुकी है। यह दुर्घटना हरियाणा में दूसरी है। केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है कि मुकम्मिल शराबबंदी देश में की जाए लेकिन खराब शराब पिलाकर लोगों को मारा जा रहा है। लोगों ने शिकायत की है कि सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। 8300 लिटर स्प्रिट का कोटा एक फर्म को फोटो का कागज तैयार करने के बहाने से दिलाया गया जिसमें से आधी स्प्रिट इस शराब में बनने में जा चुकी है। शराब के ठेकेदार बहुत बड़े ठेकेदार हैं और एक ठेकेदार ब्लैक लिस्टिड है इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अधिकारियों ने उनको अपने सामने से भगा दिया। तलाशी में 20 कार्क मिले और बाकी सामान खुर्द-बुर्द कर दिया गया। इस मामले की न्यायिक जांच चीफ हाई कोर्ट के जजों द्वारा दुबारा करायी जाये और दोषी व्यक्तियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। सरकार को ऐसी घटनाएं रोकने के वास्ते ठोस कदम उठाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा, अब 2 बज कर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 12 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कार्यसूचि के अनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी एक वक्तव्य देने वाले हैं।

यदि आप अनुमति दें तो वह पहले वक्तव्य दे सकते हैं। इसके पश्चात् हम कार्यसूची के अनुसार चल सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वक्तव्य को सभा पटल पर रखने की बजाये उसे पढ़ें।

सभापति महोदय : हां, वह वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कृपया आप कुछ प्रश्नों के स्पष्टीकरण के बारे में भी अनुमति दें।

सभापति महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी।

श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिये गठित न्यायाधिकरणों की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य

योजना तथा श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : ध्यानाकृष्ण प्रस्ताव के उत्तर में श्रम राज्य मंत्री ने 21 नवम्बर, 1980 को राज्य सभा में श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों के अधिकरणों की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य दिया। विचार-विमर्श के दौरान मैंने उक्त सदन को यह आश्वासन दिया था कि सिफारिशों के बारे में सरकार निर्णय लेगी और उनकी वर्तमान अधिवेशन के दौरान संसद में घोषणा की जाएगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने अब इस संबंध में निर्णय ले लिया है।

सदन को वह परिस्थितियां मालूम हैं जिनके अन्तर्गत अधिकरणों को गठित किया गया था। जैसा सदन को पहले ही सूचित किया गया है, इन अधिकारियों की अन्तिम सिफारिशें सरकार को 13 अगस्त, 1980 को प्राप्त हुई थीं। अधिकरण ने इससे पहले फरवरी, 1980 में कुछ अंतरिम प्रस्ताव प्रकाशित किए थे। अधिकरणों ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में अंतरिम प्रस्तावों में कुछ परिवर्तन किए हैं जिससे कुछ वाद उठ खड़े हुए। ऐसा प्रतीत हुआ है कि किए गए कुछ परिवर्तनों से श्रमिकों को उन वर्तमान सुविधाओं के संरक्षण से वंचित किया गया जिनके वह अधिनियम के अधीन हकदार है। अतः सरकार को इन सिफारिशों में कुछ संशोधन करना आवश्यक समझा गया।

फिटमेंट नियमों से अधिकरणों ने यह बताया है कि उनकी सिफारिशों से उन शर्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन पर अतिरिक्त परिलब्धियां दी जाती हैं और अतिरिक्त भत्तों को

वैयक्तिक वेतन समझा जाए जिसे संशोधित वेतन-मान की भावी वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट किया जाएगा। अतिरिक्त परिलब्धियां वे हैं जो सामूहिक सौदेकारी के परिणामस्वरुप अतिरिक्त मूल मजदूरी, मंहगाई भत्ता या अंतरिम सहायता के रूप में समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा दी जाती हैं। अतिरिक्त भत्ते मासिक अदायगियां हैं जो किसी विशेष प्रयोजन से संबंधित नहीं होते और जिन्हें वेतन-मान या मंहगाई भत्ते के किसी संशोधन के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाता। सरकार को अतिरिक्त परिलब्धियों और अतिरिक्त भत्तों के बीच भेदभाव करने के लिए कोई औचित्य नजर नहीं आता। कर्मचारियों ने अतिरिक्त भत्तों को भावी वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट करने के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में मानने पर आपत्ति की है। अतः यह निर्णय किया गया है कि इन सिफारिशों में इस आशय का संशोधन किया जाए कि अतिरिक्त भत्तों के संबंध में वर्तमान अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इस संशोधन का उद्देश्य अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त संरक्षणों को लागू करना है जो सेवा शर्तों को अधिक अनुकूल बनाते हैं।

अधिकरणों ने सिफारिश की है कि जहां कोई कर्मचारी संगत तारीखों को फिटमेंट नियमों के अनुसार वेतन-मान में फिट किया जाए तो वह उसी तारीख से वेतन-वृद्धियों का हकदार होगा। कर्मचारियों ने यह अभिवेदन किया है कि सभी भावी वेतन-वृद्धियाँ उन्हीं तारीखों को दी जाएं जिन तारीखों को वे इस समय देय हैं। इन सिफारिशों में तदनुसार संशोधन करने और यह व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है कि सभी भावी वेतन-वृद्धियां उसी तारीख को दी जाएंगी जिस तारीख को वे इस समय देय हैं।

अधिकरणों ने श्रेणी II और उससे अधिक के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए 3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक की दरों पर मकान किराया भत्ते की सिफारिश की है। ऐसे प्रतिष्ठानों के मामलों में, जिनको मकान किराए भत्ते की अदायगी से छूट दी गई है, यह सिफारिश की गई है कि ऐसे कर्मचारी, जो पहले ही इस भत्ते को प्राप्त कर रहे हैं, यह भत्ता प्राप्त करते रहेंगे और यह कि सिफारिशें मकान किराए भत्ते की दरों को प्रभावित नहीं करेगी, यदि ये दरें पहले सिफारिश की गई दरों से अधिक हैं। तथापि, रिपोर्ट में यह संदिग्धता है कि क्या मकान किराए भत्ते के वर्तमान अधिकारों का संरक्षण समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों पर भी लागू होता है। अतः यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में समाचार एजेन्सियों के कर्मचारियों के लाभ की वर्तमान-मात्रा का संरक्षण भी किया जाए क्योंकि वे अधिनियम की धारा 16 के अधीन उसके हकदार हैं।

अधिकरणों ने सिफारिश की है कि नया परिवर्ती मंहगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) अर्ध वार्षिक आधार पर प्रत्येक 6 पाइंट की वृद्धि या कमी पर 5 रुपए से 11 रुपए तक की दर से परिवर्तित होगा, जो मजदूरी स्लैबों पर आधारित होगा। परिवर्तित होगा। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अधिकरणों ने अपने अन्तरिम प्रस्तावों में उच्चतर मंहगाई भत्ते की दरों का सुझाव दिया था। अतः यह प्रस्ताव है कि मंहगाई भत्ते संबंधी सिफारिशों में संशोधन किया जाए, ताकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की परिवर्ती तिमाही में 1·30 प्रति पाइंट शिफ्ट की एक समान दर की व्यवस्था की जाए। इस संशोधन का उद्देश्य निम्न मजदूरी स्लैबों संबंधी दरों में वृद्धि करना और उन्हें अधिक न्यायसंगत बनाना होगा।

2 पौष, 1902 (शक)

श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए गठित न्यायाधिकरणों की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 12 के अनुसार, अधिकरणों से सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय सरकार यथाशीघ्र सिफारिशों के अनुसार या ऐसे संशोधनों के अध्याधीन, जिन्हें वह उचित समझे, आदेश देगी। यदि केन्द्रीय सरकार ऐसे संशोधन करना चाहती है जिनमें "सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते है तो उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को नोटिस देना पड़ेगा तथा लिखित में वे जो अभ्यावेदन देंगे, उन पर ध्यान देना होगा या सिफारिशों को अधिकरणों को वापिस निर्दिष्ट करना होगा।

सरकार की राय में संशोधनों से, मंहगाई भत्ते के फार्मूले को छोड़कर, "सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन" पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंहगाई भत्ते के फार्मूले में प्रस्तावित परिवर्तन को एक बड़ा संशोधन समझा जाए। अतः यह प्रस्ताव है कि प्रस्तावित संशोधन से सम्बन्धित पक्षों को नोटिस दिया जाए, जिसमें उनको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए तीस दिनों का समय दिया जाए, यदि वे ऐसा करना चाहते हों। मंहगाई भत्ते के फार्मूले के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय की घोषणा अभ्यावेदनों की, यदि कोई है, जांच करने के पश्चात् की जाएगी।

अधिकरणों ने सिफारिश की है कि सभी अशंकालिक संवाददाताओं को पूर्णकालिक संवाददाताओं को देय मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के एक तिहाई से कम नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकरणों ने समाचार-पत्रों के अंश-कालिक संवाददाताओं को कालम आधार पर अदायगी करने की सिफारिश की है। यह आशंकाएं व्यक्त की गई है कि यदि अंश-कालिक संवाददाताओं से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है, तो इससे बड़े पैमाने पर छंटनी हो सकती है। तथापि, सरकार ने सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार करने का निर्णय किया है। सरकार का यह विश्वास है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट आशंकाएं अनुचित साबित होंगी और इस सिफारिश को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप छंटनी नहीं होगी। यदि ऐसी कोई संभावना हो तो सरकार इस बात पर विचार करेंगी कि इस स्थिति से बचने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए जाएं। अधिकरणों की अन्य सभी सिफारिशों को यथावत् स्वीकार किया गया है।

सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 12 (3) के अधीन, जैसा अपेक्षित है, सरकारी आदेश शीघ्र जारी किए जायेंगे।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समाचारपत्र-उद्योग के कर्मचारियों के मजदूरी ढांचे में संशोधन बहुत पहले ही किया जाना था, और कई कारणों से इसमें विलम्ब हुआ। आशा की जाती है कि सरकार के निर्णयों को सभी संबंधित पत्रकार विधिवत स्वीकार करेंगे और बिना विलम्ब के इन्हें कार्यान्वित किया जाएगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया नियम 355 देखें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभ्यावेदन प्राप्त होने पर क्या वह स्वयं उसकी जांच करेंगे और यूनियन से बातचीत करेंगे। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूं। नियम 355 के अन्तर्गत पूर्व में

इसकी अनुमति दी गई है, । किसी अन्य दिन राज्य सभा में जब प्रधानमन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था, उस पर चर्चा की अनुमति दी गई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वार्ता मंत्री स्तर पर की जायेगी ।

सभापति महोदय : नियम 355 इस प्रकार है :

> "जब चर्चा के दौरान में स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को उस समय सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष की मार्फत प्रश्न पूछेगा ।"

अब, चर्चा का समय नहीं है । मुझे अफसोस है कि इसके लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है'''(व्यवधान) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इससे पहले भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है । आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः मैं इस मामले को अन्य किसी ढंग से नहीं उठा सकता । मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि हमें क्या करने का हक है ।

सभापति महोदय : मेरे विचार से, आपको इसका अधिकार नहीं है । आपके विचार से ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे अफ़सोस है ।

नियम 377 के अधीन मामले—जारी

(तीन)—पश्चिम रेलवे के उज्जैन और इन्दौर डिविजनों में रेल सेवाओं की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं :

इन्दौर-देवास-उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर हैं । प्रतिदिन हजारों यात्री इन्दौर-उज्जैन तथा उज्जैन-इन्दौर के बीच यातायात करते हैं । इनमें अनेक लोग नौकरी करने वाले भी हैं जिन्हें 11 बजे आफिस पहुंचना होता है । किन्हीं को उज्जैन से उच्च न्यायालय (खण्ड पीठ) इन्दौर जाना होता है। उज्जैन तथा इन्दौर में संभाग आयुक्त के मुख्यालय भी है । श्रमिकों, कर्मचारियों, व्यवसायी-व्यापारियों तथा आम जनता की यह मांग है कि प्रातः 9 बजे उज्जैन से इन्दौर के बीच कम दूरी के मीटर गेज रास्ते में एक एक्सप्रेस ट्रेन चल कर प्रातः साढ़े दस बजे तक इन्दौर पहुँच जाए तथा शाम साढ़े पांच बजे इन्दौर से चल कर 7 बजे तक उज्जैन आ जाये । इसके साथ ही इन्दौर-दिल्ली तथा इन्दौर-बम्बई के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराई जाए । अहमदाबाद-रतलाम तथा लखनऊ-कोटा यात्री गाड़ियों को क्रमशः उज्जैन तथा रतलाम तक बढ़ाया जाय । सर्वोदय एक्सप्रेस का स्टापेज नागदा जंक्शन पर दिया जाय जिसमें कि उज्जैन के लिए 20 शायिकाओं का आरक्षण है । किन्तु स्टापेज नहीं होने के कारण यात्री इस सुविधा से वंचित हैं । नागदा जंक्शन पर नागदा मंडी तथा बिरला ग्राम औद्योगिक नगर को ओवर ब्रिज से जोड़कर दुर्घटनाओं को रोका जावे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों से संभागीय रेल प्रबन्धक रतलाम, पश्चिम रेलवे के प्रमुख प्रबन्धक (जनरल मैनेजर) को तथा रेल मन्त्रालय को अवगत कराया गया है । किन्तु इन समस्याओं पर न तो प्रशासन ने न ही रेल मन्त्रालय ने

ध्यान दिया है। इतना ही नहीं रेल प्रशासन को लिखे गए पत्रों का समय पर तथा समुचित उत्तर तत्परता से नहीं दिया गया है। इस लगातार उपेक्षा के कारण तथा क्षेत्र की जनता को रेल सुविधाओं के अभाव के कारण व्यापक असंतोष है। मेरा माननीय रेल मन्त्री जी से आग्रह है कि वे इन समस्याओं को दूर करने के लिए रेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश देकर यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध करावें।

(चार) धान की खरीद के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में धान की आपाती बिक्री शुरू हो गई है। अधिकता वाले क्षेत्रों में मध्यम दर्जे का धान 80 से 100 रुपये क्विंटल बिक रहा है। राज्य सरकार ने धान खरीदने की योजना बनाई है तथा धान खरीदना शुरू कर दिया है। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा धान की पूर्णतः अलाभ कर दर के बारे में उत्पादक किसानों में भारी असंतोष है, क्योंकि राज्य सरकार इसी दर पर धान खरीद रही है। वास्तव में, वे 125 रुपये से 139 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ कर मूल्य माँग रहे हैं। इस तथ्य को देखते हुए भी कि केन्द्रीय सरकार भी धान का न्यूनतम मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य की वित्तीय रूप से सहायता करें ताकि राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम 125 से 130 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद सकें।

(पांच) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों को 1979 में दिए गए आश्वासनों को पूरा न किया जाना।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमन्, 1979 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) के जवानों ने अपनी सेवाओं में सुधार के लिए तथा अपनी शिकायतों को व्यक्त करने हेतु कर्मचारी एसोसिएशन बनाने के अधिकार के लिए जो व्यापक आन्दोलन किया था। उसके परिणामस्वरूप तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने बड़े पैमाने पर बर्खास्तगी, स्थानान्तरण, और मुकद्दमें का निर्णय न होने तक गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी, बाद में तत्कालीन गृहमन्त्री तथा सी०आई०एस०एफ० के महानिरीक्षक ने यह आश्वासन दिया था कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के इन सभी मामलों पर सहानुभूति पूर्वक पुनर्विचार किया जायेगा और कर्मचारी एसोसिएशन बनाने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि यह एसोसिएशन यूनिट स्तर पर बनाई जाए और जवानों द्वारा विधिवत निर्वाचित हो।

यह भारी खेद का विषय है कि एक साल बीत जाने के बावजूद भी जिस के दौरान नई केन्द्रीय सरकार ने सत्ता संभाली है, जवानों को दिए गये आश्वासनों को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अभी भी लगभग साढ़े तीन सौ जवान सेवा में नहीं लिए गए हैं। एक सौ जवान निलम्बित हैं तथा सैकड़ों और जवानों को मनमाने ढंग से स्थानान्तरण कर दिया गया है। इनमें स्थानीय तथा यूनिट स्तर के स्टाफ एसोसिएशन के अनेकों सदस्य तथा वे पदाधिकारी हैं जिन्हें महानिरीक्षक ने एसोसिएशन बनाने की अनुमति दी थी। हाल ही में, राँची में सी०आई०एस०एफ० को अफसरों ने जान-बूझ कर भड़काये जाने का लक्ष्य बनाया है तैनात बटालियन जो अमतिक निजी 'अर्दली' रखने की आपत्तिजनक प्रथा को बरकरार रखे हुए हैं। यह 1979 के आन्दोलन का खास मुद्दा था तथा जिसके बारे में यह समझा जाता था कि यह

समाप्त कर दी गई है। रांची में इसके जवानों के किसी भी विरोध प्रदर्शन को चाहे वह शान्तिपूर्ण ही क्यों न रहा हो, बर्बरतापूर्ण ढंग से दबा दिया जाता है। यहां इस बटालियन को बिहार सरकार के कहने पर शास्त्रास्त्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया जबकि उसे ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह बात केन्द्र सरकार के नियन्त्रणाधीन है।

यदि यही दमन नीति जारी रही तो यह सम्पूर्ण स्थिति बढ़कर एक अन्य विस्फोटक स्थिति का रूप ले सकती है। जवानों की एक मात्र शिकायत यह है कि उन्हें दिये गये आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं किया गया। यदि उनसे यह उपेक्षा की जाती है कि वे अपने रक्षा सम्बन्धी कठिन दायित्वों का निर्वाह करें तो उन्हें भी इन्सान समझा जाये। गृह मंत्रालय उनकी उचित मांगों पर जितना जल्दी ध्यान दें उतना बेहतर होगा।

(छः) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से वाणिज्यिक सेवाओं का कार्यकरण

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : आकाशवाणी के दिल्ली स्टेशन की वाणिज्यिक सेवाओं के कार्यकरण की हालत पहले के मुकाबले खराब हुई है। नये विज्ञापन कर्ताओं को अपने उत्पादों के लिए विज्ञापन का प्रसारण करने हेतु समय प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जब कभी कोई विज्ञापनकर्ता समय लेने के लिए इस सेवा से सम्पर्क करता है तो उससे कहा जाता है कि समय का आबंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है अतः उनका काम प्रतिक्षा-सूची में लिख लिया गया है। लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जाता।

कुछ उत्पादकों के उत्पादों के विज्ञापन के लिए बार-बार और निरन्तर प्रसारण का समय दिया जाता है। कुछ एजेन्सियों द्वारा बुक कराए गये विज्ञापनों को प्राथमिकता दी जाती है। चूंकि कुल प्रसारण समय का 20 प्रतिशत समय दिल्ली स्टेशन द्वारा आबन्टित किया जाता है अतः यह आवश्यक है कि इस सेवा का संचालन ठोस वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाये।

विज्ञापनों की बुकिंग में लघु तथा मध्यम दर्जे के उत्पादकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। किसी उत्पादक के लिए प्रसारण का समय एक सीमित अवधि के लिए बुक किया जाये तथा उसे पुनः समय देने से पूर्व बीच में कुछ अन्तराल होना चाहिए।

बड़े तथा प्रभावशाली उत्पादकों के साथ कर्मचारियों की सांठ-गांठ की सम्भावना को समाप्त करने के लिए कर्मचारियों को चक्रानुक्रम से रखा जाये।

कुल उपलब्ध समय में से कुछ प्रतिशत नये विज्ञापन कर्ताओं अथवा नैमित्तिक विज्ञापनों के लिए नियत किया जाना चाहिए।

(सात) : कानपुर की कैलाश मिल्ज बन्द होना

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैसर्स जे० के० मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर जिसे सामान्यतः कैलाश मिल के नाम से जाना जाता है, तीन साल से अधिक समय से बन्द पड़ा है जिस से इस के 2500 कर्मचारी बेकार हो गये हैं और अब भूखों मर रहे हैं। यह मिल जे० के० आर्गेनाइजेशन की एक सूती कपड़ा बनाने वाली एक यूनिट है जिस की अधिष्ठापित क्षमता 25000 तकली और 180 करघों की है तथा इसके अतिरिक्त इसमें एक पूरे आकार का अवशेष संयंत्र तथा एक रंगाई विभाग है। इस मिल के मुख्य उत्पाद हैं, कनवास का कपड़ा, जो कि रक्षा विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार किया जाता है, तथा धागा जो कि देश

के अपने ही रोजगार में लगे बुनकरों को सप्लाई किया जाता है। यह मिल 1-10-76 को सरकारी तौर पर बन्द किये जाने की घोषणा किये बिना बन्द कर दी गई थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने मिल के प्रबन्धकों को मिल बन्द करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। प्रबन्धक यही कहते रहे कि मिल बन्द नहीं किया गया है बल्कि कानूनी उपबन्धों से बचने के लिए उत्पादन को केवल निलम्बित किया गया है।

इस संगठन के पास सारे देश में दर्जनों उद्यम हैं जैसे कि जे० के० रेयन, कानपुर; राजस्थान में एक सीमेंट तथा प्लास्टिक का कारखाना। यह संगठन जान बूझ कर तथा सुनियोजित तरीके से अपने परम्परागत उद्योगों में लगी पूंजी को निकालने की नीति पर चल रहा है, अपनी मशीनों को हटा रहा है तथा अपने संसाधनों को अन्यत्र लगा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि यह संगठन देश के चोटी के उन दस एकाधिकार वाले समूहों में आता है जोकि इस समय इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स का नेतृत्व कर रहे हैं तथा देश में सरकारी क्षेत्र को उखाड़ फैंकने की वकालत कर रहे हैं और अपनी यूनिटों को गैर सरकारी क्षेत्र के पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं।

श्रमिकों की माँग है कि कैलाश मिल तथा इस संगठन की अन्य लाभार्जक यूनिटों का औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के अधीन तत्काल अधिग्रहण किया जाये तथा श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार न करने और देश के कानून की अवहेलना करने के कारण प्रबन्धकों के खिलाफ निवारक दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

(आठ) : हल्दिया से होकर जाने वाले राजकीय राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करके उसके रख-रखाव की आवश्यकता

श्री सत्यगोपाल मिश्रा (तामलुक) : श्रीमन्, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :—

हल्दिया उद्योग समूह के तीव्र विकास के साथ ही विद्यमान मछेदा-हल्दिया राज्य राजमार्ग पर यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है तथा इससे उक्त सड़क पर भारी टूट-फूट हो रही है।

हल्दिया उद्योग समूह का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हो रहा है। सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में औद्योगिक संस्थान स्थापित हो रहे हैं। इन सभी औद्योगिक संस्थापनाओं के कारण स्वभावतः हल्दिया उद्योग समूह की ओर अधिकाधिक यातायात बढ़ रहा है तथा इस समय राज्य राजमार्ग पर प्रतिदिन लगभग 1500 वाहन चल रहे हैं। इस पुराने राजमार्ग के लिए यह यातायात बहुत अधिक है फलतः इसे भारी क्षति पहुँचाते हैं तथा महिषादल, राधाबल्लभपुर और नारायणपुर के पुलों को भारी नुकसान पहुँचा है। सड़क के एक बहुत बड़े भाग सहित इन तीनों पुलों की तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है।

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 तथा हल्दिया के बीच एक नई सड़क अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 41 के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। और इसका निर्माण पहले ही आरम्भ किया जा चुका है। लेकिन वाहन-यातायात का सारा जोर अभी भी विद्यमान् राज्य राजमार्ग पर ही है। इन बातों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार सड़क को चालू स्थिति में रखने का भरसक प्रयास कर रही है लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण भारी कठिनाई की स्थिति में कार्य कर रही है। वह पहले ही भारत सरकार

से लिखकर वित्तीय सहायता की मांग कर चुकी है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से नम्र निवेदन है कि वह राज्य राजमार्ग के क्षतिग्रस्त भागों तथा पुलों की मरम्मत करके उसे हल्दिया की ओर जाने-आने वाले भारी वाहन यातायात के लिए चालू रखने के प्रयास में राज्य सरकार का सभी सम्भव वित्तीय सहायता प्रदान कर सहयोग दे तथा जनकल्याण के लिए उद्योग समूह का विकास करने में मदद करे।

(नौ) : 1981 की जनगणना के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व-अपराधी कबीलों और बंजारे कबीलों के उनकी बोलियों के आधार पर गणना किये जाने की आवश्यकता।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : श्रीमन् नियम 317 के अधीन मैं निम्नलिखित मामलों को उठाना चाहता हूं :—

सम्पूर्ण भारत के कमजोर वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गृह मन्त्री द्वारा नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है जिस में सारे भारत का इन जातियों तथा जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का वर्गीकरण किया जायेगा। यह रिपोर्ट इसी महीने प्रस्तुत की जायेगी।

1981 की जनगणना का कार्य अब आरम्भ किया जा रहा है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जनगणना में भूतपूर्व जरायमपेशा जनजातियों तथा घुमन्तू जनजातियों की उनकी बोलियों के आधार पर गणना की जाए। इससे भविष्य में इन जातियों के लोगों के लिए समुचित राशिनियत करने में सरकार को सुविधा होगी।

महाराष्ट्र सरकार पहले ही अपने जन-गणना पंजीयक से महाराष्ट्र की भूतपूर्व जरायम पेशा जनजातियों तथा घुमन्तू जनजातियों का उनकी बोलियों के आधार पर गणना करने का अनुरोध कर चुकी है। इसे अस्वीकार कर दिया गया है। चूंकि प्रत्येक दस वर्षों के बाद जन-गणना होती है, अतः सरकार के लिए इन जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए समुचित धनराशि नियत करना कठिन होगा। अतएव सरकार के गृह विभाग को तत्काल जनगणना रजिस्ट्रार से कहना चाहिए कि वह उनकी बोलियों के आधार पर उनकी जनगणना करें।

(दस) : सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की समस्यायें

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :

सड़कों, पुलों, पुलियाओं आदि के निर्माण के प्रयोजनार्थ लगभग 20 वर्ष पूर्व सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी और इसके लिए धन की व्यवस्था नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा की गई थी। बाद में इस संगठन ने न केवल भारत के अन्य भागों जैसे कुद्रेमुख धनबाद में अपितु ईरान, ईराक आदि जैसे अन्य देशों में भी दूसरे निर्माण कार्यों को अपने हाथ में लिया है। इस संगठन के कर्मचारी हर प्रयोजन के लिए असैनिक कर्मचारी हैं किन्तु उनके साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है। औद्योगिक कर्मचारी होने के नाते ये कर्मचारी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या (1919) के अन्तर्गत आते हैं। उन्होंने अपनी एसोसियेशन बनाई है ताकि वे मिलकर अपनी मांग रख सकें। यह हमारे संविधान के अधीन एक मूल अधिकार है और गोहाटी उच्च न्यायालय ने 19 मई, 1980 को दिये गये एक निर्णय से इसे वैध माना है। सरकार से मेरा आग्रह है कि वह सीमा सड़क संगठन के सभी कर्मचारियों को असैनिक कर्मचारी घोषित करे।

(ग्यारह) : बम्बई में गन्दी बस्तियां

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (उत्तर-पूर्व बम्बई) : बम्बई में गन्दी बस्तियां जिन्हें वहां झोपड़-पट्टी कहा जाता है, बड़ी बुरी हालत में हैं। किन्तु जिन गन्दी बस्तियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, वे केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों जैसे रेलवे, रक्षा विभाग, एयर इण्डिया आदि की भूमि पर बसी हुई हैं। राज्य सरकार की भूमि पर स्थित गन्दी बस्तियों में पानी के नलों, शौचालयों जैसी न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। यह अत्यन्त खेद की बात है कि बम्बई जैसे आधुनिक नगर में केन्द्रीय सरकार की भूमि पर स्थित झोपड़पट्टियों में बिजली पानी और शौचालयों की भी व्यवस्था नहीं है। रेलवे और एयर इण्डिया की भूमि पर तो हालत सबसे ज्यादा खराब है, राज्य सरकार ने एक गन्दी बस्ती बोर्ड की स्थापना करके अभाव की इस स्थिति को सुधारा है। मेरी यह मांग है कि बम्बई और अन्य नगरों की गरीब जनता को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय गन्दी बस्ती सुधार बोर्ड की स्थापना की जाये।

(बारह) : राजस्थान नहर परियोजना के लिए सीमेंट और कोयले की सप्लाई

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान नहर देश की एक महत्त्वपूर्ण योजना है, यह देश की सबसे बड़ी नहर होगी जो प्रतिवर्ष 31 लाख टन अनाज उत्पन्न कर देश की हरित क्रान्ति में एक नया-कीर्तिमान स्थापित करेगी। परन्तु केन्द्रीय सरकार की अहसनीय धीमी गति ने इस योजना का काम ठप्प कर दिया है। न तो इसे सीमेंट उपलब्ध किया है और न कोयला पिछले 1979-80 में कोयला न मिलने के कारण 9 करोड़ की धनराशि लेप्स हो गई। पिछले वर्ष 1 लाख 90 हजार टन कोयला मिलना था, केवल 19 हजार टन कोयला ही बड़ी मेहरबानी से मिला, इस वर्ष पिछले 9 महीनों में 72 रैक कोयला मिलना था, केवल 8 रैक कोयला आज तक उपलब्ध किया गया और राजस्थान को इसके लिए केवल मांग की 50 प्रतिशत सीमेंट मिली है। किस तरह यह योजना पूरी होगी, इसके लिए कौन दोषी ठहराया जाएगा, इसका उत्तर भविष्य ही देगा। मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि वह शुद्ध स्तर पर राजस्थान केनाल को आवश्यक कोयला व सीमेंट देकर इस के बढ़ते हुए प्रगति के चरण नहीं रुकने दें।

(तेरह) : बुनकरों की आर्थिक दशा

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन यह वक्तव्य देना चाहता हूं कि आज देश में बुनकरों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। बुनकर शोषण के शिकार हैं। उन्हें पर्याप्त ऋण भी नहीं दिया जाता जिससे कि वे अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। सूत और कैमिकल्ज़ की कीमतों के बढ़ने से बुनकरों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है जिससे हथकरघा उद्योग के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सूत के मूल्य के बढ़ने का कारण नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन के बहुत से कारखानों द्वारा सूत का न बनाया जाना भी है। अतः सरकार को शीघ्र यह निर्देश देना चाहिये कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने सूत का उत्पादन करें जिससे सूत का मूल्य कम हो सके, साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बुनकरों को सूत और कैमिकल्स उपलब्ध कराये जायें और उन्हें पर्याप्त ऋण दिया जाए ताकि वे अपना कारोबार प्रभावी ढंग से चला सकें। इस सम्बन्ध में बैंकों को उचित निर्देश तत्काल दिये जाने चाहिये।

(चौदह) : तारघरों में स्टाफ की कमी

श्री एन० सेल्वाराजू (तिरुचिरापल्ली) : मैं सारे भारत में और विशेष रूप से तिरुचिरापल्ली के तारघरों में कर्मचारियों की कमी की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। टेलेग्राफिस्ट के संवर्ग में कर्मचारियों की इतनी कमी है कि बहुत से सर्किटों/कार्य स्टेशनों में बहुत समय से कोई कर्मचारी नहीं है जिसके कारण महत्त्वपूर्ण तारों के प्रेषण में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है जिससे इस सेवा की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

उदाहरण के तौर पर तिरुचिरापल्ली कार्यालय में इस समय टेलेग्राफिस्टों की स्वीकृति संख्या 59 है। यदि सरकार द्वारा 1974 में नियुक्त कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशों को लागू किया जाये तो यह संख्या बढ़कर 69 करनी होगी। 10 टेलेग्राफिस्टों की कमी जो $10 \times 6{\cdot}7 = 67$ कार्य घंटों के बराबर है, को अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करके पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों के न होने के कारण छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की कमी तथा कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या की गणना के लिए बनाये गये मानकों का अव्यवहार्य होना है।

मेरी मांग है कि अपेक्षाकृत अधिक युक्तिसंगत और व्यवहार्य आधार पर कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निर्धारित की जाये। स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या कार्यालय के काम के घंटों और उसके द्वारा भेजे जाने वाले तारों की वास्तविक संख्या के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये। इससे न केवल आवश्यकता से अधिक काम करने के कारण कर्मचारियों में हुई मानसिक और शारीरिक थकान से उन्हें मुक्ति मिलेगी। अपितु एक्सप्रेस और सामान्य दोनों तरफ के तार समय पर भेजने के मामले में तार सेवा की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।

(पन्द्रह) : श्रीलंका से आये आप्रवासी

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्टू) : मैं इस माननीय सभा का ध्यान हमारे देश में श्री लंका से आये हुए व्यक्तियों, विशेषकर जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बस गये हैं, कि दयनीय स्थिति की ओर तथा उनके साथ जो वर्ताव किया जा रहा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं।

श्रीलंका सरकार और भारत सरकार के बीच वर्ष 1970 में हुए समझौते के अनुसार श्रीलंका से प्रतिवर्ष भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में अधिवास और पुनर्वास के लिये भेजा जा रहा है। 1970 में 170 परिवारों को उत्तर-प्रदेश राज्य के अस्थिनापुर में बसाया गया। उनमें से कुछ को अस्थिनापुर में मदन इन्डस्ट्रीज लि० में नौकरी पर लगाया गया। लगभग 3,000 परिवारों को आन्ध्र प्रदेश राज्य के गुंटक्कल, नेल्लोर, राजामंदरी, सीरला, विशाखापत्तनम और करीमनगर में, और लगभग 15,000 परिवारों को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के विभिन्न स्थानों पर बसाया गया।

परिवार में केवल एक व्यक्ति को रोजगार दिया गया है चाहे परिवार 10-15 व्यक्तियों का ही क्यों न हो, उनको प्रतिदिन 3 रुपये 5 पैसे मजदूरी दी जाती है, यह मजदूरी केवल उसी दिन दी जाती है जिस दिन काम होता है। उनको आवास, पानी और चिकित्सा की जो सुविधाएँ दी गयी हैं वे बहुत असंतोषजनक हैं। उन्हें नगरों और बड़े शहरों के दूर-दराज स्थानों में छोटी-छोटी झुग्गियों में रहना पड़ रहा है। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद संबंधित

अधिकारियों ने उनकी दशा सुधारने के लिये कोई प्रयास नहीं किये हैं। इसलिए बहुत से परिवारों को भुखमरी और पानी तथा चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति भोजन और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में मर रहा है। मुझे यह बताया गया कि अब तक भोजन और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लगभग 5,000 व्यक्ति मर चुके हैं।

जब इन लोगों ने श्री बी० आर० के० शास्त्री, आई० ए० एस०, पुनर्वास उपायुक्त व राजस्व (पुनर्वास) विभाग, हैदराबाद में सरकार के पदेन प्रधान सचिव को अपनी दयनीय स्थिति बताई तो उनकी माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बजाय उन्होंने दिनांक 25-10-80 को एक परिपत्र सं० ई०ओ०पी०एस०/20/80 जारी किया जिसमें आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न कलेक्टरों को निदेश दिये गये थे कि वे श्रीलंका से आए हुए व्यक्तियों को वित्तीय अथवा किसी भी तरह की अन्य सहायता न दें।

ऐसा मालूम होता है कि वह इतना क्रूर और निर्दय था कि उसने यह हिदायत दी कि चाहे किसी पर कोई विपत्ति टूट पड़े या किसी की मौत भी हो जाये तो भी उन्हें कोई वित्तीय सहायता न दी जाये। मैं यहाँ पर उनके परिपत्र में कही गई कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा :

> "यदि किसी के परिवार में किसी की मौत हो जाये तो शव को जलाने या दफनाने की व्यवस्था की जाये और उन्हें छुट-पुट खर्चे के लिए 10 रुपये से अधिक न दिया जाये। यदि चिकित्सा सहायता की जरूरत हो तो परिवहन व्यवस्था के लिए टिकट स्वयं खरीद कर उन्हे दिये जायें। किसी भी हालत में किसी व्यक्ति को 10 रुपये से अधिक नकद राशि न दी जाये चाहे उसका कोई भी काम हो।"

इस परिपत्र की प्रतियाँ सभी मिल मालिकों फैक्टरी मालिकों फार्म के मालिकों आदि को जहां ये लोग रोजगार में लगे थे, भेजी गयी, इसका परिणाम यह हुआ कि मालिकों ने इन लोगों को परेशान किया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया।

मैं जानता हूं कि भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए 15,000 रुपये तथा आवास और चिकित्सा सुविधा के लिए 6,000 रुपये मंजूर किये हैं। मुझे बताया गया है कि श्रीलंका से आने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास अनुदान के रूप में अब तक 1,90,00,000 रुपये मंजूर किये जा चुके हैं। ऐसा लगता है कि सरकार से अनुदान लेने की कोशिश में बहुत से फैक्टरी आदि के मालिकों ने इन लोगों को रोजगार देने के लिए आगे आते हैं लेकिन अनुदान लेने के बाद वे, उन्हें भारत सरकार के निदेशों के अनुसार उचित मजदूरी, चिकित्सा और पीने के पानी की सुविधाएँ नहीं दे पाते। 3 रु० 5 पैसे प्रतिदिन की मजदूरी बहुत कम है और यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है। एक व्यक्ति को मकान बनाने के लिए जो 200 रुपये दिये जाते हैं वह भी बहुत कम है। 200 रुपये में तो एक छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं बन सकती।

इसके अलावा यह नीति भी ठीक नहीं है कि एक परिवार में केवल एक व्यक्ति को ही रोजगार दिया जायेगा चाहे उस परिवार में 10-15 व्यक्ति क्यों न हों। इस नीति में फौरन संशोधन कर दिया जाना चाहिए। उनको दी जाने वाली मजदूरी भी बढ़ायी जानी चाहिए और सभी काम कर सकने वाले लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए, जैसा कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की सरकार ने किया है।

मालूम हुआ है कि यदि ये लोग और मांगें रखते हैं तो उन्हें गुन्डों से पिटवाया जाता है जिससे वे वहां से भाग जायें। बहुत से दुखी परिवार रोजगार और शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह के लिए तमिलनाडु चले गये। मुझे मालूम हुआ है कि इन दिनों उनमें से कुछ मद्रास में कलक्टर के कार्यालय के सामने रोजगार की मांग के लिए भूख-हड़ताल कर रहे हैं किन्तु तमिलनाडु सरकार ने उन्हें कोई भी रोजगार देने से इन्कार कर दिया है और उनसे कहा है कि वे भारत सरकार से ही रोजगार की मांग करें। बहुत से परिवार सड़कों पर पड़े भूखे मर रहे हैं।

अतः इस महत्त्वपूर्ण मामले को माननीय, पूर्ति और पुनर्वास मंत्री के ध्यान में लाना, बहुत आवश्यक है ताकि इन अभागे लोगों का जीवन बचाने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाये।

(सोलह) : मथुरा रेलवे स्टेशन स्टेशन से दिल्ली तक सीजन टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाईयां

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : मैं नियम 377 के अधीन यह वक्तव्य देना चाहता हूं।

मथुरा से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्री, जिनके पास सीजन टिकट होते हैं, मथुरा से आनी वाली दो गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी से ही यात्रा कर सकते हैं। पश्चिम/डिलक्स एक्सप्रेस गाड़ी तथा कुतुब एक्सप्रेस सवेरे 7.39 तथा 8.01 बजे मथुरा से चलती है किन्तु कुतुब एक्सप्रेस लगभग रोजाना बहुत देर से चलती है। सीजन टिकट वाले यात्रियों को केवल कुतुब एक्सप्रेस से यात्रा करने की अनुमति है जिससे कि दैनिक यात्री यहां रोज देर से आते हैं। वे मथुरा स्टेशन पर खड़े डिलक्स/पश्चिम एक्सप्रेस को समय पर जाते हुए चुपचाप देखते रहते हैं। पश्चिम/डिलक्स एक्सप्रेस लगभग रोज ही समय पर चलती है।

अतः सीजन टिकट वाले यात्रियों की कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से उन्हें पश्चिम/डिलक्स तथा जी० टी० एक्सप्रेस से भी दोनों ओर की यात्रा करने की अनुमति दी जाये।

(सत्तरह) : पोर्ट ब्लेयर में एम० ई० एल० के सिविलियन कर्मचारियों की समस्यायें।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : नियम 377 के अधीन मैं यह वक्तव्य देना चाहता हूं।

एम० ई० एस० सिविलियन कर्मचारी यूनियन पोर्टब्लेयर कई बार अपनी अनेक समस्याओं के बारे में संबंधित प्राधिकारियों के जरिये भारत सरकार को अभ्यावेदन भेज चुकी है किन्तु रक्षा मंत्रालय में किसी ने भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और यह मामला काफी लम्बे समय तक लटका रहा। खेद है कि मेरे पत्रों पर भी कोई कार्यवाही एम० ई० एस० सिविलियन कर्मचारी यूनियन, पोर्ट ब्लेयर की ओर से दो कर्मचारी 12 दिसम्बर, 1980 से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर हैं। मुझे पोर्ट ब्लेयर से एक पत्र मिला है कि दोनों व्यक्तियों की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें किसी समय कुछ भी हो सकता है। भारत सरकार और विशेषरूप से रक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर के एम० ई० एस० कर्मचारियों की मांगें तत्काल स्वीकार करें और भूख हड़ताल कर रहे उन दो व्यक्तियों की जान बचायें।

(अठारह) : सेलम इस्पात संयंत्र के लिये भूमि का अर्जन

श्री सी० पलानी रूप्पन (सलेम) (जारी) : 1964 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के

अधीन संकागिरि के 50 गांवों तथा तमिलनाडु में सलेम जिले के ओमलूर तालुक में 24,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिये एक अधिसूचना जारी की गई तथा 1967 में यह घोषणा की गई कि यह इस भूमि का सलेम इस्पात संयन्त्र के लिये उपयोग किया जायेगा। अक्तूबर, 1970 में सलेम जिले के कारिसी पट्टी गांव में 50 एकड़ और भूमि का अधिग्रहण किया गया। 1972 से 1976 के दौरान लगभग 25 गांवों में लगभग 4,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। 1972 में 7,000 एकड़ भूमि को उक्त अधिसूचना के क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। या तो 13,000 एकड़ भूमि को अधिसूचना के क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाना चाहिये था या भूमि का अधिग्रहण करके किसानों को उसका मुआवजा दे दिया जाना चाहिये था। इन दोनों बातों में से एक बात भी पूरी नहीं की गई है। गत 16 वर्षों में इस सम्बन्ध में निष्क्रियता के कारण इस भूमि पर कोई विकास कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका, तथा हजारों परिवार निराश्रम हो गये। पहले ही 3,000 किसान परिवारों जिनकी भूमि अधिग्रहित है उन्हें इस्पात संयन्त्र के लिये उनकी भूमि लिए जाने का मुआवजा नहीं मिला है। इन अभागे किसानों पर जो अन्याय हो रहा है उसे जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि वे किसान जो 16 वर्षों से अपनी भूमि के बारे में असमंजस स्थिति में हैं उनके साथ न्याय किया जाना चाहिये। मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूँ कि वह सलेम इस्पात संयन्त्र के बारे में निश्चित निर्णय करे और अनिश्चय की स्थिति को समाप्त करें।

सभापति महोदय : केवल अनुमोदित वक्तव्य रिकार्ड में रखा जायेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि माननीय सदस्य उससे भिन्न वक्तव्य दे देते हैं।

चिट फंड विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि चिट फण्डों के विनियमन तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 21 सदस्य हों, अर्थात:—

(1) श्री ईरा अनबरासु
(2) डा० ए० यू आजमी
(3) श्री मगन भाई बारोट
(4) श्री सुब्बाराव चौधरी चितूरी
(5) श्री आर० वाई० घोरपाडे
(6) श्री कृष्ण कुमार गोयल
(7) श्री पी० के० कोडियन
(8) प्रो० पी० जे० कुरियन
(9) श्री सुनील मैत्र
(10) श्री रामजीभाई मावणि
(11) श्री नित्यानन्द मिश्र
(12) श्री कुमबुम एन० नटराजन
(13) श्री भोला राउत

(14) श्री टी० आर० शमन्ना
(15) श्री शान्ताराम पोटदुखे
(16) श्री प्रताप भानु शर्मा
(17) श्री शिव शंकर
(18) श्री रणवीर सिंह
(19) श्री भाऊसाहेब थोरट
(20) श्री गिरधारी लाल व्यास; और
(21) श्री आर० वेंकटरामन

और उसे छठे सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

श्री आर० एल० पी वर्मा (कोडरमा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि विधेयक के बारे में 20 फरवरी, 1981 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय : श्री मूलचन्द डागा वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

अब मैं श्री आर० एल० पी० वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि चिट फण्डों के विनियमन तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 21 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री ईरा अनबरासु
(2) डा० ए० यू० आजमी
(3) श्री मगन भाई बारोट
(4) श्री सुब्बाराव चौधरी चितूरी
(5) श्री आर० वाई० घोरपाडे
(6) श्री कृष्ण कुमार गोयल
(7) श्री पी० के कोडियन
(8) प्रो० पी० जे० कुरियन
(9) श्री सुनील मैत्र
(10) श्री रामजी भाई मावणि
(11) श्री नित्यानन्द मिश्र
(12) श्री कुमवुम एन० नटराजन
(13) श्री भोला राउत
(14) श्री टी० आर० शमन्ना
(15) श्री शान्ताराम पोटदुखे
(16) श्री प्रताप भानु शर्मा

(17) श्री शिव शंकर
(18) श्री रणवीर सिंह
(19) श्री भाऊसाहेब थोरट
(20) श्री गिरधारी लाल व्यास, और
(21) श्री आर० वेंकटरामन

और उसे छठे सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्व भारती संशोधन विधेयक

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करती हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 20 नवम्बर, 1980 की अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये तथा 24 नवम्बर, 1980 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा विश्व-भारती अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 22 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात :—

(1) श्री ए० ई० टी० बैरो
(2) श्री नारायण चौबे
(3) श्री क्रिस्टोफर इक्का
(4) श्री छीतूभाई गामित
(5) श्रीमति शीला कौल
(6) श्री आर० पी० महाला
(7) श्री राम कुमार मीना
(8) श्री टी० नागरतनम
(9) श्री ए० ए० रहीम
(10) श्री उत्तम राठौर
(11) श्री जी० एस० रेड्डी
(12) डा० सरदीश राय
(13) श्रीमती कृष्णा साही
(14) श्री चन्द्रपाल शैलानी
(15) श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
(16) श्री शिवकुमार सिंह
(27) श्री धर्म वीर सिन्हा
(18) प्रो० सत्य देव सिन्हा

(19) श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
(20) श्री जगदीश टाइटलर
(21) श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(22) श्री एस० बी० चव्हाण"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 20 नवम्बर, 1980 की अपनी बैठक में स्वीकृत किये गये तथा 24 नवम्बर, 1980 को इस सभा को भेजे गये प्रस्ताव में राज्य सभा द्वारा की गई इस सिफारिश से सहमत है कि वह सभा विश्व-भारती अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये लोक सभा के निम्नलिखित 22 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात :—

(1) श्री ए० ई० टी० बैरो
(2) श्री नारायण चौबे
(3) श्री क्रिस्टोफर इक्का
(4) श्री छीतूभाई गामित
(5) श्रीमती शीला कौल
(6) श्री आर० पी० महाला
(7) श्री राम कुमार मीना
(8) श्री टी० नागरतनम
(9) श्री ए० ए० रहीम
(10) श्री उत्तम राठौर
(11) श्री जी० एस० रेड्डी
(12) डा० सरदीश राय
(13) श्रीमती कृष्णा साही
(14) श्री चन्द्रपाल शैलानी
(15) श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
(16) श्री शिवकुमार सिंह
(17) श्री धर्म वीर सिन्हा
(18) प्रो० सत्य देव सिन्हा
(19) श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा
(20) श्री जगदीश टाइटलर
(21) श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(22) श्री एस० बी० चव्हाण"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक

गृहमंत्री (श्री जैल सिंह) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 33 सदस्य हों, इस सभा से 22, अर्थात् :—

(1) श्री के० अर्जुनन
(2) श्री रास विहारी वेहरा
(3) श्रीमती गुरुबिन्दर कौर बरार
(4) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
(5) श्रीमती सुशीला गोपालन
(6) श्रीमती गीता मुखर्जी
(7) श्रीमती मोहसिना किदवई
(8) श्रीमती माधुरी सिंह
(9) श्री आर० के० महालगी
(10) श्री डी० के० नायकर
(11) श्री के० एस० नारायण
(12) श्री राम प्यारे पनिका
(13) श्री बापूसाहेब पारूलेकर
(14) श्री अमृत पटेल
(15) श्री काजी सलीम
(16) प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
(17) श्री एस० सिंगारावाडीवेल
(10) श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
(19) श्री त्रिलोक चन्द
(20) श्री पी० वेंकटासुब्बैया
(21) श्री वी० एस० विजयराघवन
(22) श्री आर० एस० स्पैरो

और राज्य सभा से 11 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा की अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति

में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

सभापति महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते ने एक संशोधन की सूचना दी है । वह यहां नहीं उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें 33 सदस्य हों, उस सभा के 22, अर्थात् :—

(1) श्री के० अर्जुनन
(2) श्री रासबिहारी बेहरा
(3) श्रीमती गुरुबिन्दर कौर बरार
(4) श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी
(5) श्रीमती सुशीला गोपालन
(6) श्रीमती गीता मुखर्जी
(7) श्रीमती मोहसिना किदवई
(8) श्रीमती माधुरी सिंह
(9) श्री आर० के० महालगी
(10) श्री डी० के नायकर
(11) श्री के० एस० नारायण
(12) श्री राम प्यारे पनिका
(13) श्री बापू साहेब पारूलेकर
(14) श्री अमृत पटेल
(15) श्री काजी सलीम
(16) प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
(17) श्री एस० सिंगारावाडीवेल
(18) श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव
(19) श्री त्रिलोक चन्द
(20) श्री वेंकटासुब्बैया
(21) श्री वी० एस० विजय राघवन
(22) श्री आर० एस० स्पैरो

और राज्य सभा से 11 ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हों और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : क्या आप मुझे इस सम्बन्ध में एक बात का उल्लेख करने की अनुमति देंगे ?

पिछले शुक्रवार को श्रीमती प्रमिला दंडवते ने एक गैर सरकारी विधेयक वापस ले लिया था क्योंकि माननीय विधि मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा था कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौप दिया जाए तथा संकल्प में यह कहा गया है कि समिति की रिपोर्ट अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक संसद के सभा पटल पर रख दिया जायेगा। आज इस सभा का अन्तिम दिन है और अभी तक समिति की नियुक्ति नहीं की गई है। मैं माननीय संसद कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले की क्या स्थिति है क्योंकि प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है किन्तु समिति अभी तक नियुक्त नहीं की गई है।

इसी बात को मानकर विधेयक वापस ले लिया गया था। माननीय विधि मंत्री ने सभा में यही आश्वासन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि यह प्रवर समिति विशेष गठित क्यों नहीं की गई है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस समिति के लिए सदस्यों को मनोनीत करेंगे। यही प्रस्ताव है।

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) इस प्रश्न के संबंध में सरकार की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया गया है ?

सभापति महोदय : वह जो कुछ उत्तर दे सकते थे, उन्होंने दे दिया।

अब, श्री भीष्म नारायण सिंह बोलेंगे।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) मुझे वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1980 पेश करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यद्यपि देश में वायु प्रदूषण की समस्या जल प्रदूषण की समस्या जैसी गम्भीर नहीं है, फिर भी उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, कानपुर जैसे शहरों में वायु प्रदूषण का प्रभाव महसूस किया जाने लगा है। इसलिए, वायु, प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाना आवश्यक हो गया क्योंकि उपचार से परहेज रखना अच्छा और सस्ता

होता है। यही बात व्यापक रूप से पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मामले पर लागू होती है।

इस कानून को बनाने से पूर्व मेरे मंत्रालय ने इस बात की जाँच की थी कि क्या विद्यमान कानूनों में इस समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधन किया जा सकता है। यद्यपि कारखाना अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता और 'न्यूसेंस एक्ट' में कुछ उपबंध किए गए हैं किन्तु उन्हें पर्याप्त नहीं पाया गया है। इसलिए वायु प्रदूषण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने एक केन्द्रीय अधिनियम बनाने की सिफारिश की थी और एक प्रारुप विधेयक भी तैयार किया था। इस प्रारुप की विधिवत रूप से जाँच की गई थी और अन्ततः पिछली लोकसभा में 17 अप्रैल, 1978 में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण की व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक पुरः स्थापित किया गया था। यह विधेयक डा० कर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। समिति ने इस विधेयक पर विस्तार से विचार किया और 18 मई, 1979 को लोक सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दोनों सभाओं की संयुक्त समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें इस विधेयक में सम्मिलित की गई हैं।

1972 में स्टाकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें भारत ने भी भाग लिया और इस सम्मेलन में वायु की किस्म को बनाए रखने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण रखने के साथ-साथ पृथ्वी के अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समुचित उपाय करने के बारे में निर्णय किया गया था। इस विधेयक में वायु की किस्म को बनाये रखने तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण रखने से संबंधित निर्णय को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है।

पर्यावरण प्रदूषण निवारण संबंधी मामलों में इस समय समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इस दृष्टिकोण को कार्य रूप देने के लिए इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन जल प्रदूषण निवारण बोर्ड स्थापित किया जाए जो इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त वायु प्रदूषण निवारण संबंधी कार्य भी करे। इससे न केवल समन्वय किया जायेगा अपितु मितव्ययिता भी होगी। यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के आधार पर अधिनियमित किया जायेगा।

महोदय, मैं विधेयक की मुख्य-मुख्य बातों के बारे में दो शब्द और कहूंगा। यह विधेयक संपूर्ण भारत पर लागू होगा। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए भी केन्द्रीय बोर्ड के रूप में कार्य करेगा। उन राज्यों जिन्होंने जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को स्वीकार किया है, द्वारा स्थापित जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण राज्य बोर्ड, राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्य भी करेंगे। जिन राज्यों ने अभी तक 1974 के अधिनियम को स्वीकार नहीं किया है उनमें नये वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए जायें। उन राज्यों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे 1974 के

अधिनियम को स्वीकार करें और राज्य बोर्ड गठित करें ताकि सारे देश में इस संबंध में एकरूपता हो।

राज्य सरकारें सबसे पहले वायु प्रदूषण निवारण क्षेत्रों की घोषणा करेंगी। ऐसे क्षेत्रों में विधेयक की अनूसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों को अपने कारखानों से धुंआ-गैस आदि छोड़ने के लिए संबंधित राज्य बोर्डों, की सहमति प्राप्त करनी होगी। राज्य बोर्ड धुंआ-गैस आदि छोड़ने के लिए विशिष्टियां और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगाये जाने के लिए नियंत्रण उपकरणों के ब्यौरे निर्धारित करेंगे। समिति की शर्तों का पालन न करने पर औद्योगिक इकाइयों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तथापि विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा। राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करेंगी कि मोटर वाहनों से निकलने वाला धुंआ संबंधित राज्य बोर्डों द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो। किन्तु यह विधेयक जहाजों और विमानों पर लागू नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ में यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए पूर्वोक्त प्रयोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिए ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने से लिए और उनसे सम्बन्धित विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : श्री डागा अपने एक संशोधन की सूचना दी है। क्या आप उसे पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा: जी नहीं महोदय।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

"कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिए ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियां और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नारायण चौबे बोलेंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, जब इस देश का समस्त राजनीतिक वातावरण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रदूषकों से, जिस को सत्ताधारा दल के पूंजीवादी तबके का समर्थन प्राप्त है, प्रदूषित हो रहा है तब यह विधेयक माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं किन्तु मेरा यह निवेदन है कि क्या सरकार इस विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबंधों को कार्य रूप दे सकेगी, इसमें मुझे संदेह है। मैं इसी कारण से यह कह रहा हूं। 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें भारत ने भी भाग लिया। हमने एक विधेयक प्रस्तुत किया था और उसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के नाम से अधिनियमित किया था। इस विधेयक को 1980 में प्रस्तुत करने में दो वर्ष का समय लगा। यद्यपि यह एक अच्छा विधेयक है फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। आप इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण तथा निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड को ही शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दे रहे हैं। ऐसा किया

जाना चाहिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समस्त पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड ने क्या काम किया है? जैसा कि एक कहावत है कि पुडिंग का स्वाद तो खाने बाद ही पता चलता है। मेरे मन में एक शंका है कि यह विधेयक प्रस्तुत तो किया गया है, पर मद्रास से प्रकाशित 20 नवम्बर, 1980 "हिन्दू" पर नजर डालिए इसमें क्या कहा गया है। सारे कलकत्ता शहर में हुगली का पानी प्रदूषित है। आप यह भी जानते हैं कि दिल्ली में जमुना का पानी भी प्रदूषित है। यही कुछ इस पत्र में छपा है।

"आप महानगरों को देख रहे हैं। आज भी ऐसी परिस्थितियां हो गयी हैं। उदाहरणार्थ कूम, बंकिघम नहर और मद्रास शहर में अधार नदी का पानी सभी दृष्टि से इतना प्रदूषित है कि वह नहाने, मछली पकड़ने और मनोरंजन जैसे परम्परागत उपायोग के लिए अनुपयुक्त है।"

इससे पता चलता है कि बोर्ड कैसा कार्य रहा है। अब में वायु प्रदूषण पर आता हूं। वास्तव में इस विधेयक को बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और इस संबंध में बहुत पहले कार्यवाही की जानी चाहिए थी। महोदय, यदि आप 23 फरवरी, 1980 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" के पन्ने पलटें तो आपको पता चलेगा कि कलकत्ता के आसपास लाखों छोटी भट्टियों, जिनमें कोयला जलता है, के होने और उनसे निकलने वाले धुंए से वायु मण्डल के प्रदूषित होने के कारण स्थिति बहुत खराब हो गयी है। उसमें यह उल्लेख किया गया है 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण मोटर वाहनों के कारण होता है यही सब हो रहा है।

महोदय, यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं फिर भी मुझे इस बात पर सन्देह है कि सरकार इसके बारे में पूरी तरह न्याय कर पायेगी ऐसा किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा करने को इच्छा हो। विधेयक को प्रस्तुत करने की इच्छा और उसके उपबंधों को क्रियान्वित करने की इच्छा दो अलग-अलग बातें हैं। महोदय, मेरी धारणा तो यह है कि सरकार ने इस विधेयक को अन्तरराष्ट्रीय विश्व में केवल यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया है कि भारत भी इन सब अच्छी बातों में शरीक है। मुझे सन्देह है कि इस विधेयक को क्रियान्वित होगा भी या नहीं। अब यदि आप वास्तव में जल वायु और वातावरण को प्रदूषण से बचाना चाहते हैं तो आपको बड़े व्यवसायियों पर नियंत्रण करना होगा। किन्तु आप में उनके विरुद्ध कुछ भी कारवाई करने का साहस नहीं है। मुझे आशा है कि विधेयक के उपबंधों, जो वास्तव में बहुत अच्छे हैं, को क्रियान्वित करने में काफी साहस दिखायेंगे। यदि आप इस विधेयक के किसी भाग को क्रियान्वित करने में असफल रहे तो आपको सभा में आलोचना सहनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : सभापति महोदय, हमारे योग्य मन्त्री ने जो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण विधेयक 1980 प्रस्तुत किया है उसके समर्थन के लिए मैं उपस्थित हूं। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के जो बड़े नगर हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास वगैरह, इन शहरों में लोगों का जीवन कितना दूभर हो गया है। पहले जो एक स्वच्छ हवा में और स्वस्थ वातावरण में वे लोग रहते थे आज वह नहीं रह गया है। दिन पर दिन हमारे देश में वायु का प्रदूषण हो रहा है, भले ही वह मोटरों के धुएँ से हो या शहरों के निकले हुए कचरे से हो या नालों के गन्दे पानी से हो या वनों के कटने से हो, पूरा का पूरा वातावरण हमारे देश का एक प्रकार से दूषित हो रहा है। जन-जीवन में हम लोग आज देखते हैं, जो

बीमारियां पहले हुआ करती थीं उससे कहीं अधिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जितनी नयी-नयी औषधियों का निर्माण हमारे साइंटिस्ट्स करते हैं उतनी ही ज्यादा बीमारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। उसका सब से प्रमुख कारण यही है कि आज हमारे जन-मानस को स्वच्छ वायु नहीं मिलती है। इससे हमारे देश में जो एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर का विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है।

स्टाकहोम में जून, 1972 में पर्यावरण पर जो कांफ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे देश की नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने भाग लिया था, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी नेता और मन्त्री महोदय उस कांफ्रेंस के निर्णय के अनुसार इस बिल को पार्लियामेंट में लाये हैं।

हमारे देश में जो वायु-प्रदूषण हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें बहुत सी बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। परमाणु शक्ति के कारण भी पूरे विश्व में वायु-प्रदूषण। काफ़ी हद तक बढ़ गया है। परमाणु शक्ति हवा की परतों पर तैरता हुआ एक खतरा है। नाभिकीय विखंडनों से वायु दूषित होती जा रही हैं। इस ओर भी न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान जाना बहुत आवश्यक है।

अभी तक जितने भी परमाणविक विस्फोट किये गये हैं, वे सभी रेडियो-सक्रियता को बढ़ाते हैं। 1956 में विज्ञान की राष्ट्रीय अकादमी की कई कमेटियों ने बताया कि सन् 2000 तक ये प्रभावित पौधे इतनी कि क्रिप्टन 85 गैस निकाल देंगे कि यह मात्रा ही उत्तरी गोलार्द्ध के मध्य अक्षांश को पूर्ण रूप से रेडियो-सक्रिय कर देगी। आयोडीन-131 जैसी भारी गैसों ने इस रेडियो-सक्रियता को और अधिक बढ़ा दिया है। अनुमान है कि सन् 2000 तक यदि विखंडनों की दर इसी तरह बढ़ती रही, तो स्ट्रांशियम-90 का प्रभाव सारी धरती पर फैल जायेगा। रेडियो आइसोटोप्स के कारण पूरे विश्व का जन-जीवन खतरे में पड़ जायेगा। विश्व के लोग किडनी, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, श्वास-रोग और मस्तिष्क रोग जैसी नई-नई बीमारियों के शिकार हो जायेंगे। इस तरफ़ ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

आज हमारे देश में लगभग तीस हजार रासायनिक तत्व पर्यावरण में विष घोल रहे हैं। हर साल सैकड़ों नये रासायनिक तत्व बाजार में आ रहे हैं। उनके कारण भी जन-स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। उनमें से 20 तत्व ऐसे हैं, जो मनुष्यों में और 137 तत्व ऐसे हैं, जो पशुओं में कैन्सर पैदा करने की पूरी-पूरी सम्भावना लिये हुए हैं। इस तरफ़ भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया है कि बम्बई में प्रतिदिन 7 टन हाइड्रोजन सल्फ़ाइड, 14 टन अमोनिया, 106 टन नाइट्रोजन आक्साइड, 120 टन सूक्ष्म धूल, 160 टन सल्फ़र डाई-आक्साइड और 265 टन कार्बन मोनो-आक्साइड वातावरण में मिल जाती है और वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही है। इसलिए यदि हम इस बारे में उचित समय पर कदम नहीं उठायेंगे, तो आगे चलकर हमें बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे।

अरबों क्विंटल खाद्य वस्तुओं का कचरा फेंक दिया जाता है; उससे भी हमारे जन-स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। वह सारा कचरा नदियों में जाता है, जिससे वे दूषित होती हैं। उदाहरण के लिए अन्नास का रस निकालने के बाद उसका 80 प्रतिशत भाग कूड़े में फेंक दिया जाता है। गन्ने की पिराई के बाद 10 करोड़ टन बगास प्रतिवर्ष निकलता है,

जो हमारी नदियों में जाता है और जन-स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इस प्रकार बर्बाद होने वाली चीज़ों के उपयोग के तरीके खोजे जाने चाहिए।

वैज्ञानिकों ने बार-बार यह चेतावनी दी है कि पृथ्वी का वायु-मंडल गर्म होता जा रहा है, जिसके कारण हमारे-वायु मंडल में सी ओ[2] गैस काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वायु-मंडल की गर्मी में बढ़ोतरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो चुकी है और अगर यह बढ़ोतरी 3.5 डिग्री सेंटीग्रेट तक हो गई, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ़ पिघलने लगेगी, समुद्र इतने ऊँचे हो जायेंगे कि बन्दरगाह डूब जायेंगे, फ़सलें मरने लगेंगी और और विश्व भर में महामारियां फैल जायेंगी।

इसके अतिरिक्त हमारे वन कटते जा रहे हैं। 1951-52 से लेकर 1975-76 तक 41.35 लाख हैक्टेयर वन उजड़ गये हैं, जिसके कारण वायु-मंडल में कार्बन डाई-आक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। हिन्दुस्तान के प्रत्येक प्रदेश में वन उजड़ते जा रहे हैं। केरल की साइलेंट वैली के लिए भी खतरा उपस्थित हो गया है। परसों माननीय सदस्यों ने इसी सदन में फ़ारेस्ट (कनज़रवेशन) बिल सम्बन्धी डीबेट में भाग लेते हुए बताया था कि इस प्रकार हमारे देश की स्थिति भयानक होती जा रही है। आज विश्व की आबादी 390 करोड़ की है और विद्वानों के अनुसार सन् 2000 में यह 780 करोड़ हो जाएगी।

एक वयस्क व्यक्ति हर साल 50 लाख लीटर वायु को कार्बन डायऑक्साइड में बदल देता है। इस प्रकार से यह हमारी कल्पना के बाहर है कि कितनी भयानक स्थिति हो सकती है और इस चीज का हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर कितना भयानक असर पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास के कारण दस वर्ष पहले जितनी प्राण-वायु में 43 व्यक्ति साँस लेते थे, आज उसी प्राण-वायु में तीन व्यक्ति सांस ले पाते हैं और इस प्रकार हमारा सारा वातावरण बदल रहा है। वर्षा समय पर नहीं होती है, कहीं-कहीं पर हमारी पृथ्वी का वायुमण्डल गर्म होता जा रहा है। इसलिए हमारे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने जो हमको सलाह दी है, उसको रोकने के लिए, उस पर अमल करने के लिए यदि हमको कठोर-से-कठोर कानून पार्लियामेंट में लाना पड़े, तो वह लाना चाहिए और उसको कानून का रूप देना चाहिए।

वनों के कांटने से और नदियां गन्दी होने के कारण हमारे देश का सारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय का बड़ा आभारी हूं कि वे इस प्रकार का बिल संसद में लाए हैं। इसके साथ ही साथ मैं विरोध पक्ष के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सार्वजनिक हितों के मामले पर कोई विरोध नहीं करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं, सभापति महोदय, आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मैं वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 1980 के उद्देश्य का समर्थन करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी शोध संस्था, नागपुर ने इस बात की पुष्टि की है कि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जैसे नगर प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। इन नगरों में जल और वायु प्रदूषित हो गए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में अनेक उद्योग स्थित हैं। अनेक उद्योग अपने कारखानों से बाहर निकलने वाले गंदले पानी को शुद्ध करना आवश्यक नहीं समझते हैं, और वे इन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी आवश्यक उपाय नहीं करते हैं। महोदय, केन्द्र में केन्द्रीय

जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड गठित किया जा चुका है तथा अन्य राज्यों में अभी "राज्य जल प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड" गठित किये जाने हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन अन्य राज्यों में बोर्ड अभी तक क्यों गठित नहीं किए गए। मैं उन 7 राज्यों के नाम भी जानना चाहता हूं। जहां अभी बोर्ड गठित किए जाने हैं। महोदय, मुझे आशा है कि जल-वायु प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण बोर्ड को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी ताकि वे जल और वायु प्रदूषण से बचाव के लिए कठोर उपाय कर सकें। महोदय जिन राज्यों ने ये बोर्ड गठित किए हैं वहाँ उन्हें किसी न किसी तरह की प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा किन्तु मेरे राज्य अर्थात् पश्चिम बंगाल के कलकत्ता और हावड़ा क्षेत्रों में जल और वायु दोनों में ही प्रदूषण है, तथा गंगा और भागीरथी दोनों का ही पानी प्रदूषण युक्त है। वहां कारखानों का विशाल क्षेत्र दुर्गापुर तक बढ़ गया है, दुर्गापुर के आस-पास एक नव विकसित क्षेत्र में भी कारखाने स्थापित हो गए हैं और ये क्षेत्र भी प्रदूषित हो गए हैं। आसनसोल-रानीगंज औद्योगिक क्षेत्र भी दामोदर नदी का पानी प्रदूषित कर रहे हैं; इन कारखानों से दुर्गापुर में वायु प्रदूषित हो रही हैं। दुर्गापुर में "फिलिप्स कार्बन्स" नामक एक उद्योग है। इस कारखाने द्वारा उत्पादित कार्बन से दुर्गापुर में वायु प्रदूषित हो रही है। इससे वहां के पुरुषों के ही नहीं वरन् महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है। इसी तरह की स्थिति बंबई, कलकत्ता, दिल्ली आदि सभी जगहों में है।

इसी प्रकार के बोर्ड सभी राज्यों में गठित किये जाने बहुत जरूरी हैं। न केवल पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में यह बोर्ड गठित किया जाना ही आवश्यक है अपितु दुर्गापुर, आसनसोल रानीगंज औद्योगिक क्षेत्र तथा आस-पास के इलाकों में जल और वायु के प्रदूषण से बचाव के लिए एक और बोर्ड गठित किया जाना चाहिए।

इसी सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग तीन वर्ष पहले दुर्गापुर के उर्वरक कारखाने से निकलने वाले पानी से बोहना बेईना गाँव में और आसपास के लगभग 5,000 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में धान की फसलों को नुकसान हुआ था। उस समय मैंने तत्कालीन संबंधित मन्त्री श्री पटेल से, जिनके पास अब कोई और मन्त्रालय हैं, कहा था और वस्तुतः मैं पिछले तीन वर्षों से उन गांवों के लोगों को फसल के नुकसान के लिए हर्जाना दिलवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, किन्तु अभी तक मैं उसमें सफल नहीं हुआ हूं। सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र के उन सभी उद्योगों को, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा जल और वायु दोनों को ही प्रदूषित कर रहे हैं, इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। इस कानून को पारित करने के अलावा सरकार को इस बात का ध्यान रखने के लिए सतर्क रहना चाहिए, कि यह अधिनियम समुचित रूप से लागू किया जाए और इसके लिए केन्द्रीय और राज्य बोर्डों में परस्पर पूरा सहयोग और समन्वय रहना चाहिए। तब तक समन्वय न होगा जब तक इसे समुचित रूप में लागू नहीं किया जा सकता। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इस बात की निगरानी रखने के लिए कि ये बोर्ड समुचित ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं, केन्द्रीय बोर्ड के लिए एक संसदीय समिति होनी चाहिए इसी प्रकार राज्यों के बोर्डों का पर्यवेक्षण करने के लिए सम्बन्धित विधान सभा की समिति गठित की जानी चाहिए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरा यह रचनात्मक सुझाव स्वीकार करेंगे।

जल और वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों लोग मर रहे हैं। हमारे 70% (प्रतिशत) लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, और उन्हें दिन में दो बार भर पेट खाना भी नहीं मिलता चिकित्सा के लिए डाक्टर के पास जाना उनके लिए सम्भव नहीं है और यद्यपि श्री शंकरानन्द यहां उपस्थित हैं तो भी मैं यह कहूंगा, कि हमारा लोक स्वास्थ्य संगठन अपेक्षानुसार इतने कार्यकुशल नहीं हैं कि वह सभी औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर सके। अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय बोर्ड का पर्यवेक्षण करने के लिए एक संसदीय समिति तथा राज्य बोर्डों का पर्यवेक्षण करने के लिए विधान सभा में से समितियां गठित की जानी चाहिए। जब हम ऐसा कर सकेंगे, तभी मेरे विचार से इस अधिनियम का प्रयोजन समुचित रूप में पूरा हो सकेगा, तथा इसे समुचित ढंग से लागू किया जा सकेगा। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री जेवियर अराकल (एर्नाकुलम) : महोदय, मैं भी इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि सत्र के अन्त में यह प्रस्तुत किया गया है मुझे विश्वास है कि राष्ट्र के लिए वस्तुतः यह एक उपहार सिद्ध होगा। उद्देश्यों और कारणों के कथन का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं, किन्तु यह स्पष्टतः केवल वायु प्रदूषण से ही सम्बन्धित है, इस विधेयक के बारे में मेरी मुख्य आपत्ति यही है कि इसमें हमारे क्षेत्र में शोर से होने वाले प्रदूषण को शामिल नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : जो कि इस सभा में है ?

श्री जेवियर अराकल : निस्संदेह इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला हैं, जिस पर सभा द्वारा विचार किया जाना चाहिए। महोदय, अब समय आ गया है कि यह सभा, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने बातों पर समुचित ढंग से विचार करे। इसीलिए माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि अगले सत्र में वे शोर से होने वाले प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिऐ भी एक विधेयक प्रस्तुत करें।

मुझे परिभाषा खंड के खंड "ग" में प्रस्तुत परिभाषा का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता होती है कि "उत्सर्जन का अर्थ है किसी भी चिमनी या नली या किसी अन्य निर्गम द्वार से ठोस, तरल या गैस के रूप में बाहर आने वाला पदार्थ।" किसी अन्य निकास द्वार का विस्तृत रूप में निर्वचन किया जा सकता है। इस प्रकार सड़क पर चलने वाले वाहन भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जो लोग वाहन चलाते हैं उन्हें उन गाड़ियों, लारियों आदि के बारे में मालूम होगा, जो सुरक्षा वाल्व तथा सुरक्षा नियन्त्रण प्रणाली के न रहने के कारण बहुत धुंआ छोड़ते हैं। मुझे आशा है कि इन गाड़ियों और अन्य वाहनों से निकलने वाले अत्यन्त खतरनाक पदार्थ पर नियन्त्रण के लिए इस परिभाषा को ध्यान में रखा जाएगा।

महोदय, एक अन्य मुद्द, जो मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, यह है कि खंड 3 और 4 के अन्तर्गत राज्य जल बोर्ड को शक्तियां प्रदान की जाएं। महोदय, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर समुचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए। इस समय जल बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। क्या वे जल प्रदूषण पर नियंत्रण करने में समर्थ हैं ? मैंने कुछ रिपोर्टें देखीं हैं वे बहुत खेदजनक हैं। हम यह काम जल बोर्ड को कैसे सौंप सकते हैं ? जबकि उनके पास कर्मचारी पहले जितने ही हैं और सुविधाएं भी उतनी ही हैं ?

मैं वित्तीय ज्ञापन पर बाद में चर्चा करूंगा, यह एक गम्भीर मामला है। मेरा निवेदन है कि इस बोर्ड को जल बोर्ड से भिन्न और पृथक, एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए। इसीलिए, यदि आप इसे लागू करना चाहते हैं तो खंड 3 और 4 पर फिर से विचार किया जाए।

महोदय, एक अन्य मुद्दा खंड 15 के बारे में है, जो कि शक्तियां प्रदत्त करने से संबंधित है। मैंने इस पर हमेशा आपत्ति की है। जब कभी प्रारूप विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तभी प्रारूप नियम भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ताकि सभा को उसकी जाँच और आलोचना करने का अवसर मिल सके, क्योंकि यह नौकरशाही के विरुद्ध प्रजातंत्र द्वारा संघर्ष हैं। यदि हमें वास्तव में इस पर से नौकरशाही का नियंत्रण कम करना हो, तो नियमों को भी इस सभा में प्रस्तुत किया जाए।

एक अन्य मुद्दा है इसे प्रस्तुत करने में मैं सरकार की गंभीरता पर संदेह नहीं कर रहा हूं, किंतु वित्तीय ज्ञापन का अध्ययन करने पर, मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं कहूंगा, उससे अनेक सदस्य सहमत होंगे। पृष्ठ 32 पर यह कहा गया है :

"·····इस विधेयक के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड विघटित हो जाएगा और इसका खर्च वहन करने का केन्द्रीय सरकार का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा।"

यदि केंन्द्रीय सरकार का दायित्व समाप्त हो जाएगा, तो जब राज्य बोर्ड गठित किया जाएगा फिर उसका खर्च कौन वहन करेगा ? वे कैसे खर्च पूरा करेंगे ? यदि आप वित्तीय ज्ञापन का अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद इसे समुचित ढंग से लागू नहीं किया जाएगा—बिल्कुल जल बोर्ड की ही भांति। खंड 32 में दिए गए विवरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार विधेयक के अंतर्गत कार्य करने के लिए राज्य बोर्डों की अंशदान करती है। हालांकि इसके लिए एक परन्तुक भी है : "इस धारा के अंतर्गत कुछ भी किसी राज्य बोर्ड पर लागू नहीं होगा·····" इत्यादि।

वे केवल धन कमाना चाहते हैं। वे क्या चाहते हैं ? मैं सभा का ध्यान खण्ड 32 की ओर दिलाता हूं। जब तक पर्याप्त निधि नहीं दिया जाता तब तक ये बोर्ड कैसे काम कर सकते हैं। वे इन बातों की जांच कैसे कर सकते हैं वे कैसे किसी क्षेत्र को वायु-प्रदूषित क्षेत्र कैसे घोषित कर सकते हैं ? कैसे प्रयोगशालाएं काम करती हैं ? मेरी तो समझ में नहीं आता है। खंड 32 के पृष्ठ 16 में लिखा है :

"इस सम्बन्ध में विधि के अनुसार संसद द्वारा किए गए विधिवत् विनियोजन के बाद केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य बोर्डों को कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धन की व्यवस्था कर सकती है।"

यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए कि राज्य बोर्ड इसे लागू नहीं करना चाहता, तो यह खंड बाधक होता है। मान लीजिए कि राज्य सरकार इसे लागू करना चाहती है, किन्तु इसे लागू करने में सक्षम नहीं है, तो भी यह खंड बाधक है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री ने इस खंड का अर्थ समझ लिया होगा और अब वे सभा के समक्ष यह स्पष्ट करेंगे कि यह निधि किस प्रकार प्रदान की जाएगी ? इस सम्बन्ध में अंतिम नियंत्रण किसका होगा ? इसकी किस प्रकार जांच की जाएगी ? यह एक गम्भीर मामला है ?

पृष्ठ 33 के पैरा 7 में बताया गया है कि ऐसे अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कार्य के लिए केवल 20 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। इस तरह यह बोर्ड काम नहीं करेगा। वस्तुतः यह एक

निष्क्रिय बोर्ड बन कर रह जाएगा। जल बोर्ड की मैं कड़ी आलोचना करता हूं क्योंकि केरल का एरनाकुलम जिला भारत का सबसे बड़ा वायु-प्रदूषण युक्त जिला है। उस पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। कोई योजना प्रस्तुत की भी जाती है, तो उसे लागू करने वाला कोई नहीं है। इस के लिए हमने कई बार आपत्ति भी की है। किन्तु इस पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने वाला कोई नहीं है। मेरा सुझाव है कि यह बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के रूप में केन्द्रीय स्तर पर ही गठित किया जाए। क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय समस्या है इसलिए इसे राज्य सरकार को नहीं सौंपा जाना चाहिए। एक उदासीन अनिच्छुक असक्षम राज्य सरकार इसका कार्यान्वियन नहीं कर सकेगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे। अन्य माननीय सदस्यों ने भी समझा दिया है कि, यदि आवश्यक हो, तो एक समिति गठित की जाए जो इसकी जाँच करें और इस बोर्ड से सम्बद्ध जल बोर्ड के कार्यों की जांच करे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री एच॰के॰एल॰ भगत (पूर्वी दिल्ली) : यह विधेयक स्वागत योग्य है और मैं मंत्री महोदय को इस सभा में विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। इसे विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, यह काफी देर से पड़ा रहा है और यह आशा की जा रही थी कि यह विधेयक वायु प्रदूषण निवारण और जल-प्रदूषण निवारण के सम्बन्ध में कोई एकरूपता लाएगा और इसी कारण इस विधेयक में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए उसी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत से राज्यों में बोर्ड गठित हो चुके हैं और जहाँ गठित हो चुके हैं वहां ये दोनों कार्य कर रहे हैं यह एक अच्छी बात हुई है। चूंकि मैं इस मंत्रालय में कार्य कर चुका हूं और इस बारे में मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कार्यान्वियन के संबंध में जो विचार प्रकट किए हैं वे सही हैं। मैं बोर्डों को दोष नहीं देता। यह तो कार्यप्रणाली की बात है और यह इस पर निर्भर करता है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इसे किस रूप में कार्यान्वित करती है। इसमें कुछ समस्याएं और कठिनाइयां हैं। कभी-कभी तो कई सरकारी उद्यम भी इस ओर ध्यान नहीं देते। इस समय श्री भीष्म नारायण सिंह के पीछे श्री विक्रम महाजन बैठे हैं। दिल्ली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान वायु प्रदूषण करता है। और फिर दिल्ली परिवहन निगम है। ऐसा कई और उद्यम भी करते हैं। बहुत से गैर सरकारी उद्योग वायु और जल प्रदूषित करते हैं। अगर वे उपचारात्मक उपाय करने लगें तो उन्हें बहुत पैसा खर्च करना होगा जिसका उन कम्पनियों की वित्तीय स्थिति पर काफी असर पड़ेगा और इसी वजह से यह काम धीमे-धीमे हो रहा है। यदि हम मन्दगति से चलेंगे तो स्थिति भयानक हो जाएगी; यह दिनोंदिन बदतर होती जा रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि इन उपबन्धों का पालन किया जाए। कुछ ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि पानी के परीक्षणों से भयानक परिणाम निकले हैं। इस बारे में कुछ विशेष नहीं किया जा सका। मेरा विचार है कि इन बोर्डों की सहायता के लिए सरकार को बहुत सहायता करनी चाहिए। मेरे माननीय दोस्त सही कहते हैं, धन की कमी है। केन्द्रीय सरकार को धन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम यह तो निश्चित नहीं कर सकते की कितनी धनी राशि दी जाएगी परन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय, जो इस समस्या के प्रति सचेत हैं, से प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए। इस कार्य को बहुत कम प्राथमिकता दी गई है जबकि इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आज यह बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगती परन्तु जहां तक

मैं समझता हूं यह एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यहां पर यह कहा गया है कि राज्य को या तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष या एक अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। यहां पर फिर वही धन की कमी की बात आ जाती है। व्यक्तिगत रूप से तो मेरा यह कहना है कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जब इस कार्य के लिए एक तकनीकी रूप से सक्षम व्यक्ति की तलाश हो वहां आप एक अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की बात करें, यह संगत प्रतीत नहीं होता। दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास ही वास्तव में इस समस्या के प्रमुख शिकार हैं। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों साथ-साथ चलते है।

भारत की राजधानी दिल्ली की ही बात ले। यहां पर बहुत से नाले, यमुना के पानी को गन्दा करते हैं। कुछ उपचारात्मक उपाय किए गये है और इनके परिणाम स्वरूप दिल्ली की साफ पानी सप्लाई में कुछ सुधार हुआ है। यह सुधार निगम के बजीराबाद जलाशय के कारण हो सके है। परन्तु यह प्रश्न केवल एक जगह पानी साफ करने का न होकर सारे देश से सम्बन्धित है। इसके अलावा बहुत से उद्योग है जो नदियों में अपने रसायनों को बहा देते हैं। दिल्ली की आधी से अधिक जनता के पास फ्लश शौचालय नहीं है और उनके यहां सूखे शौचालय ही हैं। बहुत सा गन्दा पानी और रसायन नदी में बहा दिया जाता है। सरकारी उपक्रमों सहित बहुत से अन्य कारखाने धुंआ छोड़ते हैं। यमुना का पानी बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है।

कुछ उपाय किये गये हैं और मैं मन्त्री महोदय, जो इस समस्या के प्रति सचेत हैं से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें। मैं इस मामले में राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ और न ही इस विधेयक को राजनीति से दूषित करना चाहता हूं। आवश्यकता यह है कि इस सम्बन्ध में कड़ाई से कार्रवाई की जाये और इसे समुचित प्राथमिकता प्रदान की जाए। जब आप इस कार्य को आरंभ करेंगे तो आपको सैकड़ों उद्योगों को नोटिस जारी करने होंगे और बहुत से लोग आप के आगे-पीछे घूमने लगेंगे। मेरे पर भी बहुत दबाव डाला गया था। मैं आप से यही अनुरोध करूंगा कि आप इन बोर्डों को समुचित अधिकार दें। यह देश के और लोगों के हित में है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूं आप जल और वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में उचित कदम उठायेंगे। दिल्ली में जल-मल निकासी के साधन बहुत कम है। बहुत सी स्कीमें स्वीकृत तो कर ली गई है परन्तु उनका कार्यान्वियन नहीं किया जा रहा। मैं आशा करता हूँ कि आप इस सारे मामले पर समुचित रूप से विचार करेंगे और वायु तथा जल प्रदूषण के सम्बन्ध में एक समन्वित कार्य नीति बनायेंगे।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन० सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली) : इस सम्माननीय सभा में विचार किए जा रहे विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। श्री भीष्म नारायण सिंह ने यह विधेयक प्रस्तुत करके पूरे देश के हितों की रक्षा की है और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा की है।

हम देश के सामने उत्पन्न सामाजिक बुराईयों और अन्य समस्याओं की बात कर रहे हैं। देश में व्याप्त आर्थिक बुराईयों से निपटने के लिए बहुत से कानून है। केन्द्र और राज्य सभी स्तरों पर बहुत से संगठन है, और बहुत से स्वेच्छिक निकाय है जो इन समस्याओं से निपटने लिए उपचारात्मक उपायों का विश्लेषण करते हैं उनका मूल्यांकन करते हैं और सरकार को सलाह

देते हैं। परन्तु अभी तक हमने वायु प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में समुचित विचार नहीं किया है।

वायु प्रदूषण औद्योगिकीकरण का एक अनिवार्य परिणाम है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि वायु प्रदूषण होता है इसलिए औद्योगिकीकरण ही बन्द कर दिया जाए। वायु प्रदूषण से वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर देश में स्थित ताप बिजली घर रोजाना हजारों टन राख-मिश्रित धुंआ छोड़ते हैं। कारखानों की चिमनियां वातावरण में प्रदूषित हवा छोड़ती है और स्वच्छ वायु नहीं आने देती। मनुष्य द्वारा निर्मित मशीनें प्राकृतिक वरदानों को तहस-नहस कर रही है। हम प्रकृति को हरा तो नहीं सकते परन्तु इसे साथ लेकर अपने निर्माणों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि ऐसा लगे कि हमने प्रकृति का मुकाबला कर लिया है।

मैं इस मुद्दे को और स्पष्ट कर देता हूं। कावेरी, वर्गर आदि नदियों और यहां तक कि मद्रास की मरीना समुद्र तट का पानी भी औद्योगिक अवशिष्ट-उत्पादों इत्यादि से गन्दा रहता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है वहां के लोग इन नदियों का गंदा पानी पी कर अपना स्वास्थ्य खराब करते रहते हैं। यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो खाद्यन्नों का उत्पादन कम होगा और इससे सारे राष्ट्र को हानि होगी।

कुछ महीने पहले भारत में प्रकाशित 'रीडर्स डाइजैस्ट' में एक लेख छपा था जिसमें वायु-प्रदूषण के संबंध में विस्तार से बताया गया था। हम अपने को नष्ट करने के लिए एटम-बम या हाईड्रोजन बम नहीं बनाते। वायु और जल प्रदूषण का असर दर्जनों हाईड्रोजन बमों से ज्यादा होता है। हाईड्रोजन बम एकदम मार देता है जबकि प्रदूषण से आमदनी में जहर फैल जाता है और परिणाम यह होता है कि धीरे-धीरे सारा राष्ट्र नष्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमें केवल लोगों के जीवन को प्रदूषित करने से सन्तोष नहीं हुआ अब हम विश्व के आठवें आश्चर्य अर्थात् ताजमल को मथुरा तेल-शोधक कारखाने से प्रदूषित करने लगे है। पिछले कई वर्षों से हम उपचारात्मक उपायों की बात कर रहे हैं परन्तु अभी तक हम कोई ठोस कदम उठा नही पाये हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक देश में वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहायता करने में सफल होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और बोलने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, 1972 में स्टाकहोम के अन्दर एक मीटिंग हुई और 1980 में यह बिल आया। 1974 में आपने वाटर पौल्यूशन बोर्ड बनाया। हिन्दुस्तान के एक मन्त्री ने अभी कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि गंगा का पानी कभी अपवित्र नहीं हो सकता। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कैसे और किसने ब्यान दिया है। आज सारी नदियां गन्दे पानी के कारण खराब हो चुकी हैं और पानी का जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण मेरे जिले में सैंकड़ों काश्तकार बरबाद हो चुके है। जो इंडस्ट्रियल एरिया आपने मुकर्रर किया है उसके कारण हजारों काश्तकार अपनी खेती से महरूम हो गये हैं, उनके कूओं तक का पानी खराब हो गया है। लेकिन मालूम नहीं मंत्री जी वाटर पौल्यूशन बोर्ड और एयर पौल्यूशन बोर्ड को एक करने जा रहे हैं कि नहीं। नौइज पौल्यूशन बोर्ड कब बनेगा भगवान जाने। एयर पौल्यूशन बिल के सेक्शन

19 को आप पढ़े तो मालूम होगा कि इस सैक्शन से तो सी०आर०पी०सी० का सैक्शन 133 ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें पब्लिक न्यूसेंस के अन्तर्गत चालान कर के मैजिस्ट्रेट उसको रोक सकता है जो न्यूसेंस पैदा कर रहा है। आपने कहा है कि एरिया डिमारकेट किया जायेगा और पहले सेन्ट्रल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट को पावर देगा और राज्य सरकार अपने अधिकारी को मुकर्रर करेगी और वह उसका प्रौसीक्यूशन करेगा। और उसके बाद इतना लैंथी प्रोसीजर है कि जिसका ठिकाना नहीं। मंत्री जी एक बार मेरे शहर पाली में चलकर देखें कि जो आप बिल ला रहे हैं। उसका इमप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। आगरे में ताजमहल के बारे में वर्धराजन कमेटी ने रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है :

वर्धराजन समिति की रिपोर्ट का अध्ययन सरकार को यह सलाह देने के लिए किया गया था कि मथुरा तेल-शोधक कारखाने का आगरा क्षेत्र में स्थित स्मारकों पर क्या प्रभाव देगा। समिति को बताया गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रतिनिधि भी इसमें भाग लेने के लिए बुलाया गया था। उस प्रतिनिधि ने यह बताया कि पुरातात्विक दृष्टि से मथुरा में तेल शोधक कारखाना की स्थापना उचित नहीं समझते। प्राधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान अधिनियम अर्थात् आर्किलाजिकल साईटस एण्ड आर्किलाजिकल रिफाइनरीज एक्ट, 1958 में यह व्यवस्था नहीं है कि किसी संस्थान की स्थापना को रोका जा सके।

क्या आपका यह एक्ट जो रिफाइनरी से एयर पौल्यूशन होगा, उसे बन्द कर देगा ? हमने, राजस्थान वालों ने पहले ही कहा था कि मथुरा में इस रिफाइनरी को मत लगाइए, राजस्थान में इसे लगाइए, लेकिन इसे यू०पी० में लगाने के कारण हिन्दुस्तान का एतिहासिक जो ताज बना हुआ है जो कि एक अच्छा स्थान है उसका पौल्यूशन होगा। उसके लिए आपके पास क्या उपाय है ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री वर्धराजन की रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है, उसका इम्पलीमैंटेशन कैसे होगा ?

मेरा कहना यह है कि किसी भी इंडस्ट्री के लगाने से पहले उसका एन्टी-पौल्यूशन प्लान्ट पहले लगाना चाहिए, लेकिन उसके बारे में इस एक्ट में कुछ नहीं है। आपने कह दिया कि देश में रिजिड कानून लागू नहीं करना चाहिए, आप हाफ हर्टिड मेजर लेना चाहते हैं तो देश में जो एयर पौल्यूशन हो रहा है, वाटर और नायज पौल्यूशन जो रहा है आप इसको कैसे बन्द करेंगे ?

मंत्री महोदय ने जो प्रौसीजर इसके बारे में किया है, वह बहुत लैंन्थी है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने स्टेट्स में पहले वाटर पौल्यूशन बोर्ड बनाए, आपने यह भी कहा कि कई स्टेट्स ने वाटर पौल्यूशन बोर्ड नहीं बनाये, तो आपकी डायरेक्शन्ज को कई स्टेटस ने माना नहीं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जहां-जहां वाट पौल्यूशन बोर्ड बनाए गये वहां कौन-कौनसी नदियों में गन्दा पानी जाना बन्द हो गया और कौनसी जगह पौल्यूशन में कमी आई। आपने सन् 1974 में जो एक्ट पास किया उसका इन 6 सालों में क्या इम्पलीमैंटेशन हुआ, मंत्री महोदय, 5,7 इंस्टांस तो उसके बतायें। ऐसा लगता है कि आप जो बिल ला रहे हैं, उसे गंभीरता से लागू नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें गंभीरता कम है और आपने केवल नाममात्र के लिए बोर्ड बना दिया है जिनमें कुछ भी काम नहीं हो सकेगा। मुझे आशा है कि आप इस एक्ट को सख्त बनाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बंबई उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, यह वह विधेयक है जो

मूलतः जनता सरकार ने प्रस्तुत किया था। जैसा कि श्री डागा ने कहा है। 1972 से 1977 के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। तब जनता सरकार यह विधेयक लाई और यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया। डा० कर्ण सिंह उस संयुक्त समिति के सभापति थे और समिति की कई बैठकों के उपरान्त यह विधेयक तैयार किया गया था। दुर्भाग्यवश उनकी षडयन्त्र रचने की कुशलता के कारण हमारी सरकार फेल हो गई और हम चुनाव हार गये। यह हमारी बेवकूफी और उनकी चालाकी है। मैं कहता हूं 'हमारी बेवकूफी और आपकी चालाकी'। आप अपने को चालाक कह सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं कहना चाहते तो मुझे कहने दें 'हमारी चालाकी और आपकी बेवकूफी।'

अतः विधेयक नयी सरकार द्वारा पेश होना था और वही हुआ। जो भी हो मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। यह आवश्यक है। विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था परन्तु इस विलम्ब के लिए मंत्री महोदय जिम्मेदार नहीं है क्योंकि वे अभी हाल ही में सरकार में आए हैं।

इस विषय में मेरी विशेष रुचि है क्योंकि देश में बम्बई और बंबई में भी जो मेरा चुनाव क्षेत्र है। वह सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र है। बम्बई में छः चुनाव क्षेत्र हैं और इनमें सर्वाधिक स्वच्छ चुनाव क्षेत्र श्री रतन सिंह राजदां का है, और सब से बदतर क्षेत्र, सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र, सब से गरीब क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां सब झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं, वह चुनाव क्षेत्र मेरा है। यहां आपको, उर्वरक टाटा इलैक्ट्रिक सभी प्रकार के उद्योग मिलेंगे। अतः कोई भी आपको इस क्षेत्र के बारे में बता देगा। चैम्बूर क्षेत्र जो मेरे चुनाव क्षेत्र का अंग है, विश्व भर में 'गैस चैम्बूर'—गैस चैम्बर नहीं—के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए इस विधेयक में मेरी विशेष रुचि है।

यह तो साफ है कि वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण उद्योग और मोटर-वाहन हैं। मैंने यह विधेयक पढ़ा है। मुझे कहीं भी मोटर-वाहनों के बारे में कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं। मैं शीघ्र ही विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर आऊंगा। उद्योगों के बारे में जो कहा गया है वह भी पर्याप्त नहीं हैं। वास्तव में इस विधेयक का सीमित प्रभाव होगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि प्रदूषण है क्या ? इसे कैसे आंका जाए और इसके लिए किस प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता है। नागपुर में राष्ट्रीय वायुमण्डलीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान है। परन्तु इस अनुसंधान संस्थान के पास धन की कमी है। इसमें कर्मचारी कम है। उनके लिए भविष्य में पदोन्नति के अवसर नहीं है यह सही जगह पर स्थापित नहीं है। यह नागपुर में है जबकि इसे बम्बई, कलकत्ता या मद्रास जैसे प्रदूषित क्षेत्र में होना चाहिए। मद्रास में श्री दण्डपाणि जो इस समय मौजूद नहीं, श्री मायातेवर वे उपस्थित हैं, जैसे लोगों के यहाँ होते हुए भी वायु-प्रदूषण बढ़ रहा है।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास तकनीकी जानकारी है। इसका उत्तर यह है कि कोई भी यह नहीं जानता कि प्रदूषण को मापा कैसे जाए। क्योंकि जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं वे कहते है कि आकाश की ओर देखिए—कोई प्रदूषण नहीं है और जो लोग इसे महसूस करते हैं सूंघ कर बता सकते हैं और जिनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते।

यह विधेयक भी एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार विधेयक की भांति होगा।

यह विधेयक 1969 में लाया गया था और इसके तत्काल बाद से एकाधिकार घरानों की परिसम्पत्तियां बढ़ती गई है। इस विधेयक का प्रारूपण बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया है। उदाहरण के तौर पर खण्ड 17 (2) लें। खण्ड 17 (2) में राज्य बोर्डों की बात की गई है। इस में बताया गया है :—

(2) कोई भी राज्य बोर्ड किसी प्रयोगशाला या प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकेगा या उन्हें मान्यता प्रदान कर सकेगा ताकि वह उसे इस धारा के अन्तर्गत सौंपे गए दायित्वों का उचित निर्वहन कर सके।"

इसी विधेयक का एक और खण्ड, खन्ड 28 लें, जिसमें कहा गया है :—

"राज्य सरकार" सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) एक या एकाधिक एयर प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी; या

(ख) किसी एक या एकाधिक प्रयोगशाला या संस्थान को राज्य एयर प्रयोगशाला को मान्यता दे सकेगी ताकि वह उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

यह पुनरावृत्ति क्यों ! खण्ड 17 (2) और 28 (1) को अलग-अलग लाने की क्या तुक है जबकि दोनों का आशय एक ही है। विधेयक का इतना गलत प्रारूपण क्यों तैयार किया गया है। क्या आपके पास ऐसा कोई खण्ड नहीं हो सकता था जिसमें राज्य बोर्डों के कार्यक्षेत्र आदि का पूरा ब्यौरा हो।

इसी प्रकार से आप दण्ड के बारे में खण्ड 37 को ही लें। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण खण्ड है क्योंकि दण्ड व्यवस्था से अंततः इस बात का पता चलता है कि आपका किसी विषय में विचार क्या है ? इस खण्ड में कहा गया है कि जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा उसे तीन महीने के लिए किसी प्रकार का कारावास या 10,000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों दिए जा सकते हैं और यदि वह आगे भी इसका पालन नहीं करता तो नियमों का पालन न करने की अवधि में उस पर 100 रुपए प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त जुर्माना किया जाएगा। महोदय, इतने बड़े अपराध के लिए यह तो बहुत ही कम दण्ड है। आप देखें कि यह दण्ड अधिकतम है और यह दण्ड की अधिकतम सीमा है। मैं इसे न्यूनतम नहीं बता रहा हूँ। मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में भविष्य में संशोधन पेश करेंगे।

इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के अपराधी एककों के लिए क्या व्यवस्था है सरकारी क्षेत्र के लिए क्या दण्ड हैं ? महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरे क्षेत्र में स्थित भारतीय उर्वरक निगम समूचे चैम्बूर क्षेत्र को काफी बड़े पैमाने पर प्रदूषित कर रहा है और उस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। महोदय, आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि सरकारी क्षेत्र के एक संगठन भारतीय उर्वरक निगम का राष्ट्रीय केमिकल्स एकक, जो बम्बई क्षेत्र में है, ने अपने एककन का विस्तार करने के लिए बम्बई नगर निगम जिसने प्रदूषण निरोध कानून बना रखा है, से कोई अनुमति नहीं ली है तथा बम्बई नगर निगम ने उन्हें किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कानून का उल्लघंन किया हैं और वे कहते हैं कि कौन परवाह करता है नगर निगम अधिनियम की है और वे इस एकक का निर्माण कार्य करते जा रहे हैं मैं इस बात की ओर सरकार का ध्यान यह कहते हुए आकृष्ट कर रहा हूं कि 'सरकारी क्षेत्र में

एक ऐसा संगठन भी है जो बम्बई नगर निगम के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।' महोदय, इसी वजह से मैं संशोधन चाहता हूं और जिसे मैं मौके पर पेश करूंगा। इस संशोधन में मैंने सरकारी क्षेत्र के अपराधी एकाकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है क्योंकि मेरे विचार से देश में आज मुख्यत: सरकारी क्षेत्र प्रदूषण फैला रहा है और प्रदूषण में निजी क्षेत्र का भाग तो काफी सीमित है। निजी क्षेत्र काफी कम मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है जबकि सरकारी क्षेत्र एक बड़ा अपराधी है और वह देश के कानूनों की परवाह किए बिना सभी कानूनों को तोड़ रहा है क्योंकि उसे एक प्रकार से सुरक्षा मिली हुई है। उनके लिए क्या दण्ड है ? क्या वे सरकार पर मुकदमा चलाएंगे ? इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि उनके विरुद्ध ऐसा कुछ किया जा सके। यदि आप सरकारी क्षेत्र के एकक पर 10,000 रुपए जुर्माना करते हैं, तो वह आपकी ही जेब से जाएगा। केवल इतना ही काफी नहीं है। प्रबंधकों को भी दण्ड दिया जाना चाहिए। इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है·····

श्री एच० के० एल० भगत : लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सरकारी क्षेत्र के अपराधियों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन बातों का उल्लेख किया जाए। मैं यह नहीं चाहता कि इसे मीसा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे अधिनियमों की भांति कठोर शब्दों से भरकर अस्पष्ट बना दिया जाए।

महोदय, इसके अलावा इसमें किसी नागरिक द्वारा शिकायतें दर्ज करने सम्बन्धी मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है। यहां तक कि कुछ देशों में तो नागरिकों द्वारा गिरफ्तारियां करने की नागरिकों को शक्तियां दी गई हैं, इन गिरफ्तारियों को नागरिक गिरफ्तारियां कहा जाता है। मान लीजिए कि भारतीय उर्वरक निगम जैसा सरकारी क्षेत्र का कोई संगठन प्रदूषण फैलाता है तो उसकी रोकथाम कौन करेगा ? प्रदूषण की कौन तो जांच करेगा और कौन उसे रोकेगा ? यदि कोई नागरिक प्रदूषण के बारे में कोई याचिका दे तो अपराधी प्राधिकरण के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। यदि विधेयक में इस प्रकार का प्रावधान होता तो यह एक काफी बढ़िया विधेयक होता।

निष्कर्षत: मैं यही कहूंगा कि प्रदूषण रोधक उपबन्धों को अधिक कठोर न बनाने देने के लिए कुछ बड़े निहित स्वार्थ कार्य कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में कठोर प्रदूषण निरोध कानूनों को अधिनियमित न होने देने के लिए कार निर्माता कितने शक्तिशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे निहित स्वार्थ हैं जो इस विधेयक को केवल कागजी ही बना रहने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि जब तक कि देश में एक पूर्ण विस्तृत तथा काफी कठोर प्रदूषण रोधक कानून नहीं बना लेते तब तक वे इस कानून को सुदृढ़ करते रहेंगे और इसके क्षेत्र में विस्तार करते रहेंगे।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : श्री स्वामी ने मेरा और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिया है। महोदय, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के तौर पर·····

सभापति महोदय : आप यह कहना चाहते हैं कि आपका निर्वाचन क्षेत्र भी प्रदूषित है उन्होंने तो आपके निर्वाचन क्षेत्र की प्रशंसा की है।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, यह बात नहीं है। कृपया मुझे दो मिनट का समय दें।.....

सभापति महोदय : जी नहीं, आपने बता दिया है कि आप भी प्रदूषित हैं। वे कहते हैं कि आप प्रदूषित नहीं हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैं एकदम शुद्ध हूं एक स्फाटिक की तरह। यहां सवाल निर्वाचन क्षेत्र का है.....

सभापति महोदय : वह सब ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह।

श्री दिग्विजय सिंह : (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, हम सभी जानते हैं कि हम प्राकृतिक पर्यावरण के मकान में रहते हैं जिसमें वायु, मिट्टी, जल, वनस्पति तथा जीवजन्तु और समूची पारिस्थितिक प्रणाली आती है। तथा इस पारिस्थितिक प्रणाली में वायु तत्व की अत्यधिक मुख्य भूमिका होती है, इसलिए हम अपने वातावरण को कैसे रखते हैं इसका बहुत अधिक महत्व है। उदाहरणतया ग्लोब में **होमो सेपियन्स** शब्द का अर्थ ही जीवन होता हैं। इसलिए यह देखकर मुझे व्यक्तिगत रूप से संतोष हुआ कि यह विधेयक आज ही पुरःस्थापित किया गया और आज ही इसे पारित भी किया गया। मुझे स्टाक होम कान्फ्रेंस का एक प्रतिनिधि होने के नाते यह अच्छी तरह याद है कि वर्ष 1972 में पर्यावरण के बारे में वस्तुतः चिन्ता होने लगी थी और हमारे समाज में इसके प्रति जागरूकता पैदा हुई थी तब यह बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत को भी अपने औद्योगिकरण के स्तर को ध्यान में रखे बिना अपने पर्यावरण के प्रति सतर्क रहना होगा।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए) उसके तुरन्त बाद वर्ष 1974 में हमने जल-प्रदूषण तथा नियंत्रण विधेयक जारी किया और मैं डा० स्वामी से सहमत हूं कि जनता शासन के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। लेकिन महोदय, यह कहना गलत होगा कि मूलतः यह विधेयक जनता शासन की देन था। मैं, राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना तथा समिति का प्रारम्भ से सदस्य होने के नाते, इस विधेयक को प्रारूप से 1974 से, जबकि यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया, सम्बद्ध रहा हूं 1974 से यह विचाराधीन था और अततः इसे एक रूप देकर प्रवर समिति को भेज दिया गया था तथा जिसके यह देखने के लिए कि इसे विधेयक को कैसे कार्यान्वित किया जाए, समूचे देश का दौरा किया। इस समिति में मैं भी था। दुर्भाग्यवश मेरे कथन की पुष्टि करने के लिए इस समय डा० कर्ण सिंह उपस्थित नही हैं। प्रवर समिति ने दौरे किए और मैं समझता हूं उसने एक बहुत बढ़िया प्रतिवेदन भी तैयार किया था। किसी चीज में कमियां व त्रुटियां निकालना बड़ा ही आसान काम है, लेकिन यदि इस विधेयक को व्यापक आधार पर देखें तो सचमुच यह एक सर्वोत्तम प्रयास हैं। मैं अनेक सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं प्रो० स्वामी के इस प्रस्ताव से सर्वथा सहमत हूं कि नागरिक कार्रवाई समितियों को समर्थन दिया जाना चाहिए। बल्कि उन्हें कुछ अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि वे इसे चला सकें। उसकी कार्रवाई को दण्ड प्रक्रिया संहिता में अधिकारिक माना जा सकता है। मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं। किन्तु श्री हल्दार ने अलग राज्य विधान की बात की है। मैं इस प्रकार के विधान की कोई जरूरत नहीं समझता। मेरे मित्र श्री अराकल द्वारा अलग बोर्ड के बारे में दिए गए सुझाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन शुरू में

हमें जल तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ करना चाहिए। हमें अनेक बोर्ड बनाने से पूर्व कम से कम इस बोर्ड को तो सुदृढ़ करना ही चाहिए। मैं एक ठोस सुझाव दूंगा और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। अततः इस विधेयक की निगरानी तो निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय को ही करनी होगी।

और निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय ही प्रदूषण का अपराधी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह सही है।

श्री दिग्विजय सिंह : अतः वायु तथा जल प्रदूषण की समूची प्रणाली को निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के अधीन तथा प्रशासनिक नियंत्रण से हटाया जाना चाहिए और उसे पूरे एक वर्ष के प्रयासों के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा पिछले महीने बनाए गए एक नये पर्यावरण विभाग को सौंप दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमने दाण्डिक उपायों की बात की है मैं इन सुझावों से वस्तुतः सहमत हूं कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के लिए विभिन्न प्रकार के मानक बनाए जाएं। उदाहरणतया नगरीय प्रदूषण, जो कि एक जैविक प्रदूषण होता हैं उसके लिए अलग दाण्डिक उपाय, औद्योगिक प्रदूषण के लिए अलग दाण्डिक उपाय, वाहन जो कार्बन मोनोक्साइड छोड़ते हैं उनके लिए अलग दाण्डिक उपाय तथा बिजली घरों से निकलने वाली राख के लिए अलग दाण्डिक उपाय होंगे। ये प्रदूषण विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं और इनका जीवजगत पर अलग-अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है और प्रदूषण की मात्रा तथा उसकी किस्म का अनुमान लगाने के लिए कुछ और ब्यौरे तैयार किए जाने चाहिए। मैं यह सुझाव जरूर दूंगा।

वायु-प्रदूषण के लिए विधान बनाना कोई नई बात नहीं है। विगत में भी एक 'स्मोक न्यूसेन्स एक्ट' हुआ करता था, लेकिन वह अधिनियम इतना व्यापक नहीं था और यह किसी अन्य प्रयोजन से था। लेकिन मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि विधान बनाने से कुछ नही होता बल्कि इसके वास्तविक कार्यान्वयन से फर्क पड़ता है तथा किसी गतिविधि को विनियमित और नियंत्रण वाला विधान केवल तभी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हो सकता है जब उसे जनता समर्थन और उसकी दिलचस्पी मिले तथा विधायकों और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध हों :—

महोदय ! केवल दिल्ली और बम्बई जैसे कुछ समृद्ध नगरों को छोड़कर लोगों में इतनी जागरूकता अभी नहीं आई है कि लोग स्वयं आगे आएँ और पर्यावरण को विकृत न होने देने के लिए दबाव डालने वाली संस्थाएं बनाएँ। जब यह उद्योग पर लागू होगा तो यह स्वभाविक है कि उद्योग इस कानून से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक दृष्टि से प्रभावित होने के कारण इस कानून से बच निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए बोर्ड को इस बारे में काफी सतर्क रहना पड़ेगा। अमेरिका में ई०पी०आई० कानून तथा उत्तरी यूरोपियन देशों में जहां इसी प्रकार के अन्य विधान हैं, जैसे समृद्ध देशों में इस प्रकार के कानूनों की निगरानी करने के लिए बहुत ही सुदृढ़ बोर्ड हैं तथा इन देशों ने इस बात का मूल्यांकन किया है कि जल तथा वायु प्रदुषण, दोनों से सम्बन्धित कानूनों के कारण उद्योग को कितनी हानि हुई है और उद्योग से निकलने वाली प्रदूषित वायु को शुद्ध वायु में परिवर्तित करने के उद्योग को जल तथा वायु प्रदूषण रोधक उपकरण लगाने या इन्हें पुनः उपयोग में लाने सम्बन्धी प्रदूषण रोधक उपाय करने हेतु प्रतिपूर्ति रूप

में उद्योग को कितनी आर्थिक सहायता या करो में रियायत दी जाए। इस प्रकार के उपकरण काफी मंहगे होते हैं और इन उपकरणों में किए जाने वाले विनियोग की किसी न किसी रूप में, चाहे वह आर्थिक सहायता के रूप में हो या कर प्रतिपूर्ति के रूप में, प्रतिपूर्ति करनी ही होगी। मुझे भरोसा नहीं कि हाल ही में नवगठित विभाग को छोड़कर अन्य कोई निकाय इन ब्यौरों पर विचार कर सकेगा और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने का सुझाव दे सकेगा, बेशक एक विकासशील देश होने के नाते हम आरम्भ में इस प्रकार की सहायता न दे सकते हों। लेकिन आगे के लिये पैमाना अभी से निर्धारित करना होगा। जब आज मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तो मैं इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं क्योंकि 11 अगस्त की तारीख मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जिस दिन मैंने इस सदन में 'रेप आफ मदर अर्थ' विषय पर दो घण्टे की चर्चा करने की मांग की थी तो माननीय प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए उस बहस के दौरान इस सदन में अपने विचार प्रकट किये थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने ब्यान में बताया था कि वायु प्रदूषण विधेयक जो इस समय विचाराधीन है, तुरन्त कार्यान्वित किया जायेगा और ऐसा किया भी जा रहा है। इसलिये यह मेरे लिये गौरव की बात है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। एक अंतिम बात और मैं सदन के सामने कहना चाहूंगा। महोदय, इस सदन के तथा राज्य सभा के सदस्यों ने यह तय किया है कि दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक "पर्यावरण मंच" तैयार किया जाय मेरा यह कहना है कि सदस्यों को उन भावी कानूनों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिये जो अगले एक वर्ष में इस विषय पर बनाये जायेंगे और इन मामलों की जांच भी की जानी चाहिये। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे इस मंच को सहयोग दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : महोदय, वायु प्रदूषण सदस्या को कुछ हद तक हल करने के लिये इस चिरप्रतीक्षित कानून को लाने के लिये प्रारम्भ में मैं, सरकार को बधाई देता हूं। जो समय आपने मुझे दिया है उसमें मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा। मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहूंगा।

महोदय, मैं इस सदन में बंबई के इर्द-गिर्द रहने वाले उन लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जिन्हें पिछले कई वर्षों से वायु प्रदूषण के कुप्रभाव को भोगना पड़ रहा है। उन लोगों के लिये यह विधेयक वरदान सिद्ध होगा। इस माननीय सदन को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि बंबई और इसके आस पास के इलाके में जिसमें ठाणे—मेरा चुनाव क्षेत्र—भी शामिल हैं, 15 प्रतिशत से भी अधिक भारतीय उद्योग स्थापित हैं और उनमें से लगभग आधा रसायन उद्योग हैं। इसमें नागरिकों को अत्यधिक जहरीली गैसों के वातावरण में सांस लेनी पड़ रही है।

महोदय, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य को तो हानि पहुंचती ही है, वातावरण का भौतिक आकर्षण भी नष्ट होता है। प्रदूषण का संभावी प्रभाव दूरगामी और व्यापक होता है। वायु की तरंगे पत्थर के कोयले के आग के कणों को बहुत दूर तक ले जाती हैं। अतः यह समस्या केवल अकेले बड़े औद्योगिक नगरों की ही नहीं है। जब इनमें पानी मिल जाता है तो ये कण तेजाब बन जाते हैं। इसमें न केवल मानव स्वास्थ्य और न नीला और सुन्दर आकाश शिकार हो रहा है। बल्कि किसानों के महत्वपूर्ण हित भी खतरे में पड़ गए हैं। यह हित पृथ्वी और भूगर्भ जल के ऊर्जा संतुलन से जुड़े हैं जो उसकी कृषि का आधार हैं। इसलिये यह सोचना

कि प्रदूषण समस्या केवल कलकत्ता, बंबई, दिल्ली तथा अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की ही समस्या है, गलत है ।

यह विधेयक केवल निरोधक उपाय है । प्रदूषण समस्या मुख्यत: एक ही स्थान पर केन्द्रित औद्योगिक गतिविधियों के कारण है । शहरी ढांचे को इस प्रकार से विनियमित किये जाने की जरूरत है जिससे कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े । इसलिए नारा हर कीमत पर औद्योगीकरण न होकर पर्याप्त सुरक्षा के साथ औद्योगीकरण होना चाहिये । केवल औद्योगीकरण का नारा नहीं होना चाहिए । वर्तमान परिस्थितियों में औद्योगीकरण देश के लिये अत्यावश्यक हैं लेकिन यह पर्याप्त सुरक्षा के साथ किया जाना चाहिए । उद्योगों का विकेन्द्रीकरण और लघु उद्योगों पर जोर देने की नीति, कुछ सीमा तक इस समस्या का हल हो सकती है । इसलिये समूचे प्रश्न पर आर्थिक और पर्यावरण तत्वों के सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है ।

इस विधेयक की योजना बिल्कुल ठीक है लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, यह प्रतीत होता है कि इस विधेयक में अधिनियम के अन्तर्गत सभी शक्तियां और कृत्य बोर्ड को सौंपी दी जायेंगी पर इसके लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है । ऐसा प्रावधान शामिल किया जाना आवश्यक है ।

2. किसी क्षेत्र विशेष में प्रदूषण के प्रकार अथवा वहां की वर्तमान वायु प्रणाली पर विचार करने के बाद विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों के लिये धूल कारणों का स्तर निर्धारित करने के लिये राज्य बोर्ड को निर्देश देने वाला कोई प्रावधान होना आवश्यक है ।

3. धारा 17 (2) राज्य बोर्ड को परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने अथवा उसे मान्यता देने का अधिकार देती है जबकि धाटा 28 राज्य सरकारों को भी राज्य प्रयोगशाला स्थापित करने अथवा उसे विनिदिष्ट करने का अधिकार प्रदान करती है । ऐसा प्रावधान केवल दोहरापन ही है ।

4. दण्डात्मक उपबन्ध (देखिये धारा 37) बहुत ही साधारण है । उसमें एक बार अपराध करने पर केवल 5000/- रुपये तक का ही जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है और यदि यह अपराध जारी रहता है तो 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता रहता है । इस जुर्माने में और वृद्धि करने की आवश्यकता है ।

5. प्रस्तावित अधिनियम की प्रवर्तन धारा में अपराधों की विभिन्न किस्में बताई गई हैं । यह सुझाव दिया जाता है कि खाद्य और दवा प्रशासन अधिनियम की ही तरह इस प्रस्तावित अधिनियम में असंज्ञेय और प्रशम्य छोटे अपराधों का ब्यौरा देने वाली एक अनुसूची जोड़ी जानी चाहिये ।

महोदय, मुझे आशा है कि सरकार मेरे सुझावों पर गंभीरता से ध्यान देगी । धन्यवाद ।

श्री जगन्नाथ राव (ब्रह्मपुर) : सभापति महोदय, यह एक अच्छा उपाय है जो एक ही दिन में नहीं लाया गया है । महोदय, भगवान ने मनुष्य और प्रकृति की रचना की है ताकि मानव प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करा सुख और प्रसन्नता से रह सके । परन्तु विज्ञान और औद्योगिकी के विकास से और साथ ही साथ आधुनिक सभ्यता के नाम पर मानव ने प्रकृति को नष्ट कर दिया है । इसका परिणाम यह हुआ है कि हम लोग एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां भूमि दूषित हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है, वायु दूषित हो चुकी है । इसलिये इस ग्रह पर जीवन

संकटग्रस्त हो चुका है। जून 1972 में स्टाक होम में हुए मानव पर्यावरण विषय का संयुक्तराष्ट्र संघ का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारी प्रधानमंत्री ने शिष्ट मंडल के नेता के रूप में भाग लिया था। 1974 में हमने जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम का प्रस्ताव किया था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस विषय पर एक विधेयक पेश करना चाहती थी। लेकिन कुछ कारणवश, यह पेश नहीं किया जा सका। तब जनता पार्टी के शासन काल में इस विधेयक को पेश किया जाना चाहिये था लेकिन तब भी ऐसा नहीं किया गया। अब यह विधेयक लाया गया है।

अब इस विधेयक को लीजिये, आज तक कुछ राज्य सरकारों ने राज्य बोर्डों का अभी तक गठन ही नहीं किया है जिन्हें जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जाना था। केन्द्र को यह देखना चाहिये कि राज्य सरकार इन बोर्डों का गठन कर लें। तब इस अधिनियम के अन्तर्गत इन बोर्डों को शक्तियां उपलब्ध करानी होंगी। इस बात को रोकने के लिये, जब किसी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा हो और उद्यमी औद्योगिक लायसेंस लेने के लिये आवेदन करे तो उसे सबसे पहले सम्बद्ध बोर्ड से यह आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उस कारखाने से किसी प्रकार का धुंआ बाहर नहीं आयेगा और उसका कूड़ा कचरा आस पास की नदियों में नहीं डाला जायेगा ताकि उस कारखाने से वायु और जल प्रदूषित न होने पायें। जब तक वे ऐसा प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करते तब तक उस औद्योगिक कारखाने के लिये न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही केन्द्र सरकार द्वारा कोई लायसेंस मंजूर किया जाये। उसके बाद, राज्य बोर्डों के विशेषज्ञों द्वारा यह देखने के लिये समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए कि इन शर्तों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। मान लो कि सरकार की शर्तों का पालन करते हुए कि उसने प्रदूषण रोकने के लिये सभी सावधानियां बरत ली हैं उसे लायसेंस मिल जाता है लेकिन उसके बाद वह इन शर्तों का पालन नहीं करता तब क्या होगा ? इसलिये राज्य बोर्डों के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर यह देखने के लिये निरीक्षण किया जाना चाहिये कि क्या इन शर्तों का पालन हो रहा है।

मेरे माननीय मित्र डा० स्वामी ने कहा है कि इस विधेयक में सरकारी कारखानों का कोई जिक्र नहीं है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि यह सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही कारखानों पर एक समान लागू होता है कोई भी व्यक्ति जो इस विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करता है इस उपाय के अन्तर्गत उसे सजा दी जायेगी। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा कोई कारखाना स्थापित करता है जिससे वायु-प्रदूषण का खतरा है तो उन्हें कारखाना स्थापित करने से पहले सभी पूर्वोपाय अपना लेना चाहिए और उसके बाद उन अपेक्षित सुरक्षाओं एवं शर्तों का पालन करते रहना चाहिए जिससे कि प्रदूषण न होने पाये।

हम नहीं जानते कि राज्य बोर्ड अपने-अपने राज्यों में क्या कदम उठा रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण की देख-रेख का भार केन्द्रीय सरकार पर है। उसे ही राज्य बोर्डों से प्रतिवर्ष रिपोर्ट मंगाकर उसे वार्षिक रिपोर्ट के रूप में समेकित करके सदन के पटल पर रखनी चाहिए ताकि संसद को यह मालूम हो सके कि इस अधिनियम का कार्यान्वयन कितनी सफलता से हो रहा है।

शहरों में परिवहन वाहन भी अत्यधिक धुंआ छोड़ते हैं। इन वाहनों को क्या पूर्वोपाय लेना

चाहिए। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वायु-प्रदूषण का एक प्रमुख कारण यह भी है। इन बातों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा और सरकार को यह देखना होगा कि वाहन मालिकों द्वारा सावधानी के उपाय बरते जायें।

जहाँ भी किसी कारखाने द्वारा चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो अथवा अन्य क्षेत्र में इस कानून के उपबन्धों का उल्लंघन होता है तो उसे फौजदारी अपराध माना जाना चाहिए अथवा इस विधेयक में प्रस्तावित दण्डात्मक उपबन्धों का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत इसे जन स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाना चाहिए। इसे संज्ञेय अपराध घोषित किया जाना चाहिए। तब ही हम लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकेंगे। अथवा व्यापारी वर्ग जानता है कि बोर्ड को किस तरह से खुश किया जाता है। क्या आपके पास किसी औद्योगिक कारखाने द्वारा जल और वायु-प्रदूषण के बारे में राज्य बोर्डों से 1974 से लेकर 1980 तक किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट आयी है? एक भी नहीं। इन कारखानों के मालिकों को मालूम है कि किस प्रकार बोर्ड से बचा जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आप इस अधिनियम को प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आपको इस विधेयक में कड़े दण्ड की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ये उपाय वांछित प्रभाव नहीं दिखा पायेंगे।

समापति महोदय : आप चाहते हैं कि इस विधेयक के उपबन्धों की अवहेलना करने पर कड़ी सजा की व्यवस्था की जाय।

श्री जगन्नाथ राव : जी हाँ; इसके अलावा, मैं यह भी सुझाव देता हूं कि यदि वह कारखाना सावधानी के उपायों का पालन नहीं करता और धुंआ निकालकर वायु-प्रदूषण करना जारी रखता है तो उसका लायसेंस रद्द कर दिया जाय। उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा जाय और फिर कार्यवाही की जाय।

यह एक अत्युत्तम उपाय है इसे ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाये ताकि इस विधेयक में दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

महोदय, एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने ऐसी अनेक बस्तियाँ देखी हैं जो सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों के आस-पास बसी हुई हैं। अक्सर ऐसा अनिवार्यतः होता है कि जिस ओर धुआं जाता है उसी ओर बस्तियां बसी हुई होती हैं। मैंने अनेक औद्योगिक स्थान देखे हैं जहां बस्तियाँ उसी ओर बसी हैं जिस ओर धुएं का रूख है। इसलिए किसी औद्योगिक कारखाने के पास बस्ती बसाने से पहले मौसम के हालातों का अध्ययन करके यह देखना चाहिए कि हवा का रूख किस ओर है, और फिर बस्ती उसकी विपरीत दिशा में बसायी जानी चाहिए जिसके धुंए से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा और हानिकारक प्रभाव न पड़ सके। इसलिए लायसेंस दिये जाने से पूर्व सभी सावधानियां बरत लेनी चाहिए और तब प्रस्तावित कारखाने के लिए लायसेंस दिया जाना चाहिए। राज्य सलाहकार बोर्ड को समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण करते रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन शर्तों का पालन सख्ती से किया भी जा रहा है अथवा नहीं। और केवल तभी यह अधिनियम अपेक्षित प्रभाव दिखा सकता है। परन्तु कुछ भी न होने से कुछ होना अच्छा ही है। यह विधेयक छः वर्ष पश्चात् लाया गया है। यदि कांग्रेस सरकार 1977 में हारी न होती तो यह विधेयक काफी पहले ही आ चुका होता। मुझे याद है कि हम 1974 में एक विधेयक लाये थे—वह था जल-

प्रदूषण निवारण विधेयक और यह विधेयक भी शायद 1975-76 में सरकार के विचाराधीन था। लेकिन कभी न करने से देर से करना बेहतर होता है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमें चाहिए कि इसको ईमानदारी से लागू करें ताकि विधेयक के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

जहां तक दण्ड दिए जाने का सवाल है, मैं दोबारा यही कहूंगा कि इसके लिए भयप्रद कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिस तरीके से सरकार दोषी व्यक्ति को सजा देना चाहती है उस तरीके से, मेरे विचार में, हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। धन्यवाद।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायन सिंह) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का खुले दिल से समर्थन किया। मैं तल्लीनता से उनको सुन रहा था। महोदय मैंने यह देखा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये अधिकांश मुद्दे सुझावों के रूप में थे। मैंने सुझाव नोट कर लिए हैं तथा इस विधेयक को कार्यान्वित करते समय, इन सुझावों से सरकार को बड़ी सहायता मिलेगी।

महोदय, इन बातों का उत्तर देने की बहुत अधिक गुंजाइश नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य इस विधेयक के उद्देश्यों से अवगत हैं तथा इस विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन किया गया है।

कुछ सदस्यों ने अपनी शंकायें व्यक्त की हैं। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूं। परन्तु उन शंकाओं का उल्लेख करने से पूर्व, मैं, महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताऊँगा कि यह सरकार जल और वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए कृतसंकल्प हैं। न केवल वायु और जल-प्रदूषण, कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में भी कहा है। परन्तु आप जानते हैं कि इस बारे में राज्य सरकारें आवश्यक उपाय करेंगी।

महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि ऐसी समस्याओं का समाधान करने में यह सरकार कितनी गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई करती है। महोदय, 7वीं संसद के पहले संयुक्त सत्र में, राष्ट्रपति ने एक विशेष तन्त्र की स्थापना करने की आवश्यकता का उल्लेख किया था जिसके पास परिस्थितियों संतुलन कायम रखने हेतु सुनियोजित विकास सम्बन्धी उपाय करने के लिए समुचित शक्तियां हों। और महोदय न केवल राष्ट्रपति ने बल्कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 6 मार्च, 1980 को विश्व संरक्षण नीति द्वारा आयोजित समारोह में बोलते हुए कहा था कि संरक्षण में दिलचस्पी लेना केवल भावना पर ही आधारित नहीं है बल्कि यह तो उस सत्य का पुनर्बोध है जिसे हमारे पूर्वज भली-भाँति जानते थे। भारतीय परम्परा हमें बताती है कि सभी प्रकार के जीवन-मानव, पशु और पौधे—एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि किसी एक में गड़बड़ होने से दूसरों में भी असन्तुलन आ जाता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या का समाधान करने के बारे में कितनी गम्भीर है। श्री भगत ने यमुना नदी के जल-प्रदूषण के बारे में कहा। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार यमुना के जल-प्रदूषण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी। और न केवल यमुना नदी के बल्कि मैंने इस सम्बन्ध में सरकार की इच्छा व्यक्त कर दी है।

इस बहस में "माननीय सदस्यों ने भाग लिया था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने उनके बहुमूल्य सुझावों को नोट कर लिया है। किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया है, सभी ने इसका खुले दिल से समर्थन किया है। इसलिए मैं उनका आभारी हूँ।

मैं उठाये गये कुछ प्रश्नों का जिन्हें मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं उत्तर देना चाहता हूं। डा० स्वामी को नागरिकों के अधिकारों और इस बारे में कुछ शंकायें हैं कि वे वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए उनको किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। प्रत्येक नागरिक राज्य बोर्ड को बता सकता है और राज्य बोर्ड उनके विचारों पर आवश्यक कार्यवाई करेगा। उन्हें आवश्यक कार्रवाई करनी है। हमने उन्हें शक्तियां प्रदान की हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यदि राज्य बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके लिए कोई दण्ड की व्यवस्था नहीं है। आपको अवश्य यह कहना चाहिए कि आप उन्हें निलम्बित कर देंगे।

श्री भीष्म नारायण सिंह : बोर्ड का कार्य निर्णय को लागू करना है। उन्हें निर्णय को लागू करना पड़ेगा और सरकार यह सुनिश्चत करेगी कि वे निर्णय को लागू करें।

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : नियमों में इस बारे में अवश्य ही कोई उपबन्ध शामिल किया जाना चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : संसद में एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। उस समिति ने मामले की विस्तृत जाँच की। श्री महालगी उस समिति के सदस्य थे। हमने इस समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उन्हें शामिल किया जा चुका है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : विधेयक के प्रत्यायोजित विधान से संबंधित अंश में आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यदि कोई नागरिक कोई शिकायत करता है तो बोर्ड को उस शिकायत पर अवश्य ही कार्यवाही करनी चाहिए या कार्यवाही न करने के लिए 10 दिन के भीतर कारण बताने चाहिए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने श्री महालगी के सुझाव नोट कर लिए हैं। मैं श्री दिग्विजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वे इस विषय में बहुत रुचि रखते हैं। उन्होंने बहुत सा अनुसंधान कार्य भी किया है। शायद डा० स्वामी ने भी किया है। यदि उन्होंने किया है तो यह एक अच्छी बात है।

एक बार फिर मैं उन सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैंने यह पूछा था कि कितने राज्यों ने बोर्ड गठित नहीं किए हैं ? मन्त्री जी ने ऐसे राज्यों की संख्या पाँच बतायी थी।

श्री भीष्म नारायन सिंह : मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। ये जानकारी मेरे पास है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : पश्चिम बंगाल के लिए कलकत्ता में एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। और दुर्गापुर-आसनसोल पट्टी के लिए एक और बोर्ड होना चाहिए।

श्री भीष्म नरायन सिंह : केन्द्र के इस अधिनियम को सात राज्यों ने अपने यहाँ लागू

नहीं किया है। वे राज्य हैं : तामिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मानीपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। हम उन्हें बार-बार पत्र लिख रहे हैं। मुझे दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र उनमें हैं। एक बार फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ और अपने प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए इस सम्मानीय सदन को सौंपता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और उपशमन के लिए और पूर्वोक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से बोर्डों की स्थापना के लिए ऐसे बोर्डों को, उनसे संबंधित शक्तियाँ और कृत्य प्रदत्त और समनुदेशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : खन्ड 2 से 36 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 36 तक विधेयक का अंश बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 36 तक विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : खण्ड 37 पर एक संशोधन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 18—

पंक्ति 17 के **बाद** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए—

"(3) उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सरकारी क्षेत्र का एकक इस अधिनियम की धारा 21 या 22 अथवा उसके अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश का पालन नहीं करता तो अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और निदेशक मण्डल सहित सम्पूर्ण प्रबन्ध मण्डल निलम्बित हो जाएगा और उसकी शक्तियाँ तब तक संसद की किसी समिति द्वारा अपने हाथ में ले ली जाएगी, जब तक कि ऐसे उल्लंघन के लिए किसी को पूर्ण रूप से उत्तरदायी न ठहराया जाए।"

विचार यह है कि सरकारी क्षेत्र को अपने कर्तव्य का आभास कराया जाए। यदि मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन देते हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करने का विशेष ध्यान रखेंगे कि सरकारी क्षेत्र के एकक ठीक ढंग से कार्य करते हैं, तो मैं इस संशोधन को वापस ले सकता हूं।

श्री भीष्म नरायण सिंह : विधेयक के खण्ड 37 में यह उपबन्ध है कि यदि इस अधिनियम की धारा 21, 22 या किसी अन्य धारा अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किसी अनुदेश का पालन न किया जाये तो उससे किस प्रकार निपटा जाये। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संशोशन इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं आता। इस संशोधन का स्वीकार किया जाना सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच अन्तर करना ही है।

सभापति महोदय : क्या आपका कहना है कि यह हर जगह लागू होता है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह हर जगह ही लागू होता है और इसलिए मेरे विचार में इसके बारे में कोई आश्वासन दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं उनके वक्तव्य को परोक्ष रूप से दिया गया एक आश्वासन ही समझता हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या डा० स्वामी को अपना संशोधन वापस लेने की सदन की ओर से अनुमति है ?

माननीय सदस्यगण : हाँ।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 54 तक कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें एक साथ मतदान के लिए लेता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 37 से 54 तक विधेयक का अंश बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 37 से 54 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भीष्म नरायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कोयला खान मजदूर कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि कोयला खान, मजदूर कल्याण निधि अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कोयला खनिकों के जीवन-स्तर और काम की स्थिति में सुधार करने और उन्हें आवास, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य इत्यादि सम्बन्धी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के विचार से, भारत सरकार ने 1944 में एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था जिसने बाद में एक अधिनियम का रूप ले लिया जिसे कोयला खान मजदूर कल्याण निधि अधिनियम, 1947 कहा जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित कल्याण निधि के लिए राजस्व उपकर की उगाही से संचित की जाती है। उपकर अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत लगाया जाता है और यह कोयले और

कोक की भेजी गई मात्रा पर 75 पैसे प्रति मीटरी टन से अधिक नहीं होता । इस राशि को केन्द्रीय कल्याण लेखे और आवास लेखे में बांट दिया जाता है ।

इस योजना के अन्तर्गत कामगारों को मुफ्त डाक्टरी सेवा प्रदान की जाती है। जनवरी, 1981 में हम एक हस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं जहाँ कामगारों को कृत्रिम अंग मिल सकेंगे। कल्याण कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 1979-80 में इन कार्यों पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस वर्ष हमने इस राशि को बढ़ाकर 12.35 करोड़ रुपए कर दिया है और हम इसे अगले वर्ष 16.15 करोड़ कर देना चाहते हैं। हम श्रमिकों के लिए लगातार अधिक से अधिक मकान बना रहे हैं और उन्हें अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दे रहे हैं। 1979-80 में हमने लगभग 8900 परिवारों को सहायता दी। इस वर्ष हम इस संख्या को बढ़ाकर 11,300 कर देना चाहते हैं। इसी प्रकार राज्यों को दी जा रही आर्थिक सहायता के सन्दर्भ में हमने पश्चिम बंगाल को जल आपूर्ति योजना के लिए 70 लाख रु० दिए। बिहार को हमने 40 लाख रुपए दिए। कामगारों के कल्याण के लिए जो कदम हम उठा रहे हैं उनके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि दुर्घटनाओं की दर में लगातार कमी आ रही है। 1980-81 में, इसी अवधि के दौरान, हुई घातक दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम रहीं। हम एक कोयला खान सुरक्षा बोर्ड गठित करने जा रहे हैं जो श्रमिकों के हितों का ध्यान रखेगा।

कोयला खान मजदूर कल्याण निधि अधिनियम एक त्रिपक्षीय निकाय द्वारा लागू किया जाता है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, कोयला खान मालिकों के यह प्रतिनिधि, कोयला खानों में काम करने वाले कामगारों के छह प्रतिनिधि, एक महिला और दो खनन इन्जीनियर शामिल होते हैं।

कोयला खान मजदूर कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 का उद्देश्य कोयला खान मजदूर कल्याण निधि अधिनियम, 1947 में एक उपबन्ध जोड़ना है ताकि नियमों में भूतलक्षी संशोधन करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की जा सकें। कोयला खान मजदूर कल्याण निधि नियम, 1947 जिसे श्रम मन्त्रालय ने 12 मई, 1973 को अधिसूचित किया था तथा 25-8-1972 में अर्थात् भूतलक्षी प्रणाली से लागू किया था के नियम 3(1) (क) (1) को देखते हुए संशोधन करना बहुत जरूरी हो गया है। इस नियम में संशोधन किए जाने से पूर्व यह व्यवस्था थी कि श्रम और रोजगार मन्त्रालय के सचिव या संयुक्त सचिव को सलाहकार समिति का सभापति नियुक्त किया जा सकता था।

एक संयुक्त सचिव सलाहकार समिति के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें 25-8-1972 को अपर सचिव के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था, परन्तु मई 1973 में नियम में संशोधन किये जाने तक वे सलाहकार समिति के चेयरमैन के रूप में काम करते रहे जबकि नियम 3(1) (क) (i) में यह उपबंधित नहीं था कि कोई अपर सचिव सलाहकार समिति के चेयरमैन के रूप में काम कर सकता था। इस अवधि के दौरान इन्होंने सलाहकार समिति की दो बैठकों की अध्यक्षता भी की थी। इस प्रकार नियम 3(1) (क)(i) को, जिसे 12-5-1973 को अधिसूचित किया गया था, 25-8-1972 से पूर्व व्याप्ति सहित लागू किया गया था। इस संशोधन में यह उपबंधित था कि अपर सचिव को सलाहकार समिति का चेयरमैन भी नियुक्त किया जा सकता है।

वर्ष 1974 में लोकसभा सचिवालय ने यह प्रश्न उठाया था कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि नियम के इस संशोधन को पूर्व व्याप्ति सहित कैसे लागू किया गया जबकि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 में नियमों के पूर्व व्याप्ति सहित संशोधन की व्यवस्था नहीं है।

श्रम मन्त्रालय के उत्तर पर विचार करने के बाद अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (पांचवीं (लोकसभा) ने अपने बीसवें प्रतिवेदन के पैरा 65 में, जो 3 नवम्बर, 1976 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई थी यह टिप्पणी की थी कि प्रश्नाधीन नियमों को उनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तरीख से लागू किया जाए या विकल्प स्वरूप, संगत अधिनियम में एक उपबंध समाविष्ट करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे सरकार को इन नियमों को पूर्व व्याप्ति सहित लागू करने की शक्ति प्राप्त हो सके।

श्रम मन्त्रालय और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के बीच चर्चा के बाद कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम, 1947 की धारा 10 को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार को नियमों को पूर्व व्याप्ति सहित, अधिनियम के लागू होने से पहले की तारीख से नहीं, बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाए बशर्ते नियमों को इस प्रकार पूर्व व्याप्ति सहित लागू करने से किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्रीमान् मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव है कि :

> "कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा हैं कि विधेयक का बहुत सीमित प्रयोजन से लाया गया है। साथ-साथ उन्होंने कहा है कि सरकार कोयला खानों में काम करने वालों के कल्याण में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कोयला खानों का कामगार-काले-हीरे को जमीन के कई हजार फुट नीचे से निकालने के लिए बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और वे अपनी पूरी क्षमता से हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। फिर भी, यहां दिए जाने वाले वक्तव्यों के बावजूद, उन्हें सरकार से उचित लाभ नहीं मिल रहे हैं।

सरकार ने कहा है कि सुरक्षोपाय पर्याप्त नहीं है। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद अधिक दुर्घटनाएँ हुई हैं। अतः, सबसे पहले, कोयला खानों के कामगारों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सुरक्षोपायों को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए और जब किसी कोयला खान दुर्घटना के किसी कोयला खान कामगार की मृत्यु हो जाये तो तुरन्त उसके परिवार के सदस्य को रोजगार दिया जाए और कामगारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्रीमान्, सरकार ने श्री मनमोहन सिंह, सलाहकार, श्रम तथा रोजगार, श्रम मन्त्रालय, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने 31 जनवरी, 1979 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन वह रिपोर्ट सभा-पटल पर नहीं रखी गई है। मनमोहन सिंह रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। इस रिपोर्ट में यह बात

स्वीकार की गई है कि यह निधि जिस उद्देश्य के लिये बनाई गई थी उसे पूरा नहीं कर सकी है। श्रीमान् आप जानते हैं कि 27 प्रतिशत से भी कम कोयला खान कामगारों को मकान दिये गये हैं और यह निधि इस योग्य नहीं है कि आवास-स्तर को अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को बराबर ला सके जहाँ उन्होंने अपने लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था कर रखी है। उदाहरण के लिए, रेलवे में 40 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं। परन्तु कोयला खानों में 27 प्रतिशत से भी कम कर्मचारियों को मकान दिए गये हैं। अतः मैं यह मांग करता हूं कि इन श्रमिकों के अन्य कल्याण कार्यों में मकानों की समस्या को यथासम्भव शीघ्र हल किया जाये।

चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि कोयला खान के कामगारों को केवल यह सुविधा उपलब्ध है कि उन्हें सामान्य दवाइयां बांटी जाती हैं और यह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलतीं। सामान्यतः कामगारों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ती है। जिस की प्रति पूर्ति की भी आशा नहीं होती क्योंकि उन्हें उचित चिकित्सा-सुविधाएँ आदि नहीं दी गई हैं। उन्हें बाजार से दवाई खरीदनी पड़ती है और प्रतिपूर्ति भी उचित समय पर नहीं होती। श्रीमान्, आप जानते हैं कि कोयला खान कामगारों को बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके मकान अगर ठीक हालत में नहीं हैं और वहां उचित सफाई नहीं होती इसलिए कोयला खान मजदूरों में क्षय रोग सबसे अधिक संख्या में होता है। वहां कोई भी निरोधक उपाय नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तथा सेने टोरियम इलाज करवाने के लिए एक वर्ष से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

सभापति महोदय : आपका मतलब है कि बहुत से कोयला खान मजदूर क्षय रोग से ग्रस्त हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्षयरोग के मरोजों का प्रतिशत कोयला खान मजदूरों में सबसे अधिक है। हालांकि बीड़ी मजदूर भी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और वे भी क्षयरोग से प्रभावित होते हैं।

सरकार द्वारा कल्याण-कार्य किये जाने के बावजूद सभी कोयला खान मजदूरों को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं किया गया है और उन्हें कोयला खानों से पानी लेना पड़ता है। अतः मैं मांग करता हूं कि सभी कोयला खान मजदूरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाये।

मैंने पहले जन-स्वास्थ्य के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां पर किये गये निरोधक उपाय अपेक्षित स्तर के नहीं हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : क्या उपचारी उपाय पर्याप्त हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे पर्याप्त नहीं हैं।

सभापति महोदय : मैंने समझा कि आप केवल क्षयरोग के बारे में कह रहे थे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उपचारी उपाय भी अपेक्षित स्तर के नहीं हैं।

कोयला खान मजदूरों को प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होते क्योंकि उनकी पदोन्नति की कोई सम्भावना नहीं है। कोयला खान मजदूरों में प्रौढ़ शिक्षा को न केवल

प्रबन्धक-वर्ग द्वारा चलाया जाये बल्कि इस संबंध में ट्रेड यूनियनों की भी सहायता लेनी चाहिए। इसके साथ ही जो मजदूर शिक्षित हो जाते हैं उन्हें पदोन्नति के अवसर दिए जाने चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर रिक्तियां हैं जिन्हें भरा नहीं गया है। दूसरी ओर प्राधिकारियों ने मनचाहे ढंग से अनियमित नियुक्तियां की हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हैं और मैं समझता हूं कि मेरे प्रस्तावों और टिप्पणियों पर सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा और उचित रूप से लागू किया जायेगा।

मनमोहन सिंह समिति में बताया गया है कि निधियों की कमी के कारण राज्य 75 पैसे प्रति मीटरी टन तक निधियां नहीं बढ़ा सके जैसा कि माननीय मन्त्री ने पहले कहा था। इसलिए कोयला खान कल्याण निधि को बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढे जाने चाहिए कल्याण-उपायों को ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

मेरे चुनाव क्षेत्र में यह बहुत बड़ी समस्या है। कोयला खान मजदूरों के लिए कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था करने के लिए रानीगंज से बांकुरा तक रेल लाइन का होना आवश्यक है। हमारे भूतपूर्व रेल मन्त्री श्री त्रिपाठी यहां मौजूद हैं। यदि रानीगंज से बांकुरा तक का यह रेल-लिंक बना दिया जाए तो कोयला खान मजदूरों को ठीक ढंग से तथा बहुत जल्दी कल्याणकारी उपायों का लाभ मिल सकता है। श्री अब्दुल गनी खान चौधरी भी इस बात से सहमत हैं कि यह महत्वपूर्ण रेल-लिंक है क्योंकि इससे मझिया कोयला क्षेत्र का विकास होगा। वे वहां मझिया कोयला क्षेत्र में ताप बिजली घर बनाना चाहते हैं। मैं श्री महजन तथा श्री अब्दुल गनी खान चौधरी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामलों को रेलमन्त्री श्री केदार पांडे के साथ उठायें ताकि इस यह रेल-लिंक का निर्माण यथा सम्भव शीघ्र हो सके।

मुझे आशा है कि मेरे सुझाव पर सरकार कार्रवाई करेगी और कोयला खान मजदूरों के कल्याण के लिए उन्हें कार्यान्वित करेगी।

श्री के० लकप्पा (दुमकुर) : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। यह सत्र का अन्तिम दिन है। मैंने नियम 222 के अधीन कुछ लोगों के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया था, जो श्रीमती माग्रेट आल्वा और ब्लिट्ज के सम्पादक और·····(व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इस विधेयक सम्बन्धी बहस के बीच में ये क्यों बोल रहे हैं। अगर कुछ कहना है तो इसके बाद कहें।···(व्यवधान)···बीच में इस तरह से प्वाइन्ट उठाना गलत है।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, मुझे नोटिस पहले ही मिल चुका है और वह विचाराधीन है। इसमें सम्बन्ध प्रक्रियां अपनाई जाएगी। यह विलम्ब से भी मिला था। यदि यह प्रातःकाल मिला होता···(व्यवधान)।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : (व्यवधान)। माननीय सदस्य ने आपके ऊपर झपट्टा सा मारा है और आपकी अनुमति के बिना ही कुछ कहा है।···(व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : मैंने आपकी अनुमति मांगी है। (व्यवधान)। मैंने एक पत्र भेजा है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह बहुत असामान्य और असाधारण बात है। (व्यवधान)।

यदि कोई सदस्य आपकी अनुमति के बिना बोलता है तो आप कहते हैं कि उसकी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी। आप इस बात को निकाल दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप हम पर छोड़ दें। अब श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : मैं श्री महाजन द्वारा इस सभा में कोयला खान मजदूरों के कल्याण कार्यों के लिए पेश किए गए विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री का ध्यान विद्यमान बोर्ड की वर्तमान स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐतिहासिक कारणों से कोयला खान कल्याण बोर्ड की रचना उस समय हुई थी जब कोयला खानें प्राइवेट मालिकों के हाथों में थीं। यह मजदूरों के कल्याण के लिए एक तंत्र के रूप में बना था। जिसका उद्देश्य था कोयले की प्रतिटन वृद्धि के साथ समेकित निधि को बढ़ाना। वह बोर्ड मजदूरों के कल्याण कार्यों की देखभाल करता था। यदि आप इस संगठन को देखें तो आप पाएंगे कि अक्षम कहना तो अनुचित होगा, पर यह बोर्ड कोयला खान मजदूरों के कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं है। अब कोयले का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। सरकारी क्षेत्र में मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार को बहुत कम कार्य करना पड़ता है। अब हम इस बात का जायजा लें कि कल्याण-कार्य किस प्रकार किये जाते हैं। स्वास्थ्य को ही लें।

यदि आप उनके द्वारा कोयला पट्टी क्षेत्र में किए गए स्वास्थ्य संबंधी उपायों को देखें तो आप पाएंगे कि कोयला खान कल्याण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय अस्पताल स्थापित किए गए हैं दूसरी व्यवस्था यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा की देख-रेख कोयला खान बोर्ड का स्वास्थ्य संगठन करता है और तीसरी व्यवस्था यह है कि स्थानीय राज्य सरकारों ने कहीं-कहीं औषधालय खोल रखे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद प्रत्येक राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को अपने-अपने चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था करनी होती है। ई०सी०सी०एल० का अपना केन्द्र है; बी०सी०सी०एल० का अपना अलग केन्द्र है। उनकी व्यवस्था तिहरी है, अर्थात् कोयला खान कल्याण बोर्ड के अस्पताल हैं, कोयला खान बोर्ड स्वास्थ्य संगठन और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की अपनी-अपनी व्यवस्था है। इनका वित्तीय स्रोत एक ही है।

केन्द्रीय अस्पतालों में चिकित्सा सेवा नियमों के अनुसार भारत सरकार के कर्मचारी काम करते हैं। यदि किसी अस्पताल में लगातार कई वर्ष तक कोई डाक्टर न हों तो ई०सी०सी० एल० सरकारी क्षेत्र के कोयला खान मालिक कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई सुविधा उपलब्ध न हो तो वे कुछ नहीं कर सकते। यदि किसी उपस्कर की आवश्यकता हो तो उन्हें कोयला खान कल्याण बोर्ड से बातचीत करनी पड़ेगी। पहले यह विभाग श्रम विभाग के अधीन था।

अब यह खान विभाग के अंतर्गत आ गया है। राष्ट्रीयकरण के बाद न्यूनतम उत्तरदायित्व के नाते, मैं मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि आज नहीं, तो कल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, कोयला कंपनियों द्वारा यह उपाय अवश्य किये जाने चाहिए।

यह केवल स्वास्थ्य संबंधी ही विधेयक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोयला खानें देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है और खनन कार्य पूरा होने के बाद भूमिगत जल उपलब्ध नहीं होता। मैं आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र में कोयला खान श्रमिकों की हालत जानता हूं

जहाँ पर सारे क्षेत्र में श्रमिकों को गर्मी में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। कोयला खानों से केवल पम्प से निकाला गया पानी ही श्रमिकों को सप्लाई किया जाता है। कोयला खानों में पीने के पानी की सप्लाई का उचित प्रबन्ध होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में इसके कुछ भाग ढका गया है और कुछ भाग में इसे ढका नहीं गया है। इसके लिए एक बहुत बड़ा संगठन होना चाहिए। कल्याण संगठन द्वारा ऐसा किया जाना संभव नहीं है। देश में 6 लाख कोयला खान मजदूरों को पीने के पानी को सप्लाई करने के लिए एक भारी मशीनरी की आवश्यकता है।

दूरस्थ क्षेत्रों में कोयला खानों से पानी की सप्लाई नलकों द्वारा या अस्थाई कनैक्शन द्वारा की जाती है। कालोनियों में ट्रकों द्वारा पानी की सप्लाई की जाती है। यह एक दुर्लभ वस्तु है इस क्षेत्र में महामारियों तथा अन्य रोग एक आम बात हो गये हैं। जहां तक सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन का संबन्ध है, इस सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यह संस्था विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है। मैं यह जानता हूं कि आसनसोल में इसे किस प्रकार चलाया जा रहा है। इसमें पूर्णतया राजनीति का वर्चस्व है। वाइस चैयरमैन एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और निकटवर्ती क्षेत्रों में श्रमिकों के कल्याण की देखभाल करने के बजाय वह अपनी पार्टी के हितों की देखभाल करता है।

यदि आप सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में आवास व्यवस्था की ओर देखें तो आप को पता चलेगा कि मजदूरों को सबसे कम संख्या में मकान दिये गये हैं। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि यह 27% है। संपूर्ण कोयला क्षेत्र में यह इससे भी कम हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के अंतर्गत एक संस्था बनाई जाये, जैसा कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य कम्पनियां करती हैं वह ऐसा मजदूरों के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उन्हें मकान देने के लिए और उन्हें पानी की सप्लाई करने और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए करती हैं।

वे उसी सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती हैं। कोयला कंपनियां भी स्वयं ऐसा क्यों नहीं करतीं ? यदि वे इसकी देखभाल करने के लिए कोई अलग मशीनरी चाहती हैं, तो समूचे ढांचे को बदलना पड़ेगा। यह ढांचा इस संस्था की देखभाल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अक्सर आप देखेंगे कि उच्च अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि उनके पास इस संस्था की देखभाल करने के लिए कम व्यक्ति हैं, अक्सर आप देखेंगे कि वहां पर विशेषज्ञ नहीं हैं।

आवास, शिक्षा, चिकित्सा और पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें कोयला खान मजदूरों के लिए अनिवार्य हैं और यदि सरकार कोयला खान मजदूरों के कल्याण के प्रति गंभीर है, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि यह राष्ट्रीयकरण के बाद स्थापित की गई विभिन्न कोयला कंपनियों के अन्तर्गत होना चाहिए। इस संबंध में सुधार करने के लिए यह पहला कदम है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जहां तक पूर्वी कोयला खानों में शिक्षा का सम्बन्ध है, आप देखेंगे कि वर्तमान कोयला खानें स्कूल चला रही हैं। अभी तक श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए कोयला खान कल्याण बोर्ड द्वारा कोई भी माध्यमिक स्कूल स्थापित नहीं किया गया है। पड़ोसी क्षेत्रों में कुछ स्कूल हैं जहां पर बच्चे जाते हैं और प्रवेश पाते हैं। स्कूल भवनों के लिए, शिक्षा के लिए अन्य बातों के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक संस्था श्रमिकों के कल्याण के लिए उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और अन्य कार्यों के लिए कुछ प्रतिशत धन लगाती है। इन सब बातों के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।

कोयला खाने दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित है। यदि कोयला खान में कोई दुर्घटना हो जाती है या यदि वहां कोई बीमार पड़ जाता हैं तो प्रत्येक कोयला खान में निकट में ही एक बहिरंग उपचार केन्द्र होना चाहिए जहां से मजदूर और उनके आश्रित इलाज करा सकें। क्षेत्रीय उपचार केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए ताकि पड़ौसी क्षेत्रों से कर्मचारियों और उनके बच्चों को उचित इलाज के लिए अस्पताल लाया जा सके। वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त और अक्षम हैं। कोयला खान कल्यान बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता। इस सिद्धान्त को बदलना होगा। समूचे ढाचे को बदलना होगा। इन सब कार्यों के लिए देश में स्थापित की गयी कम्पनियों को यह उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह एक पहला कदम है। मैं यह आशा करता हूं कि मंत्री जी इस सामले की ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे ताकि मजदूरों को कम से कम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा सके। यदि आप गर्मी के मौसम में मेरे साथ कोयला खान क्षेत्र में चलें तो आप मजदूरों की दयनीय दशा देखेंगे। पानी की कमी के कारण वे स्नान नहीं कर सकते। उन्हें सप्लाई का उचित तथा सुरक्षित स्रोत नहीं मिल पाता। पानी वहां अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। इसके अलावा मैंने आवास, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के बारे में भी उल्लेख किया है।

मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि कोयला खान संगठन ऐतिहासिक कारणों से बनाया गया था। श्रमिकों के कल्याण का उपबन्ध करने वाला यह एक प्राचीन अधिनियम है जो तत्कालीन सरकार ने बनाया था। यह आवश्यक है कि इसके ढांचे में परिवर्तन किया जाये और मजदूरों को यह सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोयला खान कंपनियों को अधिकार दिया जाये।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा):— उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खान श्रम कल्याण निधि की धारा दो में संशोधन के लिए सबार्डिनेट लेजिसलेशन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मंत्री महोदय इसको लाए हैं। हालांकि पांचवी लोकसभा में कमेटी ने सिफारिश की थी कि वैधानिक अनियमितताओं को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता है तो मंत्री महोदय केवल वैधानिक अनियमितताओं को दूर करने के लिए या नियमितताओं को लाने के लिए इसको लाए हैं। यह बहुत आवश्यक था, लेकिन साथ ही साथ जहां कोयला खान के श्रमिकों की बात आती है, उस पर इन्होंने कोई विचार नहीं किया जबकि अधिकारी वर्गों ने अपनी सुख-सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश की। यह अनियमितता सन् 1972 से चलती रही और 1973 में जो एक कानून बनाया गया उसके द्वारा भी उन्होंने अपना ही काम बनाने की कोशिश की और मजदूरों के कल्याण के लिए, जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, अपेक्षाकृतबहुत कम कोशिश रही है। 1947 के कानून में बताया है कि 25 से 75 पैसे तक प्रति मी० टन मजदूरों के हित के लिए कर वसूल किया जाएगा, चाहे किसी भी वर्ग का कोयला हो। आज कि मंहगाई को देखते हुए 75 पैसे जो मजदूरों के कल्याण के लिए आप रखते हैं इसको बढ़ा कर आपको कम से कम दो रुपए प्रति मैट्रिक टन कर देना चाहिए। मंत्री जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिकारी वर्ग को नियमित सुविधायें अधिक किस तरह से मिल सकती है इसी ओर उन्होंने ध्यान दिया है।

कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1947 की धारा 10 में मजदूरों के कल्याण का विचार किया गया था। लेकिन जिस प्रकार से चाही गई थी कि उनको सुख-

सुविधायें मिलें वैसी नहीं मिल पा रही हैं। कोयला क्षेत्रों में साढ़े छः लाख के करीब कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन वहां लगता ऐसा है कि खानों के अन्दर बाहर जो मजदूर रहते हैं वे इस तरह से रहते है जैसे जानवर रहते हों, उनसे भी बदतर उनके रहने के साधन हैं। न बिजली की, न पानी की, शुद्ध पेय जल की और न अच्छी दवा की उनके लिए व्यवस्था होती है और न ही उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा का कोई प्रबन्ध होता है। वैसे तो बहुत सी व्यवस्था वहां रहती है लेकिन वह सभी अधिकारी वर्ग के लिए ही होती है। इनकी भलाई के जो काम हैं वे केवल कागजों पर ही होते हैं।

कल्ला अस्पताल जो आसनसोल में है वहां पर हम गए थे। वह श्रमिकों में लिए है। वहीं पर एक छात्रावास भी है। उसको मैंने देखा है। मजदूरों के बच्चों के लिए यह छात्रावास है। लेकिन वहां केवल तीस बच्चों के रहने की ही व्यवस्था है। उस एरिया में कई लाख मजदूर काम करते हैं। कम से कम दो सौ बच्चों के रहने की व्यवस्था तो वहाँ आपको करनी चाहिए। इस को करने के लिए अगर 75 पैसे से बढ़ा कर यदि आप दो रुपया प्रति मैट्रिक टन भी यह राशि कर दें तो इस में कोई आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए। जो मजदुर कोयला निकालता है वह किन कठिनाइयों में रहता है, कितनी कठिनाई से जी रहा है और जिस को तरह-तरह की बीमारियां हो जाती हैं, टी० बी०, दमा वगैरह हो जाता है, उसकी चिकित्सा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और चिकित्सा आदि की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। दवाई उसको बाहर से खरीदनी पड़ती है। आप उसके वैलफेयर के कदम उठा रहे हैं लेकिन अस्पतालों में कितनी क्षमता है, उनकी कितनी कैपेसैटी है, कितनी बीमारियां का इलाज वहाँ हो सकता है इसको भी आपको देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो भी व्यवस्था वहां बीमारियों के इलाज की की गई हैं वह पर्याप्त नहीं है और वह कारगर सिद्ध नहीं हुई है। इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए।

निधि में जो आपने प्रावधान किया है वह बहुत अत्यल्प है। इसको बढ़ाने के वास्ते आप को पहले से विचार करना चाहिए था। मैं समझता हूं कि आप धारा 3 का संशोधन करने का भी प्रयास करेंगे और 75 पैसे से बढ़ा कर दो रुपए प्रति मैट्रिक टन की राशि को कर दो।

मजदूरों की वहाँ जितनी संख्या है उसमें मैं समझता हूं कि केवल 22 प्रतिशत से अधिक लोगों के आवास की व्यवस्था नहीं हुई है। बाकी जितने लोग हैं वे बेघरबार हैं, झोपड़ियां बना कर उनमें रह रहें है। कोल इंडिया आपका बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है।

अधिकारी वर्ग के लिए तो एयर कंडिशंड मकान है, बिजली की उनको सुविधा है तथा दूसरी सुविधाएं हैं लेकिन मजदूर जो माइंज के अगल-बगल में रहते हैं उनके वास्ते कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उनके वास्ते बिजली पानी आदि सुविधाओं की कोल इंडिया को ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए थी। कोल इंडिया के अन्तर्गत पाँच कम्पनियां हैं। सभा कम्पनियों को कानून बना कर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करने लिए बाध्य किया जाना चाहिए। एक कम्प्रिहैंसिव बिल आपको लाना चाहिए ताकि आवास, औषधालयों, शिक्षा आदि की व्यवस्था मजदूर वर्ग के लिए हो सके और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा उनके बच्चों को मिल सके ताकि वे मजदूर ही न बनें बल्कि उससे ऊपर उठने का भी उनको अवसर मिल सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना):—मान्यवर, कोयला खान, श्रम कल्याण निधि संशोधन

विधेयक, 1980 पर हम विचार कर रहे हैं। इसके जरिये 1947 के कानून में संशोधन किया जा रहा है, इसमें सलाहकार समिति के गठन की बात कही गई है। इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने उस समिति को अधिकार केवल परामर्श देने का ही रखा है। मैं चाहूंगा कि उन्हें कुछ अधिकार भी दीजिए ताकि वह स्थिति को देख कर कल्याण सम्बन्धी कुछ कार्य कर सकें, कार्यक्रम बना सकें। जब तक ऐसे अधिकार नहीं देंगे, आपके हिदायत करने पर ही वह काम करेंगे, इसमें ज्यादा समय लग जाता है और मौके पर कल्लाण कार्य करने में कठिनाई होगी।

मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय है। जितनी भी उनकी कल्याण की बातें हैं वह केवल कागज पर तो ठीक हैं लेकिन उनको 100 फीसदी व्यवहार में उतारना सम्भव नहीं है, आपके अधिकारी वह काम नहीं करते। इसलिऐ जो भी अधिकार आप उनकी हालत में सुधार के लिए देना चाहते है वह अमल में आय और उसका सीधा लाभ कोयला खान मजदूरों को मिले।

मकान के बारे में सभापति जी, आपने सुन लिया कोई कहता है कि 22 फ़ीसदी मजदूरों को मकान मिले हैं, कोई 25 फ़ीसदी कहता है। मेरी जानकारी के मुताबिक 20 प्रतिशत ही लोगों को मकान की सुविधा है। लेकिन अगर 25 फ़ीसदी भी मान लें तो भी 33 साल की आजादी के बाद 6 लाख कोयला मजदूरों में से कितनों को मकान मिला? इसलिए अगर आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो मजदूरों को सब तरह से सन्तुष्ट रखना आवश्यक है। अगर उनके रहने की समस्या होगी, बीमारी होगी, बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं होगा, दुर्घटनाओं के शिकार होते रहेंगे और कर्जदारों के चुगल में फंसेरहेंगे तो जाहिर बात है कि इन बातों का सीधा असर कोयला उत्पादन पर पड़ेगा। हम सभी चाहते है कि देश में कोयला उत्पादन बढ़े ताकि कारखाने ठीक से चलें, बिजली के कारखाने ठीक से चलें, रेल गाड़िया ठीक से चलें देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, तो यह तभी सम्भव होगा जब कोयला मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी उन्हें शुद्ध पीने का जल देंगे। आपको मालूम है कि कोयला मजदूरों का बहुमत बिहार में धनबाद गिरिडीस, हजारी बाग क्षेत्रों में है और बंगाल के रानीगंज और आसानसोल में केंद्रित है।

डा०सुब्रह्मण्यम स्वामी: उन्हें वोडका दें

श्री रामावतार शास्त्री:—मैं इसका अर्थ नहीं जानता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी:—आप रूसी भाषा में इसका अर्थ जानते है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व):—वोडका के माने है शुद्ध पानी।

श्री रामावतार शास्त्री :—तो शुद्ध पीने का जल उनको मिलना चाहिए।

आपने महिला मजदूरों के लिए कितने क्रीशेज बनाये? समाजवादी देशों के नाम से तो आपको झींक आने लगती है, पूंजीवादी देशों में ही देख लीजिए कि उन देशों में बच्चों के लिए कितने क्रीशेज बने हुए है यदि इसका यह अर्थ है, तो मैं अपने आपको सही कर लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :—उन्होंने रूस से यह भाषा नहीं सीखी है। माताएं आती हैं, अपने बच्चों को वहां रखती हैं, काम पर जाती है और अपने काम से वापस आते समय वहां से अपने बच्चों को ले जाती हैं। उनके लिए भी आप कुछ उपाय कीजिए।

गुंडा तत्व कौलरी इलाके में बहुत उधम मचाते हैं, जिनका इस्तेमाल कुछ तथाकथित मजदूर नेता भी करते हैं, जो लड़ाकू ट्रेड यूनियन होती, जो लड़कर अपनी मांगें हासिल करना

चाहती हैं, उनको दबाने के लिए गुंडा-तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या उत्पादन बढ़ेगा, क्या उनका वैलफेयर का काम आगे बढ़ेगा ?

ज्यादातर कोयला मजदूर कर्जा गुलामी में मुबतिला हैं, आप उनको कर्जे से मुक्ति दिलाइए जो वह कमाते हैं, जैसे ही उनको तनख्वाह मिलती है, कर्जाखोर सब की सब उनसे ले लेते हैं। अगर इसको दुरुस्त नहीं कीजिए तो कुछ काम नहीं चलेगा। इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

इसके लिए मौहम्मद फजल कोटी, यह प्लानिंग कमीशन की ही एक कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट थी कि जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, गुंडागर्दी एंड लां एंड आर्डर को ठीक नहीं करेंगे, तब तक उत्पादन ठीक नहीं होगा। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

दुर्घटनाओं में जो लोग दुर्घटना ग्रस्त होते हैं, उनकी फैमिलीज को उचित सहायता नहीं देते हैं। आसानसोल इलाके में एक ड्राइवर काम करते हुए मर गया, उसकी बेवा पत्नी दर-दर की भिखारी हो रही है, उसको नौकरी नहीं दी जाती, कोई न कोई बहाना करके काम नहीं दिया जाता। क्या यह नियम नहीं हो सकता है कि जो दुर्घटना में मर जाए, उसके बाल-बच्चों, पत्नी या उसके ऊपर आश्रितों को नौकरी दी जाये ? इन सब सवालों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। अगर सचमुच में आप कोयला मजदुरों के कल्याण की बात करते हैं तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

आपका एक कोयला खान कल्याण कार्यालय धनबाद में है जहां कि 400 मजदूर अभी भी बरसों से काम कर रहे हैं, 8, 8 और 10, 10 साल से बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कैजुअल लेबर में हैं। यह कैसी व्यवस्था है ? रेलवे में या और जगह 180 दिन काम करने पर नियमित होने का अधिकार मजदूर को मिल जाता है, लेकिन आपके यहां यह नहीं है। आप इसका पता लगाइये कि क्या यह सही है कि 400 मजदूर अभी अनियमित हैं। आप उनको नियमित कीजिये, उनको कल्याण योजना का भागीदार बनाइये।

पैसा देने का जहां तक सवाल है, आपने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार को 70 लाख रुपया, बिहार की सरकार को 40 लाख रुपया मकान बनवाने के लिये दिया। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे क्या होने वाला है ? एक करोड़ 10 लाख से क्या होगा, कितने मकान बनेंगे, कितने प्रतिशत लोगों को मिलेंगे। मेरा कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिये, क्योंकि यह मजदूरों को सहूलियत देना है।

किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि बड़े-बड़े अफसरों को हवादार मकान, एयरकंडीशन्ड, शीत-ताप के मकान और गरीबों के लिये साधारण झोंपड़ी जैसा मकान भी नहीं। वह रह नहीं सकते, उनको गन्दा पानी, तरह-तरह की बीमारियों से वे ग्रस्त हैं। आप इस कोष में राज्य सरकारों को चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, मध्यप्रदेश या तमिलनाडु जो भी हो जहां भी कोयला खानें हों वहां पर वैलफेयर एक्टीविटीज बढ़ाने के लिये सरकारों को ज्यादा पैसा दीजिये। जिससे वहां के मजदूर यह समझें कि सचमुच में उनके लिये कुछ किया जा रहा है और वे दिल से उत्पादन बढ़ाने के काम में लगें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो केवल आपके इस बिल को पास करने से या मेरे भाषण देने से यह काम होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, इस विधेयक में पांचवीं लोक सभा की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की कुछ सिफारिशों को कानूनी रूप दिये जाने की मांग की गई है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कानूनी रूप दिये जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। परन्तु मुझे आश्चर्य है कि एक संयुक्त सचिव ने अपर सचिव के रूप में परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की और इसलिए हमें इस विधेयक को पास करने के लिए कहा जा रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक में समस्या की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई चर्चा से लाभ उठाया है और हर जगह कोयला खान मजदूरों की दयनीय दशा की ओर इस सभा तथा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। कोयला खान श्रम कल्याण आयुक्त का मुख्यालय धनबाद में स्थित है। यह सुप्रतिष्ठित संस्था दिन प्रतिदिन अपना महत्व खोती जा रही है। यदि आप धनबाद जायें तो वहां की स्थिति आप देखेंगे। मुझे बताया गया है कि आप एक अच्छे उपाध्यक्ष होने के अलावा एक अच्छे मजदूर नेता भी हैं। कोयला खान श्रम कल्याण संगठन धनबाद में एक सबसे बड़ा संगठन था। श्रम कल्याण आयुक्त जिले में सबसे बड़ा कार्यकारी आधिकारी हुआ करता था। उसके अधीन स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, मकान बनाने का विभाग और जल सप्लाई विभाग हुआ करते थे। आज यदि आप वहां जायें तो आपको सभी जगह गड़बड़ नजर आयेगी। हम उन बातों को कानूनी रूप दे रहे हैं जो 10 वर्ष पहले परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता करने वाले एक संयुक्त सचिव ने की थीं। उसके बाद अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों से इसके कार्यों में बाधा पड़ी है। मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ भी उपबन्ध नहीं किया गया है। मजदूरों को पीने के स्वच्छ पानी की सप्लाई की व्यवस्था भी नहीं है। पिछले वर्ष धनबाद में गोली चली थी। जब खानों में बाढ़ आई तो कोयला खान मजदूर पानी में डूब गये। पम्प और मशीनरी खानों में पानी में डूब गये चेसनाना कोयला खान में यह घटना घटी। पानी में कई व्यक्ति मर गये। हमें खान की सुरक्षा के लिए नलों द्वारा पानी निकालना पड़ा। मुझे खेद है कि उस पानी को सुरक्षित रखने के लिए कोई उचित तथा व्यापक योजना नहीं है। यदि उस पानी के उपयोग के लिए विवेकपूर्ण ढंग से, उचित ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से कोई योजना बनाई जाये तो वह पानी समूचे शहर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पानी से स्थानीय गाँवों में सिंचाई की जा सकती है। परन्तु ऐसी कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गई है। लोग क्षय रोग, कैंसर आदि अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह धनबाद का दौरा करें। केवल तभी वह वहां पर विद्यमान दयनीय स्थिति को देख पायेंगे। टेटुलमारी में पहले एक अस्पताल हुआ करता था, जहां पर कुष्ठ रोग से पीड़ित खान मजदूरों का इलाज किया जाता था। अस्पताल अब धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। उसमें पहले कुछ विशेष विभाग हुआ करते थे जहां पर खान मजदूर, विशेषकर कुष्ठ रोगी इलाज पाते थे। अब इसे छोड़ा जा रहा है। मैंने खानों के महाप्रबन्धक से पूछा कि अस्पताल में विशेष विभागों को छोड़ने के क्या कारण हैं। गरीब मजदूर और गरीब लोग, हरिजन और आदिवासी जो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, इन क्षेत्रों में खान मजदूरों के रूप में काम करते हैं और वे कुष्ठरोग से शीघ्र ही ग्रस्त हो जाते हैं। पहले से ही बहुत से मजदूर इस रोग से पीड़ित हैं और उनमें से कुछ उचित इलाज न मिलने के कारण मर गये हैं। मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि इस प्रकार के रोग का अत्यन्त सावधानी से इलाज किया जाना चाहिये परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अब वे शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। इन गरीब लोगों को शिक्षा देने के लिए वे क्या कर रहे हैं ? वे तो केवल गरीब मजदूरों को समाप्त कर रहे हैं। ये मजदूर कोयला खानों में काम करते थे। अब वे यन्त्रिणीकरण के स्तर पर कुशल मजदूरों को भर्ती कर रहे हैं। उन्हें तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की जरूरत है। उन्हें विशेषज्ञ लोगों की जरूरत है। मंत्रीकरण के नाम पर वे इन गरीब मजदूरों को समाप्त कर रहे हैं। मैंने उन्हें न केवल एक शिक्षा योजना का सुझाव दिया था अपितु यह भी सुझाव दिया था कि गरीब लोगों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक संस्था होनी चाहिये ताकि ये गरीब खान मजदूर, जिन्होंने देश में कोयला खानों को जन्म दिया, अपने लिये तकनीकी अर्हता प्राप्त कर सकें। तकनीकी अर्हता के के साथ वे यंत्रीकृत खानो में भी काम कर सकेंगे।

महोदय, आपको यह भी मालूम होगा कि कोयला खान कल्याण आयुक्त के मुख्यालय का नाम बाबू जगजीवन के नाम से रखा गया है। कालोनी का नाम भी बाबू जगजीवन राम नगर रखा गया है। इसका मूल आशय यह देखना था कि हरिजनों और आदिवासियों को इस संस्था से न्याय मिले। अभी-अभी मेरे साथी ने बताया है कि 400 मजदूर जिनमें अधिकांश हरिजन, आदिवासी हैं, गत 20 वर्षों से वहां अकथनीय कष्ट पा रहे हैं, उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया है, उन्हें नियमित वेतनमान नहीं दिया गया है। उन्हें बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी नहीं मिल रही है। वे मस्टर रोल में तो है, परन्तु उन्हें मजदूरी का भुगतान मनमाने ढंग से किया जा रहा है। केवल यही नहीं जगजीवनराम नगर में एक सैंट्रल अस्पताल है। मैंने गृह मंत्रालय और उर्जा मंत्रालय को एक ऐसे हरिजन लड़के के बारे में लिखा है जो उस अस्पताल में अस्थायी तौर पर काम कर रहा है। मैंने उन्हें बताया कि इस हरिजन लड़के को नियमित रूप से रोजगार दिया जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। वहां पर लिफ्ट मैन का पद हरिजन के लिए आरक्षित था परन्तु बाद में इस पद के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया ताकि वे अपना आदमी खपा सकें। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कल्याण कार्य कम्पनी को सौंपा जाना चाहिए, परन्तु मैं यही कहूँगा कि जब तक कि नौकरशाही रहती है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। नौकरशाही का अर्थ है अकुशलता में वृद्धि। हम जानते हैं कि पहले कोयला खानों में मजदूरों के लिए मकान बनाए गए थे। ये मकान अभी भी वहां पर हैं। अब कोयला खान कम्पनियां मकान बना रही हैं परन्तु वे मकान गिरते जा रहे हैं।

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि वे अधिक लोकतन्त्रीय ढंग से काम कर रही हैं। नौकरशाही से इस समस्या का समाधान नहीं होगा जबकि लोकतन्त्र से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब उनके यहां परामर्शदात्री निकाय है। उस निकाय में मजदूरों के प्रतिनिधि और लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इस निकाय के कौन-कौन सदस्य हैं और पहले कौन-कौन सदस्य थे। उस स्थान से मैं जन प्रतिनिधि था हमारी एक यूनियन भी थी। यह एक रहस्यमयी बात है। हम नहीं जानते कि कौन मार्ग दर्शन करता है, कौन सलाह देता है और कौन उसकी निगरानी करता है। इसी कारण मेरा यह कहना है कि कोयला खान श्रम कल्याण संगठन का पुर्नगठन किया जाना चाहिए। नौकरशाही के आधार पर ऐसा न करके लोकतन्त्र के आधार पर किया जाना चाहिए। आपको उसमें लोगों के, मजदूरों के और ट्रेड यूनियन के असली प्रतिनिधि लेने चाहिए। केवल तभी कल्याण सम्बन्धी कार्य हो सकेंगे।

मूल कोयला खान, श्रम कल्याण निधि अधिनियम, अप्रैल, 1947 में पास किया गया

था। यह स्वतन्त्रता पूर्व का एक अधिनियम है अंग्रेजों के समय में भी लोग यह सोचा करते थे कि कोयला खान मजदूरों के लिए कल्याण सम्बन्धी उपाय करके वे उचित उत्पादन हासिल कर सकते थे। आजकल हम यह सुनते हैं कि मंत्री लोग यह धमकी दे रहे हैं कि वे उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का, यदि आवश्यकता पड़ेगी, उपयोग करेंगे। पुराने समय में भी लोग यह सोचा करते थे कि अधिक सुविधा देकर, आवास तथा पीने के पानी की अधिक सुविधाएं देकर आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, धमकियां देकर नहीं। अतः हमें उन्हें अधिक सुविधाएं देनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि कोयला खान क्षेत्र में पहले मद्य निषेध हुआ करता था। उसके बाद मद्य निषेध समाप्त कर दिया गया। हमने उसका विरोध किया। हम जानते हैं कि मजदूरों का सारा पैसा किस प्रकार शराब की दुकानों के पास चला जाता है। हम मंत्रालय तथा अन्य प्राधिकारियों से यह कहते चले आ रहे हैं कि कोयला खान क्षेत्रों में, जहां गरीब आदिवासी तथा हरिजन लोग रहते हैं, ये शराब की दुकानें न बनने दी जायें। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि आप उनके लिए दुग्ध विस्तार केन्द्र नहीं खोल सकते, उनके लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो भगवान के लिए उन्हें खालिस शराब तो न दीजिए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में सभा को यह आश्वासन देंगे कि वह मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि और विस्तार करने जा रहे हैं और इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहे हैं ताकि मजदूर अपेक्षित मात्रा में उत्पादन कर सकें और साथ-साथ उस समाज का अंग बन सकें जिसमें कि वे कार्य कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : नियम 376 के अन्तर्गत मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। कार्यसूची के समस्त विषय निपटने तक सभा की बैठक चलती रहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक ? आपको इस संबंध में शंका क्यों है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अमूल्य सुझाव दिए हैं, उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खान मजदूरों की दशा सुधारने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। कोयला उद्योग में कल्याणकारी गति विधियाँ अन्य किसी उद्योग के मुकाबले अधिक तेजी से की जा रही है

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां 3 केन्द्रीय अस्पताल, 12 क्षेत्रीय अस्पताल और 4 टी० बी० अस्पताल है। इसके अलावा कई आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधालय हैं। कुष्ठ रोग, टी० बी० तथा कैंसरों से पीड़ित रोगियों के लिए अलग से बिस्तरों की व्यवस्था है। इस दिशा में तेजी से विकास भी हो रहा है हम नये अस्पतालों का भी निर्माण कर रहे हैं। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद 1980 में ढाकरा में एक अस्पताल बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है। इसी तरह अखिल भारतीय अस्पताल 'पोस्ट पार्टम' कार्यक्रम में अंतर्गत केन्द्रीय अस्पताल धनबाद में एक 'पोस्ट पार्टम' केन्द्रीय निर्माणाधीन है। इसके अलावा धनबाद में सभी अस्पतालों में हम विश्राम कक्षों का निर्माण कर

रहे हैं। चन्द्रपुर में 94 लाख रु० की लागत से 50 बिस्तर वाला एक क्षेत्रीय अस्पताल बनाना शुरु किया गया है।

बिसरामपुर में एक अन्य अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। पश्चिम बंगाल में एक अस्पताल बन रहा है। पश्चिम बंगाल में सिघवाड़ी में आर्टीफिशियल प्राइमरी लिम्बन सैन्टर (कृत्रिम अंग केन्द्र) खोला जायेगा। इसी प्रकार इस क्षेत्र विशेष में इन कार्य-कलापों की स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम नई स्कीमों की मंजूरी दे रहे हैं और जल पूर्ति स्कीमों के लिए 1 करोड़ रु० की राशि में से 70 लाख रु० राज सहायता के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को दिये जाने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह बिहार के लिए 40 लाख रु० मंजूर किए गये हैं।

जहां तक शैक्षिक कार्यकलापों का संबंध है, सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बहु-उद्देश्यी संस्थाएं स्थापित की गई है। शिक्षा की दिशा में 59 बहु-उद्देश्यीय संस्थाएं मजदूरों के कल्याणार्थ खोली गई है। इन संस्थाओं में महिला मजदूरों को व्यावस्ययिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी तेजी से प्रगति हुई है इतना ही नहीं, जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है, इस क्षेत्र में हमारा मुख्य प्रयास रहा है और हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं भी दर कम हुई है। उदाहरण के तौर पर 1978 में 151 घातक दुर्घटनाएं हुई। 1979 में इनकी संख्या घटकर 143 हो गई। 1980 में यह संख्या 92 हो गई। इसी प्रकार गंभीर चोटों के मामले में भी संख्या में उलरोत्ता कमी होती गई है। सुरक्षा के बारे में जो समिति नियुक्त की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसने 66 मुख्य सिफारिशें की हैं जिनमें से दुर्घटनाओं, आन्तरिक सुरक्षा संगठनों, आयोजना आदि के बारे में 11 सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है। 49 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है और 15 सिफारिशें श्रम मंत्रालय और राज्य सरकार से संबंध रखती है और हमारा यह प्रयास है कि उनको भी कार्यन्वित किया जाये। मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि कोयला खानों में सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए एक कोयला खान सुरक्षा बोर्ड होना चाहिए जो सुरक्षा मानकों में और सुधारों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह दे। एक उच्चस्तरीय कोयला खान सुरक्षा बोर्ड गठन करने की बात सिद्धान्त रूप में मान ली गई है। इसी प्रकार जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है, हमने मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।

राष्ट्रीयकरण के बाद लगभग 60,000 मकान निर्मित किए गए हैं जो कि एक बड़ी संख्या है। इस वर्ष हम लगभग 12,000 मकान बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी मजदूरी बढ़ी है और 1979 के समझौते के अन्तर्गत कोयला खान में काम करने वाले एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 512 रु० प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

इतना ही नहीं, हम दुर्घटना में मरने अथवा अपाहिज होने वाले प्रत्येक मजदूर के परिवार के सदस्य को रोजगार भी देते हैं। कोयला खान मजदूर संगठन श्रम मंत्रालय के अधीन था और अक्तूबर, 1979 में ही यह हमारे विभाग के पास आया। अब हम इस संगठन में अन्य कोयला संगठनों में विषय पर विचार कर रहे हैं ताकि इनमें कार्य कलापों में एकात्मकता आ सके। हम अधिकतम उपकर बढ़ा देते किन्तु वह कानून के अन्तर्गत निर्धारित है। यदि हम देखते हैं कि उपकर के अधीन जो पैसा हम वसूल करते हैं, वह काफी नहीं है, तो इसके बारे में हमें सभा का परामर्श लेकर फैसला करना होगा।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व केवल 227,000 मजदूर जन संख्या को ही पीने का पानी की स्कीम का लाभ पहुँचता था। राष्ट्रीयकरण के बाद 31 मार्च, 1980 को यह संख्या लगभग 12 लाख हो गई है। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इस दिशा में कितने प्रयास किए गए हैं।

यहां तक धनबाद का सम्बन्ध है, मंत्रियों के एक दल ने धनबाद क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने समन्वय समितियाँ स्थापित की। सितम्बर के अंत में ऐसा किया गया था। उसके बाद वहां कानून तथा व्यवसाय कि स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसी तरह उत्पादन में भी सुधार हुआ है। वस्तुतः 1979-80 में कोयले का उत्पादन मुश्किल से 1030 से 1040 लाख मीटरी टन था। इस वर्ष इसको बढ़ाकर 1300 लाख मीटरी टन करने का हमारा विचार है। इस महीने से अर्थात् दिसम्बर से हम उत्पादन में हर महीने से 10 लाख मीटरी टन की वृद्धि करते जायेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर महीने 10 लाख मीटरी टन का अधिक उत्पादन होगा। जो कि वे पिछले सालों में 12 महीने करते रहे। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में इस कदर प्रयास किए हैं।

जहां तक फज्ल समिति का संबंध है, सरकार इस पर विचार कर रही है और उस पर शीघ्र ही वह का निर्णय लेगी। जहाँ तक नैमितिक मजदूरों का संबंध है हम उनको नियमित मजदूर बनाने को तैयार हैं। हमने उनका मामला वित्त मंत्रालय को भेजा है।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कल्याण सम्बन्धी कार्यकलापों में हमने महारत हासिल कर ली है। इसमें कमियाँ हैं, किन्तु कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत ज्यादा काम किया गया है और हमें आशा है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर लेंगे। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा।

महोदय, अब मैं सभा की स्वीकृति हेतु विधेयक रखता हूं।

श्री ए०के०राय (धनबाद) : मैंने एक सामन्य आश्वासन अथवा इस तरह के एक वक्तव्य का अनुरोध किया था कि कोयला क्षेत्र से शराब की दुकाने हटा दी जायेंगी।

श्री विक्रम महाजन : मुझे खेद है मुझे इसका ध्यान नहीं रहा। हमने यह सुनिश्चित करने की दिशा में कठोर कदम उठाये हैं कि वे वहां से हट जायें। और यदि मुझे कोई खास बात बताई जायेगी तो मैं उसमें तत्काल कार्यवाही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। खंड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये ।

श्री विक्रम महाजन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :

"राज्य सभा के कार्यसंचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियम की नियम संख्या 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 22 दिसम्बर, 1980 की अपनी बैठक में राज्य सभा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जोकि लोक सभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1980 की उसकी बैठक में पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर अधिकारिता का विस्तार) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में बम्बई उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार करने, पणजी में उस उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना करने के लिए और उससे संबद्ध मामलों का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।" गोवा, दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र बचा है जो किसी उच्च न्यायालय से सम्बद्ध नहीं है । गोवा की मुक्ति के तुरन्त बाद उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक न्यायिक आयुक्त का न्यायालय स्थापित किया गया । यद्यपि न्यायिक उपयुक्त के न्यायालय को संविधान के कुछ प्रयोजनों हेतु एक उच्च न्यायालय घोषित किया गया है, किन्तु यह कुछ सीमाओं से बंधा है और इस बात की निरन्तर माँग कि जाती रही है कि किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का उस संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया जाये तथा उस उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ वहां बनाई जाए । न्यायिक आयुक्त का न्यायालय अपने आप में पूर्ण उच्च न्यायालय नहीं है । चूंकि न्यायिक आयुक्त का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त ही चलता है, इसलिए उसे वह संवैधानिक परित्राण प्राप्त नहीं हैं जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्वतंत्रता की रक्षा करते है । पहले उच्च न्यायालय बनाने के लिए यह कारण बताया गया था कि यहां

ज्यादातर पुर्तगाली कानून चलता था। इस दलील का वजन काफी कम हो गया है क्योंकि धीरे-धीरे वहाँ भारतीय कानून लागू किया जाता रहा है और न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में अनिर्णीत मुकदमों में से बहुत कम मुकदमें ऐसे हैं जो पुर्तगाली कानून के अन्तर्गत आते हैं।

बम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव पर प्राधिकारिता का विस्तार) विधेयक, 1980 से इस प्रकार संघ राज्य क्षेत्र के लोगों की बहुत लम्बे समय से चली आ रही न्यायोचित मांग पूरी होती है और बम्बई उच्च न्यायालय की प्राधिकारिता का वहां विस्तार करने और उस उच्च न्यायालय की पीठ की वहां स्थापना करने से वहां न्यायिक प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया गया है। यह एक विवाद-मुक्त कार्यवाही है और मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सदन के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होगा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में बम्बई उच्च न्यायालय की प्राधिकारिता का विस्तार करने, पणजी में उस उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना करने के लिए और उससे सम्बद्ध मामलों का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री सत्य साधन चकवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि इस विधेयक के बारे में कोई विवाद नहीं है और हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। विधेयक के उददेश्यों और कारणों में यह कहा गया है कि पणजी में एक स्थायी पीठ होनी चाहिए परन्तु प्रश्न यह है कि गोवा, दमन और दीव के लिए नियमित उच्च न्यायालय की स्थापना क्यों नहीं की जाय ? यह उस क्षेत्र के लोगों की मांग रही है।

मेरे विचार में सरकार को बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार करने के बजाय इस मांग पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, सरकार को उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए वहां पर एक स्थायी उच्च न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए।

हम सभी को इस बात की जानकारी है कि आजकल न्याय प्राप्त करना बहुत अधिक खर्चीला कार्य बन गया है। विभिन्न न्यायालयों में हजारों मुकदमें अनिर्णीत पड़े हुए है। यह बहुत अधिक खर्चीला कार्य हो गया है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि भाषण देने के बजाय निर्धन लोगों को बहुत कम मूल्य पर न्याय उपलब्ध करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए मेरे विचार में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को क्षति पहुंचाने, निर्वाचित न्यायपालिका और न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के बारे में बातचीत करने के बजाय, उन्हें इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि गरीब लोगों को न्याय किस प्रकार उपलब्ध किया जाय। आप जानते है कि विलम्ब से प्राप्त होने वाला न्याय न्याय नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध चाहूंगा कि सरकार को कुछ ठोस उपाय करने चाहिए जिससे गरीब लोगों को न्याय दिलाये जा सके।

इसी सदन में, अनेक बार हमारे विधि मंत्री ने न्याय प्रणाली में त्रुटियों की चर्चा की है। संवैधानिक कानून का एक छात्र होने के नाते मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि यह सरकार

को और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे न्यायपालिका की ईमानदारी, स्वतन्त्रता और निष्पक्षता को सुरक्षित बनाए रखें, क्योंकि जैसा प्रो० लास्की ने कहा है, कि किसी भी देश के बारे में कोई भी धारणा उसकी न्यायपालिका के स्वरूप पर विचार करके ही बनाई जा सकती है कि क्या वह स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं। लोगों की स्वतन्त्रता और जनता के स्वातन्त्र की रक्षा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा ही की जा सकती है, गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा गैर जिम्मेदाराना बातें हमें क्यों सुनाई देती हैं। जिससे न्याय पालिका की प्रतिष्ठा कम होती है और उसकी स्वतन्त्रता को क्षति पहुंचाती है ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि अपनी अनेक त्रुटियों के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीय नागरिक की स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाये रख सकने में सफल रही है, हालांकि हमारे संविधान में कुछ अलोकतान्त्रिक सिद्धान्त अन्तर्विष्ट हैं जिनकी वजह से उन्हें निवारक नजरबंदी या राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक जैसे कानूनों का समर्थन करना पड़ता हैं। इन सब के बावजूद, हमने यह देखा है कि खतरे के समय में और तनाव तथा संघर्ष के समय में, कार्यपालिका द्वारा न्याय-प्रणाली को नष्ट करने के प्रयास के बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था काफी सीमा तक भारतीय नागरिक की स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाये रख सकने में सफल रही है। यही कारण हैं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को न्याय पालिका की स्वतन्त्रता पर हमला करने केअपने प्रयासों को त्याग देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को यह याद दिलाना चाहूंगा कि इस समय जो प्रणाली हैं, वह किसी राजनैतिक पार्टी का उपहार नहीं हैं। यह भारतीय जनता कि विदेशी शासन और उपनिवेश वादी शक्तियों के विरूद्ध लम्बें अनुवरत संघर्ष का परिणाम हैं, जो न केवल हमारी सम्पत्ति और संसाधनों को ही नहीं हमसे छीन लेना चाहते थे बल्कि हमारी स्वतन्त्रता को भी हमसे छीन लेने के लिए कटिबद्ध थे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस न्याय व्यवस्था में अनेक त्रुटियां है। आज जानते है ही कि मैं एक मार्क्सवादी हू और मेरे विचार में विभिन्न वर्ग में विभाजिक एक समाज में न्याय पालिका निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। यह साधन सम्पन्न वर्ग की पक्षधर होती हैं। परन्तु फिर भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत भी वह अपनी सीमित स्वतन्त्रता को बनाए रख सकी है और उसने भारतीय जनता के अधिकारों की सुरक्षा की हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को यह बता देना चाहता हूँ कि आज जब आप न्यायप्रणाली पर हमला कर रहे हैं जबकि आप एक ऐसी न्याय व्यवस्था चाहते हैं जिसे आप अपनी भाषा में "प्रतिबद्ध न्याय व्यवस्था" कहते हों उस समय आप भारतीय जनता की महत्वाकांक्षा के विरूद्ध कार्य कर रहे हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि अपने स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो हम संघर्ष करते रहे हैं और वह संघर्ष रोटी के लिए हैं, वह संघर्ष आवास के लिए हैं वह संघर्ष शिक्षा के लिए हैं, वह हमारे चिकित्सा सुविधाओं के बारे में हैं और वह हमारी स्वाधीनता के लिए हैं। उस स्वाधीनता की निःसन्देह रूप से स्वंय जनता द्वारा ही सुरक्षा की जानी चाहिए। परन्तु, इसके साथ ही संवैधानिक नियत्रण और सुरक्षा भी होनी चाहिए।

शक्तियों के विभाजन का भी एक सिद्धान्त हैं। मैं उपदेश नहीं देना चाहता, मैं कोई शिक्षा भी नहीं देना चाहता, परन्तु मैं केवल आपको यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सभी

राजनीतिज्ञों शास्त्रियों का तर्क रहा है कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए नियत्रंणों और सुरक्षा उपायों की यह व्यवस्था आवश्यक हैं। कार्यपालिका पर न्याय पालिका द्वारा नियत्रंण रखा जाता है और विधान मंडल द्वारा पारित कानूनों की भी न्यायपालिका द्वारा जांच की जाती है। यह एक स्वस्थ प्रणाली है। मैं इस अवसर पर इस बात पर एक पुनः बल देना चाहूंगा कि इस सीमित लोकतन्त्र की, इस सीमित स्वाधीनता की जो हमें प्राप्त है, सुरक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि मेरे विचार में हमारे संविधान में हमारी भारतीय जनता की सभी महत्वाकांक्षाए अन्तर्विष्ट नहीं है, उसमें हमारे अधिकारों में कटौती की गई है, संविधान में कुछ अवांछनीय उपबन्ध हैं; फिर भी वर्तमान शासक वर्ग का हमारी सीमित स्वाधीनता को समाप्त करने और प्रतिबद्ध न्याय पालिका की व्यवस्था करने के प्रयास से हमारी वह सम्पूर्ण प्रणाली नष्ट हो जायेगी, जिसके माध्यम से हमें सीमित स्वाधीनता की गारंटी प्राप्त हैं।

दूसरे पक्ष में बैठे हुए कुछ सदस्य अपनी अधीरता व्यक्त कर रहें हैं, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह एक कटु सत्य है और उसे स्वीकार कर पाना बहुत कठिन हैं। फिर भी, सच्चाई को प्रकट किया जाना चाहिए भले ही उसे स्वीकार कर पाना बहुत कठिन क्यों न हो। अच्छे भोजन की तरह, इसे निगला जाना चाहिए भले ही उसे पचा पाना कठिन हो; यही बात डाक्टर कहते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं विधि मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी न्याय व्यवस्था की प्रतिष्ठा कम करने और उसकी निष्ठा पर हमला करने के बजाय उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और गांवों में रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले, गंदी बस्तियों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों को न्याय उपलब्ध किया जाना चाहिए। जिनके पास न्यायालयों के दरवाजे खटखटाने के लिए साधन तक नहीं होते। श्रीमान्, जी मुझे विश्वास है कि आप मुझसे सहमत होंगे कि आज भी यह कहा जाता है कि पैसा न्याय खरीद सकने में समर्थ है। हमें इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए और न्याय व्यवस्था पर नये सिरे से विचार करना चाहिए जिससे कि गरीब लोगों को न्याय प्राप्त हो सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे):—श्रीमान्, मैं सरकार को और विधि मंत्री को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, यह एक ऐसा विधेयक है जिससे बम्बई उच्च न्यायालय के महान इतिहास और प्रतिष्ठित परम्पराओं का विस्तार संघ राज्य क्षेत्र गोवा तक किया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय से सम्बन्धित होने का सम्मान मुझे प्राप्त है। वर्ष 1956 में, इसी प्रकार का विस्तार किया गया था और भूतपूर्व निजाम की रियासत से संबंध क्षेत्रों को, जिन्हें जनता द्वारा मराठ वाड़ा क्षेत्र कहा जाता है, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया गया था।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पत्रों में यह कहा गया है कि न्यायिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से गोवा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना किए जाने के लिए निरंतर मांग की जाती रही है। बहुत संक्षेप रूप में मैं विधि मंत्री का ध्यान एक अन्य क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां कि लोगों द्वारा न्यायिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाने

की दृष्टि से वहां एक स्थायी न्यायपीठ किए जाने की निरंतर मांग की जाती रही है और वह क्षेत्र मराठवाड़ा क्षेत्र हैं। वर्ष 1956 में, यह एक राजनैतिक और नैतिक वचन दिया गया था, उस समय, राज्य पुर्नगठन आयोग के समय सभी पार्टियां उस समय इस बात के लिए सहमत हुई थी कि इस मराठवाड़ा क्षेत्र में इसका अपना विश्वविद्यालय होना चाहिए और उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ होनी चाहिए। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कुछ वर्ष पहले कर दी गई थी, परन्तु वहां एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने की मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यह राज्य पुर्नगठन आयोग के समय सभी पक्षों द्वारा दिया गया वचन है और उस वचन को पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए वर्ष 1956 में किए गये राजनैतिक और नैतिक वचन को ध्यान में रखते हुए और उस क्षेत्र के लोगों की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए, मंत्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि उस क्षेत्र में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना की जाने की उनकी मांग को पूरा किया जाना चांहिए।

अन्त में, इससे मुकद्दमा लड़ने वाले अनेक व्यक्तियों को, जिन्हें अभी बम्बई तक जाना पड़ता है, काफी सुविधा होगी और उन्हें कम खर्च करना पड़ेगा। बम्बई कितना मंहगा है और बम्बई में कितनी भीड़-भाड़ होती है, यह बात सभी को पता है। इसके अलावा इस मांग का महाराष्ट्र विधान सभा, महाराष्ट्र बार परिषद और वैस्टर्न इंडिया एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा, जिसका महत्व, मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय को पता होगा, समर्थन किया गया हैं।

उस बार ने डाक्टर अम्बेडकर और डाक्टर जयकर जैसे नेता दिये हैं और उसी बार में से अनेक न्यायाधीश और भारत के दो मुख्य न्यायाधीश आये हैं और वही देश में एकमात्र ऐसा बार है जिसे देश का सर्वोच्च पुरूस्कार प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ है अर्थात् महा महोपाध्याय, डाक्टर पी० वी० काने को भारत रत्न प्राप्त हुआ है। उसी बार ऐसोसिएशन ने, जिसे यह गौरवशाली सम्मान प्राप्त है और इसका एक महान इतिहास रहा है, सर्वसम्मती से यह प्रस्ताव पारित किया है कि मराठवाड़ा के लिए एक स्थायी न्याय की मांग को स्वीकार किया जाये। इसलिए सभी दृष्टि कोण से मैं विधि मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र में उच्च न्यायपीठ की स्थापना करके उस क्षेत्र के साथ न्याय किया जाये।

***श्री आर० के० महालगी (थाने)** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं विधि मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उन्हे बधाई देता हूं। इसे सदन की कार्यवाही में पहले ही शामिल कर लिया गया था परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने विधि मंत्री पर इस बात के लिए दबाव डाला कि इसे शामिल न किया जाये। कई दिनों तक इसे कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया था और मैंने सदन में यह मामला उठाया और सरकार से यह अनुरोध किया कि वह इसे पेश करे और इसे पारिते किया जाये। इसी बीच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद उत्पन्न हो गया। कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार था कि बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के बजाय कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की जाये। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय विधि मंत्री उस दबाव के आगे झुके नहीं और उन्होंने यह विधेयक पेश कर दिया है।

* मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्रीमन्, मैं इस विधेयक का और भी अधिक स्वागत करता हूं क्योंकि माननीय विधि मंत्री ने विधि आयोग के चौथे और चौदहवें प्रतिवेदन की इस आशय की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है कि उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने पुराने विचारों को छोड़ दिया है और वह पणजी में बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए सहमत हो गये हैं। माननीय मंत्री महोदय ने पणजी में न्यायपीठ की स्थापना की सिफारिश करके न्याय किया है। इसी प्रकार का न्याय बम्बई उच्च न्यायालय को न्यायपीठों की पूणे और औरंगाबाद में स्थापना करके किया जाये। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पुणे और औरंगाबाद में न्यायपीठों के स्थापना किये जाने के लिए निरन्तर मांग की जाती रही है।

इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने अर्थात् श्री गाडगिल, श्री उत्तम राठौर के साथ मैंने भी इस बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत करके इस बारे में मांग की है। राज्य सभा के एक माननीय सदस्य, श्री वैषमपायन ने भी इसी प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की थाने में स्थापना कि ये जाने के लिए अनुरोध नहीं करूंगा, क्योंकि थाने बम्बई के निकट हैं। परन्तु, मैं यह अनुरोध अवश्य ही करूंगा कि बम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की पुणे में स्थापना की जाये।

माननीय विधि मंत्री ने विधि आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करके एक अच्छी कार्यवाही की हैं। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि इस संदर्भ में वर्ष 1956 के एस० आर० पी० अधिनियम, की धारा 51 पर समुचित रूप से विचार किया जाये। उस धारा में यह कहा गया है :

> "राष्ट्रपति महोदय, नये राज्य के राज्यपाल और अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात्, उच्च न्यायालय के मुख्य स्थल के अलावा राज्य के अन्दर एक या अधिक स्थानों पर उच्च न्यायालय की स्थाई न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए और उससे सम्बद्ध किसी भी अन्य मामले के बारे में प्रावधान कर सकते हैं।"

उक्त अनुबन्ध के अनुसार सरकार उच्च न्यायालय की एक से अधिक न्यायपीठों की स्थापना कर सकती है। एस० आर० पी० अधिनियम की धारा 51 के खंड 2 के अनुसार पुणे और औरंगाबाद में उच्च न्यायालय की न्यायापीठों की स्थापना करना वांछनीय होगा।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमें यह पता होना चाहिए कि क्या मुकद्दमा लड़ने वाले के दरवाजे पर न्याय उपलब्ध कराना मात्र एक नारा है अथवा इसे व्यावहारिक रूप ही देना है। हमने पुनः पुराने विचारों को पहले ही त्याग दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी न्याय दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति न्यायपीठों को गौरवशाली जिला न्यायालय कहते हैं। परन्तु यह आलोचना उचित नहीं है। पुणे और औरंगाबाद में कार्य कुशल न्यायाधीश उपलब्ध हैं इन स्थानों पर सुसज्जित ग्रंथालय है। इसलिए पुणे और औरंगाबाद में न्यायपीठों की स्थापना करने के लिए की जा रही निरन्तर मांग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमन्, माननीय श्री गाडगिल ने बहुत सुन्दर शब्दों में मराठवाड़ा के पाँच जिलों के

पक्ष का समर्थन किया है। पाँच जिलों अर्थात् सांगली, नागौर, कोल्हापुर, पुणे और शोलापुर के लिए पुणे में उच्च न्यायालय को न्यायपीठ होनी चाहिए।

पूना में उच्च न्यायालय की पीठ होने से बम्बई उच्च न्यायालय का कार्य-भार कम हो जाएगा। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 1974 के बाद 18 न्यायालयों में प्रतिवर्ष 4,25,000 मुकदमे दायर किए जाते हैं और इनमें से अनेक मुकदमे अभी तक लम्बित पड़े हैं। इस प्रकार, त्रिकेन्द्रीकरण यह अच्छा उपाय है।

मैं इस विधेयक के बारे में एक-दो बात करना चाहूंगा। माननीय सदस्य, जो गोआ, दमन और दीव के भूगोल से परिचित हैं, जानते हैं कि दीव और दमन बम्बई के उत्तर में स्थित है जबकि गोआ दक्षिण की ओर है। क्या गोवा और दमन के लोगों के लिए पणजी नजदीक रहेगा ? मैं इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं। इस विधेवक के खण्ड 9 के उपबन्ध में स्पष्ट तौर से बताया गया है मैं इसे उदधृत करता हूं :

> "यह उपबंध है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अपने विवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसे प्रदेश में किसी मुकदमे अथवा मुकदमों की श्रेणी की सुनवाई बम्बई में होगी।"

मुकदमे दायर करने के सम्बन्ध से क्या व्यवस्था है ? क्या 'सुनवाई' शब्द में मुकदमों का दायर किया जाना शामिल है ? यदि ऐसा नहीं है, तो दमन और दीव के लोगों को मुकदमें दायर करने के लिए पणजी जाना होगा, जबकि इन मामलों की सुनवाई बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि मुकदमों का दायर किया जाना तथा उनकी सुनवाई बम्बई में ही होनी चाहिए। इस विधेतक में इस प्रकार का एक उपबन्ध किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय की पीठें स्थापित करते समय औरंगाबाद तथा पुणे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कृपया इस प्रस्ताव को तुरन्त रद्द न कीजिएगा। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री श्री आदिन ने पहले ही घोषणा कर दी है कि औरंगाबाद में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित होने जा रही है। मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस विधेयक पर बहस का उत्तर देते हुए सदन को बतायें कि क्या औरंगाबाद तथा पुणे में उच्च न्यायालय की एक-एक स्थायी पीठ होगी।

श्रीमती संयोगिता राणे (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, गोआ, दमन और दीव में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने के लिये जो यह बिल दिया गया है, मैं इसका स्वागत करती हूं। इसी के साथ यह भी कहना चाहती हूं कि गोआ में जुडीशियल कमिश्नर के समक्ष हजारों की संख्या में सिविल और क्रिमिनल केसेज वर्षों से विचाराधीन हैं। उनकी सुनवाई अकेली बैंच नहीं कर सकती है। बैंच स्थापित करने से अनेक कठिनाइयाँ पैदा होंगी। अतः यह उचित है कि वहां हाई कोर्ट बनाया जाये, ऐसा होने से वहाँ न्यायिक प्रसाशन में सुधार होगा और लोगों को न्याया शीघ्र मिलेगा। स्वतन्त्र हाई कोर्ट मिलने से हमें 4, 5 न्यायाधीश मिलेंगे और हमारे केसेज शीघ्र ही समाप्त होंगे।

इस वक्त जुडिशियल कार्यालय पर लगभग डेढ़ लाख रुपया खर्च होता है, हाई कोर्ट स्थापित करने से कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। गोआ में जहां जुडीशियल कोर्ट हैं, उसी भवन में उच्च न्यायालय काम कर सकता है। जब भारत सरकार विकेन्द्रीकरण करना चाहती है, तो फिर बाम्बे हाई कोर्ट की बैंच देने से फिर केन्द्रीयकरण होता है।

हमारे गोआ में अभी भी कुछ पोर्तुगीज कायदे कोर्ट में चल रहे हैं। जब भारत सरकार बाम्बे हाई कोर्ट की बैंच देगी तो वहां पर बोम्बे के न्यायाधीश आयेंगे और इस वजह से हमारे गोआ के न्यायाधीशों पर अन्याय होगा, क्योंकि उनको सिनियोरिटी नहीं मिलेगी। दूसरा कारण यह भी है कि गरीब जनता हर वक्त बाम्बे नहीं जा सकेगी क्योंकि वहां जाने से खर्चा भारी होता है।

इसलिये भारत सरकार से मेरा यह निवेदन है कि गोआ, दमन और दीव को स्वयं उच्च न्यायालय बना दिया जाये।

श्री बापू साहिब पारुलेकर (रत्नगिरि) : मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और अन्य माननीय मित्रों की भाँति मै भी माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यद्यपि यह विधेयक 17 नवम्बर से 28 नवम्बर तक की कार्य-सूची में था, किन्तु हो सकता है कि श्री महालगी द्वारा बताए गए कारणों से यह कार्य-सूची में न आ सका। विधेयक न पेश न करने से देर में पेश करना बेहतर है। कम से कम हम सत्र की समाप्ति के समय हम इस विशेष विधेयक पर विचार तो कर रहे हैं।

इस विशेष विधेयक के बारे में, मैं माननीय विधि मन्त्री को कुछ सुझाव देना चाहूँगा। किन्तु ये सुझाव देने से पूर्व मैं माननीय विधि मंत्री से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या वे चाहते हैं कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में हमारे न्यायाधीश न्याय प्रदान करने के अपने कर्त्तव्य को बिना किसी भय अथवा पक्षपात के निभायें, जैसा कि हम सामान्य तौर पर कहते हैं, किन्तु यदि हमारे माननीय विधि मंत्री सहित सभी शीर्ष नेता न्यायाधीशों की आलोचना करते रहें, तो मुझे भय है कि वे न्याय प्रदान करने के अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह बिना किसी भय अथवा पक्षपात के न कर सकेंगे। उनके विरुद्ध लगाए गये आरोपों का खण्डन करने के लिए उनके पास कोई मंच नहीं है।

पिछले दिनों यह प्रकाशित हुआ है कि माननीय विधि मंत्री ने कहा है कि हमारे न्यायाधीश अलग-थलग से रह रहे हैं। सामाजिक विधान से वे अनिभिज्ञ हैं, इसलिए वे संसद तथा राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा हो सकता है। वे सभी न्यायाधीशों को बुला सकते हैं, वे अपनी धारणा उन्हें बता सकते हैं। किन्तु जन-सभाओं में ऐसा कहना। मैं पीठ के कुछ न्यायाधीशों से मिला। उन्होंने इस बात पर दुख व्यक्त किया हैं। इस अवसर पर मैं इस विशेष मामले पर उनका दुख व्यक्त करता है। उनका कहना है कि जब कभी हम निर्णय लिखने बैठेंगे तो हमें महसूस होगा कि माननीय शिव शंकर क्या कहेंगे, अथवा प्रधान मंत्री क्या कहेंगो। इस तरह से क्या हम न्याय दे सकेंगे ? मैं माननीय सदस्यों तथा माननीय विधि मंत्री को बताना चाहूंगा कि हमें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा।

दूसरा मुद्दा इन पीठों की स्थापत्र के बारे में है कि इसे औरंगाबाद में स्थापित किया जाए अथवा पूना में, जिसका जिक्र श्री गाडगिल तथा मेरे मित्र श्री महालगी ने किया था। यदि इस पीठ की स्थापना पूना में की जाती है तो यह बम्बई से 120 मील दूर है। मैं 400 मील दूरी पर हूं। यह जगह लोक मान्य तिलक की जन्म-भूमि है, जो जीवन भर मुकदमे लड़ते रहे। यदि मैं यह दावा करूं तो उचित ही है। किन्तु मेरा मुद्दा यह नहीं है कि इस पीठ की स्थापना इस स्थान पर होनी चाहिए अथवा उस स्थान पर। मेरा मुद्दा तो यह है कि वादी को उच्च न्यायालय की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को इसके लिए 200 मील से अधिक यात्रा न करनी पड़े। हम गरीब लोगों को कानूनी सहायता की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वादी को न्याय के लिए दूर न जाना पड़े। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बम्बई न जाने के लिए 400 मील की दूरी तय करनी होती है। अतः मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र रत्नगिरि में पाँच तालुक पणजी से अधिक से अधिक 50 मील की दूरी पर हैं, किन्तु बम्बई जाने के लिए मुझे 500 मील की दूरी तय करनी होगी। क्या यह सम्भव नहीं कि इस विशेष खण्ड में एक संशोधन किया जाए, यदि अभी नहीं तो बाद में यह संशोधन किया जाए, तथा इन पाँच तालुकों को गोआ से सम्बद्ध कर दिया जाए, जिससे कि मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेषकर तब जबकि वे दोनों उसी उच्च न्यायालय अर्थात् बम्बई के अन्तर्गत हैं उन्हें 500 मील की यात्रा न करनी पड़े। मैंने यह विशिष्ट सुझाव दिया है और मैं पुनः यह सुझाव देता हूं कि और अधिक पीठों की स्थापना होनी चाहिए जिससे की किसी भी व्यक्ति को लम्बी यात्रा न करनी पड़े।

मैं एक और सुझाव देना चाहूँगा। यदि हम वस्तुतः कुछ करना चाहते हैं, तो हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि विलम्ब को कम किया जाये। अनेक लोगों का कहना है कि विलम्ब से न्याय मिलना, न्याय न मिलने के बराबर है। यह सच है किन्तु मैं नहीं चाहता कि न्याय जल्द बाजी में हो। हमारे महाधिवक्ता ने एक बार कहा था—विलम्ब से न्याय मिलने में उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है तथा जल्दबाजी में दिया गया न्याय उसे दफना देने के समान है। अतः इन दो के मध्य एक बीच का रास्ता ढूँढ़ना है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस सुझाव पर विचार करें जिससे कि विलम्ब को विशेषकर ऐसे मामलों में जो मुफ्फसिल अदालतों से आते हैं, कम किया जा सके।

आप इस कार्य को मुफ्फसिल अदालतों से आने वाले कार्य तथा महानगर से आने वाले कार्य के बीच विभाजित कर सकते हैं। यदि आप बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमों के अनुपात पर विचार करें तो विचाराधीन 80 प्रतिशत मुकदमें बम्बई शहर से हैं तथा 20 प्रतिशत मुकदमें जिलों से आए हैं। हमें महीनों तथा वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्योंकि बम्बई के मुकदमों का निर्णय नहीं हो पा रहा है। यही बात गोआ पर भी लागू होती है। आप ऐसा विधान बना सकते हैं जिससे महानगरों अथवा बड़े शहरों के मुकदमों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जा सके तथा दूसरे मुकदमें किन्हीं अन्य न्यायाधीशों को दिए जा सके। इस प्रकार विलम्ब कम किया जा सकता है।

श्री महालगी द्वारा दिए गए सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। दमन और दीव के वासियों

को बम्बई जाना होगा, उन्हें बम्बई से होकर गुजरना होगा तथा तथा पणजी पहुंचने के लिए उन्हें 500 मील की यात्रा करनी होगी और रत्नागिरी के लोगों को उत्तर से आना होगा – दमन और दीव के लोगों को दक्षिण से आना होगा और उन्हें 500 मील की यात्रा करनी होगी। इसमें धन की बर्बादी क्यों की जाए ? हम लोग निर्धन हैं। हम वकील नहीं कर सकते। यदि पीठों की स्थापना विभिन्न स्थानों पर हो जाती है, तो वे वकील जो निचली अदालतों में कार्य कर रहे हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। यह कहना गलत होगा कि केवल वही वकील, जो बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, ही न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं तथा पैरवी कर सकते हैं। हमारे यहां मुफस्सिल अदालतों में सुयोग्य वकील हैं।

मुझे खेद है कि मैं उच्च स्तर के लोगों द्वारा दिये गये इस तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

मैं एक और अनुरोध करना चाहूँगा। यह न्यायिक आयुक्त के सम्बन्ध में है। मैंने सम्पूर्ण विधेयक को पढ़ने का प्रयास किया है। हम न्यायिक आयुक्त को कौन-सा दर्जा देने जा रहे हैं, इसका उल्लेख विधेयक में नहीं है। अधिक से अधिक हम खण्ड 5 का उल्लेख कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या न्यायिक आयुक्त स्वत: ही उच्च न्यायालय का जज बन जाता है। न्यायिक आयुक्त को दिया जाने वाला दर्जा क्या है ? क्या आप उन्हें सैशन जज के रूप में उन्हें पुन: अपने पद पर भेजना चाहते है। वह न्यायिक आयुक्त के रूप में 8 अथवा 9 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। यह पदावनत्ति होगी। आपको सम्बन्धित व्यक्ति की स्थिति पर विचार करना होगा। इस समय, न्यायिक आयुक्त एक स्वतन्त्रता सेनानी है, जिसे सजा हुई थी और जो अनेक वर्षों तक लिसबॉन में रहा था। वह बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत कर रहा था; वह एक सैशन्स जज था और जो न्यायिक आयुक्त बन गया था।

श्री जेवियर अराकल (एरनाकुलम) : कृपया खण्ड 3 देखिए जिसमें लिखा है—

"नियुक्ति की तिथि को और से; न्यायिक आयुक्त ने न्यायालय कार्य करना बन्द कर देंगे और एतद द्वारा समाप्त किए जाते हैं।"

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैं समझता हूँ, मैंने अपना विचार स्पष्ट नहीं किया है। न्यायायिक आयुक्त श्री·····और श्री·····को आप क्या दर्जा देने जा रहे हैं ? उसकी क्या स्थिति है ? अधिक से अधिक वह आपकी दया पर होगा। आपको उस पहलू पर भी विचार करना होगा।

तब, मैं नहीं समझ पाया हूँ कि इस विधेयक का प्रारूप कैसे तैयार कर लिया गया है। इसे ठीक ढंग से तैयार नहीं किया गया। मैं विधि मन्त्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वे बतायें कि खण्ड 6 और खण्ड 8 किस प्रकार तैयार किया गया है। मुझे इन दोनों खण्डों में कोई अन्तर नहीं लगा है। खण्ड 6 इस प्रकार है :

"इस सम्बन्ध में बम्बई स्थित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश अथवा बनाये गए नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे नियुक्ति की तिथि से पूर्व, न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में वकालत करने के लिए अधिकार प्राप्त हैं, उसे बम्बई उच्च न्यायालय में वकील के रूप में वकालत करने का अधिकार होगा।"

पुनः, खण्ड 8 में इस प्रकार है,

"कोई व्यक्ति को जिसे, नियुक्ति तिथि से पूर्व, न्यायिक आयुक्त के न्यायालय में वकील के रूप में वकालत करने का अधिकार है, तथा जिसे धारा 7 के अन्तर्गत न्यायालय से स्थानांतरित किसी कार्यवाही में उपस्थित होने अथवा भाग लेने के लिए प्राधिकृत है, उसे उन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में बम्बई उच्च न्यायालय में उपस्थित होने अथवा भाग लेने, जैसा भी मामला हो, का अधिकार होगा।"

शब्दशः यह एक ही बात है। मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई त्रुटि हो गई है अथवा इसे तैयार करने में कुछ लापरवाही हो गई है। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। जब यह मामला जनता के समक्ष जाएगा तो वह कहेगी कि भारत की संसद किस प्रकार विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है। मैं विधि मन्त्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे एक खण्ड रखें, या तो खण्ड 6 अथवा खण्ड 8।

मैं कर्मचारियों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। अन्य विधेयकों में, जैसे बंगाल कैमिकल्स के अधिग्रहण सम्बन्धी विधेयक में, कर्मचारियों के बारे में, एक उपबन्ध था। गोआ में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय के कर्मचारियों का क्या होगा? क्या वे गोआ सरकार के कर्मचारी हैं? अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं? अब वे बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वे महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी होंगे? आपने इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं किया है। इससे कठिनाइयाँ पैदा होगी अनेक रिट याचिकायें दी जाएगी। इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इस पर गम्भीर रूप से विचार नहीं किया गया है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में विलम्ब किया जाये। इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे इस सभी बातों पर विचार करें तथा विधेयक में यथेष्ठ संशोधन करें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विशिष्ट विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस पीठ की स्थापना हो। गोआ की जनता की ओर से मैं विधि मन्त्री जी को नियन्त्रण देता हूँ कि वे इस विशेष कार्य के लिए गोआ आएं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समह): महोदय, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को एक संघ शासित प्रदेश गोआ, दमन और दीव तक बढ़ाने तथा पणजी में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित करने सम्बन्धी यह विधेयक लाने के लिए मैं माननीय विधि मन्त्री को बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ मैं सोच रहा था कि वे ऐसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी जहाँ लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ वादी न्याय प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं जैसे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, एक विस्तृत विधेयक लायेंगे। काफी लम्बे अर्से से यहाँ के लोग पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की मांग कर रहे हैं। माननीय मन्त्री जी का जो उत्तर मुझे मिला है उसमें बताया गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय पोर्ट ब्लेयर में एक स्थाई पीठ की स्थापना करने का इच्छुक नहीं है। एक तर्क यह है। उन्होंने एक तर्क यह दिया हैं कि वहाँ मुकदमों की पर्याप्त संख्या नहीं है जो देश के उस भाग में एक स्थाई पीठ की स्थापना का औचित्य सिद्ध कर सके। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अनेक विकासात्मक

गतिविधियों का औचित्य सिद्ध नहीं होता, फिर भी भारत सरकार यदि चाहे तो उस क्षेत्र के लोगों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ कार्य करना चाहती हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा ऐसे अनेक अलग-अलग क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कोई कार्य करने का औचित्य न भी हो, किन्तु फिर भी सरकार को कार्य करने होते हैं। कभी-कभी यह होता है कि लम्बी दूरी के कारण तथा इसमें होने वाले व्यय के कारण लोग अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए कलकत्ता जाकर मुकदमा दर्ज कराना नहीं चाहते। पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थाई पीठ स्थापित करके यदि आप उन्हें एक अवसर प्रदान करें तो वे लोग जो दुःखी हैं और कलकत्ता नहीं जा सकते हैं, स्वतः इस स्थाई पीठ के पास जायेंगे और न्याय प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मुकदमों की संख्या में स्वतः ही वृद्धि होगी। इसलिए मैं यह अनुरोध कर रहा हूं। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रस्ताव है जो माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है। न्यायिक आयुक्त का न्यायालय एक घटिया किस्म की न्याय-प्रणाली है और इन दिनों हम इस प्रकार की घटिया किस्म की न्याय-प्रणाली स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ तक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थाई पीठ उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, इस बारे में उन्हें अवश्य विचार करना होगा।

मैं प्रो० सत्य सदन चक्रवर्ती को भी, जो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता के बारे में बढ़-चढ़ कर बोल रहे थे, कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार न्यायपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती ? क्या कलकत्ता में वामपंथी सरकार ने हजारों मुकदमें, जिनमें कत्ल के मुकदमें तक शामिल हैं, वापस नहीं लिए हैं ? इतना ही नहीं एक खास मजिस्ट्रेट ने·····(**व्यवधान**)

जब आपके नेता बोल रहे थे, तब हमने हस्तक्षेप नहीं किया। अब आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ? यदि आपका प्रजातन्त्र में कोई विश्वास है तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी बात को सुनने के लिए आपमें धैर्य होना चाहिए·····।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल स्पष्टीकरण के प्रश्न पर।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री मनोरंजन भक्त : नहीं, महोदय। पश्चिम बंगाल में कत्ल के मुकदमों सहित हजारों मुकदमें वापस लिए गए हैं—ऐसे लोगों के मुकदमें जिनके विरुद्ध कत्ल के आरोप हैं।

केवल यही नहीं, जब कुछ मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश कुछ विशेष मामले वापस लेने के लिए सहमत नहीं हुए तब उन्हें पदोन्नत करके स्थानांतरित कर दिया गया वहाँ उनकी अपनी पसन्द के व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए ताकि मामलों को वापस लिया जा सके।·····(**व्यवधान**) मैं यह कहना चाहता हूं। प्रो० चक्रवर्ती न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की बात करते हैं और अपने आपको मार्क्सवादी होने का दावा करते हैं। क्या वे कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिस देश में मार्क्सवादी या कम्युनिस्ट शासन रहा है वहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका रही हो।

वे हमेशा वही कहते हैं जो उन्हें परिस्थितियों के अनुसार उचित लगता है।

मैं यह कहना चाहता हूं। मैं जब सुन रहा था तो मैंने अपने माननीय मित्र की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उस समय मैं यह सोच रहा था कि वे किसी सार्वजनिक मंच पर भाषण दे रहे

हैं परन्तु अचानक मुझे ध्यान आया कि हम संसद में बैठे हैं और यहां कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मेरा माननीय विधि मन्त्री से यह अनुरोध है कि वे निर्दयी न बनें। उन्हें अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह के लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। वे बहुत दूर तथा दूर-दराज के क्षेत्र हैं और यह द्वीप इधर-उधर फैले हुए हैं। और मेरा उनसे अनुरोध है कि उन्हें अगले सत्र में एक विधेयक लाना चाहिए ताकि केन्द्रशासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में स्थायी पीठ का गठन किया जा सके।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री मनोरंजन भक्त ने ठीक ही कहा है कि अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अनेक मामलों को वापस ले लिया गया है। यह सच है। परन्तु कारण यह है। वहांकांग्रेस (आई) ने कहा कि वे सब कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं और मुख्य मन्त्री को विश्वास दिलाया कि वे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। परन्तु 22 तारीख को जो कुछ हुआ वह हम सब जानते हैं।··· ·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने सदन में खड़े होकर यह कहा है कि इस प्रकार का कोई मामला वापस नहीं लिया गया है तो, यह अच्छा ही किया है। मुझे आपसे यही आशा थी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय मैंने यह कहा है कि हमने मामले वापस लिए हैं क्योंकि कांग्रेस (आई) ने यह कह कर सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी कि "वे सब हमारे सदस्य हैं आप उन्हें रिहा कर दें।" और हमने उनका विश्वास करके उन्हें रिहा कर दिया और अब वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : उनके एक सदस्य के खिलाफ मामला था। वह वापस ले लिया गया और उसे वामपंथी सरकार में मंत्री बना दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार यादव।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं और जैसा कि बहुत सारे लोगों ने विधि मंत्री को धन्यवाद दिया है, मैं समझता हूं कि वे धन्यवाद के और ज्यादा मुस्तहक होते, अगर वे गोवा, दमन और दीव के लिए बाजाबता परमानेंट इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट की स्थापना का बिल लाते। बहरहाल, जो कुछ भी मंत्री महोदय द्वारा लाया गया है, उसका चारों ओर से समर्थन हो रहा है। लेकिन जिस उद्देश्य से वहां बम्बई हाईकोर्ट की जूरिसडिक्शन को बढ़ाने की बात कही गई है और साथ ही साथ वहां एक परमानेंट बैंच की स्थापना की बात की गई है, वह इसलिए है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था जो तीनों, भाग उस सैन्ट्रली एडमिनिस्टर्ड स्टेट के हैं, वहां की गरीब जनता को न्याय मिलने में सहूलियत नहीं होगी, जब तक कि वहां एक परमानेन्ट हाई कोर्ट की स्थापना नहीं होती है।

कई माननीय सदस्यों ने इस सदन में यह सवाल उठाया है कि कई जगहों पर परमानेन्ट हाई कोर्ट बैंच की जरुरत है। चूंकि अभी जो स्थिति है, उसमें लोगों को अपने सूबे से हाईकोर्ट तक काफी दूरी तय करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में जो गरीब लोग है, जिनकी आर्थिक-स्थिति खराब है, उनके लिए हाईकोर्ट में जाना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश की जो न्यायिक पद्धति है, बावजूद इस बात के कि हमारे देश के अन्दर कांग्रेस की हुकूमत काफी अर्से से ··· ···

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक में इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें यह उपबन्ध कहां हैं ? कृपया विधेयक के सम्बन्ध ही बोलें।

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सीमा बहुत ही महदूद है, इसलिए जुडिशियल सिस्टम पर ही कुछ बोल सकते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मुझे बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। यह मैं क्यों बताऊं कि आपको किस बात पर बोलना है। मैं यह बता सकता हूं कि आप इस विधेयक के सम्बन्ध में ही बोलें।

श्री विजय कुमार यादव : मैं इसी बिल के मुताल्लिक बोल रहा हूं। इस देश के अन्दर इस समय जो कानून की व्यवस्था है वह निश्चित तौर पर अभी भी ऐसे लोगों के लिये है जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है। देश की आबादी का 45% जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं, मुझे बतलाईये उनमें से कितने हाईकोर्ट तक पहुँच सकते हैं, हाई कोर्ट में अपनी बात रख रख सकते हैं। आज न्याय महंगा होता जा रहा है, न्याय जगत में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जरुरत इस बात की थी कि मंत्री महोदय इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए कोई काम्प्रीहैन्सिव बिल, विस्तृत और व्यापक बिल लाते। जूडीशियरी के सम्बन्ध में आज यह शिकायत उठ रही है कि वह जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं है। जूडीशियरी का यह फर्ज होना चाहिए कि वह देश की आम जनता के प्रति जिम्मेदार हो, न्याय का इस्तेमाल आम जनता के लिए किया जाय। लेकिन आज होता यह है कि सरकार जो नियम बनाती है, उसका इस्तेमाल अमीरों के पक्ष में किया जाता है। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं—मैं जानता हूं जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं, बहुत से माननीय सदस्य उससे सहमत नहीं होंगें। मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जजेज की एप्वाइन्टमेन्ट असेम्बली के जरिये होनी चाहिए और सुप्रीर कोर्ट में पार्लियामेन्ट के जरिए होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाय तो आज जो हम इम्पार्शल जूडीशियरी की बात करते है, उसकी गारंटी कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था। एक घंटा पहले ही पूरा हो चुका है। हमने 5-41 पर शुरू किया था और अब 6.55 बज गए हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे अब उत्तर दें।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मैं इस विधेयक पर बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, समय समाप्त हो गया है। मुझे सदन की कार्यवाही चलानी है। अब मंत्री जी उत्तर देंगे। मुझे समय बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। विधेयक का उद्देश्य सीमित है।

श्री डागा और श्री अरावकल कृपया सुनें। चर्चा का समय समाप्त हो गया है। प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक पीठ के गठन के लिए अनुरोध कर रहा है।

मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए पहले ही कह चुका हूं अतः कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगें। श्री शिवशंकर

श्री पी० शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः सभी सदस्यों ने विधेयक का समर्थन

किया है और इस समर्थन के लिए मैं उनका आभारी हूं। दो संसद सदस्यों ने विधेयक का समर्थन करते हुए न्यायपालिका की आलोचना के सामान्य प्रश्न पर मेरी निंदा की है और मार्क्सवादी दल के एक मित्र ने उन व्यक्तियों को दोषी कहा है जो न्यायपालिका की आलोचना करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्त में उन्होंने कहा कि हमें इस प्रणाली को समाप्त करना चाहिए और एक ऐसी प्रणाली लानी चाहिए जो समाज के गरीब वर्ग के लोगों के हितों के अनुरूप हो। इसी वजह से उन्होंने इसे इतने विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। मेरे विचार में यह चीनी पद्धति है जिसे लागू करने के वे इतने इच्छुक हैं। (व्यवधान) महोदय, प्रश्न यह है।

प्रश्न यह है कि जब भी इस प्रकार का कोई मामला आता है हमारे मित्र विरोधी पक्ष के सदस्य इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि हम न्यायपालिका की आलोचना कर रहे हैं। महोदय, मजबूर होकर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार दोषारोपण करने के पीछे कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या किसी न्यायाधीश "क" न्यायाधीश "ख" अथवा न्यायाधीश "ग" के बारे में कुछ कहना है। यदि किसी ने यह कहा है कि यह न्यायपालिका प्रणाली जो ब्रिटिश राज्य की देन है, भारत के लोगों की आशाओं और आंकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो क्या इसका अर्थ यह है कि न्यायपालिका की आलोचना की गई है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा है कि हम न्याय-पालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहे हैं। यह सब बातें सार्वजनिक मंच पर कहने के लिए तो ठीक हैं परन्तु मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि सदन में गोआ, दमन और दीव सम्बन्धी विधेयक पर बम्बई उच्च न्यायालय की उस पीठ के संदर्भ में चल रहे वाद-विवाद में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर उन प्रतिक्रियावादियों की अनुचित सहानुभूति प्राप्त करना चाहते, जो वहां के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्थापित की जाएगी। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है। हम इस बात की विस्तृत जांच नहीं करेंगे क्योंकि यह सर्वथा भिन्न विधेयक है। परन्तु हम किसी भी ऐसे अवसर पर विरोधी पक्ष से आयी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं जब न्यायपालिका सम्बन्धी मामला उठेगा।

महोदय मुझे गर्व है कि एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मैंने यह कहा था कि न्यायाधीश एकान्त में रह रहे हैं। मैं इसे दोहराता हूं। मुझे गर्व है क्योंकि देश के लाखों लोगों की आवाज के अनुरूप यदि यह प्रणाली स्वयं अपना ली नहीं जाती तो मुझे डर है कि यह प्रणाली बिगड़ जायेगी और एक दिन यह समाप्त भी हो सकती है। यदि मैं यह आवाज उठा रहा हूं तो मैं केवल आवाज इसलिए उठाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि उचित रास्ता निकल सके। मेरे मित्र श्री परुलेकर और चक्रवर्ती और अन्य सहित वे जो भी व्यक्ति न्यायिक प्रणाली से सम्बन्धित हैं, जिन्हें न्यायिक प्रणाली के लिए कुछ करना है, उन्हें इसे नया रुप देने पर तथा न्यायिक प्रणाली की भूमिका के विश्लेषण पर विचार करना चाहिए ताकि यह लोगों के हितों की रक्षा कर सकें। हमें ब्रिटिश राज जिसने ऐसी न्यायिक प्रशासन प्रणाली का विकास किया जो उसके उपयुक्त थी, की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि मैंने यह आवाज उठाई है तो मेरा उद्देश्य ठीक रास्ता निकालने का है क्योंकि मेरा इससे गत 30 वर्ष का संबंध है। मेरे मित्र मेरी सदाशयता पर शक नहीं कर सकते मैंने प्रणाली के हित में कहा है। आपको इसकी जांच

करनी चाहिये तथा सारे मामले पर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिये। मेरे सभी मित्र जानते हैं कि किस प्रकार प्रणाली में त्रुटियां उत्पन्न हो रहीं हैं। हमें इस प्रणाली में गिरती हुई स्थिति को रोकना है। जब मैं यह कहता हूं कि इस प्रणाली के टूटने पर हमें एक दिन पछताना पड़ेगा तो मेरा मतलब चेतावनी देने का है। आप इसे टूटने न दें। यह प्रणाली हमारी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को देखते हुए पुरानी हो गयी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप अगले महीने का पूर्वदर्शन कर रहे हैं।

श्री पी० शिवशंकर : आप बीते समय का पूर्वदर्शन कर रहे हैं और मैं आने वाले समय का जिसका आपको स्वागत करना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं प्रतिक्रियावादी हूं और आप एक प्रोफेसर हैं।

श्री पी० शिवशंकर : आप इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी हैं (व्यवधान) आप एक ओर तो चीन के मेल-जोल रखते हैं और दूसरी ओर अमेरिका के साथ, आप इन दोनों ही देशों के साथ मेल-जोल रखने वाले अद्भूत व्यक्ति लगते है। छोड़िए, हमें इन बातों में नहीं जाना है...

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आपका आशय नैतिकता को प्रतिबिम्बित करने का है तो मैं नियम 353 के अन्तर्गत आपत्ति करता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : मैं अच्छे आचरण के बारे में कह रहा हूं, मैं तो आपके प्रमाण पत्र दे रहा हूं, आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं। इन पहलू पर मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता जिससे यह गलतफ़हमी हो जाए कि मैं कुछ बातें कहकर इस विधयक का कोई लाभ उठा रहा हूं। आम व्यक्ति को न्याय दिलाने के दृष्टि से न्यायपीठों का गठन किया जायेगा। मैं इस सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास करता हूं, चाहे इससे मामले में औरंगाबाद हो या कोई अन्य स्थान। परन्तु इस स्तर पर मैं रत्नगिरि को बम्बई से अलग करने या बम्बई को गोआ के साथ मिलाने की बात को कठिन मानता हूं क्योंकि वहां के लोग यह कहेंगे कि गोआ में सारे कार्य पर रत्नगिरि के सदस्य का वर्चस्व है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें अन्य लोगों से अनुचित लाभ उठाने दिया जाए।

एक सदस्य ने मामले को फाइल करने के बारे में कहा है। बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में ऐसी व्यवस्था की गई है। चाहे नागपुर हो या कोई अन्य स्थान, निश्चित रुप से पीठ के सामने फाइल करने की प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा अन्यथा वहां पीठ स्थापित करने से कोई हल नहीं निकलेगा। जहां तक न्यायिक आयुक्त की स्थिति का सम्बन्ध है, इस न्यायपीठ की स्थापना के बाद यह पद समाप्त हो जायेगा। रत्नगिरि से आये मेरे माननीय मित्र इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वह स्वत: उच्च न्यायालय के न्यायधीश नहीं बन सकते। प्रक्रिया के अनुरुप ही कार्य होगा। अनुच्छेद 217 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा। (एक माननीय सदस्य तब उनका क्या पद होगा ?) मुझे याद है भूतपूर्व हैदराबाद राज्य की जब उसे तीन हिस्सों में बांटा गया तो उच्च न्यायालय के दो न्यायधीशों का भविष्य अधर में लटक गया और दोनों ही होनहार न्यायधीश थे।

लेकिन उनके वेतन और कार्यविधि को सुरक्षित करके उन्हें यह आश्वस्त करना पड़ा

था लेकिन उनका पद हैदराबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर नहीं किया जा सका था। क्योंकि जब हैदराबाद का ही विघटन हो गया था, उन्हें विभिन्न स्थितियों में रखा गया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी अधिकार दिये गये हों मैं इस सभा में यह आश्वासन दे सकता हूं कि उन अधिकारों को निश्चय ही सुरक्षित किया जाएगा और इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा या नहीं। यह ऐसा ममला है जिसे विभिन्न दृष्टि कोणों से एक साथ देखा जाना हैं। रत्नगिरि के मेरे माननीय सदस्य ने प्रारुप में गलतियों के बारे में सवाल उठाया है और मेरा ध्यान खण्ड 6 तथा 8 की ओर दिलाया है। खण्ड 6 तथा खण्ड 8 के बीच की अन्तर आवश्यक है और इसके बारे में यह अच्छी तरह जानते हैं। दोनों खण्डों की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। इनमें से एक खण्ड में स्थानान्तरण के मामलों पर उस स्थिति में विचार किया गया है जबकि वकीलों ने विधेयक के खण्ड 7 के अन्तर्गत एक बार वकालत नामा अवश्य प्रस्तुत किया तो उन मामलों को स्थानान्तरण का माना गया है और उन्हें बम्बई उच्च न्यायालय की वेच द्वारा निपटाने वाले मामले माना गया है।

वकील को दोबारा कोई वकालतनामा या दोबारा किसी किस्म का कोई मामला फाइल न करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन उन्हें उन मुकदमों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार दिया है जिनमें उन्होंने वकालतनामें फाइल किए हैं या उनके सम्बन्ध में उन्हें पार्टियों से पहले ही अनुदेश प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन जब यह खण्ड 6 के प्रश्न के अन्तर्गत आता हैं जिसमें वकील को सामान्य अधिकार दिये गये हैं और मैं यह जानता हूं कि रत्नागिरि के माननीय सदस्य .....

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नागिरि) : आप उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं और मैं जिला न्यायालय में वकालत कर रहा हूं यह अन्तर है।

श्री पी० शिवशंकर : जैसा कि कुछ माननीय सदस्यगणों ने कहा है, मैं यह विश्वास दिला सकता हूं कि मेधावी वकील केवल उच्च न्यायालयों में ही नहीं मिलते और मैं उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हूं जो यह विश्वास करते हैं कि बहुत से उच्च न्यायालयों की अपेक्षा जिला न्यायालयों में भी बहुत से अच्छे वकील होते हैं। और इस प्रकार के वकीलों में मेरे रत्नागिरि के माननीय सदस्य हैं। एक उठाया गया प्रश्न यह था कि आप अपना एक अलग उच्च न्यायालय क्यों नहीं बनाते हैं? वास्तव में वाद-विवाद की शुरूआत करने वाले ने ही यह प्रश्न उठाया था कि एक अलगउच्च न्यायालल बनाना ज्यादा अच्छा होगा। श्रीमन् एक उच्च न्यायालय के न्यायधीश से आम-तौर पर 650 मामलों के निपटाने की अपेक्षा की जाती है। यह आंकड़े अपनी ओर से कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं निकाले गये हैं बल्कि ये सर्वोच्च न्यायपालिका द्वारा निकाले गए हैं तथा इस सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये गए हैं। तथा यह एक बड़े संतोष की बात है कि सामान्यतया उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायाधीश इन मानकों के अनुरुप मामलों का निपटान करते रहे हैं। अब यदि गोआ में ही एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जानी है तो इस न्यायालय पर जो भी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश होगा वह इसका अनुवर्ती न्यायाधीश ही होगा और उसे ही सब कुछ समझा जायेगा। अतः उससे समयस्या पैदा होगीं। और इसी समस्या का अन्ड़मान तथा

निकोबार द्वीप समूह में भी सामना करना पड़ेगा। मुझे यह पता नहीं है कि अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय सदस्य अधिक मुकदमे बाजी करने के इच्छुक हैं। अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह की जनता बड़ी शान्ति प्रिय है। वहां की जनता कभी-कभी ही लड़ती है। .....

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : प्रत्येक व्यक्ति कलकत्ता जा रहा है वहां लगभग 2000 या 3000 मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे माननीय मित्र यह अच्छी तरह जानते है कि एक महीने में मुश्किल से एक या दो मामले ही कलकत्ता में आते है वह इस बात को भली-भांति जानते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : जो कुछ भी हम करते रहे हैं वह यह है कि वहां मामलों के होने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय उन मामलों को निपटान के लिए एक न्यायपीठ भेजता है और मामलों का इतनी शीघ्रता से निपटाया गया है कि कलकत्ता से जो जाने वाले न्यायधीश के लिए एक सप्ताह के लिए भी कार्य उपलब्ध नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां के लिए इस स्थिति का स्थायी न्यायपीठ रखने तथा प्रशासन पर आर्थिक बोझ डालने पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

श्री मनोरंजन भक्त : पोर्ट ब्लेयर की सरकार न्यायपीठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश जाता है वह उन मामलों पर विचार नही करता जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही दर्ज किए गये हों वह केवल उन मामलों पर ही विचार करता है जो पोर्ट ब्लेयर में ही दर्ज किये गए हैं।

इसलिए वहाँ की जनता को जल्दी-जल्दी कलकत्ता भागना पड़ता है ।

श्री पी० शिवशंकर : मामलों को दर्ज करने का कार्य कलकत्ता में ही आवश्यक तौर पर किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश को काम होने पर वहां जाना पड़ता है। वहां मामलों का निपटान करना पड़ता है।

श्री मनोरंजन भक्त : पोर्ट ब्लेयर में भी एक रजिस्ट्रार है। लेकिन अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट याचिका से सम्बन्धित मामले पोर्ट ब्लेयर में दर्ज नहीं किए जाते हैं। ये मामले कलकत्ता में ही दर्ज किये जाते हैं और उन पर केवल कलकत्ता में ही विचार किया जाता है।

श्री पी० शिवशंकर : प्रश्न यह है कि वहां कितने मामले है ताकि वहां एक न्यायापीठ का गठन किया जा सके। यह समस्या थी जिसे मैंने व्यक्त किया है।

श्री मनोरंजन भक्त : द्वीप समूह की विशेष परिस्थितियों के कारण आप इस पर पुनः विचार कर सकते है।

श्री पी० शिवशंकर : वह मुझसे यह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह द्वीप समूह का मामला है लेकिन उन्होंने मुझे वहां आने के लिए कभी-आमंत्रित नहीं किया है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं आप को अभी तुरन्त आमंत्रित करता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : श्रीमन्, मेरे विचार से अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका मुझे अभी उत्तर देना हो। मैं पुनः माननीय सदस्यगणों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देता है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरि) : उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश मामलों पर कालक्रमानुसार विचार करते है और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर वर्षों बाद निर्णय किया जाता है जब तक कि महानगरों के मामलों के फैसले नहीं हो जाते। क्या हम इन मामलों को अलग-अलग नहीं कर सकतें ? क्या आप इस संबंध में गम्भीरता से कोई कार्यवाही करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके और वे प्रतीक्षा सूची में न लगे रहें। जैसाकि हम यह जानते हैं कि ऐसे मामलों का अनुपात 80:20 है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस विषय पर बम्बई के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार करूंगा और उनसे मेरे मित्र की शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ यह भी विचार करने के लिए अनुरोध करूंगा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के अपीलीय मामलों को शीघ्र निपटाने पर भी विचार करें।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है जहां कहीं भी हो सकेगा वहां बेंचिज कायम की जायेंगी। मेरा कहना यह है कि जिन राज्यों की एक करोड़ या उससे भी कम आवादी है उनके लिए भी एक हाई कोर्ट है और ऐसे राज्य भी हैं जिनकी दस बारह करोड़ की आवादी है और वहां भी एक हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश की आवादी तथा वहां के लोगों के भाग को देखते हुए क्या आप यह निश्चय करेंगे कि मेरठ या बरेली में कोई न्यायपीठ स्थापित की जानी चाहिए ? उत्तर प्रदेश की आवादी 12-14 करोड़ की है और उसका एक ही उच्च न्यायालय है। मंत्री महोदय के भाषण को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे श्री जैलसिंह बोल रहे हों। बातों-बातों में उन्होंने टाल दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आवादी को देखते हुए क्या आप उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : मुझे इस बात का खेद है कि मेरे माननीय सदस्य ने मेरी बात को समझा नहीं है। शायद मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी जिसे मेरे मित्र समझ सकते। मेरा यह कहना था कि इस सरकार द्वारा जो भी सिद्धान्त अपनाया जायेगा इसमें साधारण जनता के हितों का ध्यान रखा जायेगा और इस दृष्टि से जहां कहीं साधारण जनता के लिए न्याय गांवों तक पहुँचाना सर्व सुलभ बनाना आवश्यक होगा वहाँ हम न्यायपीठों की स्थापना करने पर निश्चय ही विचार करेंगे। मेरा विचार है कि इससे यह स्पष्ट हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकारिता का गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार करने के लिए पणजी में उस उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 14 तक में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 14 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 1, अधिनियम सत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी० शिवशंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कम्पनी अधिनियम की धारा 620 के अधीन प्रारूप अधिसूचना के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव

बापू साहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956—(1956 का) की धारा 620 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन रूप भेद के प्रस्ताव का जिसके द्वारा यह उपबन्ध है कि उक्त अधिनियम की धारा 255, 256 और 257 सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होंगी, जो 18 नवम्बर, 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था, निरनुमोदन करती है।

"यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह इस संकल्प से सहमत हो।"

उपाध्यक्ष महोदय जी : मुझे अधिक समय नहीं लेना है। यह एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव कम्पनी अधिनियम की धारा 620, उप खण्ड (2) का अन्तर्गत रखा गया है श्रीमन्, माननीय विधि मन्त्री महोदय ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 को धारा 622 के अन्तर्गत यह प्रारूप अधिसूचना सभा-पटल पर रखी थी।

श्रीमन्, 18 दिसम्बर, 1980 को सभा पटल पर लगभग 19 दस्तावेज रखे गये थे जिनमें से लगभग 8 दस्तावेज माननीय विधि मन्त्री महोदय ने ही रखे थे। श्रीमन्, शायद अन्य दस्तावेजों के साथ इसकी ओर सभा का ध्यान न जा पाए, कि यह दस्तावेज भी सभा-पटल पर रखा गया था। इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। श्रीमन् यह अपेक्षा थी कि इस विशिष्ट प्रारूप अधिसूचना के साथ कुछ विशेषज्ञों के साक्ष्य भी दिया जाये ताकि माननीय सदस्यों को उन कारणों का पता लग सके जिनके कारण सरकार को इस प्रकार की प्रारूप अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने की आवश्यकता महसूस हुई। श्रीमन्, आज प्रातः के समाचार पत्रों में मुझे इसका स्पष्टीकरण मिला। उस विशिष्ट स्पष्टीकरण की अच्छाइयों के अतिरिक्त मैं

सम्मानीय सभा को यह बताना चाहता हूं कि यह स्पष्टीकरण 8 दिसम्बर को राज्य सभा-पटल पर रखा था।

विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री श्री पी० शिव शंकर : उन्होंने इस पर आपत्ति की थी।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उन्होंने इस पर आपत्ति की थी लेकिन इसके पश्चात् तुरन्त इस सभा-पटल पर रखा गया था लेकिन इसे राज्य सभा के पटल नहीं रखा गया था।

श्री पी० शिवशंकर : इस सम्बन्ध में जो घटना घटी थी वह यह थी कि जब मैं इसे सभा-पटल पर रख रहा था, उस समय माननीय सदस्यों में से एक सदस्य ने यह कहा था कि आप छूट क्यों दे रहे हैं ? आपने कुछ कारण बताये थे। तब मैंने उनसे यह वायदा किया था कि मैं इसे सभा-पटल पर रखूंगा। इस प्रकार मैंने इसे सभा-पटल पर रखा था।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है। इसे उसी दिन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए था। सात दिन व्यतीत हो गए। लेकिन श्रीमन् उसके अतिरिक्त इस स्पष्टीकरण के अन्त में एक पैरा में यह उल्लेख किया गया है कि 24 जनवरी 1978 को उपर्युक्त अधिसूचना के जारी किये जाने के पश्चात् सरकार के पास इस बात के लिए अभ्यावेदन भेजा गया था कि सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी धारा·····के उपबन्धों से मुक्त रखी जाये। मैं विधि मन्त्री महोदय से इस सम्माननीय सभा को यह बताने की प्रार्थना करूंगा कि यह अभ्यावेदन किसने और कब प्रस्तुत किया था। इस अधिसूचना के अन्त में एक पैरा में दिये गये आपके इस विशिष्ट वक्तव्य के बारे में जानना मेरे लिए आवश्यक होगा। सरकार ने बहुत से अवसरों पर इस विशिष्ट किस्म की अधिसूचनाएं जारी की हैं। मुझे यह मालूम नहीं है कि सरकार इस विशिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देना चाहती है या नहीं।

सन् 57, 61 और 65 में इस तरह की छूटें दी गयीं थी। मुझे छूट दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी कम्पनी विशेष को ध्यान में रखकर सभापटल पर यह विशेष प्रारूप अधिसूचना रखी गयी है। कितनी सरकारी कम्पनियां काम कर रही हैं। यदि मेरी सूचना सही है तो ऐसी करीब डेढ़ सौ सरकारी कम्पनियाँ है जिनमें से 80 या 85 में निदेशक बोर्ड की नियुक्ति नहीं की गयी है क्योंकि इस उपबन्ध विशेष का लोप कर दिया गया है। प्रारूप अधिसूचना में कहा गया है कि धारा 255, 256 तथा 257 सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगी। ये धारायें निदेशकों की एक तिहाई, दो तिहाई संख्या के सेवा निवृत्त होने, सामान्य सभा द्वारा पुनर्निवाचन आदि के बारे में हैं। कम्पनी अधिनियम की इस धारा विशेष में लोकतांत्रिक सिद्धान्त अन्तर्निहित हैं तथा इन्हीं धाराओं को सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि इस अधिसूचना विशेष को आज ही के दिन सभा-पटल पर क्यों रखा गया है। मैं माननीय विधि मन्त्री महोदय का ध्यान मारुति विधेयक के खण्ड 6 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें केन्द्रीय सरकार को किसी उपक्रम या कम्पनी को किसी सरकारी कम्पनी में समामेलित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। 1978 में जनता सरकार के जमाने में एक अधिसूचना जारी की गयी थी जो इस प्रकार है :—

"विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय की दिनांक 31 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 234, का अतिक्रमण करके तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 620 की उपधारा । के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए....."

उपर्युक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि धारा 255, 256 257 सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगी । फिर सरकार के लिए अब उपर्युक्त सूचना में संशोधन करने का अवसर कहाँ रह जाता है ? मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि मूल अधिसूचना क्या थी तथा वर्तमान अधिसूचना क्या है । मूल अधिसूचना में कहा गया है कि ये धारायें उन सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगी जिनमें समस्त प्रदत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों की है । अब उपर्युक्त अधिसूचना में जोड़ा गया है, "उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित किसी सरकारी कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी....." ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार चाहती थी कि नयी अर्जित की हुई मारुति कम्पनी की इन धाराओं से छूट प्रदान की जाये क्योंकि इस प्रकार की कम्पनी धारा 6 के अन्तर्गत आती है अन्यथा इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी अतः मेरा प्रश्न है कि ऐसी कितनी कम्पनियाँ हैं जो कि सरकारी हैं । ऐसी विभिन्न अधिसूचनाओं के बाद जिनके द्वारा आपने इन धाराओं को लागू नहीं होने दिया है ऐसी कितनी कम्पनियाँ हैं जिनमें निदेशक बोर्ड की नियुक्ति नहीं की गयी है । क्या यह सच है कि इस धारा विशेष के लोप के कारण लगभग 80 प्रतिशत कम्पनियों में निदेशक बोर्ड की नियुक्ति नहीं की गयी है तथा निदेशक बोर्ड की नियुक्ति न किये जाने पर 60-70 प्रतिशत से अधिक कम्पनियां खराब स्थिति में हैं । इस धारा विशेष को सरकारी कम्पनियों की अनुषंगी कम्पनियों पर लागू करने की क्या आवश्यकता थी । मेरा निवेदन है कि यदि यह धारा केवल धारा 6 के अधीन अर्जित होने वाली सरकारी कम्पनियों पर लागू करने के लिए बनायी गयी है तो इसका अनुमोदन नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री पी० शिवशंकर : रत्नागिरि से निर्वाचित मेरे माननीय मित्र महोदय ने अपने वाक चातुर्य की अच्छी अभिव्यक्ति की है । अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में वाद विवाद का उत्तर देते समय मैंने उनकी इस वकालात का उल्लेख किया था । बहुत साधारणसी बात है लेकिन पता नहीं कि उन्होंने इस बारे में आपत्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले ली है । 31-1-1978 को मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री ने धारा 620 के अधीन एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें सरकारी कम्पनियों की धारा 255, 256, और 257 के अधिकार क्षेत्र से छूट प्रदान की गयी थी । जहाँ तक इन तीन धाराओं का सम्बन्ध है मुझे खुशी है कि छूट प्रदान करने की शक्ति को चुनौती नही दी गई है । कम से कम इस सीमा तक तो मेरे माननीय मित्र मेरे प्रति उदार रहे हैं । कम्पनी कानून के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष होने वाली आम सभा की बैठक में कुछ प्रतिशत निदेशक सेवा मुक्त हो जाते हैं । इसके पश्चात् वे पुनः निर्वाचन के लिए अपना नाम प्रस्तुत कर सकते हैं तथा यह निर्वाचन आम सभा की वार्षिक बैठक में होता है । धारा 255, 256 और 257 का यही सार है । किसी भी सरकारी कम्पनी सभी शेयर सरकार के होते हैं । कुछ निदेशकों के सेवा निवृत्त होने से कोई विशेष प्रयोजन नहीं हैं क्योंकि सभी निदेशक सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाते हैं । सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट हो जाने पर निर्वाचन का कोई प्रश्न नहीं रहता क्योंकि ऐसा साधारण कम्पनियों के मामले में ही होता है । उन्हें सेवा

निवृत करने और पुनः नाम निर्दिष्ट किये जाने की क्या आवश्यकता है। सरकारी कम्पनियों में क्योंकि शेयरधारी सरकार ही होती है तथा निदेशक स्वयं सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ही होते हैं, अतः धारा 255, 256 और 257 में निर्धारित इस प्रक्रिया का अनुसरण करना बेकार और निरर्थक है। इसी वजह से सरकारी कम्पनियों की ओर से यह माँग की गयी थी कि इस प्रक्रिया का अनुसरण क्यों किया जाये। वस्तुतः किसी समय 1975-76 में इस बात पर विचार किया गया था। अन्ततः मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री महोदय ने यह निर्णय किया था कि सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में निदेशकों के सेवा निवृत होने और उनका निर्वाचित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह नाम निर्देशन का मामला है और शेयरधारी भी पूर्णतः सरकार ही होती है अतः यह दुरूह प्रक्रिया निरर्थक है। इसीलिए सरकारी कम्पनियों को धारा 255, 256 तथा 257 के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करने के लिए धारा 620 (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग किया गया। इसके बाद कुछ ऐसी कम्पनियां थी जो कि पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों की पूरी तरह अनुषंगी कम्पनियां थी। उन्होंने यह कहा कि देखिये, आखिरकार इन कम्पनियों की शेयरधारी भी स्वयं सरकार है अतः समस्त शेयर पूंजी सरकार की है। इसलिए आम सभा की बैठक, निर्वाचन, सेवा निवृति आदि का कोई प्रश्न नहीं है। मैं इस बारे में भारत के खनिज तथा धातु व्यापार का उदाहरण दे सकता हूं। इसी प्रकार की कम्पनियों ने कहा कि पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों की पूर्ण अनुसंगी कम्पनी होने पर भी, उन पर सरकारी कम्पनियों के मामले में लागू होने वाला सिद्धान्त क्यों नहीं लागू किया जाना चाहिए तथा उन्हें भी धारा 255, 256 तथा 257 के उपबन्धों से छूट क्यों न प्रदान की जाये ताकि तथाकथित निर्वाचन की इस प्रक्रिया से गुजरने का काम जो कि वस्तुतः एक दिखावा ही है से बचा जा सके। केवल इसी पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखकर सरकारी स्वामित्व वाली इन अनुषंगी कम्पनियों को धारा 255, 256 तथा 257 के क्षेत्राधिकार से छूट प्रदान करने के लिए यह अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की गयी। मेरे मित्र महोदय को इस बारे में अनुचित ढंग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होने खण्ड 6 का उल्लेख किया है। वस्तुतः उन्होंने ये खण्ड जल्दी में पढ़ा। मारुति कम्पनी का अधिग्रहण हो जाने पर यदि यह कम्पनी पूर्णतः सरकारी स्वामीमित्व वाली कोई अनुषंगी कम्पनी नहीं बनती—क्योंकि उन्होंने इसके पीछे कुछ निहित उद्देश्य बताने का प्रयास किया है—तो यह कम्पनी पूरी तौर से सरकारी कम्पनी की श्रेणी में आ जायेगी जिसके लिए पर्याप्त रक्षोपाय किये गये हैं। मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री महोदय वस्तुतः बहुत अच्छे ज्योतिषी थे। उन्होंने श्री परूलेकर द्वारा दिये जाने वाले इस तर्क का पहले से अनुमान लगा लिया था। मारूति कम्पनी के संदर्भ में इस छूट की किसी भी रूप में कोई संगति नहीं है। इसके उद्देश्य जनवरी, 1978 को जारी की गयी अधिसूचना के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं।

मेरे मित्र महोदय ने पूछा था कि सरकारी कम्पनियाँ कितनी हैं। मेरे पास यह जानकारी है जो कि मुझे मेरे अधिकारियों ने यहीं पर दी है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने यह सूचना तत्काल तैयार करके मुझे दी है। 31 मार्च 1977 को 701 सरकारी कम्पनियां थीं। अतः इस प्रकार की बेकार की अधिसूचना में से और अधिक कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : (रत्नगिरी) इन सभी कम्पनियों में से कितनी प्रतिशत कम्पनियों में निदेशक बोर्ड की नियुक्ति नहीं की गई है ?

श्री पी० शिवशंकर : इस समय इसका उत्तर देना संभव नहीं होगा । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मारुति लिमिटेड के संदर्भ में दिये गये इस तर्क के संबंध में जिसका कोई आधार नहीं है अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु किसी तर्काधार के बजाय केवल राजनीतिक कर तब दिखाने की दृष्टि से मेरे मित्र ने इस बात पर जोर देने के लिए अपनी क्षमता का जिस प्रकार प्रयोग किया है मैं उसकी सराहना करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रूप भेद के प्रस्ताव का जिसके द्वारा यह उपबंध है कि उक्त अधिनियम की धारा 255, 256 और 257 सरकारी कम्पनी पर लागू नहीं होंगी, जो 18 नवम्बर, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था, निरनुमोदन करती है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

बम्बई हाई कम्पलैक्स के आधार पर बनाए जाने वाले यूरिया और अमोनिया उर्वरक संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी तथा विदेशी सहयोग का चयन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे । श्री उन्नीकृष्णन का नाम लेने से पूर्व मैं यह बताना चाहूंगा कि श्री के० पी० उन्नीकृष्ण ने यह सूचना दी है कि यूरिया तथा अमोनिया उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी तथा विदेशी सहयोग के चुनाव के बारे में चर्चा आरम्भ करने वाले अपने भाषण के दौरान वे कुछ दस्तावेजों से उद्धरण प्रस्तुत करेंगे ।

मैंने मामले की जांच कर ली है । 26 फरवरी, 1965 को मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती उपाध्यक्ष महोदय ने यह विनिर्णय किया था कि :—

"कोई भी सदस्य सामान्यतः किसी ऐसे दस्तावेज से उद्धरण दे सकता है जिसे कि सरकार द्वारा गोपनीय अथवा गुप्त रखा गया है तथा सरकार ने जिसे जनहित को ध्यान में रखकर प्रकाशित नहीं किया···"

उन्होंने यह विनिर्णय भी दिया था कि :—

"जहां सरकार को किसी ऐसे दस्तावेज की किसी प्रति जो कि गुप्त अथवा गोपनीय की श्रेणी में रखा गया है, के सही होने को स्वीकार करने अथवा इन्कार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता वहीं इस प्रकार के दस्तावेज से उद्धृत करने वाले सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह इस बात को प्रमाणित करे कि उसने व्यक्तिगत जानकारी से इस बात की पुष्टि कर ली है कि वह दस्तावेज सरकार के पास विद्यमान मूल दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि हैं तथा वह सदस्य यह कार्य अपने ही जिम्मेदारी पर करेगा तथा

पीठासीन अधिकारी उन्हें इस बात पर आगे बोलने की अनुमति देंगे। यदि सदस्य इस रूप में कोई प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार न हों और वह इस प्रकार के दस्तावेज से उद्धृत करने पर जोर दे तो पीठासन अधिकारी सरकार से उस दस्तावेज की प्रमाणिकता के बारे में पता लगा सकते हैं और उस स्थिति में सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी के सामने रखें गये तथ्य इस बात का निर्धारण करने की दृष्टि से अंतिम होंगे कि वह दस्तावेज असली है या नहीं। सरकार द्वारा किसी कथित प्रतिलिपि के सही होने को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने से इन्कार करने पर पीठासीन अधिकारी सदस्य को अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान करेंगे और सरकार को उसका ऐसा उत्तर देने की छूट होगी जैसा कि वह उचित समझे।"

मैंने ऊपर जो विनिर्णय उद्धृत किया है उसके संदर्भ में मैं श्री उन्नीकृष्णन से जानना चाहूंगा कि क्या वे यह प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं कि क्या उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी से इस बात की पुष्टि कर ली है कि जिस दस्तावेज से वे उद्धृत करना चाहते हैं वह सरकार के पास विद्यमान दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि है तथा वे ऐसा अपने जिम्मेदारी पर करेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बड़ागरा) : निश्चय ही, श्रीमन्, आरम्भ करने से पूर्व में इसे पूरी तरह से अधिप्रमाणित करूंगा और सदन के सभापटल पर रखूंगा। यदि सदन की ऐसी ही मांग है अथवा इसलिए कि मंत्री महोदय इससे इन्कार कर सकें। मैं निश्चय ही आपके विनिर्णय का पालन करूंगा। फाइलों में रखी हुई ये सभी प्रतिलिपियां वास्तविक तथा असली हैं।

श्रीमन्, इतिहास हमें बताता है कि जिस वक्त रोम जल रहा था नीरो अपना सितार बजा रहा था। वस्तुतः यह क्षोभजनक बात है कि हमारे कुछ मंत्री महोदय विशेष कर पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री जिनके प्रति मेरे मन में बहुत अधिक प्रेम तथा सम्मान है वे भी भारतीय उर्वरक उद्योग तथा हमारे उर्वरक प्रौद्योगिकी के भविष्य से और परिणामतः बेहतर उपकरणों तथा कच्चे माल के लिए चीख पुकार करने वाले बेचारे गरीब भारतीय किसान के भविष्य से खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो प्रौद्योगिकी अन्तरण तथा परामर्श व्यवस्था के विस्तार में जाने से पूर्व में भारतीय उर्वरक उद्योग तथा नाइट्रोजीन्स उर्वरक उद्योग की वर्तमान पिछड़ी दशा का विस्तार से उल्लेख करना चाहूंगा।

जब से ये सरकार सत्ता में आई है अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग की दृष्टि से नाइट्रोजीन्स उद्योग की क्षमता जो 1978-79 में 69 प्रतिशत और 1979-80 में 61 प्रतिशत थी कम होकर 80-81 में अप्रैल से सितम्बर की अवधि में 50 प्रतिशत से भी कम रह गयी है। भारत में प्रति हैक्टेयर उर्वरक खपत जो कि अन्तर्राष्ट्रीय औसत के अनुसार 120 किलोग्राम है भारत में कम हो कर 20 किलो ग्राम रह गयी है और इस वर्ष यह खपत और भी होने की संभावना है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। यूरिया की कीमतें निरंतर बढ़ रही है और इसी दृष्टि से आपको प्रतिष्ठित मंत्री महोदय द्वारा लिये गये निर्णय से हुई हानि का हिसाब लगाना चाहिये क्योंकि यूरिया के आयात पर व्यय होने वाली राशि निरंतर बढ़ती जा

रही है और इस निर्णय के परिणामस्वरूप हम पहले ही 600 करोड़ से अधिक का नुकसान उठा चुके हैं।

थाल वैशेट और हजारिया में लगाये जाने वाले 1350 मीटरी टन क्षमता के चार अमोनिया संयत्रों के कारण जिनसे कुल उत्पादन क्षमता 5450 मीटरी टन प्रति दिन हो जायेगी, यह संभव था कि **1·00 मीटरी टन अमोनिया से 1·6 मीटरी टन यूरिया तैयार किया जा** सकता। इस प्रकार 5400 मीटरी टन अमोनिया से 8460 मीटरी टन यूरिया तैयार किया जा सकता था।

बम्बई हाई कम्पलैक्स में स्थापित किये जाने वाले 7 यूरिया संयंत्रों से कुल अधिकापित क्षमता 8400 मीटरी टन प्रति दिन हो जायेगी। 2060 रुपए प्रति मीटरी टन के वर्तमान आयात मूल्य के हिसाब से इस 8400 मीटरी टन यूरिया का मूल्य लगभग 1.75 करोड़ रुपए प्रति दिन होता है।

यदि हम 330 कार्य दिवस मान लें तो मूल्य लगभग 580 करोड़ रुपए होगा। और मैं यह भी प्रमाणित करूंगा कि दिसम्बर 1979 में हस्ताक्षरित इस ठेके को ना मंजूर करने के निर्णय के लिए वह किस प्रकार जिम्मेदार हैं। इसके कारण राष्ट्रीय खजाने को पहले ही 600 करोड़ रुपए की हानि हुई है। अब बम्बे हाई की घटनाओं को इसी संदर्भ में देखना होगा।

बम्बे हाई में, 1976 में जब कि शायद श्री सेठी ही मन्त्री थे तब यह निर्णय किया गया था, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कहा था कि इन तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 करोड़ घन मीटर से भी अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन किए जाने कि क्षमता है और वहाँ 10 संयंत्र लगाने की क्षमता है तथा 1350 मीटरी टन प्रतिदिन क्षमता वाले 4 संयंत्र तुरन्त लगाये जाने की क्षमता है। मुझे ध्यान नहीं है कि क्या उन्होंने या उनके पूर्ववर्ती मंत्री ने श्री के० सी० शर्मा की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था जिसने इन सब बातों पर विचार किया था। शर्मा कार्यकारी दल द्वारा सुझाई गई 8 शर्तों की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट भाग यह था कि संयंय (क) **1350 मीटरी टन प्रतिदिन क्षमता के होंगे और इससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि इन संयंत्रों में आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी** को इस प्रकार मानवीकरण किया जाएगा कि इसके साइज और प्रैद्योगिकी से संबद्ध मानवीकरण के लाभ इस देश को ही मिले और फिर वे तत्कालीन उर्वरक निगम जो बाद में (एफ०पी०डी०आई०एल०) फर्टिलाइजर प्लान्ट एन्ड डिवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड हो गया, जो एक सरकारी उपक्रम है, को दे दिए जाएंगे ताकि हम और संयंत्र बना सकें, और इसकी वित्तीय व्यवस्था विश्व बैंक करेगा।

अक्तूबर 1977 में कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक परिवर्तन हुआ और एक नई सरकार बनाई गई। तथापि अक्तूबर 1977 में श्री लवराज कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल ने निम्नलिखित पूर्व अर्हक (पहले से ही योग्यता प्राप्त) छः अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को सक्षम बताया :—

1. सी० एफ० ब्रान (अमरीका)

2. टोयो इन्जीनियरिंग कापोरेशन (जापान)

3. टेक्नीमोंट (इटली)

4. हम्फरीज ग्लैस्गो (इंगलेंड)

5. पुलमैन-केलौग (इंगलेंड)

6. हाल्डोर टोपसो (डेनमार्क)

और इस पर सहमति हुई थी कि श्री लवराजकुमार की ही अध्यक्षता में एक और कार्य-दल बोलियों का मूल्यांकन करने और ठेके देने की प्रक्रिया और बोलियों का मूल्यांकन करने में अपनाये जाने वाले मानदण्ड विश्व बैंक के परामर्श से तैयार करेगा। इस निर्णय के अनुसरण में मार्च 1978 में उक्त छः पार्टियों से बोलियां (भाव) आमंत्रित की गई थीं और सरकार ने एक उच्चशक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष श्री पालपोथेन के जो अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उर्वरक विशेषज्ञों में ऐसे हैं और आई०एफ०एफ०सी० ओं के प्रबन्ध निदेशक थे तथा हाजिरा और निम्नलिखित सदस्यों से सीधे सम्बन्ध थे :

2. दलीप सिंह, सभापति और प्रबंध निदेशक, आर०सी०एफ०।

3. बी० बी० सिंह, सभापति और प्रबंध निदेशक, नेशनल फर्टिलाइजर्स।

4. एच० जेठानन्दानी, कार्यकारी निदेशक, एफ०पी०डी०आई०एल० अतः अगस्त 1978 में बोलियाँ प्राप्त हुई थीं और नवम्बर 1978 में छः में से तीन को छोड़कर तीन को रखा गया था। विशेषकर यह याद रखना आवश्यक है कि **हाल्डर टोप्सो को तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त न होने के कारण निकाला गया था।** यह कहना आवश्यक है कि यह फर्म एक छोटे संगठन के सुप्रसिद्ध प्रोद्योगिकी-विद् के अधीन है जिसने कोई स्वतंत्र अनुसंधान नहीं किया है, नहीं इसमें क्षमता हैं, इटली में भी नहीं है जहां लगभग 1350 मीटरी टन क्षमता का एक संयंत्र चल रहा है, उन्होंने इटली की एक और कम्पनी के साथ सहयोग किया है। यहां भी जब उन्होंने अपनी बोली प्रस्तुत की, जैसा की मैं बाद में सिद्ध करूंगा, पहले वे एक अमरीकी कम्पनी ब्राउन एण्ड रूट के साथ आये और अब मुझे पता चला है कि बाद में, माननीय पैट्रोलियम और रसायन मंत्री ने किन्हीं वरीयताओं के कारण अब यह पॉल पोथेन समिति बनाई है जिसने सावधानी पूर्ण तथा विस्तृत जांच के बाद निम्नलिखित तीन कम्पनियों को उनके बारे में आगे विचार के लिए सूची से निकाल दिया।

1. सी० एफ० ब्रॉन

2. टोयो इन्जीनियरिंग

3. पुलमैन केलौग (इंगलैंड)

मैं फिर कहता हूं कि हाल्दर टोपसो निकाल दिया गया। श्रीमन् काफी समय तक विदेश में कई संयंत्रों का दौरा करने के बाद वही समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सी० एफ० ब्रॉन का प्रस्ताव तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों ही दृष्टि से उपयुक्त और सबसे अच्छा था और इस समिति ने ब्रॉन को चारों ठेके देने की सिफारिश थी।

सी० एफ ब्रान के दावों या अन्य बातों के संबंध में 7 जुलाई, 1979 को सचिव, उर्वरक और रसायन द्वारा की गई टिप्पणी का निम्नलिखित उद्धरण देने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता :.

"विशेष समिति (उर्वरक परियोजना के सचिवों की) ने ब्रान-प्रौद्योगिकी की क्षमता के बारे में, इस प्रकार के संयंत्र लगाने में ब्रान के अनुभव तथा भारतीय परिस्थितियों में ब्रान की अनुभवहीनता के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया है.....

"केलौग, टोया और हम्फरीज एण्ड ग्लैगो जैसे अन्य बोली दाताओं ने इस संबंध में कई बार यह कहा है कि ब्रान-प्रौद्योगिक प्रमाणित नहीं है और यहां बिजली की स्थिति ठीक न होने के कारण वह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इन बातों पर इस विभाग में सलाहकार ने पहले के पृष्ठ 45/75 पर अपने नोट में कार्रवाई की है। विशेष समिति ने भी इन मामलों पर सलाहकार (एक) तथा पॉल पोथेन दोनों के विचार विस्तार से सुने हैं...

"समिति इस बात से संतुष्ट थी कि ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो ब्रान प्रकिया के लिए विशेष हो, ब्रान प्रक्रिया बिजली की खराबियों या अस्थिर प्रचालन परिस्थितियों में अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक प्रभाव्य नहीं थी और यह कि अमोनिया संयंत्रों के लिए विद्युत की कैप्टिव व्यवस्था की दृष्टि से इसमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ब्रान प्रक्रिया के लाभ बिजली की असंतोषप्रद स्थितियों से प्रति-संतुलित हो जाएंगे।"

अब मैं कृषि मंत्रालय द्वारा मंत्रीमंडल को भेजे गये दिनांक 25 जुलाई, 1980 के नोट से उदाहरण दे रहा हूं। जिसमें इस मामले के पक्ष में दलील दी गई है। मैं कुछ चुने हुए अंश ही दे रहा हूं। जिसमें इस मामले का समर्थन किया गया है।

"(एक) इंजीनियरिंग परामर्शदाता का चुनाव करने में न पीछे मंशा यह रहा कि अमोनिया प्रौद्योगिक का मानकीकरण किया जाये और इस प्रौद्योगिकी को एफ० डी० आई० एल० को पूर्ण रूप से अंतरित किया जाये।

(दो) यदि सी० एफ० ब्रान के स्थान पर कोई दूसरा परामर्शदाता चुना जाता है तो लाइसेंस फीस का परिव्यय 8 से 10 करोड़ रुपये तक बढ़ जाता।

(तीन) ब्रान प्रोद्योगिकी में ऊर्जा की खपत बहुत कम है। फिर ऊंची कीमत और अधिक सरकारी आर्थिक सहायता के बारे में कहा गया है। फिर पृष्ठ 2 पर कहा गया है :

"(एक) सी० एफ० ब्रान की प्रौद्योगिकी अन्य परामर्शदाताओं द्वारा अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी से अनिवार्यतः भिन्न है और छठे दशक के पूर्वार्द्ध से इस्तेमाल की जा रही है। तथा इससे उर्जा की खात में 10 से 20 प्रतिशत तक की बचत हो सकती है।

(दो) ब्रान प्रक्रिया से अन्य प्रक्रियाओं की तुलना में अधिक कार्बन डाइआक्साइड मिलता है जिससे लगभग सारा अमोनिया यूरिया में बदला जा सकता है.....

(तीन) अन्य फर्मों जैसे कि केलौग ने प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए अलग कीमत बतायी है। और कहा है कि तकनीकी अंतरण को परियोजना-कार्य से अलग किया जाना चाहिए।"

इसको मार्च 1979 में पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को जांच के लिए भेजा गया था इस समिति द्वारा पूर्ण मूल्यांकन किये जाने के बाद पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इसकी आगे जांच की और फिर इसको सचिवों की समिति को भेजा गया जैसा कि भारत सरकार की सामान्य पद्धति है।

जून 1979 में सचिवों की समिति ने पॉल पोथेन समिति की सिफारिशों को पूर्णतः अनुमोदित किया। तत्पश्चात्, एक वार्ता समिति श्री दलीप सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई जिसे तकनीकी, वाणिज्यिक और विशेषकर कानूनी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त थी, मैं इस संबंध में बाद में बताऊंगा। आर० एफ० सी० ने सी० एफ० ब्रान को उनके परामर्शदाता के रूप में चुने जाने की सूचना दी और बातचीत के लिए आमंत्रित किया और अन्तिम संविदों का प्रारूप तैयार किया गया तथा चार महीने की बातचीत के बाद दिसम्बर, 1979 में उस पर हस्ताक्षर किये गए। हस्ताक्षरित संविदों को दोबारा पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तथा सचिवों की समिति ने अनुमोदित किया। आइ० एफ० एफ० सी० ओ० ने भी कार्रवाई शुरु की और जनवरी-फरवरी 1980 में संविदाओं को अन्तिम रूप दिया।

राजनीतिक स्थिति में फिर से परिवर्तन आया और इसके साथ-साथ भारतीय उर्वरक प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। परन्तु हुआ ऐसा ही। जनवरी, 1980 में श्रीमती गांधी भारी जनमत से सत्ता में आयीं और मेरे माननीय मित्र को—मुझे उनसे स्नेह है और मैं उनका आदर करता हूं और मैं समझता हूं कि वे इस पर खरे उतरेंगे—निर्माण और आवास मंत्री नियुक्त किया गया और कुछ दिन बाद पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हें सौंपा गया।

इस सरकार ने पहले जो काम किये उसमें एक यूरिया संयंत्र को अंतिम रूप देने के बारे में था। मंत्री महोदय तर्क देते हैं कि सारे अन्डों को एक टोकरी में रखना गलत हैं। लेकिन यहां उन्होंने ऐसा ही किया और सातों यूरिया संयंत्र स्नाम प्रोगेटी को दे दिये। अब यदि मैं श्री सेठी का नाम लूं तो मुझे आशा हैं कि वे क्षमा करेंगे, मैं पूरी तरह संतुष्ट तो हूं लेकिन पहले भी इस सम्बन्ध में बातें होतीं रहीं हैं और यह उनका काम था कि वे इन अफवाहों को निरस्त करते। स्नाम का सफलता पूर्वक भारत में व्यापार करने का मामला इस सभा में पिछले कई वर्षों से उठता आया हैं। पता नहीं उन्हें याद है या नहीं सातवीं दशाब्दी के शुरु में पाइप लाइन घोटाले के समय भी यह मामला आया था। शायद उन्हें याद हो कि विपक्ष की ओर से हम में से कुछ ने यह मामला उठाया था। एक जांच आयोग बैठा था और इसी तरह की चीजें हुई थी। लेकिन, कुछ भी हो, वर्तमान पैट्रलियम और रसायन मंत्री को हमेशा से इस ग्रुप के साथ लगाव रहा है। शाह कमीशन सभा पटल पर रखे गए उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार श्री सेठी ही थे। जिन्होंने एक बार गुजरात नर्मदा उर्वरक घाटी निगम यूरिया परियोजना के अध्यक्ष को धमकी दी

थी कि यदि उन्होंने टोयो से आशय-पत्र वापस लेकर स्नाम को नहीं दिया तो उन्हें आंसुका के अधीन गिरफ्तार करवा दिया जायेगा। अब इसके तथा सेठी के अलावा भी कई कारण हैं। इसी लिए विभिन्न अन्य इटालवी संबन्ध के अतिरिक्त जिसका कि हमारे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक श्री बाला सुब्रामनियम द्वारा एक लेख में उल्लेख किया है मैं और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। यह लेख 'प्लेइंग फेवरेट्स शीर्षक से 17 सितम्बर, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा था। उसमें कहा गया है :—

"स्नाम प्रोगेटो संयोगवश भारत की राजधानी में काफी प्रसिद्ध है जिसका प्रतिनिधित्व बहुत सबल है और इसके अच्छे उच्च राजनीतिक संबंध बताये जाते हैं।"

श्री ज्योतिर्मम बसु ने वित्त विधेयक पर बहस के दौरान तृतीय वाचन में इसका उल्लेख किया था। मैं उदाहरण दे रहा हूँ।

"आपको याद होगा बरौनी पाइप लाइन घोटाले के सम्बन्ध में स्नाम प्रोगेटी के एजेन्ट श्री कोटरोची का नाम आया था। वह इटली की एक वी० आइ० पी० महिला के घनिष्ठ मित्र हैं।" मैं इस बारे में और नहीं कहना चाहता।

स्वाभाविकतः श्री सेठी ने स्नाम प्रोगेटी के पक्ष में निर्णय किया। लेकिन जहां तक अमोनिया संयंत्रों का संबंध है, श्री सेठी के आने बाद सारी प्रक्रिया में नाटकीय ढंग से परिवर्तन हो गया। जिस दिन से उन्होंने शास्त्री भवन में प्रवेश किया और जब तक वे मार्च 80 में श्री वीरेन्द्र पाटिल के लिए स्थान छोड़ कर गये, उन्होंने पुलमैन केलोग का अक्षाधारण और अविश्लेष्य पक्षपात किया। 25 जनवरी को उन्होंने लिखा था—

"सी० एफ० ब्रान के संबंध में उस समय के राज्य मंत्री द्वारा 29 जुलाई, 1979 के कार्य वृत्त में पृष्ठ 82/एन पर अंतर्विष्ट शंकाओं से पूर्णत सहमत हूं। इसीलिए इस मामले में आगे कार्रवाई करने से पहले सारे मामले को एक विशेषज्ञ समिति द्वारा अच्छी तरह फिर से जांच किये जाने की आवश्यकता है।"

यह तो श्री यादव द्वारा कही गई बात है। वह कहते हैं—

"मैसर्स सी० एफ० ब्रान का चयन करने के पक्ष में सब कुछ कहे जाने के बाद यह बुद्धिमानी होगी कि अंडों को एक टोकरी में न रखा जाये। ब्रान के लिए भारतीय परिस्थितियां बिल्कुल नहीं हैं। उसकी अनुभवहीनता से ही काम सुचारू प्रगति के लिए बनाए गए निर्माण कार्यक्रम पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।" उन्होंने यही कहा था। इसके बाद पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सचिव ने उनकी आपत्ति पर कार्रवाई की जो पहले भी योजना आयोग (उद्योग) के सदस्य द्वारा की गई थी और वह इससे संतुष्ट है।

अब श्री सेठी ने इस समय इस मामले को एक नयी विशेषज्ञ समिति पर छोड़ने का निर्णय किया। 9 फरवरी, 1980 को उन्होंने एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया और तुरन्त रिपोर्ट देने को कहा। लेकिन इस मामले को देवयोग तथा इस समिति के भरोसे पर न छोड़ते हुए उन्होंने 21 फरवरी, 1980 को उन्होंने कहा था—

"परामर्शदाता की क्षमता प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी के लिए संविदः शर्तों की श्रेष्ठता का उचित मूल्यांकन करने और पुनः परीक्षण करने के लिए यह आवश्यक है कि समिति परामर्श सेवा तथा प्रौद्योगिकी के लिए संविदा करने के लिए पुलमैन के लोग से भी तुरन्त बातचीत करे और फिर परामर्शदाता/परामर्शदाताओं के चयन के बारे में उपयुक्त निर्णय लें।"

"और तब परामर्शदाता/परामर्शदाताओं के चयन के सम्बन्ध में उचित प्रकार से निर्णय करना।"

इन शब्दों पर ध्यान दीजिये "समिति के लिये यह आवश्यक है·····"। समिति का अभी हाल में गठन किया गया है। और हमारे मंत्री महोदय ने समिति का गठन किये जाने से पहले ही, तथा उसके विचारणीय विषयों को निर्धारित किये जाने तथा समिति द्वारा समग्र प्रश्न पर विचार किये जाने के पहले ही मंत्री महोदय ने यह कह कर अपना मत व्यक्त कर दिया है कि "**पुलमैन केलॉग से भी बातचीत की जाये**—तथा स्पष्ट रूप से एक फर्म का उल्लेख किया, यह परामर्श और प्रौद्योगिकी के ठेके की फर्म है और उसके बाद परामर्शदाताओं के चयन के सम्बन्ध में उचित प्रकार से निर्णय किया जाये।"

यह सब कुछ समिति द्वारा कार्यवाही आरम्भ करने के पहले किया गया। किन्तु 23 फरवरी, 1980 को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सचिव ने फर्म ब्रॉन का चयन किये जाने की पृष्ठ भूमि और आधार को तथा ठेका कर लिये जाने के बाद केलॉग से बातचीत करने की अवाँछनीयता को स्पष्ट किया। इससे ठेका करने की प्रक्रिया को विकृत कर देती है। अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के सम्बन्ध में यह है कि एक बार उनके खोल लिये जाने पर जब तक बातचीत किये जाने की उसमें कोई स्पष्ट शर्त न हो उसके सम्बन्ध में दोबारा बातचीत नहीं की जा सकती। यह भी एक शर्त थी जिसे भारत सरकार मानती थी और जहां तक मुझे जानकारी है—विश्व बैंक के साथ यह शर्त थी। वह इससे इन्कार कर सकते। किन्तु श्री सेठी इससे सन्तुष्ट नहीं थे कि जापान के टोयो को जिसे दूसरे स्थान पर रखा गया था, क्यों न अवसर दिया जाये। श्री सेठी की इच्छा से यह नहीं हुआ।

6 मार्च 1980 को जबकि यह सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें पदयुक्त किया जा रहा है, नये मंत्री के आने के एक दिन पूर्व श्री सेठी ने फाइल में यह लिखा :

"मुझे आश्चर्य है कि सचिव ने मेरे 9-2-80 तथा 21-2-80 के आदेशों को पूरी तरह नहीं समझा है तथा उसे शामिल नहीं किया है। विवश होकर मुझे यही निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि किसी न किसी प्रकार मेरे आदेशों का अवहेलना करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि समस्त उद्देश्य जो मेरे विचार में है कि पुलमैन केलॉग सहित सभी को उचित अवसर दिया जाये, व्यर्थ हो गया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि पुलमैन केलॉग की उपेक्षा करने के लिये जान बूझ कर क्यों प्रयास किये जा रहे हैं·····मैं अब निदेश देता हूं कि समिति के गठन सम्बन्धी ज्ञापन को 21-2-80 के मेरे आदेश के अनुसार संशोधित किया जाये।"

मेरे ख्याति प्राप्त मित्र माननीय मंत्री महोदय खुले तौर पर पुलमैन कि केलॉग के लिये समर्थन कर रहे थे। यह पुलमैन केलॉग कम्पनी के श्री आर० ए० गिलेट द्वारा 17 मार्च, 1980 को जापान की टोयो इंजीनियरिंग कम्पनी के अध्यक्ष श्री मसायोश नेतों को भेजे गये एक टैलेक्स से स्पष्ट है। यह टैलेक्स टोयो कम्पनी के दिल्ली स्थित प्रतिनिधि द्वारा 22 मार्च के एक पत्र में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक विभाग के सचिव को भेजा गया था। टैलेक्स का पाठ यह है :

"बम्बई हाई गैस पर आधारित अमोनिया संयन्त्र के सम्बन्ध में हमारी शुभकामनायें। हमारा अनुमान है कि इस परियोजना को एक नया जीवन दान मिल रहा है। **हमारा यह भी अनुमान है कि भारत में वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनों से टोयो और पुलमैन केलॉग को तुलनात्मक रूप में लाभ होगा।**"

बेचारे श्री गिलेट को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या हो रहा है क्योंकि उनको भी हटाया जा रहा था।

तत्पश्चात् सम्बन्धित नये मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने 10-3-80 को श्री सेठी के 6-3-80 के नोट को पढ़ कर फाइल पर यह लिखा है :

"हमें अगला कदम उठाने के पूर्व विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिये। समिति से कहा जाना चाहिये कि वह रिपोर्ट को जल्दी पेश करें।"

और उन्होंने वह फाइल वित्त मंत्री के पास भेज दी।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुये)

श्री मल्लिकार्जुन (महबूब नगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, मेरे माननीय मित्र ने फाइल पर मंत्री द्वारा लिखित नोट को उद्धृत किया है। उन्होंने इस नोट को भी उद्धृत किया है जो बाद में आये मंत्री ने फाइल पर लिखा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह फाइल मेरे माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन् को परिचालित की गई थी जिन्होंने उक्त अंश को उसमें से नोट कर लिया और इस सम्माननीय सभा के सामने पेश कर दिया।.....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई, उत्तर पूर्व) : आप इतने अनभिज्ञ न बने।

श्री मल्लिकार्जुन : उन्हें फाइल पर नोट की गई टिप्पणी के सम्बन्ध में पता कैसे चला।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इसे नापसन्द करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह फाइल जिस पर यह नोट लिखा गया है उनके पास कैसे पहुँची। एक माननीय सदस्य सरकार की किसी फाइल पर नोट किये गये निश्चित नोट को कैसे नोट कर सकता है ? मैं चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट की जाये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने सभापति को सभी बातें बता दी हैं। माननीय मंत्री इसका उत्तर देने में पूर्णतया समर्थ हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : यह एक बहुत रहस्यपूर्ण बात है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं चाहता हूं कि उन पत्रों को जिसे माननीय सदस्य ने उद्धृत किया है, सभा पटल पर रखा जाये ।

सभापति महोदय : यह एक भिन्न बात है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन पत्रों को सभा पटल पर रखा जाये ।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य एक फाइल का उल्लेख कर रहे हैं कि किसी समाचार पत्र का ।

सभापति महोदय : श्री उन्नीकृष्णन् आप अपनी बात जारी रखें ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय ने यह अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें उद्धृत किये जाने वाले पत्रों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य से सूचना मिल गई थी·····(व्यवधान) ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं उन्हें उनकी संख्या सहित फोटो कापी सभा पटल पर रख सकता हूं·····(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : उन्हें सरकारी फाइल से उसकी फोटो कापी कैसे मिल सकी ? माननीय सदस्य ने राष्ट्र विरोधी कार्य किया है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय मित्र आप सत्य से घबराते क्यों हैं। वह उसे सभा पटल पर रखेंगे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं उसे सभा पटल पर रखूंगा ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1767/80] (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मेरा प्रश्न यह है कि उन्हें फाइल की फोटो कापी कैसे प्राप्त हुई ?

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० युगोन) : माननीय सदस्य फाइल के नोट को उद्धृत करके सभा को प्रभावित करना चाहते हैं। कि जैसे यह तथ्य हो कि उन्हें फाइल से वही का वही नोट प्राप्त हो गया हो । क्या वह यहबतायेंगे कि उन्हें यह किस व्यक्ति से प्राप्त हुआ है ? (व्यवधान) यदि वह यह नहीं बता सकते कि उन्हें यह कहां से प्राप्त हुआ तो क्या वे सभा को अपना वक्तव्य मनवाना चाहते हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : मंत्री महोदय को इसका खण्डन करना चाहिये ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : माननीय उपमंत्री इस सभा के लिये नये हैं। सर्वप्रिय व्यक्ति हैं ।

श्री के० पी० थुगोन : जहां तक वैधानिक मामलों का सम्बन्ध है मैं उससे अनभिज्ञ नहीं हूं। श्री उन्नीकृष्णन आप तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं भी विधान सभा में ऐसे ही करता रहा हूं। इसीलिये सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता था कि क्या यह तथ्य है·· ···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मै आपको बताऊंगा, आप कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

श्री पी० के० थुगोन : अन्यथा यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय उनकी बात का खंडन कर सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्होंने फाइल से उद्धरण दे दिये हैं मंत्री महोदय उनकी बात का खंडन कर सकते हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं यह बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने उपाध्यक्ष महोदय को सूचित किया है कि वह यह प्रमाणित करने को तैयार है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी से इस बात की जांच कर ली है कि जिन दस्तावेजों को वह उद्धृत करना चाहते हैं वे सरकारी दस्तावेज के मूल की सत्य प्रतिलिपि है और वह यह अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह उन्होंने आरम्भ में ही कर दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने इसका पहले ही नोटिस दे दिया है और उस नोटिस की एक प्रति माननीय मंत्री को दे दी है। अब यह उन पर निर्भर करता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल उसे वित्त मंत्री श्री आर० वेंकटरामन के पास भेजें, इसके बाद—अभी तक केवल दो हैं।

सभापति महोदय : आप कितना और समय लेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : पांच या दस मिनट।

अभी तक केवल पुलमैन का केलॉग का मामला था यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिसका मेरे मित्र श्री सेठी समर्थन कर रहे हैं।

अब श्री आर० वेंकटरामन ने इसमें एक नई बात जोड़ दी है। मैं इसे पुनः उद्धत करता हूं :—

"प्रधानमन्त्री ने फाइल देख ली है, यह बेहतर होगा, यदि विशेषज्ञ समिति यथाशीघ्र छह कम्पनियों की परस्पर गुणवत्ता का मूल्यांकन कर लें।

पुलमैन से हटकर अब हम टोपसो की ओर आते है। जैसा कि मैंने कहा कि श्री सेठी विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच किए जाने से पूर्व ही 'केलोग' को शामिल करने के लिए तर्क कर रहे थे। विशेषज्ञ समिति का गठन स्वयं उन्होंने ही किया था। परन्तु वे कोई गुजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। टोपसो, जिसकी 50 प्रतिशत पूंजी इटली की स्नाम प्रोगेटी की थी, को भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री जी के हस्तक्षेप करने का यह परिणाम हुआ।

बम्बई हाई कम्पलैक्स के आधार पर बनाये जाने वाले यूरिया और अमोनिया उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रौद्योगिकी तथा विदेशी सहयोग का चयन

23 दिसम्बर, 1980

अतः 19 अप्रैल, 1980 को बी० बी० सिंह समिति के विचारणीय विषयों को और व्यापक बना दिया गया। 22 अप्रैल, 1980 को मन्त्रालय ने कहा कि "विशेषज्ञ समिति को उपलब्ध जानकारी के आधार पर सभी छह कम्पनियों की परस्पर गुणवत्ता का मूल्यांकन करना चाहिए जबकि 29 अप्रैल, को श्री बी० बी० सिंह ने आग्रह किया कि उनसे अंतिम दरें प्राप्त की जायें। इसी दौरान केलॉग ने कार्य-विधियों का उल्लघंन कर अपनी फीस 430 लाख डालर से कम करके 300 लाख कर दी।

श्री पी० सी० सेठी द्वारा नियुक्त एक तकनीकी समिति बी० बी० सिंह समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची कि पाल पोथेन समिति द्वारा सी० एफ० ब्रान का चयन करना तर्क संगत और सही था तो उसने थाल वेशट संयंत्र का कार्य सी० एफ० बेहोन को दिए जाने की सिफारिश की। हाजिरा संयंत्र के संबन्ध में सदस्यों में मतभेद था। तीन सदस्य चाहते थे कि मानकीकरण हेतु इसे ब्रान को दिया जाना चाहिए, जबकि चार सदस्यों की यह राय थी कि सभी कार्य एक ही सलाहकार को न दिए जायें। दूसरे सदस्यों की राय कुछ भिन्न थी, जैसा कि मन्त्री जी को ज्ञात है।

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय ने आर्थिक कार्यों सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति को भेजे एक नोट में बी० बी० सिंह की रिपोर्ट के आधार पर थाल वेशट को दिये जाने का प्रस्ताव किया था। मंत्रिमंडलीय समिति को भेजे गए नोट का मैं केवल अन्तिम वाक्य ही पढ़ूँगा :

"पैट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्री, वित्त मंत्री, और कृषि मंत्री ने टिप्पणी को **देख लिया है और उसका अनुमोदन कर दिया है।**

'इफ्को के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कृषि मंत्रालय ने भी यही सिफारिश की है कि 'हजारिया' संयंत्र के लिए सी० एफ० ब्रान को ही ठेका दिया जाए। मैं केवल अन्तिम वाक्य को पढ़ूंगा :

"कृषि मन्त्री ने अनुमोदन प्रदान किया।"

परन्तु अक्समात ही कुछ घटना घटी। 25 जुलाई को होने वाली आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठक की कार्यसूची में से इस मद को अन्तिम क्षणों में निकाल दिया गया। अब इस मद को 29 जुलाई, 1980 को मंत्रीमंडल की पूर्ण बैठक में लाया गया।

29 जुलाई, 1980 को इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसकी बजाय इस मामले को मंत्रिमंडल की एक उपसमिति को सौंप दिया गया जिसके सदस्य स्वयं श्री सेठी, श्री वेंकटरामन, श्री वीरेन्द्र पाटिल और श्री शिवशंकर थे। स्पष्टतया इस समिति में भी भारी मत-भेद था। अतः श्री सेठी का पलड़ा मजबूत करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री बसन्त साठे को भी इस उपसमिति में शामिल कर लिया गया।

इस समिति ने दो विशेषज्ञ समितियों के निष्कर्षों की अवहेलना की—एक विशेषज्ञ समिति श्री सेठी ने ही नियुक्त की थी—और सचिव-समिति के निष्कर्षों के भी 1980 के स्वतंत्रता दिवस पर सारे आदर्शों को हवा में उड़ाते हुए नजरंदाज कर दिया और ठेका हाल्दर टोप्सो

और केलॉग को दे दिया। 17 सितम्बर के समाचार-पत्रों में इसके पक्ष में बहुत कुछ कहा गया था। इसमें से एक बात यह थी।

सी० एफ० ब्रौन का भारत में कोई अनुभव नहीं है।

अब मैं और किस तरह बताऊं कि श्री मोहन्ती के राज्य की ऐल्यूमिना परियोजना जैसी करोड़ों रुपयों की परियोजना को किस प्रकार फ्रांस के पर्शने को दे दिया गया। क्या उन्होंने कभी भारत की ओर झांका भी है? 747 विमान यहां लाये जाने से पहले क्या उन्होंने वहां इसका प्रयोग किया।

दूसरा कारण इसमें कानूनी दोष होना है। और वह काफी बड़ा है। 'सी० एफ़० ब्रॉन की प्रौद्योगिकी **दूरदर्शी नहीं है**'। फिर टोयो के बारे में क्या है? क्या वह भी दूरदर्शी नहीं है? संभवतः मंत्री के लिए अधिक दूरदर्शी प्रौद्योगिकी वह है जिसकी दिल्ली के न्यायालय में तथा सत्ता से सम्बद्ध व्यक्तियों के आस-पास दिखने वाले दाढ़ी वाले जाने पहचाने व्यक्ति ने दलाली की है, जिसे साठे के टी० वी० द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। वे इस प्रौद्योगिकी तथा इसकी विभिन्न उपशाखाओं के बारे में जानते हैं। महोदय मैं अन्य बहुत सी बातों के बारे में नहीं कहना चाहता। मैं केवल इतना ही कहूंगा। अब भारत में स्नाम के अपने अनुभव के बारे में तथा दूसरी फर्मों के बारे में एक प्रश्न है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। एक फूलपुर संयंत्र है। श्री सेठी जानते हैं कि 1974 में इसकी आधार शिला रखी गयी थी। अब, 1980 तक भी यह चालू नहीं हुआ है। छः वर्ष का विलम्ब हो चुका है ट्रोम्बे की पांच अमोनिया परियोजनाओं के लिए केलोग-टोप्सो स्नाम -प्रोगेटी समूह है। इस समूह के कारण लागात में कितनी वृद्धि हो गयी है। तथा कितना-विलम्ब हुआ है

सभापति महोदय, अब मैं समाप्त करता हूं। मेरा मुख्य आरोप यह है कि जिस दिन से मंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला हैं उसी दिन से एक परामर्शदाता पुलमैन केलोग के बारे में असाधारण रुचि दिखाई है और इस बारे में किसी भी सरकारी सलाह और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश की परवाह नहीं की गई है। वे पूरे पांच वर्ष बाद इस पद पर इसलिए आये हैं कि अपनी विशेषज्ञ समिति की सलाह में संशोधन करें। आज मेरा आरोप यह है कि इस देश में पिछले 30 वर्षों से जो औचित्य की बातें मानी जाती थीं उन सब को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने कुछ गैर संवैधानिक शक्ति-स्रोतों से सांठ-गांठ की है। मैं जानता हूं कि वे स्वयं भ्रष्ट नहीं है। मैं इस बात की साक्षी कहीं भी इस सभा में या बाहर दे सकता हूं। लेकिन दाढ़ी वालों या बेदाढ़ी वालों स्पेनी महाशयों या स्पेनी कुमारियों का पक्ष-समर्थन करके उन्होंने अपने कर्त्तव्य की अवहेलना की है। मेरा आरोप है: इससे राष्ट्रीय खजाने को भारी हानि हुई है और विदेशी मुद्रा का बहुत निर्गम होगा। यह जानकर आश्चर्य होता है कि सब इस पर चुप बैठे हैं।

यदि ऐसा किसी अन्य देश में हुआ होता, तो राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय प्रेस तथा किसी अन्य माध्यम पर इस प्रकार का कांड नहीं हुआ होता। आप एक पुराने सदस्य हैं। आप जानते हैं कि श्री टी० टी० कृष्णनाचारी, श्री के० डी० मालवीय तथा अन्य मंत्रियों के साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं इस बात की मांग करता हूं कि प्रतिदिन वैज्ञानिकों को सदस्यों के रूप में नियुक्त

कर उनकी सहायता से संसदीय जांच की जाए, वे डॉ० रामन्ना, डॉ० मेढक या प्रो० एम० जी० के० मेनन भी हो सकते हैं अथवा प्रधानमन्त्री सभी फाइलें और सभी कुछ उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सौंप दें और इसकी जांच के लिए जांच आयोग गठित करे।

सभापति महोदय : डां० स्वामी। कृपया संक्षेप में कहें।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा। मैं उन सभी तकनीकी विवरणों को प्रस्तुत नहीं करूंगा, जो कि श्री उनन्नीकृष्णन्न पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। जिसे कि वे बता चुके हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं कुछ निष्कर्ष पेश करना चाहता हूं, और मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'पुलमैन केलौग एण्ड टोपसी' से परामर्श संविदा करने की संसार भर में आलोचना की गई हैं।

किसी ने कहा था कि यह अमरीकी लॉबी का फल है। कल किन्हीं महोदय ने कहा था कि इसके पीछे प्रतिक्रियावादी शक्ति का हाथ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास अखबारों की कतरनें हैं जिसमें वर्गों के विचार हैं। 'लिंक' नामक पत्रिका का जो स्तर है, उससे वह किसी भी तरह प्रतिक्रियावादी पत्रिका नहीं ठहरती है। दिनांक 14 सितम्बर, 1980 को 'लिंक' में श्री सठी की फोटो शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई थी—'दि जेनेसिस ऑफ बिग स्कैंडल' 'इन्डिया-टुडे' के 16-30 सितम्बर, 1980 के संस्करण की एक कतरन मेरे पास है जिसमें 'फिडलिंग विद द फर्टि-लाइजर' नामक लेख है इसी प्रकार फाइनैंशियल एक्सप्रेस ने कहा है 'फर्टिलाइजर कंसल्टेन्सी कंट्रेक्ट्स—व्हाय दिया वॉल्टफांस ? 'उसके बाद पैट्रिअर नामक समाचार पत्र है, जो मेरे विचार से ज्यादा बुरा नहीं है। मैं जानता हूं कि इस पक्ष के बहुत से सदस्य भी यही मानते हैं, मैं 6 सितम्बर, 1980 से उद्धत करता हूं 'कंट्रोवर्सी ओवर दि कंसल्टेंट्स'। इंडियन एक्सप्रेस' नामक पत्र मुझे ठीक ही लगता है उसने कहा है : अमोनिया संयंत्रों के लिए महंगी तकनीकी जानकारी। उसके बाद हिन्दुस्तान टाइम्स है जिसमें बालसुब्रह्मण्यम का लेख है जो पक्षपात पूर्ण ढंग से कभी नहीं लिखते हैं। ब्लिट्ज जिसको मैंने अच्छा समाचार-पत्र कभी नहीं कहा है के मुखपृष्ठ पर कहानी है 'माल्टीकरोर फर्टिलाइजर सेल आउट' यहां यह प्रश्न नहीं है कि हम अमरीकी कम्पनी से संविदा न हो पाने के कारण अप्रसन्न हैं वस्तुतः दूसरी अमरीकी कम्पनी को तो यह मिल गया है, पुलमैन-केलोग एक अमरीकी कम्पनी है। यह एक बहुत ही पुरानी रेल-मार्ग कम्पनी है जिसे एक अन्य अमरीकी कम्पनी ने खरीद लिया था, क्योंकि पुलमेन-केलोग की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। मुझे नहीं मालूम कि उर्वरक मंत्री इस बात को जानते हैं या नहीं। किन्तु उन्हें यह जानना चाहिए कि जब से पुलमेन-केलौग से संविदा की गयी है तब से यह कम्पनी गंभीर वित्तीय कठिनाई में फंसी हुई है और इसे एक अन्य अमरीकी कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।

प्रश्न यह है कि सी० एफ० ब्रान से उर्वरक संविदा किये जाने का निर्णय केवल जनता शासन में गठित समिति ने ही नहीं किया था वरन् समितियों की एक श्रृंखला ने किया था, जो श्रीमती गाँधी की पिछली सरकार से जनता शासन लोकदल सरकार और यहां तक कि इन्दिरा गांधी की नयी सरकार अथवा कांग्रेस (आई) सरकार तक के दौरान गठित हुई और कार्यरत रहीं। नम्बर, 1976 से जनता सरकार के समय तक और तब अगस्त, 1979 में जब

कांग्रेस (आई) द्वारा खड़ी की गई लोकदल सरकार आई, तब उन्होंने राष्ट्रीय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स, चेम्बूर, बम्बई की ओर से पत्र भेजा था उसमें कहा गया है :

"सेवा में

सी० एफ० ब्रॉन —

गैस पर आधारित चार अमोनिया संयंत्रों के लिए परामर्शदाता के रूप में आपके चयन पर बहुत-बहुत बधाई।"

निर्णय किया गया और उसके बाद श्री पी० सी० सेठी ने या उनकी सरकार ने बी० वी० सिंह समिति गठित की थी, और उन्होंने भी यही कहा था कि जहां तक थाल वैशेट का सम्बन्ध है यह संविदा सी० एफ० ब्रॉन को ही मिलनी चाहिए और अन्य की संविदा किसी अन्य कम्पनियों को मिलनी चाहिए। यह सिफारिश पूर्ण पुनरीक्षा के बाद की गई थी। यही वे दस्तावेज हैं जो श्री उन्नीकृष्णन ने प्रस्तुत किए हैं, किन्तु मंत्री परिषद् जिसमें राजनीतिज्ञ ही रहते हैं, जिन्हें सामान्यत: वैज्ञानिक जानकारी का मूल्यांकन करना होता है, उन्होंने तकनीकी तथ्यों पर विचार किये बिना ही निर्णय किया और यह किस आधार पर किया यह मुझे नहीं मालूम। यह सच है कि इटली के स्नाम प्रोजेटी के हाल्दर टोपसो के शेयरों पर कुल मिलाकर इतालवियों का ही स्वामित्व है, और मैं यह जानना चाहती हूं कि इस सरकार पर इतालवियों को इतना अधिकार किस प्रकार है। इनका परस्पर क्या संबन्ध है—क्या वह इतालवी सम्बन्ध ? मैं तो नहीं जानता। वे कहते हैं कि इसमें किन्ही महोदया का हाथ है प्रेस ने इसकी आलोचना की है, ऐसा महसूस किया जाता है कि इसमें कुछ मुट्ठी गरम की गई है जिसमें इतालवियों का हाथ है। वह कौन इतालवी है, जो इस प्रकार की शक्ति का संचालन करता है जिससे छः तकनीकी समितियों द्वारा किया गया निर्णय बदल दिया जाता है और किसी और को ही दे दिया जाता है।

सभापति महोदय : कृपया, अपनी बात को समाप्त करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तीन प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कोई लागत विश्लेषण किया है, या क्या यह सही है कि ब्रॉन प्रौद्योगिकी ने तीस वर्षों में 1,100 करोड़ रुपए की बचत करवा दी होती और सी० एफ० ब्रॉन से संविदा न करने से आपको 1,100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आपने सभी छः तकनीकी समितियों के निर्णय की तरफ क्यों रख दिया ? विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता की क्या स्थिति है, क्योंकि समाचार-पत्र में मैंने पढ़ा है कि विश्व बैंक ने कहा है कि यह एक भ्रष्ट निर्णय है और इससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और आ सरल शर्तों पर है जिस ऋण के लिए उन्होंने वायदा किया था उसे सम्भवत: वे न दे सकेंगे ? क्या आप जानते हैं कि पुलमेन केलोग की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, और उसने ऐसी कम्पनी से संविदा की है जो वित्तीय रूप से दिवालिया होने वाली है।

सभापति महोदय : अगले वक्ता को सम्बोधित करने से पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने कुछ दस्तावेजों से उद्धत किया है और उसे सभापटल

पर रखे जाने के लिए सौंप दिया है। अध्यक्ष महोदय इस आशय से इन कागजों की जांच करेंगे कि उन्हें सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए या नहीं।

श्री निरेन घोष (दम दम) : मैं संक्षेप में में केवल 2 या 3 मुद्दों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह स्कैंडल डालमियां जैन स्कैंडल के समान ही है जिसका इस सभा में श्री फीरोज गांधी ने भंडाफोड़ किया था, और मेरा निवेदन है कि इस पर भी उसी के समान कार्यवाही की जाए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल्दार टोपसोए से संविदा करने के लिए कैसे जाल बिछाया गया ? यह लगभग सभी को मालूम है कि इटली के स्नैम प्रोग्रेटी हाल्दर टोपसोए का भारत के किन्हीं उच्च पदाधिकारी के बेटे और पुत्र-वधु से निकट सम्बन्ध है। इसीलिए उससे संविदा की गई थी।

(गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य-मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुबय्या) : महोदय यह आक्षेप है। इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाए।

सभापति महोदय : आप इन सब बातों की चर्चा न करें। केवल अपने विचार ही रखें।

श्री निरेन घोष : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने केवल उच्च पदाधिकारी ही तो कहा हैं। जब श्री साठे को शामिल किया गया था, श्री वीरेन्द्रसिंह राव को शामिल नहीं किया गया था, जिनके मन्त्रालय ने एक टिप्पणी में यह कहा था कि हजीरा की संविदा भी सी० एफ० ब्रॉन से ही की जाएगी। यह उन्हीं का टिप्पण है, क्योंकि उनका विभाग उर्वरक आदि से संबद्ध है तो सी० एफ० ब्रॉन का ही क्यों चयन किया गया ? सी० एण्ड एफ० डिपार्टमेंट के सचिव ने दिनांक 7 जुलाई 1979 के अपने टिप्पण में ब्रॉन प्रौद्योगिक के लाभ इस प्रकार बताए हैं। उद्धरण इस प्रकार हैं :

"ब्रॉन प्रक्रिया अन्य ये लगभग 10 से 15% कम ऊर्जा का उपयोग करती है जिसके परिणामस्वरूप पारंपरिक प्रक्रिया की तुलना में प्रति मीटरी टन अमोनिया के उत्पादन की लागत में 47 रुपए की बचत होगी। इसके अलावा इससे यूरिया संयंत्र में उपयोग के लिए वाष्प की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है। ब्रॉन प्रक्रिया में यदि अधिक नहीं तो लगभग बराबर के महत्व की यह खूबी है कि पारंपरिक प्रक्रिया से अधिक मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड CO_2 का उत्पादन किया जाता है और इससे उत्पादित अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जा सकता हैं। इसका यह अर्थ है कि पारंपरिक प्रक्रिया में लगभग 60,000 मीटरी टन अमोनिया अतिरिक्त हो जायेगा और उपयोग के लिए उसे अन्यत्र ले जाना होगा, किन्तु ब्रॉन प्रक्रिया में लगभग सम्पूर्ण अमोनिया की लगभग 100,000 मीटरी टन यूरिया में बदला जाएगा जो कि अतिरिक्त उत्पादन होगा, ऐसी स्थिति जबकि कई वर्षों तक यूरिया आयात किया जाता है और रहा है और रहेगा, यूरिया के इस अतिरिक्त उत्पादन से अत्यधिक लाभ होगा। अतिरिक्त भंडारण होने वाले व्यय में भी बचत होती है....."

ब्रॉन प्रक्रिया के अनुसार प्रतिवर्ष 16 करोड़ रुपये की बचत होती है और 42 करोड़ रुपये का अतिरिक्त यूरिया देने के कारण कुल बचत 58 करोड़ रुपए की बचत होगी। बीस वर्षों में यह बचत 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो जायेगी। इसी का उन्हें नुकसान हो गया है।

उन्होंने जानबूझकर ही ऐसा किया गया है। वे कहते हैं कि वे समस्त लाभ एक ही को देना नहीं चाहते हैं। किन्तु मैं मन्त्री महोदय से एक पत्र तो पूछ ही सकता हूँ कि स्नाय प्रोजेक्ट्री के विशेषज्ञ न होने तथा भारत के लिए बिल्कुल नया होने पर भी उसे परामर्श का काम क्यों दिया गया और अन्य से सम्बद्ध कैसे किया गया ? ब्रॉन प्रौद्योगिकी विश्व-विख्यात है ; उन्हें यह दिया जा सकता है; यह संदिग्ध सौदा है; इसमें पैसे को विशेष भूमिका रही है। भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई गई है। यह भारत में होने वाला सबसे बड़ा स्कैंडल है। जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत इसकी जाँच अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त इसकी संसद द्वारा जाँच भी करवाई जाए। हमें याद रखना चाहिए कि भारत सरकार कठघरे में है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : सतीश अग्रवाल जी, बात जरा संक्षेप में ही कहें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : श्री उन्नीकृष्णन, डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी तथा श्री नरेन घोष को सुनने के बाद मैं शत प्रतिशत आश्वास्त हो गया हूँ कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था तथा अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की प्रतिष्ठा के लिए यही आवश्यक है। इस मामले के लिए सरकार जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक जाँच आयोग गठित करे ताकि इस सम्पूर्ण सौदे में भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार तथा पक्षपातवाद में संदेह को दूर किया जा सके। सन् 1952 से जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत लगभग दो सौ आयोग गठित किये जा चुके हैं। इसी विवरण से यह स्पष्ट है कि इस बात की जाँच के लिए एक जाँच आयोग गठित किया गया था कि वर्ष 1956-57 में केरल से 500 मीटरी टन चावल की खरीद उचित थी या नहीं···(व्यवधान) तो मैं कह रहा था कि उन्होंने विभिन्न सरकारी दस्तावेज के उद्धरणों से एक मामला तैयार किया। इस विवाद को समाप्त किया जाना है ; उन्होंने कुछ मन्त्री परिषद की बैठकों के कुछ अंश तथा विशेषज्ञ समितियों के विचार इत्यादि भी प्रस्तुत किए हैं। यह अत्यन्त विवादग्रस्त है और इसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। सभी इसके बारे में जानते हैं। इसलिए वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधान मन्त्री तथा इसके विषयक प्रभारी मन्त्री के हित में यही होगा कि जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जाँच आयोग गठित किए जाएं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय श्री के० पी० उन्नीकृष्णन ने जो मामला उठाया है वह विचारणीय है। सभा में दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने जो कठिनाई झेली है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मैं सी० एफ० ब्रॉन या टोपसो में से किसी के भी पक्ष में नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं ऐसे मामलों पर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विचार करूँगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो प्रौद्योगिकी ज्ञान हमें प्राप्त है, उसके आधार पर उन परियोजनाओं के लिए ब्रॉन या टोपसो का सहयोग लिए बिना क्या स्वयं काम करना संभव नहीं है। यह 1976 से ही यह बात चल रही है। मुझे मालूम नहीं कि इस सौदे के लिए कांग्रेस, जनता अथवा कांग्रेस आई दलों में से कौन सी सरकार उत्तरदायी है मैं तो यही जानता हूँ कि वे देश में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विशेष रुचि रखते हैं और उनमें से कई राष्ट्रीय

हित को क्षति पहुंचाने वाली हैं। प्रश्न यह है कि यदि कोई कार्य करना हमारे लिए संभव न हो, तो क्या यह संभव नहीं कि हम उनसे तकनीकी जानकारी खरीदकर स्वयं काम करें? तब से अब तक पाँच वर्ष बीत गए हैं। यह अत्यन्त मूल्यवान समय था और इसके दौरान उत्पादन की क्षति हुई है इससे देश को बहुत नुकसान हुआ है और कृषि के क्षेत्र में तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि उसका अनुमान लगाना कठिन है। इस क्षति के कारण देश को काफी कठिनाई झेलनी पड़ी है। अतः इन सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सीधे प्रौद्योगिकी जानकारी खरीद कर काम करना संभव नहीं था।

यदि ऐसा संभव नहीं है तो मेरे आदरणीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन् द्वारा कही गई बात काफी संगत प्रतीत होती है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय हित, उत्पादन, आत्मनिर्भरता आदि के अलावा अन्य मुद्दे भी निहित हैं और इसमें सरकार की विश्वसनीयता भी निहित है। मेरे मित्र का यह कथन सही है कि इसमें काफी उच्च लोगों का हाथ है। मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय स्पष्ट बताएँ कि श्री उन्नीकृष्णन द्वारा उल्लिखित लोगों का इसमें हाथ होने की बात सही है या नहीं। यदि मन्त्री महोदय द्वारा इस बात का खण्डन नहीं किया जाता तो वे बताएँ कि क्या वे लोग इसमें राजनैतिक दृष्टि से अन्तर्ग्रस्त है। मैं इसमें कोई विशेष राजनैतिक विचार है, कोई व्यक्तिगत सम्बद्धता है, कोई प्रशासनिक सम्बद्धता है या कोई पारिवारिक सम्बद्धता होने के बारे में कुछ नहीं जानता। इस विषय के साथ तो समूचा राष्ट्र ही सम्बद्ध है। यदि ऐसी बातें देश में होती हैं तो कोई नहीं कह सकता कि समूचे देश के साथ क्या होगा तथा इससे कई और मामले खड़े हो जाएँगे। महोदय, ऐसे मामले क्यों होते हैं? मैं ब्राऊन या किसी अन्य एक कम्पनी की वकालत नहीं करना चाहता। यदि आदरणीय मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते तो सदन को इस मामले की अच्छी प्रकार से जाँच करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति बनाने का निर्णय करना पड़ेगा। चूंकि इस मामले को एक दिन में नहीं निपटाया जा सकता इसलिए इसके लिए एक समय-सीमा निश्चित करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले को सुलझाया जाए। आप अपने क्रूर बहुमत से देश के लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते!

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय। उस दिन हमने मारूति अधिग्रहण विधेयक पर विचार किया था और आज उसी प्रकार की एक और चीज़ सदन में आयी है।

मैं आदरणीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस असाधारण विधि से लिए गए निर्णय के कारण क्या विश्व बैंक से मिलने वाला 2500 लाख डॉलर का ऋण खटाई में नहीं पड़ गया है?

इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि श्री पॉल पोथेन की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ समिति ने तीन फर्मों से बातचीत करने तथा उनके द्वारा बनाये गए संयंत्रों का प्रचालन के दौरान दौरा करने के बाद एकमत होकर श्री सी० एफ० ब्राउन को चारों अमोनिया संयंत्रों के ठेके देने का निर्णय किया था जो केवल इसलिए ही नहीं किया गया था कि उनका कुल मूल्यांकीत मूल्य सबसे कम था बल्कि इसलिए कि उनकी प्रौद्योगिकी अत्यधिक

उन्नत थी ? ब्राऊन प्रौद्योगिकी से 15 से 20% ऊर्जा की बचत होती थी और उसके अन्तर्गत उत्पादित समूचे अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जा सकता था जबकि अन्य प्रौद्योगिकियों के सम्बन्ध में ऐसा नही था। ऊर्जा तथा यूरिया की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय लागत पर इससे 55 करोड़ वार्षिक का लाभ हो सकता था।

अन्ततः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वस्तुतः तकनीकी कारणों से भिन्न किन्हीं अन्य कारणों से यह निर्णय लिया था ? यही कारण है कि विश्व बैंक इस परियोजना का वित्तीयन नहीं करना चाहता ? इस प्रकार से सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के कारण विश्व बैंक के वादे के अनुसार वित्त न मिलने के अलावा हमने उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, जो अत्यधिक मितव्ययी और सभी प्रकार की गारन्टीशुदा थी, को खो दिया है तथा इससे अंतर्राष्ट्रीय फर्मों में हमारी साख समाप्त हो गई है।

मैं अपने इन तीन प्रश्नों पर आदरणीय मन्त्री महोदय से उत्तर चाहता हूँ।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय। मैं उर्वरक उद्योग से यहां आया हूं। मैं आयोजना तथा बिकास प्रभाग में था तथा जिसे अब एफ०पी०डी०आई०एल० के नाम से जाना जाता है। मैं इस महापुरुष पॉल पोथेन, तथाकथित ब्राऊन कम्पनी, हल्दर टॉप्सो तथा इन मंत्रियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं यह बड़ी शर्म की बात है कि भारत पर दोहरी गुटबन्दी अपनाने का आरोप लगाया गया है जबकि भारत राजनैतिक दृष्टि से एक निगुट देश हैं मैं इसकी सच्चाईको नहीं जानता लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि प्रौद्योगिकी दृष्टि से हम निगुंट नही हैं। बल्कि हम दोहरी गुटबंदी अपनाए हुए हैं। कुछ लोग इटली से कुछ फ्रांस से, कुछ अमेरिका तो कुछ जापान से सम्बन्ध बना रहे हैं और कुछ ऊंचे राजनीतिक परिवारों से सम्बन्ध बना रहे हैं।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : चीन से सम्बन्धों के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री ए० के० राय : मैं जानता हूं कि जब नॉगल उर्वरक संयंत्र तैयार हुआ था तो फार-इस्टर्न रिव्यू को कुछ संवाददाताओं ने, जो चीन के नहीं थे, नॉगल उर्वरक संयंत्र तथा चीन के एक संयंत्र, दोनों का, दौरा किया था। उन्होंने बताया था कि यद्यपि चीन के संयंत्र की उत्पादन क्षमता नॉगल संयंत्र के बराबर है, तथापि चीन का संयंत्र एकादम देशी है और नॉगल संयंत्र पूर्णत अमेरिका से आयतित संयंत्र है तथा भारतीय इंजीनियर तो इसके छोटे-छोटे पुर्जे छूने से भी डरते हैं।

मुझे श्री के०पी० उन्नीकृष्णन द्वारा लगाए गए आरोप से कुछ नहीं लेना देना नहीं लेकिन ऐसे कुछ असाधारण तथ्य है जिनकी जांच की जानी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि सदन इस प्रकार की जांच की अनुमति नहीं देता तो प्रतिपक्ष को इस जांच के लिए एक स्वतन्त्र नागरिक जांच निकाय का गठन करना चाहिए।

ये पॉल पोथेन और सी० एफ० ब्राऊन कौन हैं ? पिछले वर्ष जब उर्वरक प्रौद्योगिकी पर इस सदन में बहस हुई थी तो मैंने तत्कालीन मंत्री श्री बहुगुणा द्वारा को चार उर्वरक संयंत्रों के बारे में लिए गए निर्णय के विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे। यह निर्णय मूलतः एक बिल्कुल

गलत निर्णय है। बाऊन केलोग, हाल्दर टोपसोई या टोयेटो में से किसी को भी ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। हमने भारत में ही अपनी ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जिनके द्वारा हम 900 मी० टन अमोनिया प्रतिदिन की क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। हमारे रामागुण्डम और तल्चर संयंत्र कोयले पर आधारित हैं। नवम्बर से उत्पादन शुरु हो गया है और इसके परिणाम भी काफी अच्छे रहे हैं। इनमें बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इनमें 1500 मी० टन यूरिया का उत्पादन होना चाहिए लेकिन इनमें 1350 मी०टन उत्पादन हो रहा है। इनमें 51 से 60 प्रतिशत क्षमता का औसत उपयोग हो रहा है। ये कोयले के गैसीकरण पर आधारित है। महोदय नामरूप में एफ०पी०डी०आई०एल जो गैस पर आधारित है में 600 मी०टन क्षमता पर पहले से ही उत्पादन हो रहा है। आप इनमें से तीन ठेके भारतीय फर्म एफ० पी० डी० आई०-एल०को क्यों नहीं दे देते? प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का शेष एक ठेका आप किसी को भी सकते हैं, लेकिन आप तो ये चारों संयंत्र, जिनमें करोड़ों रुपए की राशि अंतर्ग्रस्त है विदेशी फर्मों को दे रहे हैं। भारत में हमारे प्रौद्योगिकीविद और हमारे इंजीनियर 900 मी०टन क्षमता तक के संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। आप इसके विभक्त क्यों नहीं कर देते ? आप इसे 1350 मी०टन की क्षमता के स्थान पर 900 मी०टन क्षमता में विभक्त कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी की जानकारी लेने के लिए एक ठेका अलग करके आप इसे भारतीय इंजीनियरों तथा एफ० पी० डी० आई० एल० जैसे किसी संगठन को दे सकते हैं। महोदय, पहले जब ब्राऊन को ठेका दिया गया था तो मैसर्स ब्राऊन ने एफ० पी० डी० आई० एल० को अपना उप सविदाकारी नियुक्त किया था। अब तक दो संयंत्र एफ० पी० डी० आई० एल० से लिए जा चुके हैं और इसी वजह से यहाँ सम्पूर्ण संगठन संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय अमेरिका इटली से संबंध बनाने के स्थान पर अपने राष्ट्रीय संबंधों की ओर ध्यान देंगे और क्या वे भारत के अनुसंधान संगठनों की क्षमता का पता लगायेंगे और यह कि यदि हम एफ०-पी० डी० आई० एल० पर इस मामले में निर्भर रहते या अपनी देश प्रौद्योगिकी से 900 मी० टन अमोनिया का उत्पादन करते तो भारत को कितनी हानि उठानी पड़ती ? धन्यवाद।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मन्त्री : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय मैं उन सदस्यों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने, इस मामले को उठाकर, मुझे उनकी कुछ आशंकाओं और राजनैतिक उद्देश्य से अनावश्यक रूप से फैलाई गई आशंकाओं को दूर करने का मौका दिया।

महोदय ! हमारे देश में उर्वरक उद्योग पिछले डेढ दो वर्षों से, विशेषकर पिछले एक वर्ष से, असम आंदोलन शुरु होने से नामरूप I और नामरूप II में बिल्कुल भी उत्पादन न होने के कारण, कम उत्पादन का सामना कर रहा है। महोदय ! इसके अलावा बरौनी पाइप-लाईन से कच्चे तेल की सप्लाई न होने के कारण देश की समूची परिवहन प्रणाली पर इतना अधिक दबाव है कि हमें आयातित पेट्रोलियम उत्पाद तथा कच्चे तेल को बन्दरगाहों से सीधे देश के सुदूर पूर्वी तथा उत्तरी भागों में भेजना पड़ता है तथा जिसके फलस्वरुप भटिन्डा, पानीपत आदि को कोयले जैसे कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में संभरण नहीं हो रहा है सिन्दरी पानीपत और भटिन्डा से बरौनी के रास्ते बंद होने के

कारण उन्हें एल०एस०एच०एस० भी नहीं आ रहा है। महोदय ! देश में विद्युत की बुरी स्थिति और सूखे की स्थिति के कारण सप्लाई की स्थिति काफी खराब रही है जिसके फलस्वरूप हमारे तलचर और रामादन्डम जैसे सर्वोत्कृष्ट संयंत्र, जो अब कोयले से चल रहे हैं, बंद हो गए थे और विद्युत की अनुपलब्धता के कारण वे वाणिज्यिक उत्पादन शुरु नहीं कर सके थे। इसी प्रकार से फुलपुर संयंत्र, जिसका आदरणीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने उल्लेख किया है, का निर्माण कार्य 1976 में शुरु किया गया था। महोदय, फुलपुर संयन्त्र तैयार है और यह उत्पादन शुरु करने की स्थिति में है। फुलपुर संयंत्र में उत्पादन् इसलिए शुरु नहीं हुआ कि अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है या अभी यह बनकर तैयार नहीं हुआ है अपितु आवश्यक कच्चा माल के न मिलने के कारण इसमें उत्पादन शुरु नहीं हो सका है। इसी प्रकार से विद्युत की कमी के कारण गोरखपुर संयंत्र भी नुकसान् उठा रहा है। इसी तरह से अन्य संयंत्र भी नुकसान् उठा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में हजीरा संयंत्र सर्वोत्कृष्ट उरर्वक संयंत्र है लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 39 मेघावाट विद्युत का संभरण करने के बारे में 1976 में अनेक वायदे करने के बावजूद इस संयंत्र को विद्युत का बिल्कुल भी संभरण नहीं किया। उसने हाल ही में 3·5 मेघावाट विद्युत देना शुरु किया है जिसके कारण सरकार ने टर्बाइन पर आधारित 20 मेघावट को एक बिजली घर स्थापित करने की स्वीकृति दी है। जैसाकि श्री उन्नीकृष्णन् ने कहा है उर्वरक उद्योग उत्पादन क्षति का सामना कर रहा है। यह क्षति अनेक कारणों से हो रही है तथा यह स्थिति हमने पैदा नहीं की है। कुछ उर्वरक कारखाने श्रम संकट के कारण हानि उठा रहे हैं तथा यह स्थिति पिछली सरकार ने पैदा की थी। उन्होंने देश के श्रमिकों को पूरी तरह से गुमराह किया, श्रमिक सम्बन्धों को बिगाड़ा और हरेक को मनमाने ढंग से बोलने की खुली छूट दे दी जिसके फललस्वरूप इनमें से कुछ संयंत्रों में श्रम सम्बन्ध बिगड़े और उत्पादन में हानि हुई। यह सही है कि देश में नाइट्रोजन उर्वरक की 36 लाख मी० टन० की स्थापित क्षमता होने के बावजूद हम केवल 22.5 लाख मी० टन का उत्पादन कर पाएंगे तथा जिसके फलस्वरुप 14 लाख मी० टन की कमी रह जाएगी। लेकिन हमारी खपत तो उसी मात्रा में रहेगी। खपत को पूरा करने के लिए हमें अपने आयात को बढ़ाना पड़ेगा और हमें विदेशी मुद्रा अनिवार्यतः खर्च करनी पड़ेगी। इन सब बातों को देखते हुए मैं केवल यही कहूंगा कि यदि संयंत्रों को कच्चा माल मिलने लगे, असम की स्थिति में सुधार हो, विद्युत स्थिति में सुधार हो और परिवहन प्रणाली में भी और अधिक सुधार आए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उर्वरक उद्योग में आज से कहीं अधिक उत्पादन होने लगेगा। इसलिए, यह कहना कि उर्वरक उद्योग आज की तुलना में वर्ष 1978 में काफी अच्छा चल रहा था वास्तविक तथ्यों को झुठलाना तथा उर्वरक उद्योगों के सम्मुख उपस्थित समस्याओं को स्वीकार न करने के समान ही होगा। उन्होंने तो इन वास्तविकताओं को सदन के सम्मुख पेश न करके इन संयंत्रों के घटिया कार्य निष्पादन की सारी राजनैतिक जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पर लादने की कोशिश की है। श्री उन्नीकृष्णन ने उर्वरक उद्योग को बड़ी धुंधली नजर से देखा है। उन्होंने यह उद्धरण पेश किया है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहे थे। वस्तुतः जनानी आवाज में यह कह देना तो काफी आसान है लेकिन किसी की सहायता करना··· (एक माननीय सदस्य : मधुर आवाज)। जनानी आवाज हमेशा मधुर ही होती है। मधुर

आवाज के अलावा वे स्वय भी काफी मधुर हैं। मेरा कहना है कि इन्हीं कारणों से ही हमने नुकसान उठाया है।

मैं चाहता हूं कि प्रेस, समूचा देश तथा सभी आदरणीय सदस्य इस बात को महसूस करें कि वे किसी मामले को उसके गुणावगुणों तथा तथ्यों की दृष्टि से कितना देखते हैं। मैं पूछता हूं कि इस देश में हर बात को राजनैतिक रूप क्यों दिया जाता है और देश में, विशेष कर बड़े लोगों की, राजनैतिक तथा उनके चरित्र की हत्याएं क्यों की जाती हैं? केवल इसलिए कि किसी के विदेश में संबंधी हैं तो इसका यह अर्थ तो नहीं हो जाता कि उसकी अपने देश के हितों में रूचि नहीं रह गई है और विशेषकर उन लोगों की जिन्होंने देश की भलाई के लिए केवल इसी पीढ़ी में ही नहीं वरन पिछली तीन पीढ़ियों में कष्ट उठाये हैं।

इसलिए ऐसे मामलों को उठाना और संबंधों के कारण यह ठेके दिए गए हैं जिक्र करना बहुत ही गिरी हुई हरकत है, कहना चाहिए कि पीठ में छुरा भोंकना है जैसा कि श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है काफी जांच पड़ताल की गई थी। ठकरू आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ? न तो कुछ किया गया न कुछ सामने ही आया। इसी प्रकार, अन्य जांच आयोग के प्रतिवेदन का भी कुछ परिणाम नहीं निकला। मामले के गुण-दोषों को देखे बिना केवल राजनैतिक पूर्वाग्रह के आधार पर ही यह सब बातें यहां कहीं जा रही हैं। यदि यह ऐसे ही किया जाता रहा रही तो कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी की पत्नी अमरीका की है तो किसी की इटली की है या स्विस हैं अथवा फ्रांस की हैं। इसीलिए काम करना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं तकनीक के अंतरण का पूरा मामला उसके गुणदोषों आधार के पर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ब्रॉन पक्ष अथवा उनका कार्य भारत सरकार के कार्यालयों में कितना प्रभावी है इसका अंदाजा इस तथ्य से हो जाता है कि श्री उन्नीकृष्णन के पास विभिन्न टिप्पणियों की फोटो-प्रतियां हैं, जिन्हें वह सभा-पटल पर रखने को तैयार है। (व्यवधान) वह सच भी हो सकती है झूठ भी, परन्तु उनका यह दावा है कि वह सच्ची हैं। मैं कुछ क्यों कहूं। मैं तो वही कह रहा हूं, जो मुझे कहना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : जब तक आप उसका खंडन नहीं करते, तब तक वह यही सोचेंगे कि यह सच है। (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : केवल श्री उन्नीकृष्णन के पास ही नहीं वरन सदन में भी ऐसे अनेक सदस्य हैं जिनके पास फोटो-प्रतियां मौजूद हैं। इसलिए, इस मामले के गुण-दोषों के अलावा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्रॉन जैसी कम्पनी की भारत सरकार के कार्यालयों और फाइलों तक पहुंच है, जैसा कि उन्होंने किया है और जैसा कि वह कर रहे हैं। तो फिर इस देश की सुरक्षा का भविष्य क्या होगा। इसलिए, इस तथ्य—कि उन्हें प्रतियां कैसे प्राप्त हुई—केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा पूर्णतया जांच की जानी चाहिए। केवल व्यावसायिक समझौते ही महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि यदि भारत सरकार की गोपनीय फाइलें और दस्तावेज ऐसे लोगों को मिल जाती हैं तो रक्षा की दृष्टि से इस देश को बचाना बहुत कठिन है।

जहां तक इस ठेके का संबंध है, शुरु से ही जब से मैंने फरवरी से कार्य-भार संभाला है, मुझे पक्का विश्वास था कि सी० एफ० ब्रॉन द्वारा भारी रकम दी गई है और उन्होंने कोशिश की है.....

एक माननीय सदस्य : दूसरी ओर से भी यही हुआ है।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : दूसरी ओर से ऐसा नहीं हुआ है। यह सच है और हर रोज यह देखने में आ रहा है किस तरह लोगों को भारी राशि दी जा रही है और उन तथ्यों के अतिरिक्त जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि ब्रॉन ने सारे मामले पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डाल कर यह रिपोर्ट तैयार की है। इस मामले के प्रारम्भ से ही, जब यह मामला राज्य स्तर के मंत्री के पास गया था, यद्यपि उनके पास इससे सहमत होने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था क्योंकि राज्य स्तर के मंत्री के लिए यह बहुत कठिन है कि वह सचिवीय समिति के प्रतिवेदन से सहमत न हों, परन्तु ब्रॉन के संबंध में सचिवीय समिति के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए भी उन्होंने यह स्पष्टतः कहा था कि सारे ठेके एक ही पार्टी को देना राष्ट्रीय के हितों के अनुकूल नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : उनकी यह राय थी कि इसे बांट दिया जाना चाहिए। जब मैंने जनवरी से कार्य-भार संभाला मैंने यह आवश्यक समझा कि इस मामले की जांच एक दूसरी विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाए दूसरी विशेषज्ञ समिति ने मामले की दोबारा जांच की और चार के बहुमत से, यह निर्णय दिया कि कम से कम चारों संयन्त्र एक ही पार्टी को नहीं देने चाहिए। इसलिए यह कहना कि भारत सरकार ने विशेषज्ञ समिति की राय पर बिल्कुल विचार नहीं किया गलत होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : क्या आप इसे फिर से दोहरायेंगे ? आपने कहा चार के बहुमत से।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : चार एक मत के थे और तीन दूसरे मत के। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ठेका एक पार्टी को न देकर दो पार्टियों को दिया जाना चाहिए था। इसलिए जब हमने इस मामले पर विचार करना शुरु किया तो दूसरी विशेषज्ञ समिति की राय हमारे सामने थी। सबसे पहले जब हमने इस मामले पर विचार करना शुरु किया तो सबसे पहला मुद्दा यह था कि उर्वरकों के मामले में निर्माण कार्यों का अनुभव इतना महत्व नहीं रखता—यह मुद्दा अपने आप में बड़ा महत्व रखता है क्योंकि जो कम्पनियां यहां पहले काम कर चुकी हैं हमने उनका कार्य तथा कार्य निष्पादन देखा था। जहां तक भारत में उर्वरक संयन्त्रों के निर्माण का प्रश्न है ब्रॉन को इसका कोई अनुभव नहीं था इसका भी ध्यान रखा गया।

दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब बातचीत शुरू की गई थी तब ब्रॉन तकनीक का अन्तरण तभी करने को तैयार था जब चारों संयंत्रों का ठेका उसे ही दिया जाए। तकनीक का अंतरण वह संयंत्रों के विभाजन पर करने को तैयार नहीं था और उसे केवल दो संयंत्रों का ही आर्डर दिया गया था। इसलिए वह किसे दिया जाना चाहिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास क्षमता है इ०पी०डी०आई०एल० ऐसी ही

निर्माण-संस्था है जो कि उर्वरकों का कार्य करती है। हम 900 टन की क्षमता का अमोनिया संयंत्र बना सकते हैं इसलिए प्रश्न या अधिक ऊंची क्षमता, अर्थात् प्रतिदिन 1350 टन अमोनिया पैदा करने की क्षमता, की तकनीक प्राप्त करना। इसलिए सम्पूर्ण तकनीक का पूर्ण अंतरण बहुत ही आवश्यक था। इस दृष्टि ही हमने यह सब किया। यह तकनीक में आगे बढ़ने अथवा पीछे हटने का प्रश्न नहीं है। जब हमने इस प्रश्न पर आगे छानबीन की तब हमने देखा कि ब्रॉन तकनीक में एक स्तर से आगे जाने की क्षमता नहीं थी। उसकी कोई अनुसंधान और विकास गतिविधि नहीं थी। उसमें कोई नये अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन की गुंजाइश नहीं थी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : क्या आप यह कह सकते हैं कि टॉपसॉ के पास प्रोत्साहक अनुसंधान की क्षमता है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं उस पर भी आ रहा हूं। श्री उन्नीकृष्णन धीरे-धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा।

इसीलिए, ब्रॉन के मामले में तकनीकी का अन्तरण पूरा नहीं था और न ही वे इसे ऐसे करने को तैयार थे जैसा कि अन्य पार्टियों ने ऑफर किया था। इसके अतिरिक्त जो भी गारंटी वह देने को तैयार थे उसमें कानूनी त्रुटियां थी। उनके अनुसार एक ऐसा सदस्य था जो कि कानूनी विशेषज्ञ था। कभी-कभी ऐसा भी होता है कानूनी विशेषज्ञ भी त्रुटियों को नहीं देख पाते-हैं। कमियां तो थी हीं। वह संयंत्र के चालू होने की पूरी गारन्टी देने को तैयार नहीं थे। वह यह कह रहे थे कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि ब्रॉन ही गलतियों अथवा किसी प्रकार की बाधाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार साबित नहीं होता तब तक वह उत्पादन की अथवा कुछ होने की गारंटी नही लेगें। इसलिए यह एक कानूनी त्रुटि थी। इस मामले में किसी कोई कार्य-निष्पादन की गारंटी की आवश्यकता नहीं समझी गई। यह केवल मेरे द्वारा ही स्पष्ट नहीं किया गया है वरन मेरे पूर्वाधिकारी श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भी अपने प्रैस वक्तव्य में भी यही कहा था। इस दृष्टि कोण से भी हमने विचार किया था।

यह कहा जाता है कि ब्रॉन बहुत अच्छी कम्पनी है। यह भी कहा जाता है कि पुलमैन कैलोग पर किसी अन्य कम्पनी का अधिकार हो गया है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मैंने फाइल पर पुलमैन कैलोग लिख दिया था। श्री उन्नीकृष्णन का पूरा जोर स्नैम तथा इटली के खिलाफ है तथा टॉपसॉ में स्नैम के 51 प्रतिशत का शेयर होने के खिलाफ है। जहां तक मेरा संबंध है उन्होंने मुझ पर यह दोष लगाया है कि मैं पुलमैन कैलोग का पक्ष ले रहा हूं, क्योंकि वह इटली की न होकर अमरीका की कम्पनी है। इसलिए मेरी यह समझ में नही आता कि जब वह मुझे उद्धरित कर रहे थे तब वह यह क्यों कह रहे थे कि मैं प्रारम्भ से ही पुलमैन कैलोग का पक्ष ले रहा हूं। ना तो मैंने पुलमैन कैलोग का ही पक्ष लिया है न किसी अन्य का। ब्रांच के जिस कथन का उल्लेख हो रहा था—उसका कथन अत्यंत ही अरुचि पूर्ण था उसके सम्बन्ध में मैं इस पूरे मामले की नये सिरे से जांच कराने के पक्ष में था। इसीलिए मैं चाहता था कि पूरे मामले तथा सभी पार्टियों की दोबारा से जांच की जाए क्योंकि मैं जानता था कि वह जानबूझ कर अन्य पार्टियों की जांच नहीं करवाना चाह रहे थे, और उनका प्रमुख उद्देश्य यही था कि आर्डर उन्हें ही दिया

जाए। मैंने विशेष तौर पर कहा था कि इस मामले की भी जांच की जाए। वह यह कह रहे थे कि इटली का पक्ष मैं किसी राजनैतिक अथवा किसी अतिरिक्त सांवैधानिक प्राधिकारी के दबाव में आकर ले रहा हूं। मेरे लिखे हुए का उद्धरण देकर वह यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं पुलमैन कैलोग का पक्ष ले रहा हूं परन्तु उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति हार्पर टांपसां के खिलाफ है न कि पुलमैन कैलोग के। इसलिए मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं।

हमने इस प्रश्न की भी जांच की है कि ब्रांन ने हमारे देश में कितने संयंत्र लगाये हैं, और टॉपसाँ ने इस देश में तथा संसार के अन्य देशों में कितने संयंत्र लगाए हैं और पुलमैन कैलोग ने कितने। हमने यह देखा कि जहाँ तक ब्रॉन का संबंध है पिछले दो वर्षों में ब्रॉन केवल एक संयंत्र ही लगा पाया है, जबकि हार्पर टॉपसाँ ने लगभग 17 और पुलमैन कैलोग ने लगभग 11 या 12 संयंत्र लगाए हैं। यह स्थिति है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे पास इसकी पूरी सूची है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तकनीकी समिति यह क्यों नहीं समझ पाई।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : तकनीकी समिति वह सचिवीय समिति है। यह नहीं समझ पाई तो क्या इसका अर्थ है कि सरकार को भी इसे देखने का कोई हक नहीं है। हार्पर टॉपसाँ द्वारा लगाए गये संयंत्रो की पूरी सूची मेरे पास है, उन्होंने 1350, 1200 और 1500 टन की क्षमता के विभिन्न संयंत्र प्यूटोरिको, अमरीका, नार्वे, स्पेन, इटली, जॉर्जिया (अमरीका) में लगाए है। अब तक वे पूरे संसार में 97 से अधिक संयंत्र लगा चुके हैं। जहाँ तक अधिक क्षमता का प्रश्न है उन्होंने अधिक क्षमता के भी संयंत्र लगाए हैं। इटली के संयंत्र की क्षमता 1200 टन की है इसके अतिरिक्त वे 1200 टन, 1000 टन, और 900 टन की क्षमता के संयंत्र भी लगा चुके हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : 1350 टन की तुलनात्मक क्षमता, एक तीन वर्ष के लिए एक दो वर्ष के लिए। पश्चिम जर्मनी में डी० ए० एस० एफ० के सहयोग से 100 निर्माण-कार्य किये हैं; कैलोग के दो संयंत्र मैक्सिको में है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे पास सूची है।

मुझे खुशी है कि श्री उन्नीकृष्णन यह सब जानते हैं। परन्तु उनकी दलील पूर्णतया पक्ष-पातपूर्ण है। मेरा यह कहना गलत नहीं होगा यदि वह यह कहें ..... (व्यवधान)। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है..... (व्यवधान)

तकनीक के सम्बन्ध में भी समिति का यह मत है कि ब्रॉन द्वारा दी जाने वाली तकनीक उनके द्वारा सातवें दशक के प्रारम्भ में विकसित की गई थी तथा उनके द्वारा तकनीक का और आगे विकास करने की कोई आशा नहीं है क्योंकि वह अपने उच्चतम स्तर पहुंच चुके हैं। इस प्रकार, सभी दृष्टियों से हमने यह विचार किया है कि तकनीक का अन्तरण बहुत आवश्यक है, पार्टियों का अनुभव भी बहुत आवश्यक है, साथ ही मैं कुछ अन्य मूलभूत तथ्यों को भी उठाना चाहूँगा जिनका जिक्र श्री निरेन घोष और डा० स्वामी ने किया है। डा० स्वामी ने लागत का विश्लेषण और श्री निरेन घोष ने अमोनिया को यूरिया में बदलने का प्रश्न पूछा है जिसका श्री उन्नीकृष्णन ने भी जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इसके परिवर्तन का संबंध

है, हार्पर टॉपसॉं ने जो अन्तिम समझौते पर हस्ताक्षर किए है उससे न केवल अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन के संबंध में ही वरन ऊर्जा की खपत और लागत के संबध में भी स्थिति पूर्णतया बदल गई है। मैं यह भी कहूंगा कि लागत की दृष्टि से भी वह सुविधाजनक है तथा हाल ही में हस्ताक्षर तथा बातचीत किए गए ठेके को ध्यान में रखते हुए पूरी स्थिति ही बदल गई है जिस पर मूल समिति ने ध्यान नहीं दिया था और जिस पर अब ध्यान दिया गया है। सारी तकनीकी, लागत और परिवर्तन की स्थिति पूर्णतया बदल गई है और अब स्थिति इस प्रकार की बन गई है। अब ब्राउन ने प्रतिदिन 1740 मीटरी टन की कार्बन डाइआक्साइड की वसूली की गारंटी दी है जिससे प्रतिदिन 2320 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन किया जा सकेगा। उस समय हाल्डर टोपसो के इस संबंध में आंकड़े 1700 मीटरी टन प्रतिदिन है जो 22, 67 मीटरी टन के आंकड़ों के अनुरुप है। इसका अर्थ यह हुआ कि दो प्लांटों के लिये यह 4500 मीटरी टन होगा और अकेले यूरिया प्लांट की कुल क्षमता 4500 मीटरी टन है। अतः अमोनिया से यूरिया में बदलाव करने से यह मात्रा यूरिया प्लांट में खपत होने वाली मात्रा से लगभग 34 मीटरी टन अधिक होगी। बदलाव संबंधी स्थिति पूर्णतया बदल गई है।

जहां तक लागत का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि सी एफ ब्राउन ने एकल 1350 मीटरी टन प्रतिदिन प्लांट के लिये 65 मिलियन डालर तथा अतिरिक्त सुविधाओं जो दूसरे अमोनिया यूनिट के साथ बांटी जाने वाली हैं, के लिए 3.65 मिलियन औसत प्रति ट के आंकड़े दिए। इस सम्बन्ध में, मैं बाद में बताऊंगा।

ऊर्जा की खपत के बारे में इस समय यह स्थिति है। जहां तक फीस का संबंध है, अन्तिम बातचीत के बाद ब्राउन ने 125.319 मिलियन डालर और टोपसे ने 106.625 मिलियन डालर के लिये पेशकश की है। जहां तक लागत का सम्बन्ध है, यह 19 मिलियन डालर कम है।

ऊर्जा की खपत, प्राकृतिक गैस, कच्चे पानी, विद्युत, माप आदि के बारे में मैं संयुक्त आंकड़े दूंगा ताकि सदन का समय बच सके। ब्राउन की खपत 555.15 थी जबकि हाल्डर टोपसे की 561.8 थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रतीत होता है कि तकनीकी समितियों ने इसे महसूस नहीं किया।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यदि आप इसे महसूस नहीं कर पाते, तो मैं क्या कर सकता हूं ?

जहां तक ऊर्जा की खपत का सम्बन्ध है अब यह सिद्ध हो चुका है कि अन्तर इतना अधिक नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 10 वर्ष में कुल बचत लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए के बीच होगी और इतनी अधिक नहीं जिसका उल्लेख श्री उन्नीकृष्णन ने किया है जबकि शुरु में हम हाल्डर टोपसे को 4 करोड़ रुपए कम दे रहे है।

अतः मेरा यह कहना हैं कि इस समूचे मामले पर क्रोध में आकर या राजनैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर या किसी न किसी व्यक्ति का चरित्र हनन करके विचार नहीं करना चाहिए विशेष रुप से श्री उन्नीकृष्णन इस देश में सबसे बड़े व्यक्ति का चरित्रहनन करने में काफी रुचि रखते है और यह नहीं सोचते कि उस व्यक्ति का स्थान कोई नही ले सकता।

अत: मैं उनसे तथा उनके अन्य मित्रों से आग्रह करता हूं कि वास्तविकता को देखा जाये और मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखा जाये और किसी व्यक्ति का चरित्र हनन न किया जाये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री उन्नीकृष्णन और निरेन घोष की परस्पर अच्छा मेल होने पर मैं बहुत प्रसन्न हूं।

एक माननीय सदस्य : और सतीश अग्रवाल।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं समझता हूँ, सतीश अग्रवाल एक एडवोकेट है। वह ऐसी बातों में नहीं पड़ते, जिनमें वे पड़ रहे हैं।

श्री उन्नीकृष्णन : और श्री निरेन घोष और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का परस्पर मेल अजीब है। अत: मैं यह कहूँगा कि इस मामले में तीनों के विचार मिलते है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अत: मैं उनसे आग्रह करता हूं तथा अनुरोध करता हूँ कि ऐसे मामलों में वे भावनाओं में न बहें या राजनीति को न लायें। कितने मामलों में चरित्र हनन का सहारा लिया गया है ? ऐसा माएति के मामले में किया गया था। अब श्री उन्नीकृष्णन ने में पिछली सरकार में 1976 में मेरे द्वारा किये गए किसी कार्य के लिए शाह आयोग का उल्लेख किया है। यदि ठेका देने के बारे में, जो उस समय स्नाम को दिया गया था, शाह आयोग में कोई बात थी, तो शाह आयोग ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं की थी ?

उनका कहना है कि मैंने अमुक व्यक्ति से यह कहा कि मैं उसे आसुंका के अन्तर्गत जेल भिजवा दूंगा। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी को आंसुका के अन्तर्गत जेल भेज सकता। जब ऐसा हुआ था, तो मैं मुख्य मन्त्री भी नहीं था। मैं तो केन्द्र में आ चुका था। जब मैं मुख्य मन्त्री था, तो ऐसा कर सकता था, परन्तु उस समय मैं केन्द्र में उर्वरक तथा रसायन मन्त्री था।

अत: मैं उनसे अनुरोध तथा आग्रह करूँगा कि वे अपना-अपना काम करें और यदि आवश्यक हुआ तो हम पुन: मिलने पर मामले में आगे चर्चा करेंगे।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। यह समाप्त हो गया है।

न्यायाधीश श्री सी० ए० वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम न्यायमूर्ति श्री सी० ए० वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन पर चर्चा आरम्भ करते हैं। श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैं भूतपूर्व प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) के परिवार के सदस्यों और भूतपूर्व गृह मन्त्री (श्री चरण सिंह) के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों के जांच से सम्बन्धित विशेष न्यायाधीश, श्री सी० ए० वैद्यलिंगम के दिनांक 25 जनवरी, 1980 के प्रतिवेदन पर, जो 11 मार्च, 1980 को सभापटल पर रखा गया था, चर्चा उठाता हूं।*** ***(व्यवधान)।**

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा) : मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं । नियम 340 के अधीन मुझे यह निवेदन करना है :—

"कोई प्रस्ताव पेश किये जाने के बाद किसी भी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

मेरा अनुरोध है कि वाद-विवाद अगले सत्र के लिए स्थगित किया जाये ।

श्री सतीश अग्रवाल : आप जाँच आयोग को सारा मामला सौंप दें ।·····(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : सरकार को उन पर मुकदमा चलाना चाहिये ।·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो केवल मात्र चर्चा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है । यह तो केवल चर्चा है, कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने यह प्रस्ताव किया है कि ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रस्ताव नहीं है । यह नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : यह प्रस्ताव के ही समान है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव अलग होता है ।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे जाँच आयोग को सौंपा जाना चाहिए । आप श्री मोरारजी देसाई, श्री कान्ति देसाई, श्रीमती पद्मा देसाई, आदि पर सीधे मुकदमा चलाये ।···(व्यवधान) आप ऐसा करें । आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए ।

श्री लकप्पा : वैद्यलिंग ····के अन्तर्गत प्रस्ताव·····(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : अब रात के 9 बज कर 15 मिनट हो गये हैं । हम कब तक बैठेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह चर्चा नहीं करना चाहते ?

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : अब बहुत देर हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री कुछ कहना चाहते हैं । श्री देव ने कहा है कि रात के 9 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं । वह जानना चाहते हैं·····

गृह मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : माननीय सदस्य जाना चाहते हैं । पहले 9 बजकर 15 मिनट हो गये हैं । हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि सभा स्थगित की जाये और इस चर्चा को अगले सत्र में उठाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा को अगले सत्र में ले जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्हें इसलिए कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पहले ही 9 बजकर 15 मिनट हो गये हैं । चर्चा स्थगित की जाती है ।··· ··(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : इसे स्थगित नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे आंशिक रूप से चर्चा हुई माना जायेगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : नहीं ।·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा यह चाहती है कि सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाये ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ ।

9.18 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।